पंचम माला, खंड 5, अंक 38
Fifth Series, Vol. V, No. 38

बुधवार, 14 जुलाई, 1971/23 आषाढ़, 1893 (शक)
Wednesday, July 14, 1971/Asadha 23, 1893 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

PARLIAMENT LIBRARY
No. 64112
Date 19.1.72

[खंड 5 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. V contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 38, बुधवार, 14 जुलाई, 1971/23 आषाढ़, 1893 (शक)

No. 38, Wednesday, July 14, 1971/Asadha 23, 1893 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.		
1112. विकास योजना और प्रौद्योगिकी योजना में परस्पर सम्बन्ध	Co-relation between Development Plan and Technological Plan ..	1—2
1114. साम्प्रदायिक हिंसा को दबाने के लिये राज्य सरकारों को परिपत्र	Circular to State Governments for curbing Communal Violence ..	2—4
1116. कास्टिक सोडे तथा ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स का आयात	Import of Caustic Soda and Graphite Electrodes ..	4—5
1117. दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति	Law and Order Situation in Delhi ..	5—6
1118. चौथी योजना के अन्तर्गत राज्यों की वित्तीय सहायता में कटौती	Cut in Financial Aid to States during Fourth Plan ..	6—7
1119. समुद्री उत्पादों के निर्यातकों द्वारा लाइसेंसों का दुरुपयोग	Misues of Licences by Marine Exporters ..	7—8
1120. विदेशी धन के प्रयोग पर रोक लगाने का सरकार का प्रस्ताव	Government's move to curb Role of Foreign Money ..	8—10
1121. दक्षिण कोरिया की मछुआ नावों का भारतीय समुद्री सीमा में प्रवेश	South Korean Fishing Trawlers in Indian Territorial Waters ..	10—11
1122. पत्रिकाओं के आयात पर रोक	Ban on Import of Journals ..	11—15
1123. कांगड़ा जिले (हिमाचल प्रदेश) में चाय बागानों का पुनः रोपण	Replantation of Tea Gardens in Kangra District (Himachal Pradesh) ..	15—16
1124. कलकत्ता में टेलीविजन केन्द्र के के लिये भूमिस्थल का अधिग्रहण	Acquisition of site for T. V. Centre, Calcutta ..	16—18

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1125. न्यूक्लीय क्षेत्र में ब्रिटेन और ब्राजील के साथ करार	Agreements with Britain and Brazil in Nuclear Field ..	18—19
1127. विभिन्न राज्यों की निर्यात क्षमताओं का सर्वेक्षण	Survey of Export Potential in various State..	19—21
1128. दिल्ली में तस्करी की घड़ियों का पकड़ा जाना	Seizure of Smuggled Watches in Delhi	22—23
1129. पटसन जांच आयोग का प्रतिवेदन	Report of Jute Enquiry Commission	23—24
1131. गुजरात तथा अन्य राज्यों में कपड़ा उद्योग के सम्मुख नया संकट	Fresh crisis in Textile Industry in Gujarat and other States ..	24
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
1113. काजू के उत्पादन में आत्म-निर्भरता	Self-sufficiency in Production of Cashew nuts ..	25
1115. पटसन उद्योग के लाभ और लाभकारिता में कमी	Decline in Profits and Profitability of Jute Textile Industry ..	25
1126. पंजाब के भूतपूर्व अकाली मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिये जांच आयोग बनाये जाये की मांग	Demand for a Commission of Enquiry to probe into Charges of Corruption against former Akali Ministers of Punjab ..	25—26
1130. मद्रास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा	International Telex for Madras ..	26
1132. गृह मंत्रालय में अधिकारी-प्रधान व्यवस्था	Officer-oriented system in Grih Mantralaya..	
1133. भारतीय प्याज के आयात पर प्रतिबन्ध के बारे में श्रीलंका सरकार के साथ वार्ता	Talks with Ceylon Government reban on Import of Indian Onions ..	26—27
1134. केरल हथकरघा बुनकर फेडरेशन के महामंत्री से प्राप्त ज्ञापन	Memorandum from General Secretary Kerala Handloom Weavers Federation ..	27
1135. गोआ, दमन और दीव में कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु	Retirement Age of Employees in Goa, Daman and Diu. ..	27
1136. सिनेमा घरों में राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान न दिखाया जाना	Scant respect shown to National Anthem in Cinema Houses ..	28

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या **S. Q. Nos.**		
1137. सूरी (पश्चिम बंगाल) में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की जीप द्वारा कुचला गया सैन्थिया का पोस्ट मास्टर	Post Master of Sainthia run over by C. R. P. Jeep in Suri (West Bengal) ..	28
1138. तांबे के तारों की चोरी	Theft of Copper Wire ..	28—29
1139. बकाया टेलोफोन बिल	Uncollected Telephone Bills ..	29—30
1140. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का आनन्द मार्ग संगठन के साथ संबंध	Association of Central Government Employees with Anand Marg ..	30
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
4715. दिन के समय प्रसारण आरम्भ करने के लिये सूचना और प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त प्रस्ताव	Proposals received from Information and Brodcasting Ministry Re : Starting of daytime Transmissions ..	30—31
4716. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के कैम्पस की पश्चिमी भारत में स्थापना	Opening of Campus of C. S. I. R. in Western India ..	31—32
4717. फ्री लैण्ड गंज में डाक तथा तार कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर दिया जाना	Allotment of Government Quarters to P & T Staff at Freelandgunj .	32
4718. कोटा डिवीजन के एटवा में टेलीफोन सुविधाएं	Telephone Facilities at Etawa in Kotah Division ..	32
4719. भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का काठमण्डू का दौरा	Visit by Indian Trade Delegation to Kathmandu ..	32—33
4720. दिल्ली प्रशासन में कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotion of Employees in Delhi Administration ..	33
4721. अहमदाबाद में जुपीटर मिल्स तथा बम्बई में उसके यूनिटों का बन्द होना	Closure of Jupitar Mills of Ahmedabad and its Units in Bombay ..	33
4722. मलयेशिया में "इण्डिया मलयेशिया टैक्सटाइल बरहद" नामक संयुक्त उपक्रम	India Malaysia Textile Berhad Joint Venture in Malaysia ..	33—34
4723. मद्रास में सर्वदलीय नेताओं की बैठक सम्बन्धी समाचार दर्शन	Newsreel on All Party Leaders' Meeting at Madras ..	34

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
4724. आयात लाइसेंस जारी करने में विलम्ब समाप्त करने की योजना	Scheme to Eliminate delay in Issue of Import Licences ..	34—35
4725. केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के अनुसूचित जाति के वरिष्ठ अनुसंधाताओं का भारतीय सांख्यिकीय सेवा के संवर्ग चार में शामिल न किया जाना	Non-inclusion of Scheduled Caste Senior Investigations of Central Statistical Organisation in Indian Statistical Service Grade IV ..	35—36
4726. निर्यात व्यापार में पंजाब का योगदान	Punjab's Contribution in Export Trade	36
4727. वर्ल्ड एण्टी कम्यूनिस्ट लीग, फ्री चाइना एसोसियेशन और प्राउटिस्ट ब्लाक की गतिविधियां	Activities of World Anti-Communist League, Free China Association and Proutist Block ..	36—37
4728. बर्दवान (पश्चिमी बंगाल) में पुलिस लाइन में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का तैनात किया जाना	C. R. P. Deployed in Police Line in Burdwan (West Bengal)	37
4729. भारत विरोधी कार्यवाहियों में भाग लेने वाले व्यक्तियों को सजा देने हेतु विधान	Legislation for punishment to persons indulging in Anti-India Aotivities ..	37
4730. टेहाटा (पश्चिमी बंगाल) में जासूसों की गिरफ्तारी	Arrest of Spies at Tehatta (West Bengal) ..	38
4731. राजस्थान के भूतपूर्व शासकों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक भूमि की बिक्री	Disposal of excess lands by former Rulers of Rajasthan ..	38
4732. तुर्की तथा बर्मा को पेट्रो रसायन तथा तेल शोधक कारखानों के उपकरणों की सप्लाई	Supply of Petro chemical and Refinery equipments to Turkey and Burma ..	39
4733. आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अध्यादेश, 1971 के अधीन गिरफ्तार किये गये व्यक्ति	Persons arrested under Maintenance of Internal Security Ordinance, 1971 ..	39
4734. मध्य प्रदेश में कपड़ा मिलों का बन्द होना	Closure of Textile mills in Madhya Pradesh ..	39—40
4735. बम्बई में सरकारी इमारतों पर शिव सेना के झण्डों का फहराया जाना	Alleged Flying of Shiv Sena Flags on Government Buildings in Bombay	40
4736. आल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत द्वारा बंगला देश के बारे में व्यक्त किये गये विचार	Views expressed by All India Muslim Majlis-e-Mushawarat about Bangla Desh ..	40—41

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4737. कुछ राज्यों में दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू न होने में बाधा	Non-extension of Criminal procedure Code to some States ..	41
4738. जलस्रोतों का पता लगाने के लिए एकीकृत केन्द्रीय एजेंसी	Unified Central Agency to Explore Water Resources ..	41—42
4739. बिहार में प्रति व्यक्ति आय	Per Capita Income in Bihar ..	42
4740. त्रिपुरा में दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वित किया जाना	Implementation of Recommendations of Second Pay Commission in Tripura	42
4741. राज्य व्यापार निगम द्वारा नायलोन धागे के आयात तथा बुनकरों को उसके नियतन के बारे में शिकायतें	Complaints against Import of Nylon Yarn and its allocation to Weavers by S. T. C. ..	43
4742. मनीपुर पहाड़ियों के लिये जिला स्वायत्तता मांग समिति के प्रतिनिधियों द्वारा प्रधान मंत्री को प्राप्त किया गया ज्ञापन	Memorandum submitted to P. M. by Representatives of District Autonomy Demand Committee for Manipur Hills ..	43—44
4743. सत्तारूढ़ दल के लिये निर्वाचन निधि	Election Funds for Ruling Party ..	44
4744. टीकमगढ़ जिला (मध्य प्रदेश) में एक ट्रांसमीटर और माओ साहित्य का बरामद किया जाना	Recovery of a Transmitter and Maoist Literature in Tikamgarh District (Madhya Pradesh) ..	44
4745. अफ्रीका में उत्पादित तथा निर्यातित काजू की गिरी	Cashew Kernels produced and Exported from Africa ..	45
4746. कलकत्ता में गिरफ्तार किये गये भूतपूर्व संसद सदस्य तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध लगाये गये आरोप	Charges against Ex-MP and others arrested in Calcutta ..	45
4748. बंगला देश की स्थिति के बारे में विचार विमर्श करने के लिये पश्चिम बंगल के अधिकारियों के एक दल का दौरा	Visit by a Team of Officers to West Bengal for Consultations re. Situation in Bangla Desh ..	45—46
4749. केरल सरकार द्वारा भेजे गये विधेयक और अध्यादेश केन्द्रीय सरकार के निर्णयाधीन	Bills and Ordinance sent by Kerala Government lying with Centre for Decision ..	46
4750. आंतरिक सुरक्षा अधिनियम/ अध्यादेश के अन्तर्गत गिरफ्तारियां	Arrest of Persons under Internal Security Act/Ordinance ..	46—47

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4751.	बंगला देश के शरणार्थियों को पश्चिम बंगाल से बाहर न जाने के लिये उकसाया जाना	Bangla Desh Refugees being Incited for not moving out of West Bengal ..	47
4752.	कच्चे पटसन उत्पादकों के लाभ के लिये सरकार द्वारा पटसन व्यापार का अपने नियंत्रण में लिया जाना	Take-over of Raw Jute Trade ..	47—48
4753.	केरल में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के एक एकक का खोला जाना	Starting of C. S. I. R. Unit in Kerala ..	48
4754.	प्राकृतिक संसाधनों का फिर से सर्वेक्षण	Fresh Survey of Natural Resources ..	48—49
4755.	राज्यों की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में अन्तर	Disparity in Per Capita National Income in States ..	49
4756.	केरल में क्षेत्रीय मेकेनिकल इंजीनियरिंग सेन्टर असनुन्धान और विकास संगठन तथा समुद्री अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना	Establishment of a Regional Centre of Mechanical Engineering Research and Development Organisation and Marine Research Centre in Kerala ..	49
4757.	पिछड़ापन दूर करने के लिये राज्यों को आर्थिक सहायता	Financial Aid to States to remove their Backwardness ..	50
4758.	मनीपुर विधान सभा का उपयुक्त स्थान पर स्थानान्तरण	Shifting of Manipur Legislative Assembly to a Suitable Site ..	50
4759.	कपड़ा उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Textile Industry ..	50—51
4760.	डाकूग्रस्त क्षेत्रों में सड़कें बनाने के लिये राज्यों को सहायता	Assistance to States for Construction of roads in Dacoit Infested Areas ..	51
4761.	काश्मीर में क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला का खोला जाना	Opening of a Regional Research Laboratory in Kashmir ..	51—52
4762.	हल्दी के मूल्य में गिरावट	Fall in Price of Turmeric ..	52
4763.	विदेशों से हथियारों का आयात करने के लिये आयात लाइसेंसों का दिया जाना	Grant of Import Licences for Importing arms from Abroad ..	52
4764.	उद्योगपतियों द्वारा लगाई गई पूंजी के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग की रिपोर्ट	Report of Tariff Commission on Capital Invested by Industrialists ..	52—53
4765.	महाराष्ट्र में प्रयोगात्मक आधार पर रबड़ के पेड़ उगाना	Growing of Rubber Trees on Experimental basis in Maharashtra ..	53

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4766.	केरल में एक परमाणु ऊर्जा केन्द्र की स्थापना	Establishment of an Atomic Energy Centre in Kerala ..	53
4767.	काटन मिलों का बन्द किया जाना	Closure of Cotton Mills	54
4768.	नियंत्रित मूल्य पर रेटिड हस्क बेचने के कारण नारियल जटा समितियों को हुई हानि की प्रतिपूर्ति के लिए केरल को अनुदान	Grant to Kerala for Compensation to Coir Societies for Loss incurred by Selling Retted Huks at Controlled Price ..	54
4769.	अजुध्या मिल, दिल्ली का सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिया जाना	Taking over of Ajudhya Mill, Delhi	54—55
4770.	मनीपुर में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक किया जाना	Separation of Judiciary from Executive in Manipur	55
4771.	दिल्ली नगर निगम द्वारा म्युनिसिपल वार्डों का गठन	Creation of Municipal Wards by Delhi Municipal Corporation	55—56
4772.	जूट निगम	Jute Corporation	56
4773.	रेशमी साड़ियों का निर्यात	Export of Silk Sarees	56
4774.	उत्तर प्रदेश मंडल में डाकघरों का दर्जा संयुक्त कार्यालयों और सार्वजनिक टेलीफोन घरों के रूप में बढ़ाना	Raising of Post Offices in U. P. Circle to Combined Offices and Public Call Offices ..	57
4775.	बंगला देश से सम्बन्धित आकाशवाणी के कार्यक्रम	All India Radio Programme on Bangla Desh ..	57
4776.	पश्चिम बंगाल में नक्सलवादियों द्वारा किये गये अपहरण और हत्याओं के मामले	Cases of Kidnapping and murder by Naxalities in West Bengal ..	58
4777.	योजना आयोग के अन्तर्गत न आने वाले क्षेत्र	Setting up of Projects in Public Sector in Regions covered in Earlier Plans ..	58
4778.	डाक तथा तार सलाहकार समितियों का गठन	Constitution of Posts and Telegraphs Advisory Committees	58—59
4779.	विग का निर्यात	Export of Wig ..	59
4780.	गढ़वाल में सरकारी इमारत में उप-डाकघर और शाखा डाक-घर	Sub-Post Offices and branch Post Offices in Government Building in Garhwal ..	60

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4781.	हिन्दी में टेलीफोन डाइरेक्टरी का प्रकाशित किया जाना	Publication of Delhi Telephone Directory in Hindi ..	60—61
4782.	उत्तरी क्षेत्र के विकास के लिये एक परिषद् की स्थापना	Setting up a Council for Development of Northern Region ..	61
4783.	संयुक्त अरब गणराज्य को भेजा जाने वाला भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल	Indian Trade Delegation to visit U. A. R. ..	61
4784.	नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन	Creation of New All India Services ..	62
4785.	यूरोपीय आर्थिक समुदाय देशों को भारत का निर्यात	India's Exports to E. E. C. Countries ..	62—63
4786.	गुप्तचर विभाग के भूतपूर्व निदेशक द्वारा 'काश्मीर' शीर्षक से लिखी गई पुस्तक में दी गई टिप्पणियों पर आपत्ति	Objectionable remarks contained in Book entitled 'Kashmir' written by Former I. B. Chief ..	63
4787.	डाक तथा तार कर्मचारियों को पर्वतीय भत्ते का भुगतान	Payment of Hill allowance to P & T Employees ..	63—64
4788.	मार्च, 1971 की हड़ताल में भाग लेने के कारण पालघाट डिवीजन के डाक-तार विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध आपराधिक मामले	Criminal cases against P & T Employees of Palghat Division for participation in strike of March, 1971 ..	64
4789.	योजना आयोग के आन्तरिक ढांचे का पुनर्गठन	Reorganisation of Internal structure of Planning Commission ..	64
4790.	आयात लाइसेंस जारी करना	Issue of Import licences	65
4791.	केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों के दौरे	Tours Performed by Union Ministers ..	65
4792.	झालरापाटन से झालावाड़ तक निःशुल्क टेलीफोन काल	Telephone Calls free of cost from Jhalrapatan to Jhalawar .	65—66
4793.	कासरगोड और होसदुर्ग ताल्लुकों में डाक तथा तार सुविधाएं	Posts and Telegraphs facilities in Kasaragod and Hosdrug Taluqs ..	66
4794.	त्रिवेन्द्रम में टेलेक्स सुविधाएं	Telex facilities in Trivandrum ..	66
4795.	इम्फाल टाउन में टेलीफोन कनेक्शन	Telephone Connections in Imphal Town ..	66—67

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4796.	मनीपुर में गैर-मनीपुरी भाषी कर्मचारियों को मनीपुरी भाषा सिखाना	Teaching of Manipuri language to non-Manipuri officers ..	67
4797.	दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा 'युवक मंडलों' का चलाया जाना	Functioning of "Yuvak Mandals" by RSS in Delhi ..	67
4798.	गम्भीर आर्थिक संकट के कारण चौथी योजना के शेष समय में वरीयताओं को समाप्त करना	Dropping of priorities for remaining period of Fourth Plan due to serious economic crisis ..	68
4799.	उत्तर प्रदेश में बुलन्दशहर के निकट एक वायरलेस सेट रखने वाले पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी	Arrest of Pak spy possessing a wireless set near Bulandshahar (Uttar Pradesh) ..	68
4800.	डाक व तार विभाग में विभागेत्तर डाकवाहकों को खपाना	Absorption of extra Departmental Mail Couriers in the P. and T. Department ..	67
4801.	निर्यात प्रोत्साहन तथा आयात के लाइसेंसों के वास्तविक उपयोग के बारे में समम-समय पर जांच	Periodic investigations of actual use of Export incentive and Import licences ..	69
4802.	उड़ीसा में परमाणु-खनिजों की खोज	Exploration of Atomic Minerals in Orissa ..	69
4803.	बिहार के पूर्णिया जिले में उप-डाक व तार घर का खोला जाना	Opening of Sub-Post and Telegraph Office in Purnea District (Bihar) ..	69—70
4804.	परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में प्लूटो-नियम का उत्पादन	Production of Plutonium in Atomic Power Plants ..	70
4805.	नैनी (इलाहाबाद) स्थित आई० टी० आई० कारखाने पर पूंजी-गत व्यय	Capital expenditure on I. T. I. factory at Naini (Allahabad) ..	70—71
4806.	आल इण्डिया रेडियो से अंग्रेजी में पढ़े जाने वाले समाचार का कर्ण-कटु होना	Way of reading News in English Over A. I. R. Jarring and unpleasant ..	71—72
4807.	मध्य प्रदेश में किराये के भवनों में डाक व तार घर	P & T Offices of Madhya Pradesh in Rented Buildings ..	72
4808.	मध्य प्रदेश की टेलीफोन सलाह-कार समितियों की बैठकें	Meetings of Telephone Advisory Committees in Madhya Pradesh ..	72

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4809.	स्व० पंडित माखन लाल चतुर्वेदी की स्मृति में डाक टिकट निकालना	Commemorative Postal Stamp for Late Pandit Makhan Lal Chaturvedi	72—73
4810.	आकाशवाणी के नैमित्तिक कलाकारों का ज्ञापन	Memorandum from A. I. R. Casual Artistes ..	73
4811.	बड़े नगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली	Police Commissioner System for Big Cities ..	73
4812.	नई दिल्ली में टेलीविजन टावर ने निर्माण की लागत	Cost of T. V. Tower in New Delhi ..	73—74
4813.	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय योजना	National Plan for Science and Technology	74
4814.	लघु उद्योग एककों की सहायता के लिये विशेष विभागों की स्थापना	Setting up of Special Cell to help Small Scale Industrial Units	74—75
4815.	विदेशों में रहने वाले भारतीय वैज्ञानिकों को भारत वापस आने की अपील	Appeal to Indian Scientists Abroad to Return to India	75—76
4816.	टेलीफोन के बिलों का अनियमित होना	Irregular telephone billing ..	76—77
4817.	उत्तर एटलांटिक निर्बाध व्यापार संघ द्वारा भारतीय सामान के लिए एक विशाल बाजार का खोला जाना	Opening up of Mass market for Indian Goods by the North Atlantic Free Trade Association ..	77
4818.	भारत तथा गणतंत्र कोरिया और भारत तथा उत्तर कोरिया के बीच व्यापार	Trade between India and Republic of Korea and India and North Korea ..	77—78
4819.	साम्प्रदायिक दंगों सम्बन्धी जांच आयोग की सिफारिशें	Recommendations made by Enquiry Commission on Communal Riots ..	78—79
4820.	फिल्म उद्योग को दिए गये ऋण का चुकाया जाना	Repayment of Loans by Film Industry	79
4821.	नान्देड़ स्थिति उस्मानशाही टेक्सटाइल मिल्स को नियन्त्रण में लेना	Taking over of Osmanshahi Textile Mills, Nanded ..	79—80
4822.	भारतीय वन सेवा का गठन	Constitution of Indian Forest Service ..	80—81
4823.	नई दिल्ली में चेकोस्लोवाकिया के दूतावास के तहखाने में लगी आग के बारे में जांच	Enquiry into out-break of Fire in Basement of Czechoslovakian Embassy in New Delhi ..	81

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
4824. अडियार में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के क्षेत्रीय अनुसन्धान कैम्पस का कार्य	Functioning of Regional Rearch Campus of C.S.I.R. at Adayar ..	81—82
4825. फिरोजपुर और दिल्ली के बीच उपभोक्ता ट्रंक टेलीफोन सेवा की व्यवस्था करना	Linking of Ferozepure with Delhi by subscribers trunk Dialling system ..	82
4826. ग्वालियर के एक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किये जाने के बारे में शिकायतें	Complaints re. violation of Code of conduct by Hindi Daily of Gwalior ..	82
4827. "जवाहर के लाल" नामक हिन्दी दैनिक को दिया गया अखबारी कागज का कोटा	Quota of newsprint granted to Hindi Daily "Jawahar ke Lal" ..	82—83
4828. काजू के छिलके से निकलने वाले तरल पदार्थ (लिक्विड) के निर्यात मूल्यों में कमी	Decline in export prices of Cashew nut shell liquid ..	83
4829. टाईप टैस्ट पास न करने पर निम्न श्रेणी लिपिकों को वेतन वृद्धियों तथा पदोन्नतियों का रोका जाना	Increments and Promotions of S.D.C. stopped for not qualifying Typing ..	83
4830. राज्य व्यापार निगम के दिल्ली स्थित कार्यालय के कर्मचारियों में असन्तोष	Discontentment among employees of S.T.C. Delhi ..	83—84
4831. शहरी और अर्ध/शहरी क्षेत्रों में उच्चतर टेलीफोन टैरिफ	Higher Telephone Tariff in Urban and Semi-Urban Areas ..	84
4832. कूच-बिहार में डाक तथा तार विभाग के लिये संयुक्त भवन	Composite Building for P & T Department at Cooch-Behar ..	85
4833. राष्ट्रीय समारोहों में ध्वजारोहण के समय सलामी लेना	Receiving of Salute at Flag Hoisting on National Celebration Occasions ..	85
4834. कूच बिहार टेलीफोन एक्सचेंज के कार्यकरण के बारे में शिकायतें	Complaints in working of Cooch Behar Telephone Exchange .	86
4835. गोवा, दमन और दीव के मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोप	Charges against Chief Minister of Goa, Daman and Diu ..	86

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4836.	बिहार में किराये के भवनों में स्थित उप डाकघरों की संख्या	Housing of Bihar Sub-post Offices in rented Buildings ..	86—87
4837.	ओखला (दिल्ली) के निकट क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार	Jurisdiction over Area near Okhla (Delhi) ..	87
4838.	प्रशिक्षित भारतीय इंजीनियरों और वैज्ञानिकों का अन्य देशों को जाना	Emigration of trained Indian Engineers and Scientists to other Countries ..	87—88
4839.	पश्चिम बंगाल में राज्य कर्मचारी, बीमा के अस्पतालों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस सैन्य कर्मचारियों का ठहराया जाना	C.R.P. Army Personnel lodged in E.S.I. Hospitals in West Bengal ..	88
4840.	कलपक्कम अणु शक्ति परियोजना के लिये भारी गाड़ी की खरीद	Purchase of a Heavy Vehicle for Kalpakkam atomic Power ..	88—89
4841.	कलपक्कम अणु शक्ति परियोजना	Kalpakkam Atomic Power Project ..	89
4842.	कलपक्कम अणु शक्ति परियोजना में काम करने वाले अधिकारियों को दी गई सुविधायें	Amenities provided to Officers working in Kalpakkam Atomic Power Project ..	89—90
4843.	भारतीय सांख्यिकी संस्थान के कर्मचारियों को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन में खपाना	Absorption of Indian Statistical Institute Staff in National Sample Survey Organisation ..	90—91
4844.	केन्द्रीय सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1965 के अधीन निपटाये गये मामलों का पुनरीक्षण	Review of Cases disposed of under Central Service (Classifications, Control and Appeal) Rules, 1965	91—92
4845.	आंग्ल भारतीयों के लिये पदों का आरक्षण	Reservation of Posts for Anglo Indians ..	92
4846.	विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रकाशित पत्र/पत्रिकायें	Journals/Periodicals published by various Ministries ..	92
4847.	महाराष्ट्र मैसूर सीमा विवाद	Maharashtra Mysore Boundary Dispute ..	92—93
4848.	समस्त भारत में टेलीविजन पारेषण केन्द्र	T.V. Transmission Centres All Over India ..	93
4849.	जैपुर आकाशवाणी केन्द्र	Jeypore A.I.R. Station ..	93
4850.	विभिन्न मंत्रालयों में नियम पुस्तकों तथा प्रपत्रों के द्विभाषी संस्करणों का छापा जाना	Printing of Manuals and Forms in various Ministries in Diglot Edition ..	93—94

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4851.	कच्चे माल और पूंजीगत वस्तुओं के आयात सम्बन्धी आवेदन पत्रों के निपटाने के लिए समय सीमा	Time Limit for Disposal of Applications for Import of Raw Materials and Capital Goods ..	94
4852.	डाकतार वर्कशापों के महा-प्रबन्धक और अन्य प्रबन्धकों की बढ़ी हुई वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायोजन	Delegation of enhanced Financial and Administrative Powers to General Manager and other Managers of P & T Workshops ..	94
4853.	तकनीकी अधिकारियों के संवर्ग	Cadres of Technical Officers ..	94—95
4854.	समुद्र पारीय संचार सेवा	Overseas Communications Service ..	95
4855.	राष्ट्रमंडलीय प्रैस यूनियनों का सम्मेलन	Commonwealth Press Unions Conference ..	95—96
4856.	संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में समाचारपत्रों और पत्रिकाओं में सिगरेट के विज्ञापन पर प्रति-बन्ध	Ban on advertisement of cigarette in Newspapers and Magazines in Union Territory of Delhi ..	96
4857.	लेपजिग मेले में भारतीय इंजीनियरिंग उत्पाद	Indian Engineering Goods at Leipzing Fair ..	96
4858.	दिल्ली पुलिस द्वारा महात्मा बुद्ध की बहुत पुरानी मूर्ति का पकड़ा जाना	Seizure of an old Statue of Lord Buddha by Delhi Police ..	97
4859.	जैपुर डाक प्रभाग, उड़ीसा का गठन	Creation of Jeypore Postal Division in Orissa ..	97
4860.	प्राथमिकताओं सम्बन्धी सामान्य पद्धति योजना के अन्तर्गत निर्यात बढ़ाने के लिये सभी प्रतिबन्धों का हटाया जाना	Removal of all Constraints for boosting exports under G.S.P. Scheme ..	97—98
4861.	करोल बाग टेलीफोन केन्द्र	Karol Bagh Telephone Exchange ..	98—99
4862.	केन्द्रीय सांख्यिकीय संस्था में नियमित आधार पर वरिष्ट अनुसन्धाताओं की नियुक्तियां	Appointments of Senior Investigators in Central Statistical Organisation on regular basis ..	99
4863.	श्रव्य-दृश्य प्रचार विभाग द्वारा दिये गये विज्ञापन	Advertisements put out by Department of Audio-Visual Publicity ..	99—100
4864.	आनन्द मार्ग की गतिविधियों तथा इसकी वित्तीय सहायता के साधन	Activities of Anand Marg and its source of financial Assistance ..	100

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4865. बून्दी (राजस्थान) में मुख्य डाकघर	Head Post Office at Bundi (Rajasthan) ..	100
4866. बारा, राजस्थान में डाक व तार कार्यालय	Posts and Telegraphs Office at Bara, (Rajasthan) ..	101
4867. विभिन्न मंत्रालयों में अनुवाद कार्य	Translation Work in Various Ministries ..	101
4868. संघलोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम लागू न किया जाना	Non-introduction of Hindi Medium in U.P.S.C. Examinations ..	101—102
4869. श्री लंका को भारत के निर्यात के बारे में श्रीलंका सरकार से बातचीत	Talks with Ceylon Government re-India's Exports to Ceylon ..	102
4870. पार्वती टेक्सटाइल मिल्स, क्विलोन (केरल) का बन्द होना	Closure of Parvathi Textile Mills Quilon (Kerala) ..	102—103
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
अलीपुर स्पेशल जेल में पाँच राजनीतिक कैदियों के मारे जाने का समाचार	Reported killing in prison of five political prisoners in Alipore Special Jail ..	103—109
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee ..	103
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant ..	103—104
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	109—111
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
चौथा प्रतिवेदन	Fourth Report ..	111
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
पहला प्रतिवेदन	First Report ..	111
नेताजी जांच आयोग की कार्यवाहियों में सहायता के लिये एक वकील को नियुक्ति के बारे में दिनांक 30-6-71 के तारांकित प्रश्न संख्या 814 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to S.Q. No. 814 dated 30.6.71 re. Appointment of a lawyer to assist the proceedings of Netaji Enquiry Commission ..	111
अनुदानों की मांगें, 1971-72	Demands for Grants, 1971-72 ..	112—145
शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग	Ministry of Education and social Welfare and Department of Culture ..	112—122
श्री सिद्धार्थ शंकर राय	Shri Siddhartha Shankar Ray ..	112—122
औद्योगिक विकास मंत्रालय	Ministry of Industrial Development ..	123—145

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
श्री दिनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya	.. 123—124
श्री पट्टाभिराम राव	Shri Pattabhai Rama Rao	.. 129—130
श्री इरास्मो डी सक्वीरा	Shri Erasmo de Sequeira	.. 131—132
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	.. 132
श्री इसहाक साम्भली	Shri Ishaq Sambhali	.. 132—133
श्री नागेश्वर राव	Shri Nageswara Rao	.. 133—134
श्री आर० पी० उलगनम्बी	Shri R. P. Ulaganambi	.. 134—136
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jaganath Rao	.. 136—138
श्री एस० के० सरकार	Shri S. K. Sarkar	.. 138—140
श्री वीरेन्द्र अग्रवाल	Shri Virendra Agarwal	.. 140—141
श्री सी० सी० देसाई	Shri C. C. Desai	.. 141—142
श्री राजदेव सिंह	Shri Rajdeo Singh	.. 143
श्री नवल किशोर सिंह	Shri N. K. Sinha	.. 143—144
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद	Shri Siddheswar Prasad	.. 144—145
भारत, रूस और अमरीका के बीच फिल्मों के पारस्परिक आदान-प्रदान के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-An-Hour Discussion Re. Reciprocal Exchange of Films between India, USSR and USA	.. 145—149
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	. 145—147
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी	Shri N. K. Sanghi	.. 147
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	.. 147
श्री के० एम० मधुकर	Shri K. M. Madhukar	.. 147
श्री एल० एन० मिश्र	Shri L. N. Mishra	.. 147—149

LOK SABHA

लोक-सभा

बुधवार, 14 जुलाई, 1971/23 आषाढ़, 1893 (शक)
Wednesday, July 14, 1971/Asadha 23, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

विकास योजना और प्रौद्योगिकी योजना में परस्पर सम्बन्ध

*1112. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना के क्षेत्र में एक नई विचारधारा का विकास हुआ है कि प्रत्येक योजना को इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिये कि प्रत्येक विकास योजना के साथ उसके एक भाग के रूप में उससे सम्बन्धित एक प्रौद्योगिकी योजना भी हो ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार समझती है कि इस प्रकार से, उपलब्ध साधनों के आधार पर, अधिकतम सफलता प्राप्त की जा सकती है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) विकास में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रयोग की दृष्टि से एक राष्ट्रीय योजना बनाने तथा कार्यान्वित करने का विचार है। यह योजना हमारी सामाजिक आर्थिक योजना से पूर्णतया सम्बद्ध होगी तथा वास्तव में इसे इसी के आधार पर तैयार किया जायेगा। कुछ ऐसे अधिक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में पहल की जायेगी जिनमें विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योग रहता है।

(ख) जी, हां।

श्री राजदेव सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या दोषयुक्त योजना के कारण ही उत्पादन में कमी हुई है ?

श्री मोहन धारिया : दोषयुक्त योजना ही इसका कारण नहीं है । कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां योजना का कार्यान्वयन उचित नहीं हुआ है और योजना के दौरान उत्पादन में कमी होने के विभिन्न कारण मैं सभा को पहले भी कई बार बता चुका हूं ।

श्री राजदेव सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार लोक सभा के इस सत्र में अथवा इससे अगले सत्र में समस्त योजना का मध्यावधि मूल्यांकन करेगी ।

श्री मोहन धारिया : मैं पहले ही सभा को बता चुका हूं कि चौथी योजना का मूल्यांकन करने के लिये लगभग तीन महीने चाहिये ।

साम्प्रदायिक हिंसा को दबाने के लिये राज्य सरकारों को परिपत्र

+

*1114. **श्री निहार लास्कर :**
श्री पी० गंगा देव :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे साम्प्रदायिक दंगों को दबाने के लिये बल प्रयोग करने में परम्परागत मापदण्डों को रूकावट न समझें ;

(ख) क्या राज्यों में साम्प्रदायिक दंगों के होने की स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही के बारे में राज्यों को कोई परिपत्र जारी किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(घ) क्या कुछ राज्य उक्त परिपत्र में उल्लिखित कुछ प्रस्तावों से सहमत नहीं हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (ग). राज्य सरकारों को भेजे गये पत्र में गृह मंत्रालय ने साम्प्रदायिक दंगों से निपटने के लिये बल-प्रयोग के सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली नीति को स्पष्ट किया था । उसमें साम्प्रदायिक दंगों तथा अन्य विधि और व्यवस्था की स्थितियों में, परिणाम तथा स्वरूप की दृष्टि से, आवश्यक अन्तर पर बल दिया गया था । यह बात साफतौर पर कही गई थी कि सामान्य विधि और व्यवस्था की स्थिति से निपटते समय ठीक तरीका यह है कि बल का तभी प्रयोग किया जाए जब ऐसा करना अपरिहार्य हो किन्तु साम्प्रदायिक हिंसा को फैलने से रोकने के लिये, उसके सर्व प्रथम संकेतों के दिखाई देने पर ही शक्ति का कारगर ढंग से प्रयोग करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिये । ऐसा देखने में आया है कि साम्प्रदायिक दंगों को यदि आरम्भ में ही सख्ती से नहीं दबा दिया जाता तो वे बड़ी तेजी से फैल जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप निर्दोष व्यक्तियों के जान व माल को भारी क्षति पहुंचती है ।

(घ) और (ङ) . यद्यपि सभी राज्य सरकारों ने साम्प्रदायिक हिंसा तथा अन्य घटनाओं से उत्पन्न सम्भावित स्थितियों के बीच मौलिक अन्तर को समझा था तथापि हरियाणा तथा उत्तर

प्रदेश की सरकार द्वारा गृह मंत्रालय द्वारा सुझाये गये तरीके के सम्बन्ध में प्रारम्भ में कुछ सन्देह प्रकट किया गया था । इन दोनों सरकारों को स्थिति आगे फिर स्पष्ट की गई थी । गृह मंत्रालय तथा किसी राज्य सरकार के बीच इस मंत्रालय के पत्र में स्पष्ट की गई नीति के बारे में अब कोई मतभेद नहीं है ।

श्री निहार लास्कर : क्या सरकार को ज्ञात है कि जिन स्थानों पर नये प्रवासी आये हैं, वहां पाकिस्तान साम्प्रदायिक दंगे कराने के लिये जोरदार प्रचार कर रहा है ? मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या उपाय कर रही है ?

श्री राम निवास मिर्धा : शरणार्थी शिविरों का प्रबन्ध करने के मामले पर चर्चा करते समय हमने कहा था कि साम्प्रदायिक प्रचार एवं अन्य किसी भी तरह से देश के विरुद्ध प्रचार न हो, इसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाता है । फिर भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं और हम शिविरों की प्रबन्ध व्यवस्था में बहुत कड़ाई से काम ले रहे हैं । प्रशासनिक तथा अन्य उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर रखे जाने वाले व्यक्तियों की खूब जांच-पड़ताल की जाती है और किसी भी प्रकार का साम्प्रदायिक दंगा न हो, इसके लिये सभी सम्भव उपाय किये जाते हैं ।

श्री निहार लास्कर : क्या यह सच नहीं है कि देश में भी कुछ ऐसे दल हैं जो साम्प्रदायिक प्रचार करते हैं, क्या सरकार ऐसे संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर रही है ?

श्री राम निवास मिर्धा : साम्प्रदायिक संगठनों और साम्प्रदायिक वृत्ति वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में इस सभा में अनेक बार चर्चा की जा चुकी है । साम्प्रदायिक गतिविधियों वाले व्यक्तियों से निपटने के लिये विधि में पर्याप्त व्यवस्था है । जहां तक किसी संगठन की साम्प्रदायिक गतिविधियों का प्रश्न है, सरकार इस सम्बन्ध में उचित विधि बनाने पर विचार कर रही है ।

श्री पी० गंगादेव : शान्ति और व्यवस्था बनाये रखना राज्यों का विषय है और शरणार्थी समस्या का तो सारे भारत से सम्बन्ध है । केन्द्र से सीधे ही सम्बन्धित इस मामले से निपटने के लिये क्या सरकार राज्यों में चलते-फिरते न्यायालय खोलेगी ?

श्री राम निवास मिर्धा : यह सच है कि शरणार्थी समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है किन्तु शान्ति और व्यवस्था बनाये रखना राज्य का ही उत्तरदायित्व है और विभिन्न राज्यों के क्षेत्राधिकार में चलते-फिरते न्यायालय खोलने के लिये केन्द्र विधिक रूप से सक्षम नहीं है । यह उत्तरदायित्व राज्यों का है और इसे वे सफलतापूर्वक निभा रहे हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय को समाचार पत्रों में छपी यह बात बताई गयी है कि श्री मसूद, स्वकथित उप-उच्चायुक्त ने बंगला देश से आये 30 या 40 मुस्लिम शरणार्थियों को नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यालय में रखा हुआ है ताकि साम्प्रदायिक दंगे कराये जा सकें ।

अध्यक्ष महोदय : आप अलग से विशिष्ट प्रश्न कीजिये ।

श्री एस० एम० बनर्जी : सीमा पार कर भारत आने वाले कतिपय शरणार्थियों ने साम्प्रदायिक दंगे भड़काने के लिये पाकिस्तान उच्चायोग में शरण ली है । क्या यह बात सच है ?

श्री राम निवास मिर्धा : मुझे इसके लिये सूचना चाहिये। (**अन्तर्बाधा**)

श्री विश्वनारायण शास्त्री : साधारण रूप से शान्ति और व्यवस्था की समस्या तथा साम्प्रदायिक दंगों की समस्या में अन्तर है। क्या सरकार इसके लिये गृह विभाग में एक पृथक कक्ष बनायेगी जो राज्यों में भी इसी प्रकार के कक्ष बनाने के प्रश्न पर राज्य सरकारों को परामर्श दे।

श्री राम निवास मिर्धा : गृह मंत्रालय में अलग कक्ष बनाये जाने का प्रश्न नहीं है। वास्तव में गृह मंत्रालय के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति साम्प्रदायिक उत्तेजना फैलने और साम्प्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करते हैं। इस कार्य के लिये हमारा आसूचना विभाग भी पूरी तरह जुटा हुआ है। हम यह जानकारी राज्य सरकारों को दे देते हैं। साम्प्रदायिक स्थिति से निपटने के लिये, वह जब भी पैदा हो, हमारा बहुत संतोषजनक प्रबन्ध है।

कास्टिक सोडे तथा ग्रैफाइट इलैक्ट्रोड्स का आयात

*1116. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कास्टिक सोडे का कम उत्पादन होने के कारण इस वर्ष 30,000 टन कास्टिक सोडे का आयात किया जा रहा है ;

(ख) क्या देश में कास्टिक सोडे का कम उत्पादन ग्रैफाइट इलैक्ट्रोड्स की कमी के कारण हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो मांग को पूरा करने के लिये ग्रैफाइट इलैक्ट्रोड्स को पर्याप्त मात्रा में आयात करने और देश में इलैक्ट्रोड्स का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग) . एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

कास्टिक सोडे की कमी को पूरा करने के लिये, इसके आयात हेतु वास्तविक प्रयोक्ताओं से आवेदनपत्र मांगे गये हैं।

ग्रैफाइट एनोड, जो विद्युत विश्लेषी कास्टिक सोडे के उत्पादन के लिये अपेक्षित महत्वपूर्ण सहायक कच्चा माल है, की अस्थाई कमी रही है।

इस कमी को पूरा करने के लिये ग्रैफाइट एनोड का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है। ग्रैफाइट एनोड के उत्पादन के लिये अतिरिक्त स्वदेशी क्षमता की भी मंजूरी दी गई है।

श्री न० कु० सांधी : वक्तव्य से पता चलता है कि सरकार ने ग्रेफाइड एनोड आयात करने का निश्चय किया है जिससे विदेशी मुद्रा की हानि होगी। मंत्री महोदय ने अलग-अलग समय पर अलग-अलग वक्तव्य दिये हैं। 1968 में उन्होंने कहा था कि देश में प्रतिवर्ष 2500 टन ग्रेफाइड एनोड की आवश्यकता होगी। फिर राज्य सभा में उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष 1000 टन की आवश्यकता होगी। दोनों वक्तव्यों में अन्तर का क्या कारण है ?

श्री ललितनारायण मिश्र : मैंने कोई विवादास्पद वक्तव्य नहीं दिया है। मैंने जून 1970 में यह मंत्रालय संभाला था। मेरे अनुमान से 1971-72 के दौरान चार लाख टन की आवश्यकता होगी और हमारी उत्पादन क्षमता 3,65,000 टन की है। अतः 40,000 टन की कमी रहेगी और इसीलिए हमने राज्य व्यापार निगम के माध्यम से इसे आयात करने की अनुमति दी है।

श्री न० कु० सांधी : मैं ग्रेफाइड एनोड के बारे में कह रहा था, कास्टिक सोडे के आयात के बारे में नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि 30,000 टन कास्टिक सोडा मंगाने से क्या देश को 5 करोड़ रुपये की हानि होगी और क्या यह राशि ग्रेफाइड एनोड का आयात करके बचाई जा सकती थी क्योंकि ग्रेफाइड से कास्टिक सोडा तैयार करने में 5 प्रतिशत लागत आती है ?

श्री ललितनारायण मिश्र : आयात न करने के लिए एक दलील दी गई है। लेकिन कास्टिक सोडे के लिये इतना दबाव पड़ रहा है कि हमें उसका आयात करना पड़ा है। इस वर्ष इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है क्योंकि उत्पादन में कमी हुई है। जब नया एकक उत्पादन आरम्भ कर देगा तब स्थिति में सुधार हो जायेगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : No doubt there is a huge shortage of Caustic Soda in our Country and we are importing it from outside. But does the hon. Minister know that Caustic Soda is being sold to retailers at a much higher price than the one fixed by Government. May I know the steps being taken to check it ?

Shri L. N. Mishra : No price has been fixed as such. Rates are not fixed for the retailers. These are fixed only in respect of S.T.C.

दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति

*1117. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होती जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) स्थिति का निरन्तर पुनर्विलोकन किया जाता है। सरकार ने दिल्ली में कानून व व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अनेकों उपाय किये हैं जैसे पुलिस जिलों व सब डिवीजनों का पुनर्गठन, विभिन्न स्तरों पर पुलिस की संख्या में वृद्धि, अच्छे उपकरण की व्यवस्था तथा आधुनिक नियंत्रण कक्ष, अपराध अनुसन्धान प्रयोगशाला और अंगुली-चिह्न ब्यूरो की स्थापना।

श्री रामचन्द्र कडनापल्ली : समस्त दिल्ली में चोरियों की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। यहां तक कि संसद सदस्यों के निवास स्थानों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। प्रतिदिन हत्या या अपहरण के सम्बन्ध में सुन रहे हैं। क्या सरकार दिल्ली में पुलिस विभाग को अधिक क्रियाशील बनाने का प्रयत्न करेगी ?

श्री मोहसिन : विभिन्न स्तरों पर पुलिस बल में अधिक वृद्धि की गई है और खराब तत्वों पर निरन्तर निगाह रखी जा रही है।

Shri B. P. Maurya : It is an open secret that only those Police Darogas are posted in Police Stations situated on the borders who bribe higher officers because they all indulge in the smuggling of intoxicants like country liquor etc. Gandhi Nagar is one such colony.

Mr. Speaker : Do not go into all those details.

Shri B. P. Maurya : Will this matter be handed over to the Intelligence Bureau because the police acts in Collusion with the smugglers.

श्री मोहसिन : इस सम्बन्ध में कई उपाय किए गए हैं जैसे पुलिस अधिकारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बारी-बारी से बदलना, सतर्कता में वृद्धि करना और भ्रष्टाचार विरोधी विभागों को सुदृढ़ करना जघन्य अपराधों की जांच पड़ताल पुलिस अधीक्षक की देख-रेख में करना पुलिस अधिकारियों के लिये विशेष आचार संहिता का निर्माण, भ्रष्टाचार से दूषित क्षेत्रों में निगरानी के लिये चौकियां बनाना, पुलिस थानों के क्रियाकलाप पर गुप्त रूप से निगाह रखना। ये सभी उपाय किये गये हैं और आशा है कि इससे भ्रष्टाचार में कमी होगी।

Shri Ramchander Vikal : Since when these measures have been introduced ?

श्री मोहसिन : ये उपाय किये जा चुके हैं, मंत्रालय ही इन सब कार्यों को करता है।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : क्या यह सच है कि दिल्ली के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने शिकायत की है कि जन संघ प्रशासन उनके कार्यों में अनुचित हस्तक्षेप करता है।

अध्यक्ष महोदय : इस बात का प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

Shri Ramavatar Shastri : Whether it is a fact that some anti-social elements have been found living in the quarters of the Members of Parliament and whether it is also a fact that these days Police have curtailed their vigilance activities in the area where flats of the Members of Parliament are located and if so, the reasons therefor ?

अध्यक्ष महोदय : यह सर्वथा एक भिन्न प्रश्न है।

Shri Ramavatar Shastri : Can Government furnish information about bad-characters and may I know whether anti-social elements are being sheltered there or not ?

चौथी योजना के अन्तर्गत राज्यों की वित्तीय सहायता में कटौती

*1118. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के अन्तर्गत राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में कटौती की जाने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने इस प्रस्तावित कटौती का विरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री और उनके पूर्व मुख्यमंत्री ने यह शिकायत की है कि इस प्रस्तावित कटौती द्वारा उत्तर प्रदेश के साथ अन्याय किया गया है। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्री मोहन धारिया : प्रश्न तो केन्द्रीय सरकार की सहायता में कटौती करने का है। राज्य सरकारों को दी जानेवाली सहायता में कटौती करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अत: अन्य अनुपूरक प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री एस० एम० बनर्जी : मुझे खुशी है कि कोई कटौती नहीं हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या चौथी योजना के दौरान विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता देने के लिये सरकार ने कोई अन्तिम निर्णय लिया है और यदि हां, तो उसमें उत्तर प्रदेश का हिस्सा कितना है।

श्री मोहन धारिया : इस समय किसी भी राज्य सरकार को दी जानेवाली केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता में कटौती करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Shri Achal Singh : I would like to know from the hon. Minister whether the financial assistance has been increased, in case it has not been cut ?

Shri Mohan Dharia : No, Sir. There is no question of increasing the financial aid to the State Governments, as the new problems have put a great burden on our economy. But even then whatever I have promised, we are trying our best to make available the said assistance in the manner we can.

समुद्री उत्पादों के निर्यातकों द्वारा लाइसेंसों का दुरुपयोग

*1119. **श्री के० बालतण्डायुतम :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले दशक में समुद्री उत्पादों के निर्यातकों को दिये गये निर्यात प्रोत्साहन लाइसेंसों का व्यापक रूप से दुरुपयोग किया गया था ;

(ख) क्या निर्यात प्रोत्साहन के अन्तर्गत मैरीन डीजल इंजिनों के आयात के लिए दिये गये लाइसेंसों को लागू नियमों का उल्लंघन करके बड़े मुनाफे पर बेचा गया था ; और

(ग) क्या सरकार ने समुद्री उत्पादकों के निर्यातकों द्वारा लाइसेंसों के दुरुपयोग की कोई जांच की है।

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग). सरकार को पता चला है कि समुद्री उत्पाद निर्यातकों ने उन्हें दिये गये निर्यात संबर्धन लाइसेंसों का, जिनमें मैरीन डीजल इंजनों के फालतू पुर्जों के आयात लाइसेंस भी शामिल हैं, दुरुपयोग किया है। निर्यात सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत निर्यातक सम्पूर्ण मैरीन डीजल इंजनों का आयात करने के हकदार नहीं हैं और इस प्रकार के इंजनों का आयात नहीं किया गया है।

मामलों की जांच कर ली गई है। इस सम्बन्ध में प्राप्त हुई रिपोर्टों पर विचार किया जा रहा है।

श्री के० बालतन्डायुतम : जो लाइसेंस दिये जाते हैं, उनके बारे में यह जानने के लिये कि इन लाइसेंसों का समुचित प्रयोग किया जाता है अथवा नहीं, क्या कोई तंत्र बनाया गया है अथवा आप लोगों से प्राप्त शिकायतों पर ही निर्भर रहते हैं ?

श्री ए० सी० जार्ज : जी, हां। हमारे पास एक तंत्र है और जब हम लाइसेंस देते हैं तब हम इसके द्वारा बातों का पता लगाते हैं।

श्री के० बालतन्डायुतम : यह तंत्र किस तरह का है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : यदि लाइसेंस का दुरुपयोग किया जाता है, तो इसके लिये प्रवर्त्तन निदेशालय है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय जांच ब्यूरो भी है। समुद्री उत्पादों के निर्यात के बारे में लाइसेंसों के दुरुपयोग की शिकायतें हैं और हमने मुकदमा चलाने के आदेश दे दिये हैं। वास्तव में शिकायत किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं है, किन्तु अनेक व्यक्तियों के विरुद्ध है।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य ने तंत्र के बारे में पूछा है।

श्री एल० एन० मिश्र : प्रवर्त्तन निदेशालय तो है।

श्री के० बालतन्डायुतम : प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन के अनुसार 778 मामले लम्बित हैं। मुझे बताया जाये कि इस प्रतिवेदन में कितने मामले हैं और इन मामलों के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री ए० सी० जार्ज : इस विशेष वर्ग में 100 से अधिक मामले हैं।

विदेशी धन के प्रयोग पर रोक लगाने का सरकार का प्रस्ताव

+

*1120. **श्री विश्वनाथ झुंझनवाला :**
श्री नवल किशोर सिंह :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विदेशी धन के प्रयोग पर रोक लगाने सम्बन्धी अपने प्रस्ताव पर एक कार्य पत्र पारिचालित किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या यह कार्यवाही केन्द्रीय जांच के अनुसरण में की जा रही है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जायेगी ;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ). विदेशी धन के प्रयोग पर आसूचना विभाग की रिपोर्ट के सम्बन्ध में 14 मई, 1969 को गृह मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य में दिये गये आश्वासन के अनुसरण में साधारण तथा वास्तविक लेन-देन के अतिरिक्त अन्य प्रकार से विदेशी संस्थाओं, एजेंसियों, अथवा व्यक्तियों से धन प्राप्ति पर उपयुक्त रोक लगाने के लिए प्रयोगा-

त्मक प्रस्ताव तैयार किये गये हैं और इन प्रयोगात्मक प्रस्तावों की एक टिप्पणी विरोधी दलों के नेताओं को उनके विचार जानने के लिए भेजी गई है। गृह मंत्री ने 14 मई 1969 को अपने वक्तव्य में ये कारण बताये थे कि आसूचना विभाग की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखना सम्भव क्यों नहीं है।

श्री नवल किशोर सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय के लिये सदस्यों को भी यह पत्र भेजना संभव होगा, ताकि हम इस बारे में ठीक स्थिति जान सके ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सदस्यों को भी यह पत्र भेजने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु इस समय मैंने यह टिप्पण विरोधी दलों के नेताओं को भेजा है और हमने उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाही है। शायद कुछ समय बाद हम इसे सभी सदस्यों को भेज सकते हैं।

श्री नवल किशोर सिंह : क्या मैं मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि यदि यह पत्र सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को भी भेजा जायेगा तो क्या नुकसान होगा ? हम विरोधी दल के सदस्य नहीं हैं, किन्तु हम भी इस पत्र के बारे में जानना चाहते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यदि सदस्य विरोधी दल के भी हों, तो मुझ इसे भेजने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मुझे बताया जाये कि क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि यह मांग की जाती रही है कि जब तक कोई इस समस्या को अच्छी तरह नहीं जानेगा, तब तक विरोधी दल के सदस्यों के लिये इस सम्बन्ध में कोई सार्थक योगदान करना बहुत कठिन होगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुझे याद नहीं है कि मुझे इस तरह का कोई पत्र मिला है। किन्तु यदि मेरे माननीय मित्र ने वह पत्र पढ़ा है जो मैंने भेजा है। (श्री श्यामनन्दन मिश्र—मैंने पढ़ा है) तो वह देखेंगे कि इसमें वे सभी बातें शामिल हैं जिन्हें हम सोच सकते हैं। चूंकि हमने सलाह मांगी है कि क्या किसी और बात को शामिल किया जाये। मुझे विश्वास है कि विरोधी दल के हमारे मित्र हमें इस बारे में बतायेंगे और हमारी मदद करेंगे। उदाहरण के तौर पर इसमें प्रत्यक्ष-भुगतान, अप्रत्यक्ष भुगतान, आतिथ्य आदि बातें शामिल हैं।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : समस्या किस तरह की है और कितनी बड़ी है—इस बात को कोई नहीं जानता है। जब तक हमारे पास केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन नहीं होगा, तब तक हम कैसे कुछ कर सकते हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यदि सदस्य महोदय गृह मंत्री के वक्तव्य की बात करते हैं तो सदस्य महोदय देखेंगे कि समस्या कैसी है और कितनी बड़ी है—के बारे में इसमें व्यापक रूप में बताया गया है। मैं कहता हूं "व्यापक रूप में," क्योंकि आसूचना विभाग के प्रतिवेदन में दिये गये ब्यौरे सभा में नहीं रख जा सकते। गृह मंत्री ने पहले भी इसके बारे में बताया है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि गृह मंत्री के वक्तव्य में समस्या किस तरह की है—इस बारे में नहीं बताया गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय ने अभी यह कहा कि इस कार्य-पत्र में वे सभी पहलू शामिल हैं जिनके बारे में वह सोच सकते थे। इस कारण मैं एक प्रश्न पूछता हूं। मुझे आश्चर्य है कि एक पहलू, जो बहुत ही सुस्पष्ट पहलू है, को इस कार्य-पत्र में शामिल नहीं किया गया है और

वह पी० एल०—480 निधि के बारे में है जो इस देश में इकट्ठा हो रहा है और जिसका इस देश में एक विदेशी सरकार द्वारा सभी कार्यों के लिये प्रयोग किया जा सकता है। इस कार्य-पत्र से इस विशेष मद को क्यों छोड़ दिया गया है ? क्या उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा था ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस निधि का प्रयोग दो सरकार के बीच हुए करारों के अधीन किया जाता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसलिये क्या इसे किसी भी कार्य में आपकी जानकारी के बिना खर्च किया जा सकता है ?

श्री समर मुखर्जी : केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन को परिचालित नहीं किया गया है। इसके प्रतिवेदन के बिना इस प्रस्ताव के गुण-दोषों का निर्णय कैसे किया जा सकता है ? इसी कारण मैं पूछता हूं कि क्या मंत्री महोदय केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन को परिचालित करेंगे, ताकि हम समस्या की गम्भीरता का समुचित मूल्यांकन कर सकें और जो प्रारूप परिचालित किया गया है, उस पर हम अपनी उचित राय दे सकें ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैंने अपने मुख्य उत्तर में बताया कि सभा के समक्ष आसूचना विभाग के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने में सरकार की असमर्थता के कारण मेरे उत्तर में उल्लिखित गृह मंत्री के वक्तव्य में बताये गये हैं। यह केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन नहीं है। मैं स्पष्ट करता हूं कि यह आसूचना विभाग का प्रतिवेदन है। आसूचना विभाग कुछ निश्चित सीमाओं के अन्तर्गत कार्य करता है। यह केन्द्रीय जांच ब्यूरों की तरह नहीं है और यह जांच को खुले रूप में नहीं बता सकता। यह साक्ष्य रिकार्ड नहीं कर सकता और इसके जानकारी के अपने गोपनीय स्रोत होते हैं, जिन्हें यह बता नहीं सकता।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : किन्तु इसके निष्कर्ष तो दिये जा सकते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : निष्कर्ष गृह-मंत्री के वक्तव्य में व्यापक रूप में दिये गये हैं। यदि मेरे माननीय मित्र गृह मंत्री के पूर्व वक्तव्य को देखें तो उन्हें पता लगेगा कि इसमें व्यापक रूप में निष्कर्ष दिये गये हैं। यदि मैं निश्चित स्रोतों द्वारा दी गई एक पक्षीय जानकारी के आधार पर प्रतिवेदन को यहां प्रस्तुत करूं तो यह बहुत अनुचित बात होगी। समूचे मामले की जानकारी के बिना, जिरह के बिना और दूसरे पक्ष को सुने बिना हम इस तरह के प्रतिवेदन को सभा पटल पर कैसे रख सकते हैं।

दक्षिण कोरिया की मछुआ नावों का भारतीय समुद्री सीमा में प्रवेश

+

*1121. **श्री एम० सत्यनारायण राव :**
श्री जी० वेंकटस्वामी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण कोरिया की उन दो मछुआ नावों को छोड़ दिया गया है जो 5 मई, 1971 को भारतीय समुद्र क्षेत्र में निकोबार द्वीप से कुछ दूरी तक पहुंच गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त मछुआ नावों पर कितने व्यक्ति थे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) पुलिस की जांच-पड़ताल से पता लगा कि विदेशी व्यक्ति अधिनियम, 1946 अथवा अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह मत्स्य विनियम, 1938 के अन्तर्गत कोई अपराध नहीं किया गया था ।

(ग) 34

श्री एम० सत्यनारायण राव : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब उन्होंने कोई अपर ाध नहीं किया तो वे किस उद्देश्य से हमारे समुद्र क्षेत्र में आई थीं ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : उनसे पूछने के लिये और यह पता लगाने के लिये कि क्या कोई अपराध किया गया है अथवा नहीं ।

श्री एम० सत्यनारायण राव : मैं जानना चाहता हूं कि ये लोग हमारे समुद्र-क्षेत्र सम्बन्धी नियमों का पालन करते हैं अथवा नहीं । माननीय मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने किसी अन्तर्राष्ट्रीय जल प्रांगण कानून का उल्लंघन नहीं किया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : तथ्य यह है कि मौसम खराब था । ये जलपोत खराब मौसम से बचने के लिये स्थान खोज रहे थे । इस तरह से, वे हमारे जल प्रांगण में आ गये थे ।

पत्रिकाओं के आयात पर रोक

*1122. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई आयात नीति में कुछ पत्रिकाओं के आयात पर रोक लगा दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उन पत्रिकाओं के नाम क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

पत्र-पत्रिकाओं के आयात हेतु जारी किये गये लाइसेंसों पर बहुत सी पत्र-पत्रिकाओं के आयात की अनुमति नहीं है । ऐसी पत्र-पत्रिकाओं की एक सूची संलग्न है । चालू वर्ष के लिए नीति तैयार करते समय इस सूची का पुनरीक्षण किया गया था परन्तु अननुमत सूची में कोई वृद्धि नहीं की गयी । ये पत्र-पत्रिकाएं अश्लील तथा अवांछनीय प्रकार की समझी जाती हैं ।

अननुमत पत्र-पत्रिकाओं की सूची

ए० सी० सी०

ए० सी० ई०

ऐक्शन फार मैन

एडम

आल मैन

आरकेडिया

अफेयरज

आफ्टर डार्क

बैचेलर

बैटल क्राई

बैस्ट न्यूइस

बैस्ट कार्टन फ्राम एस्केपेड

ब्लैक आर्किडज

ब्लयू बुक

ब्यूटी पैरेड

केपर

कार्निवाल

कैन कैन

कैन्डी

केपर मे

कार्टून कार्निवाल

क्लाऊड

कैवलकेड

कोरोनेट

क्रोजिन्ज

क्यूआईट

कैबरे

कांटिनैन्टल न्यूडिस्ट

कांटिनैन्टल नैचूरिस्ट

हैल्थ ऐंड एफीशैंसी

ही

हाई टाईम

हाई आन हील्स

हिट पैरेड

हांग कांग इवनिंग पोस्ट

नाईट (Knight)

किंग

कैमेरा

जैगुअर

जैबर्ड जैविनल

लेस गर्ल

लवर लाईज

लैब

लैंग शो

मैन ओनली

मार्डन मैन

मैन

मिरेज

मिस्सी

माई लाईफ फ्लावर

मैन्ज एडवैंचर

मैन्ज बुक

मैन्ज लाईफ

मैन्ज कांकैस्ट

मैन्ज मेगेजीन

मैन्ज स्टोरी

मैन्ज प्राईम

मैन्ज वर्ल्ड

डार्लिंग

डैश

डेट मेट्स

ड्यूड

डेयोबनार

एस्केपेड

ईव फिगर

फार मैन ओनली

फोकस
फ्रोलिक
फोईलीज
फ्रैंच फ्रिल्ज
फीमेल फीस्टा
जैन्ट
जैन्टल मैन
गर्ल
गर्ल्स आफ दी वर्ल्ड
गुड ह्यूमर
जार्जयूअस गाल्स
गाला
ग्लेमर पैरेड
हरम हाली डे
न्यूडिस्ट टाईम्ज
नेचरिस्ट
प्ले ब्वाय
पैंट हाऊस
पिक्चर्स
पिन अप पैरेड
पिक्स
पेरिस हालीवुड
पेरिस पैराडाईज
मैन इलस्ट्रेटेड
मैन टुडे
मैन मेड
मिस्टर
मैन
न्यू मैन
न्यू आर्ट
न्यूड
नगैट
नजैट
नैचूरलिस्ट
न्यूड लार्क
न्यूड लिविंग
न्यूडिस्ट पिक्टोरियल
न्यूडिस्टरी
न्यूडिस्ट फोटो फील्ड ट्रिप
न्यूडिस्म इन एक्शन
न्यूडिस्ट न्यूज रिपोर्ट
न्यूड इमेज
न्यूडिस्ट सन
न्यूडिस्म टुडे
न्यूडिस्ट गोल्डन डेज
सैक्स इन जापान
स्कैम्प
सोल 67
सैन्सेशन
सनराइज
सन ईरा
सनडायल
स्नैप
सैक्स टु सिक्सटी
फोटो
पापुलर न्यूडिस्म
फोटो फील्ड ट्रिप
फोटोराना
क्विकी
सियल मैन
रैपचर
रोग
सर (संयुक्त राज्य अमरीका से प्रकाशित)
शी
सोल
स्टैग

सन बैदिंग	ट्रू मैन
स्वैस्क	टीनेज न्यूडिस्ट
स्वैन्क स्पैशल	ट्रोजन
सन डायल	ट्विलाईट
सन ऐंड स्पोर्ट	अरबन न्यूडिस्ट
शेमफिल्ज	यूटोपिया
टोपर	वैन
टैब	व्यू
टैल्क	वाईल्ड कैट
ट्रू लव	विंक
ट्रू एक्शन	वौमेन मैन ओनली

श्री श्यामनन्दन मिश्र : महोदय, विवरण से इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता कि क्या अश्लीलता के मानदण्ड को पूर्णतया लागू किया जा रहा है अथवा क्या उस मानदण्ड को उदार बना दिया गया है, क्योंकि जैन्टलमैन जैसी बहुत सी पत्रिकायें वर्जित सूची में शामिल की गई हैं ।

अध्यक्ष महोदय : गर्ल भी ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : जी हां, गर्ल भी । अतः यह एक विचित्र बात है । सनराइज को भी वर्जित कर दिया गया है । सर को भी वर्जित कर दिया गया है । यह समझ में नहीं आता कि इसका कारण क्या है ।

प्रश्न यह है कि अश्लीलता के सम्बन्ध में एक कानून है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन पत्रिकाओं को उस कानून के अन्तर्गत दी गई परिभाषा के अन्तर्गत वर्जित किया गया है ।

श्री ललित नारायण मिश्र : महोदय पत्रिकाओं तथा पुस्तकों के चयन में हमारा मार्ग दर्शन शिक्षा मंत्रालय तथा अखिल भारतीय पुस्तक संघ और कुछ मामलों में वित्त मंत्रालय के उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा किया जाता है । यदि जांच के समय यह पता चलता है कि कुछ पुस्तकें सामान्य वाचक के लिये उपयुक्त नहीं हैं, तो उनकी अनुमति नहीं दी जाती । जहां तक विदेश व्यापार मंत्रालय का सम्बन्ध है अश्लीलता सम्बन्धी कानून के बारे में हम उसके गुण दोषों के अनुसार विचार करते हैं । हमें सूची दी गई है तथा हमारा मार्ग दर्शन शिक्षा मंत्रालय तथा अखिल भारतीय पुस्तक संघ जो कि एक गैर सरकारी निकाय है, द्वारा किया जाता है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या फिल्म सेन्सर बोर्ड की भांति इन पत्रिकाओं की जांच पड़ताल करने के लिये शिक्षा मंत्रालय में कोई सक्षम निकाय है ?

श्री ललित नारायण मिश्र : महोदय, आज प्रातः से ही मैं यह जानने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या कोई ऐसी निकाय है । मुझे सूचित किया गया है कि अभी तक ऐसी कोई निकाय नहीं है । मैं महसूस करता हूं कि छानबीन अथवा सेंसर करने के लिये ऐसी कोई निकाय होनी चाहिये । मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं । मैं इस मामले पर शिक्षा मंत्रालय के साथ चर्चा करूंगा ।

डा० रानेन सेन : सूची से यह पता नहीं चलता कि केवल अश्लील साहित्य को ही वर्जित किया गया है। वास्तव में माननीय मंत्री ने स्वयं कहा कि साहित्य के वर्जित किये जाने के कारण बताये बिना ही शिक्षा मंत्रालय तथा अखिल भारतीय पुस्तक संघ उनके मंत्रालय को सलाह देता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन संगठनों द्वारा राजनीतिक पुस्तकों को भी वर्जित किया जाता है।

श्री ललित नारायण मिश्र : यह सम्भव है कि कुछ राजनैतिक पुस्तकों को भी वर्जित किया गया हो। परन्तु इस समय मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। मैं तो केवल इतना कह सकता हूं कि जहां तक तकनीकी तथा अन्य पुस्तकों का सम्बन्ध है उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

श्री जगन्नाथ राव : मैं जानना चाहता हूं कि देश में पुस्तकों के लाने पर किस आधार पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है ? क्या आपको इसकी जानकारी नहीं है ?

श्री ललित नारायण मिश्र : मैं तो केवल इतना कह सकता हूं कि छान बीन अथवा सेंसर करने के लिये अभी तक कोई निकाय नहीं है। हम ऐसा कोई निकाय बनायेंगे जो यह सुझाव दे कि कौन सी पुस्तकों को वर्जित किया जाये तथा कौन सी पुस्तकों की अनुमति दी जाये।

डा० रानेन सेन : इन पुस्तकों को वर्जित क्यों किया गया है ? मंत्रालय को इस बात को जानना चाहिए तथा हमें बताना चाहिये।

श्री ललित नारायण मिश्र : वर्जित की गई हर पुस्तक के बारे में हम कारणों का पता लायेंगे तथा मैं एक विवरण सभा पटल पर रखूंगा।

श्री समर गुह : यह प्रश्न केवल अश्लील पुस्तकों से सम्बन्धित नहीं है। यह एक व्यापक प्रश्न है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि माओ की लाल किताब तथा बहुत सी ऐसी पुस्तकें वर्जित हैं, परन्तु फिर भी बाजार में उनकी हजारों प्रतियां उपलब्ध हैं और यदि हां, तो उन पुस्तकों को देश में आने से रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पत्रिकाओं से सम्बन्धित है।

श्री समर गुह : ऐसी पत्रिकायें भी हैं। परन्तु वे देश में उपलब्ध हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न केवल पत्रिकाओं से सम्बन्धित हैं।

श्री समर गुह : बहुत सी ऐसी पत्रिकायें जो वर्जित हैं, हजारों की संख्या में बाजार में उपलब्ध हैं।

श्री ललितनारायण मिश्र : यह एक अपराध है। यह सम्भव है कि कुछ पुस्तकों को देश में चोरी छिपे लाया गया हो। हम तस्करी का पूर्णतया उन्मूलन नहीं कर सकते हैं।

कांगड़ा जिले (हिमाचल प्रदेश) में चाय बागानों का रोपण

*1123. **डा० रानेन सेन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में चाय के उत्पादन में कमी हो रही है क्योंकि प्रायः सभी चाय-बागान बहुत ही पुराने हो चुके हैं ;

(ख) क्या चाय बागानों के पुनः रोपण के लिए भारी धनराशि लगाने की आवश्यकता है जिसे न तो हिमाचल सरकार और न ही व्यक्तिगत उत्पादक वहन कर सकते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो कांगड़ा जिले में चाय-बागानों के पुनः रोपण के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) पुनर्रोपण के लिये जितनी पूंजी लगाना जरूरी है वह प्रत्येक उपजकर्ता के बस की बात नहीं है ।

(ग) अक्तूबर, 1968 में शुरू की गई पुनर्रोपण इमदाद योजना और चाय रोपण वित्त योजना, जिसके अन्तर्गत पुनर्रोपण और चाय क्षेत्रों के विस्तार के लिए ऋण दिये जाते हैं, भारत के सभी चाय बागानों पर लागू होती है जिनमें कांगड़ा के चाय बागान स्वामी भी शामिल हैं ।

डा० रानेन सेन : यह विदित है कि कुछ वर्षों से ये चाय बागान अच्छी उपज नहीं दे रहे हैं । यह भी सुविदित है कि इस विशेष किस्म की चाय का अमृतसर के रास्ते अफगानिस्तान तथा अन्य देशों को निर्यात किया जाता है । यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है कि चाय बागान के इस क्षेत्र का उत्पादन कम न हो ?

श्री ललित नारायण मिश्र : कांगड़ा क्षेत्र के लिये उस राशि का लाभ नहीं उठा पाये हैं, जो उन्हें ऋण तथा राजसहायता देने के लिये नियत की गई थी । इन चाय बागान में सुधार करने के लिये इस वर्ष 450,00,000 रुपये की राशि नियत की गई है । परन्तु अभी तक 4000 एकड़ में से केवल 14 एकड़ में पुनर्रोपण किया गया है । चाय बोर्ड उस क्षेत्र में एक शाखा खोल रहा है तथा वह चाय बागान के मालिकों को यह समझाने का प्रयास करेगा कि वे बजट में नियत धनराशि का लाभ उठायें ।

डा० रानेन सेन : क्या सरकार को पता है कि कांगड़ा चाय बागान क्षेत्र में कुछ सहकारी समितियों ने पहले ही काम करना आरम्भ कर दिया है और यदि हां, तो क्या सरकार अन्य सहकारी समितियों को भी सहायता अथवा प्रोत्साहन देगी । ताकि वे इस काम को आरम्भ कर सकें ?

श्री ललित नारायण मिश्र : जी हां, हमें इस बात की जानकारी है ।

श्री विक्रम चन्द महाजन : क्या आपने कांगड़ा में कोई वित्त निगम स्थापित किया है, जो चाय रोपण के लिये ऋण देगा ?

श्री ललित नारायण मिश्र : चाय बोर्ड है, जो एक नियमित निकाय है कि वहां शाखा मौजूद है तथा वह बहुत से चाय बागान मालिकों को ऋण देता है ।

कलकत्ता में टेलीविजन केन्द्र के लिए भूमि स्थल का अधिग्रहण

*1124. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार टेलीविजन केन्द्र के निर्माण के लिए कलकत्ता स्थित विक्टोरिया स्क्वेयर में एक स्थान का अधिग्रहण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस स्थान विशेष का चयन करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कलकत्ता नगर निगम ने इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति की है ; और

(घ) प्रस्तावित अधिग्रहण सम्बन्धी शर्तें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा सुझाए गए दो स्थानों में से यही स्थान उपयुक्त पाया गया ।

(ग) जी, नहीं । कुछ आरम्भिक पूछताछ करने के बाद कलकत्ता निगम ने इस बारे में राज्य सरकार से सिफारिश की है ।

(घ) लम्बी अवधि के पट्टे पर एक रुपया सांकेतिक वार्षिक किराए पर, बशर्ते कि इसे राज्य सरकार मंजूर कर ले ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि वास्तव में यह विशेष स्थान किस की मिलकियत है ? दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह स्थान कलकत्ता मैदान का, जो कि कलकत्ता नगर में केवल एकमात्र ऐसा स्थान है जहां लोग जा सकते हैं तथा ताजी हवा का मजा ले सकते हैं तथा जहां नये भवन नहीं बनाये जाने चाहियें, का एक भाग है ? इस बात पर विचार करने की अत्यधिक जरूरत है, क्या इस बात के सब पहलुओं पर विचार कर लिया गया है ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : यह स्थान कलकत्ता निगम का है तथा जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है, हमने एक भू खण्ड के बारे में निर्णय किया है, जो कि कलकत्ता मैदान का भाग है । हमने उस भूखण्ड का अधिग्रहण न करने का निर्णय किया था । अतः इस स्थान तथा दूसरे स्थान अर्थात विक्टोरिया स्क्वैयर के स्थान जो कि हमने पहले ही ले लिया था, में से एक स्थान को चुनना था । तालीगंज में एक अन्य स्थान भी था, परन्तु उसे उपयुक्त नहीं समझा गया ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच है कि आरम्भ में कलकत्ता निगम ने इस कारण से आपत्ति उठाई थी कि कलकत्ता में केन्द्रीय सरकार की अनेक ऐसी इमारतें हैं, जिन के बारे में नगर निगम करों की भारी राशि बकाया है ? इस लिये जब तक केन्द्रीय सरकार समस्त बकाया राशि का भुगतान नहीं करती, निगम टेलीविजन केन्द्र के लिये स्थान को नहीं छोड़ना चाहता था ।

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : वस्तुतः जब यह प्रश्न उठाया गया था तो करों की बकाया राशि इत्यादि के अन्य प्रश्न नहीं उठाये गये थे । अब इस स्थान का चयन कर लिया गया है और यह निर्णय स्वयं नगर निगम द्वारा किया गया था । उन्होंने गत मास अर्थात 18 जून को एक संकल्प पारित किया था तथा उन्होंने टेलीविजन केन्द्र के लिये इस भूमि को देने का निर्णय किया है ।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि जब इस भूमि का अधिग्रहण किया गया अथवा इसके अधिग्रहण के प्रस्ताव पर विचार किया गया तो पहले नगर निगम की इस बारे में सलाह नहीं ली गई थी तथा इस बारे में समूची व्यवस्था करने के बाद ही उसे सूचित किया गया था ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : जी नहीं, ऐसा नहीं है । जब हमने टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया था तथा उसके लिये स्थान तलाश करने की आवश्यकता हुई तभी हमने तुरन्त नगर

निगम से सलाह ली थी तथा उनसे पूछा था कि क्या स्थान प्राप्त करना संभव होगा। यह सही नहीं है कि उनकी सलाह नहीं ली गई अथवा उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं आशा करता हूं कि नगर निगम के करों का भुगतान किया जाता रहेगा।

न्यूक्लीय क्षेत्र में ब्रिटेन और ब्राजील के साथ करार

*1125. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन और ब्राजील के साथ किन्हीं न्यूक्लीय सहयोग करारों पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). ब्रिटेन के साथ हमने औपचारिक रूप से कोई सहयोग-करार नहीं किया हुआ है, किन्तु भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग तथा ब्रिटेन का परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण अनौपचारिक स्तर पर निकट सम्पर्क बनाये रखते हैं। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए हमारे तथा ब्राजील के बीच एक करार विद्यमान है, जिस पर दिसम्बर, 1968 में हस्ताक्षर किये गये थे। इस करार की प्रमुख विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

भारत सरकार तथा ब्राजील सरकार के मध्य परमाणु ऊर्जा के शांतिमय अनुप्रयोगों के क्षेत्र में सहयोग के लिए जो करार हुआ है उसकी प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित है :—

(1) परमाणु ऊर्जा के शांतिमय अनुप्रयोगों से सम्बन्धित शोध-कार्यों एवम् परीक्षणों से प्राप्त सूचना का आदान-प्रदान।

(2) प्रशिक्षण के लिए छात्रवृति तथा शिक्षावृति प्राप्त व्यक्तियों का आदान-प्रदान।

(3) शान्तिमय उद्देश्यों के लिये परमाणु ऊर्जा का विकास करने के कार्यक्रम की पूर्ति के लिये आवश्यक सामग्री तथा उपकरणों का पट्टे पर लेन-देन तथा उनकी बिक्री।

(4) पारिस्परिक हित की विशिष्ट परियोजनाओं का विकास।

श्री मुहम्मद शरीफ : करार के अनुसार हमारे देश से कितने व्यक्ति प्रशिक्षण के लिये भेजे गये हैं जिन्हें छात्रवृतियां तथा शिक्षावृतियां दी गई हैं तथा इस प्रशिक्षण की अवधि कितनी है ?

अध्यक्ष महोदय : यह सामान्य प्रश्न है। क्या आप इस का उत्तर देने की स्थिति में हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : नहीं, महोदय। मैं उन्हें इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दे सकता हूं। यह करार मार्च 1970 में किया गया था। तत्पश्चात, ब्राजील के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष प्रो० कारलोव ने अक्तूबर 1970 में भारतीय परमाणु ऊर्जा संस्थान की यात्रा की और अब, डा० साराभाई वर्ष 1971 के अन्त में अथवा 1972 वर्ष के प्रारम्भ में ब्राजील जायेंगे। इसके बाद, इन योजनाओं के सम्बन्ध में ब्यौरा तैयार किया जायेगा।

श्री मुहम्मद शरीफ : क्या सरकार ने इस करार के अन्तर्गत परियोजना के कार्यान्वयन के लिये आवश्यक सामग्री तथा उपकरण इकट्ठे कर लिये हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : जहां तक ब्राजील का सम्बन्ध है, इस वर्ष के अन्त में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डा० साराभाई की ब्राजील की यात्रा के बाद ही कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि ब्रिटेन के न्यूकलीय वैज्ञानिकों ने ताप-न्यूकलीय ऊर्जा का सृजनात्मक उद्देश्यों के लिये उपभोगों में काफी उन्नति कर ली है तथा क्या हमारा परमाणु ऊर्जा आयोग ब्रिटेन के वैज्ञानिकों से संगलन प्रक्रिया से ताप-न्यूकलीय ऊर्जा के विकास तथा अनुपयोग सम्बन्धी अनुभव तथा उस प्रक्रिया को समझने के लिये बातचीत कर रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न सहयोग करार के बारे में है किन्तु माननीय सदस्य ब्यौरा पूछ रहे हैं ।

श्री समर गुह : उन्होंने इस सम्बन्ध में भी कहा है।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : ब्रिटिश परमाणु ऊर्जा आयोग तथा भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग में अनौपचारिक स्तर पर बातचीत चल रही है। अभी हाल में ही उनके वैज्ञानिकों ने हमारे देश की यात्रा की है और सर सौली जकरमान ने मार्च 1971 में भारत की यात्रा की थी। हमारे पास अब भी 10 किलोग्राम यू-235 इधन अपसरा में है और वह 10 वर्षों के करार के अन्तर्गत है।

श्री समर गुह : मेरा प्रश्न इससे बिलकुल भिन्न है।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने फ्यजन के बारे में पूछा है किन्तु वह फिसन के बारे में उत्तर दे रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : में फ्यूजन और फिसन का अन्तर जानता हूं। जहां तक मैं जानता हूं फ्यूजन की दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है किन्तु हम न केवल ब्रिटेन बल्कि दूसरे देशों में भी हो रही घटनाओं की सूचना रखते हैं।

श्री संजीवी राव : सभा पटल पर रखे गये प्रतिवेदन से हमें पता चलता है कि ब्राजील से हुए करार की मुख्य बात परमाणु ऊर्जा के विकास के लिये आवश्यक सामग्री तथा उपकरणों का निर्यात पट्टे पर लेन-देन अथवा विक्रय है। क्या हमें हमारे परमाणु ऊर्जा स्टेशनों के लिये यूरेनियम अथवा संवर्धित यूरेनियम प्राप्त हो रहा है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : जहां तक ब्राजील का सम्बन्ध है डा० साराभाई की ब्राजील की यात्रा के बाद सहयोग का कार्यक्रम एक वास्तविक आकार ले लेगा ।

विभिन्न राज्यों की निर्यात क्षमताओं का सर्वेक्षण

*1127. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री विभिन्न राज्यों की निर्यात क्षमताओं के सर्वेक्षण के बारे में 11 नवम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 554 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने विभिन्न राज्यों की निर्यात क्षमताओं का उपयोग करने के लिये हाल ही में सर्वेक्षण किया था ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा किये गये सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले ; और

(ग) क्या इस संस्थान ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिये उन राज्यों में निर्यात संवर्धन बोर्ड और विशेष कक्ष स्थापित करने का सुझाव दिया है, और यदि हां, तो दिये गए सुझावों का ब्यौरा क्या है और उनको क्रियान्वित करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या सहायता दी है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) संस्थान ने अब तक आंध्र प्रदेश, मैसूर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, हरियाणा और बिहार राज्यों में सर्वेक्षण किये हैं । इन सर्वेक्षणों से सम्बद्ध राज्यों की कतिपय चुनी हुई मदों की निर्यात संभाव्यताओं का पता चला है और इनमें, इन संभाव्यताओं से लाभ उठाने के लिये आवश्यक उपायों का उल्लेख किया गया है ।

(ग) जी हां । संस्थान ने संघटनात्मक स्वरूप की कतिपय सिफारिशें की हैं, जिन पर सम्बद्ध राज्य सरकारें विचार कर रही हैं । इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता देने का इस समय प्रश्न नहीं उठता ।

Shri R. S. Pandey : In the Statement laid on the Table of the Sabha and what has been told by the Minister himself, word 'certain' has been used. What is meant by this word ? What are these "certain selected items" referred to therein ? What are "certain recommendations" also referred to therein ?

श्री ए० सी० जार्ज : यह सर्वेक्षण सम्बन्धित राज्यों के अनुरोध पर किया गया है । मैंने जो उत्तर दिया है उसमें मैंने इन राज्यों के नाम बताये हैं जिनके लिये सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया गया था तथा जिनका सर्वेक्षण किया गया है । इस सर्वेक्षण पर आये व्यय में से आधा व्यय राज्यों ने वहन किया है तथा शेष सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा एन० डी० एम० ओ० निधियों के माध्यम से दी गई है ।

श्री राम सहाय पांडे : उत्तर में कहा गया है कि "इन सर्वेक्षणों से सम्बद्ध राज्यों की **कतिपय चुनी हुई मदों** की निर्यात सम्भाव्यताओं का पता चला है" इसमें "कतिपय चुनी हुई मदों" से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर में पुनः कहा गया है :—

हां, श्रीमान जी, संस्थान ने संघठनात्मक स्वरूप की कतिपय सिफारिशें की हैं " यह "कतिपय सिफारिशें" क्या हैं इसका स्पष्ट उत्तर दिया जाना चाहिये ।

श्री ए० सी० जार्ज : यदि माननीय सदस्य मुझे समय दे तो मैं सही उत्तर दे सकता हूं । किन्तु यह एक लम्बी सूची है । हर राज्य के लिये, उन्होंने विशेष सुझाव दिये हैं । माननीय सदस्य संबंधित राज्यों के बारे में पूछ रहे हैं । मैं इस सम्बन्ध में भी सूचना दे सकता हूं ।

श्री राम सहाय पांडे : मंत्री महोदय ने कहा है कि कुछ राज्यों में सर्वेक्षण किया गया है और कुछ सिफारिशें की गई हैं । अगर सदन सन्तुष्ट है तो मैं भी सन्तुष्ट हूं ।

जो राज्य शेष रह गये हैं उनमें सर्वेक्षण कब होगा ? और वास्तविक सम्भाव्यताऐं क्या है ? यह सर्वेक्षण कराने का असली आभिप्राय यह है कि विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये निर्यात की सम्भाव्यताओं का पता लगाया जाये । इस सम्बन्ध में उत्तर बड़ा अस्पष्ट है ।

अध्यक्ष महोदय : वह उन राज्यों के बारे में पूछ रहे हैं जिन्हे इन कतिपय राज्यों में सम्मलित नहीं किया गया ।

श्री ए० सी० जार्ज : अगर मुझ अनुमति दी जाये तो मैं पूरी सूची पढ़ने के लिये तैयार हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा होता अगर इसे सभा पटल पर रख दिया जाता ।

श्री ए० सी० जार्ज : इस संबंध में वर्ष 1971-72 के लिये संबंधित राज्य सरकारों से प्रस्ताव तथा अनुरोध प्राप्त हुए हैं । हम पंजाब तथा केरल का सर्वेक्षण किया है ।

श्री के० सूर्यनारायण : इस पत्र से ऐसा दिखाई देता है कि आन्ध्र प्रदेश ने भी ऐसा अनुरोध किया है । उन्होंने इस राज्य से कौन-कौन से मदों की सिफारिश की है ?

श्री ए० सी० जार्ज : सर्वेक्षण दल ने रिपोर्ट में दिए गये निर्यात उत्पादन के विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए आन्ध्र प्रदेश में वाणिज्य तथा निर्यात संवद्धन निदेशालय को और सुदृढ़ बनाने का सुझाव दिया है । ये मदें कृषि उत्पाद, मिर्च, धनिया, काजू, हल्दी, तम्बाकू उत्पाद, अंगूर, चावल का भूसा,.....

अध्यक्ष महोदय : वह इसे सभा पटल पर रख सकते हैं ।

श्री ए० सी० जार्ज : जी हां ।

Shri Laxminarain Pandey : Hon'ble Minister has said that some States have made requests for making a survey whereas some have not. I want to know whether or not a demand for survey has been made from Madhya Pradesh ?

श्री ए० सी० जार्ज : मध्य प्रदेश ने अभी तक इस प्रकार का अनुरोध नहीं किया है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मंत्री महोदय ने यह बताने की कृपा की है कि सर्वेक्षण केवल उन्हीं राज्यों में किया गया है जिन्होंने इसके लिए प्रार्थना की है । क्या केन्द्र के पास कोई ऐसी व्यापक योजना नहीं है जिससे सभी राज्यों में सर्वेक्षण करवाने के पश्चात् सारी सूचना एकत्रित की जाए ?

श्री ए० सी० जार्ज : हमारा भी यही विचार है । इस विशेष मामले में 8 राज्यों ने सर्वेक्षण के लिये विशेष रूप से अनुरोध किया है और वे लागत का 50 प्रतिशत खर्च देने को तैयार हैं । जहां दूसरे भाग का संबंध है हम इस पर अवश्य विचार करेंगे ।

Shri Shankar Dayal Singh : It has been quoted in the Statement that a Survey has also been made in Bihar. I want to know the steps taken to increase export after the Survey ?

श्री ए० सी० जार्ज : राज्य सरकारों को प्रतिवेदन भेज दिए गये हैं और उनसे अभी तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

Seizure of Smuggled Watches in Delhi

*1128. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Police had carried out raids at some places in Delhi in the first fortnight of April, 1971 and recovered a large number of smuggled watches ;

(b) if so, the number of watches recovered and the value thereof in Indian currency ; and

(c) the number of persons arrested in this connection and the action taken against them so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Mohsin) : (a) to (c). Police did not carry out any raids in Delhi in the first fortnight of April 1971, for recovery of smuggled watches. However, the staff of the Collector of Central Excise on 14.4.1971 seized 3357 watches of foreign origin from two places in Delhi. The total value of these watches was Rs. 4,51,146/-. Four persons were arrested. These persons were granted bail under the orders of the Court. Further investigation in the matter is in progress.

Shri Hukam Chand Kachwai : Has the attention of the Government has been drawn to the Statements made by the chief officers of anti-smuggling department wherein they have stated that the goods worth rupees one hundred crores is smuggled into and sold in this country every year, but the value of the goods seized is only rupees 3 or 4 crores ; if so, I want to know the concrete steps taken to check smuggling ?

श्री मोहसिन : इन मामलों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जाती है । अत: यह मंत्रालय इस मामले से संबंधित नहीं है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : As far as Watches are concerned, 80 percent of the Ministers sitting here are having smuggled watches on their wrists ; all of them wear foreign watches....

Mr. Speaker : Order Order, one should talk in some responsible manner.

Shri Hukam Chand Kachwai : Not only watches, but gold and other articles are also smuggled into the country. In view of the statement made by him whether the Ministry or Department dealing with this matter is going to implement any new Scheme, new law or new plan ?

श्री मोहसिन : निश्चय ही सोने तथा कलाई-घड़ियों की तस्करी को रोकने के लिये कदम उठाए जा रहे हैं, किन्तु फिर भी कुछ न कुछ तस्करी तो होती ही रहती है परन्तु सरकार तस्करी रोकने का प्रत्येक संभव प्रयत्न किया जा रहा है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : The first question has not been replied to. The goods worth one hundred crores of rupees is smuggled into the country and the value of the goods seized out of them is only rupees 3 or 4 crores. The Minister has not given any reply with reference to this statement made by him.

Mr. Speaker : Please sit down.

Shri Hukam Chand Kachwai : Yes I will sit down. On the basis ofhis experience a high officer of this Department has stated that out of the smuggled goods worth Rupees100 crores of rupees, the goods worth only 3 or 4 crores of rupees are seized. What the Government has to say in this regard ?

अध्यक्ष महोदय : रिकार्ड में कोई उल्लेख नहीं किया जायगा । आप मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय :**

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या यह सत्य है कि सीमा शुल्क विभाग द्वारा पकड़ी गई तस्करी की घड़ियां लोगों को बेच दी जाती हैं; और यदि हां, तो क्या कोई ऐसी दुकान है जहां लोग ऐसी घड़ियां खरीद सकते हों ?

श्री मोहसिन : दुर्भाग्यवश यह मामला मेरे मंत्रालय से किसी तरह भी संबंधित नहीं है ।

Shri B. P. Maurya: The Ministry of Home Affairs are well aware that the smuggling in the country is on the increase. Smuggling of gold or other articles of the kind fetches more profit as compared to losses suffered as the punishment is very light keeping this reality in mind, do Government propose to enact deterrent legislation to check the smuggling ?

श्री मोहसिन : यह वित्त मंत्रालय से संबंधित है । क्योंकि प्रश्न में उल्लेख है : The police carried out raids at certain places in Delhi. यह प्रश्न हमारे मंत्रालय में आया । वास्तव में ये उपाय वित्त मंत्रालय में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा किए जा रहे हैं न कि गृह मंत्रालय द्वारा ।

पटसन जांच आयोग का प्रतिवेदन

*1129. **श्री माधुर्य्य हालदर** : क्या विदेश व्यापार मंत्री पटसन जांच आयोग के प्रतिवेदन के बारे में 11 नवम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 502 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की भूतपूर्व संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा नियुक्त पटसन जांच आयोग ने अपना अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

जैसा कि 11 नवम्बर. 1970 को अतारांकित प्रश्न संख्या 502 के उत्तर में पहले ही कहा गया है कि पटसन जांच आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था और पश्चिमी बंगाल सरकार ने उस प्रतिवेदन को नहीं छापने का विनिश्चय किया था क्योंकि आयोग के अधिकांश विचारार्थ विषय राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर पाये गये गए थे । इसे देखते हुए, प्रतिवेदन की मुख्य बातों और उन पर सरकार की प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं उठते । राज्य सरकार ने आयोग के कार्यकाल में वृद्धि नहीं की है ।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**Not recorded.

श्री माधुर्य्य हालदार : क्या यह सत्य है कि आयोग का कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के कहने पर और पटसन के बड़े बड़े व्यापारियों द्वारा दबाव डालने के कारण समाप्त किया गया और इसीलिये संयुक्त मोर्चे की सरकार के विघटन के पश्चात प्रतिवेदन प्रकाशित नहीं किया गया था ?

श्री एल० एन० मिश्र : बंगाल में यह समिति 1969 में संयुक्त मोर्चे की सरकार द्वारा स्थापित की गई थी और तत्कालीन सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया था। उन्होंने प्रतिवेदन को न प्रकाशित करने का निश्चय किया था। हमारा प्रतिवेदन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री माधुर्य्य हालदार : पश्चिम बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लागू है। क्या केन्द्रीय सरकार इस आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करेगा अथवा वे पटसन के मामले की जांच के लिये कोई आयोग स्थापित करेगी ?

श्री एल० एन० मिश्र : इस मामले पर विचार करने के लिए हमने पहले ही दो आयोग स्थापित किए हैं। इनके अतिरिक्त हमने एक पटसन निगम स्थापित करने का निर्णय भी ले लिया है। इस निगम की स्थापना हो चुकी है और इसने कच्चे पटसन और पटसन व्यापार की समस्याओं पर विचार करना आरम्भ भी कर दिया है।

गुजरात तथा अन्य राज्यों में कपड़ा उद्योग के सन्मुख नया संकट

*1131. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात तथा अन्य राज्यों में कपड़ा उद्योग को एक नये गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उस संकट का स्वरूप क्या है ; और

(ग) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : वर्ष 1971 के दौरान कितनी मिलों ने अपना काम बन्द कर दिया है ? मई, 1971 तक कितनी मिलें बन्द हो चुकी हैं ?

श्री एल० एन० मिश्र : यह प्रश्न गुजरात से सम्बन्धित है। 6 मिलें बन्द हो चुकी है और 5 को हमने अपने हाथ में ले लिया है। जहां तक समूचे देश का प्रश्न है, कपड़ा निगम 27 मिलों को अपने हाथ में ले चुका है।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : धागे तथा कपड़े की कितनी हानि हुई और कितने कर्मचारी बेकार हो गए हैं।

श्री एल० एन० मिश्र : लगभग 50,000 कर्मचारी प्रभावित हुए हैं किन्तु धागे के सम्बन्ध में अभी कुछ कहने में असमर्थ हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

काजू के उत्पादन में आत्म निर्भरता

*1113. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के सम्मुख ऐसा कोई प्रस्ताव है जिसके अनुसार देश में काजू का उत्पादन इस सीमा तक किया जा सके कि हम स्वयं अपने ही काजू उत्पादन पर पूर्णतया निर्भर रह सकें ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) कृषि मंत्रालय की केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना है जिसके लिये चौथी योजना की बाकी अवधि के लिये 1 करोड़ रु० की राशि रखी गई है और इसके अन्तर्गत 5,000 हेक्टार के अतिरिक्त क्षेत्र में विभागीय रूप में काजू बोया जायेगा और अन्य 5,000 हेक्टार का पैकेज कार्यक्रम के अन्तर्गत आयेगा ।

पटसन उद्योग के लाभ और लाभकारिता में कमी

*1115. **श्री राज राजदेव सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन उद्योग के लाभ और लाभकारिता में हाल ही में भारी कमी हुई है ; और

(ख) गत तीन वर्षों की तुलना में इस वर्ष पटसन उद्योग की लाभकारिता में (वर्षवार आंकड़ों के अनुसार) कितनी कमी हुई है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) और (ख). 61 पटसन मिल उद्योगों, जिसमें 69 प्रतिशत उत्पादन होता है, में से 41 मिल उद्योगों की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करने से यह पता चलता है कि उद्योग की लाभकारिता में 1966-67 से 1969-70 के दौरान भारी गिरावट आई है । इन वर्षों में कर लगाने के पश्चात लाभ के तुलनात्मक आंकड़े निम्नलिखित हैं :

(आंकड़े लाख रुपयों में)

1966-67	1967-68	1968-69	1969-70
182	–309	179	–3

1970-71 के आंकड़ अभी उपलब्ध नहीं हैं । तथापि, 1970-71 में व्यापार की स्थितियों में कुछ सुधार हुआ है (केवल गलीचे के पृष्ठ भाग में लगाने के अस्तर के मांग में कुछ समय के लिये कमी आई थी) । इस बीच स्थिति में सुधार हुआ है ।

पंजाब के भूतपूर्व अकाली मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिये जांच आयोग बनाये जाने की मांग

*1126. **श्री दरबारा सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के बहुत से भूतपूर्व विधायकों ने, बादल सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों के विरुद्ध जांच आयोग बनाने की मांग की है ;

(ख) क्या सरकार का विचार अकाली सरकार के मंत्रियों के विरुद्ध कथित भ्रष्टाचार की जांच करने के लिये उच्च शक्ति प्राप्त आयोग बनाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि पंजाब के कुछ भूतपूर्व विधायकों ने, पंजाब सरकार के कुछ भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध लगे आरोपों की जांच के लिए एक आयोग की स्थापना करने की मांग की है ।

(ख) और (ग). विशिष्ट आरोप के मामलों में जांच पड़ताल की जा रही है । इस छानबीन के परिणामों को ध्यान में रखते हुए जांच आयोग की स्थापना करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा ।

मद्रास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा

*1130. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा सम्बन्धी जो प्रस्ताव सरकार के पास अनिर्णीत पड़ा है वह क्या है ; और

(ख) उसकी क्रियान्विति में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना) : (क) मद्रास से अन्तर्राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा सम्बन्धी कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास अनिर्णीत नहीं पड़ा है ; तथा

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गृह मंत्रालय में अधिकारी-प्रधान व्यवस्था

*1132. **श्री के० लकप्पा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय के केडर में विभिन्न सेक्शनों में अधिकारी-प्रधान व्यवस्था लागू की गई है और यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) क्या यह व्यवस्था अन्य केडरों में भी लागू करने की सिफारिश करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर मंत्रालयों/विभागों में डैस्क-अधिकारी व्यवस्था आरम्भ करना सरकार के विचाराधीन है ।

भारतीय प्याज के आयात पर प्रतिबंध के बारे में श्रीलंका सरकार के साथ वार्ता

*1133. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री भारतीय प्याज के आयात पर श्रीलंका सरकार द्वारा रोक लगाये जाने के बारे में 23 जन, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 667 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका सरकार से इस बारे में पुनः बातचीत की गई है; और

(ख) क्या श्रीलंका सरकार के साथ विदेश व्यापार मंत्रियों के स्तर पर विस्तृत रूप से वार्ता करने का कोई प्रस्ताव है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) विभिन्न प्रकार के कृष्य माल के निर्यातों के बारे में बातचीत करने के लिए श्रीलंका को एक प्रतिनिधि मंडल भेजने की वांछनीयता पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) आर्थिक सहयोग सम्बन्धी प्रश्नों, जिनमें दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाना भी शामिल है, पर विचार करने के लिए निकट भविष्य में श्रीलंका के साथ एक संयुक्त बैठक होने की सम्भावना है ।

केरल हथकरघा बुनकर फेडरेशन के महामन्त्री से प्राप्त ज्ञापन

*1134. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को 23 जून, 1971 को केरल हथकरघा बुनकर फेडरेशन के महामंत्री से केरल में हथकरघा उद्योग के परमिट संकट के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या केरल के उक्त उद्योग का पूर्ण रूपेण पुनर्गठन करने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई योजना है; और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) मामला राज्य सरकार से सम्बद्ध है । फिर भी, जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, ऐसी कोई योजना नहीं है ।

गोआ, दमन और दीव में कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु

*1135. **श्री इराज्मुद सेकैरा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोआ, दमन और दीव में खपाये गये कर्मचारियों की सेवा निवत्ति की आयु कम कर दी है;

(ख) यदि हां, तो किस आयु से किस आयु तक; और

(ग) क्या उनके पेंशन सम्बन्धी लाभों में कोई तदनुसार समायोजन किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). गोआ, दमन व दीव (खपाये गये कर्मचारियों की सेवा शर्त) नियम, 1965 के अन्तर्गत सेवा निवृत्ति की आयु 65 वर्ष से घटा कर 58 वर्ष कर दी गई थी । खपाये गये कर्मचारियों को पुराने पेंशन नियमों के अधीन बने रहने का विकल्प दिया गया था ।

सिनेमा घरों में राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान न दिखाया जाना

*1136. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि प्रत्येक फिल्म शो की समाप्ति पर बजाई जाने वाली राष्ट्रीय गान की धुन के समय राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान नहीं दिखाया जाता है;

(ख) क्या सरकार प्रत्येक फिल्म शो की समाप्ति पर राष्ट्रीय गान की धुन बजाने की इस प्रथा को समाप्त करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहसिन) : (क) से (ग). आमतौर पर व्यक्ति जब राष्ट्रीय गान बजाया जाता है तो खड़े होते हैं और उचित शिष्टता बनाये रखते हैं। किन्तु इस विषय में उल्लंघनों की शिकायतें मिली हैं। पर इन उल्लंघनों के कारण इस प्रथा को समाप्त करने का कोई विचार नहीं है। दूसरी ओर सिनेमा दिखाने वालों से अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि जब राष्ट्रीय गान बजाया जाता है तो दर्शकों द्वारा उचित शिष्टता बनाये रखी जाय और राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे इस सम्बन्ध में उचित उपाय करें। सरकार का विश्वास है कि इसमें लोगों का भी सहयोग प्राप्त होगा।

सूरी (पश्चिम बंगाल) में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की जीप द्वारा कुचला गया सैन्थिया का पोस्टमास्टर

*1137. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैन्थिया के पोस्ट मास्टर श्री आर० मुकर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल तृतीय श्रेणी डाक कर्मचारी कन्वेन्शन में डेलीगेट थे, 20 जून, 1971 को सूरी (पश्चिम बंगाल) में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की एक जीप द्वारा कुचल दिये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुना) : (क) जी हां। किन्तु इस दुर्घटना की तारीख 14-6-1971 है।

(ख) इस मामले को इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के साथ उठाया गया था। यह मामला सूरी पुलिस थाने में दर्ज है और इसकी तफतीश की जा रही है। ऐसी सूचना मिली है कि जीप कब्जे में ले ली गई है और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक के आश्रितों को जो पेंशन/उपदान और अन्य लाभ दिए जा सकते हैं, वे देने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि यदि मृतक कर्मचारी के पुत्र या पुत्री में से कोई काम पर लगाए जाने के लिए पात्र हों तो उसे काम पर लगा दिया जाए।

तांबे के तारों की चोरी

*1138. **श्री पी० गंगा रेड्डी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों में तांबे के तारों की नियमित रूप से चोरी होती है ;

(ख) यदि हां, तो 1968 से प्रतिवर्ष इस कारण कितनी वित्तीय हानि हुई ; और

(ग) भविष्य में ऐसी चोरियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुना) : (क) सभी राज्यों में तांबे के तार की चोरी एक सामान्य बात है ।

(ख) तांबे के तार की चोरी से हुई हानि इस प्रकार है :

वर्ष	राशि
1967-68	72.03 लाख रुपये
1968-69	105.6 लाख रुपये
1969-70	168.7 लाख रुपये

(ग) तांबे के तार की चोरी की वारदातों को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिखा गया है कि वे तांबे के तार की चोरी को रोकने के लिए पुलिस के इंस्पेक्टर जनरलों को हिदायतें दें ।

(ii) विभागीय अधिकारियों को पुलिस प्राधिकारियों से सम्पर्क बढ़ाने के लिए हिदायतें दी गई हैं ।

(iii) अपराधियों के लिए कड़े दंड की व्यवस्था करने के लिए टेलीग्राफ तार (अवैध कब्जा) अधिनियम, 1950 में संशोधन किया जा रहा है ।

(iv) जहां कहीं संभव है, तांबे के तार की जगह तांबे से झला इस्पात या अल्यूमीनियम का तार लगाया जा रहा है ।

बकाया टेलीफोन बिल

*1139. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जुलाई, 1970 को टेलीफोन बिलों की 6.78 करोड़ रुपये की धनराशि डाक तथा तार विभाग द्वारा अभी प्राप्त होनी बाकी थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अब तक कितनी धनराशि की उगाही की जा चुकी है ; और

(ग) बकाया राशियों को भविष्य में शीघ्रतापूर्वक वसूल करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुना) : (क) जी हां ।

(ख) 1966-67 में लगभग 68 करोड़ रुपये और 1969-70 में 102 करोड़ रुपये की वसूली में से कुछ राशि बकाया रहना अवश्यंभावी है । ताजा सूचना के अनुसार 1 जुलाई, 1970 को जो राशि बकाया थी, उसमें से लगभग 3.30 करोड़ रुपये की बकाया राशि की उगाही कर ली गई है ।

(ग) छूट प्राप्त वर्गों के टेलीफोनों को छोड़ कर बिलों का भुगतान न करने वाले अन्य टेलीफोन उपभोक्ताओं के टेलीफोन काट दिए जाते हैं। बकाया राशि की उगाही के लिए पत्र-व्यवहार और व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा प्रयत्न किए जाते हैं। जिन गैर-सरकारी टेलीफोन उपभोक्ताओं के कनेक्शन बन्द कर दिए गए हों, उनके मामले में जहां-कहीं आवश्यक हो कानूनी कार्रवाई भी की जाती है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का आनन्द मार्ग संगठन के साथ सम्बन्ध

*1140. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के बहुत से अधिकारी आनन्द मार्ग संगठन के सक्रिय सदस्य हैं जो कि बहुत से हिंसात्मक उपद्रवों तथा राजनैतिक संकट उत्पन्न करने के लिये उत्तरदायी रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) आनन्द मार्ग की गति विधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों की कुछ संख्या ध्यान में आई है।

(ख) सरकार ने मई, 1969 में इस आशय के अनुदेश जारी किए थे कि किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा "आनन्द मार्ग" नामक आन्दोलन की सदस्यता या इसकी गतिविधियों या इसके किसी संगठन में भाग लेने का अर्थ केन्द्रीयसिविल सेवा (आचार नियम) के उपबन्धों का उल्लंघन करना होगा, जिसके अधीन सरकारी कर्मचारियों के लिए राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेने की रोक लगा दी गई है। तथापि, इन आदेशों को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय के समक्ष दर्ज की गई रिट याचिका और प्रावेदन की सूचना के फलस्वरूप न्यायालय ने उपर्युक्त आदेश जारी करने के लिए उस समय तक रोक लगा दी, जब तक कि रिट याचिका पर अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता। रिट याचिका पर अभी सुनवाई नहीं की गई है।

दिन के समय प्रसारण आरम्भ करने के लिये सूचना और प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त प्रस्ताव

4715. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने आकाशवाणी के कुछ सहायक केन्द्रों से दिन के समय कार्यक्रम प्रसारित करने और आंशिक रूप से तैयार किये गये कार्यक्रमों को प्रसारित करने के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उन केन्द्रों के नाम क्या हैं और वे प्रस्ताव किन तारीखों को प्राप्त हुए थे ;

(ग) क्या प्रस्तावों का अनुमोदन करने के सम्बन्ध में कुछ आपत्तियां की गई थीं ; और

(घ) यदि हां, तो आपत्तियों का ब्यौरा क्या है और ये आपत्तियां सूचना और प्रसारण मंत्रालय को किस तारीख को भेजी गई थीं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) से (घ). यह निर्णय किया गया है कि आकाशवाणी के निम्नलिखित सहायक केन्द्रों की प्रसारण अवधि बढ़ा दी जाए और कुछ कार्यक्रम स्थानीय रूप से तैयार करके इन केन्द्रों से प्रसारित किए जाएं :—

1. रायपुर
2. ग्वालियर
3. कोयम्बटूर
4. रामपुर
5. वाराणसी
6. जैपुर
7. उदयपुर
8. जबलपुर
9. कुडप्पा
10. भद्रावती
11. सांगली
12. गुलबर्ग
13. तिरुनेलवेली
14. परभानी
15. भागलपुर तथा
16. बीकानेर

इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए प्रत्येक केन्द्र पर कुछ अतिरिक्त पदों की आवश्यकता है। नये पदों के बनाने पर प्रतिबन्ध होने के कारण, इन पदों को स्वीकृत करना अभी तक सम्भव नहीं हुआ है। यह मंत्रालय इन पदों को विशेष रूप से बनाने के लिए सरकार के आदेश प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कैम्पस की पश्चिमी भारत में स्थापना

4716. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का दूसरा कैम्पस दक्षिण में स्थापित किया गया है ; और

(ख) क्या पश्चिमी भारत में भी इस प्रकार का कैम्पस स्थापित किया जाएगा ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) ने मद्रास में एक क्षेत्रीय कैम्पस स्थापित किया है।

(ख) बम्बई में 4 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की शाखाओं के एक सुगठित एकक की स्थापना कार्य चल रहा है।

फ्रीलैण्डगंज में डाक तथा तार कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर दिया जाना

4717. **श्री भालजी भाई परमार** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि गुजरात सर्किल में डाक तथा तार विभाग के पन्द्रह कर्मचारियो को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) क्या वह उनकी उपयुक्त क्वार्टर देने पर विचार करेंगे जैसाकि उन्होंने अनुरो किया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुना) : (क) नायब पोस्टमास्टर, एक डाकिये और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को क्वार्टर अलाट कर दिये गए हैं। इस रेलवे टाउनशिप में 11 कर्मचारियं को क्वार्टर के बिना कठिनाई है।

(ख) फ्रीलैण्डगंज टाउनशिप एक रेलवे कालोनी है। डाक-तार विभाग की अपनी ऐसी कं रिहायशी इमारतें नहीं हैं जिन्हें फ्रीलैण्डगंज में काम कर रहे विभागीय कर्मचारियों को रिहायशी का के लिए अलाट किया जा सके। रेलवे के कोई क्वार्टर फालतू नहीं हैं। इसलिए रेलवे ने भी डाक तार के अन्य कर्मचारियों के लिए अभी तक कोई क्वार्टर नहीं दिए हैं। रेल विभाग को महानिदेशाल ने पत्र लिखा है कि डाक विभाग के कर्मचारियों को अलाट करने के लिए वे अतिरिक्त क्वार्टरों का निर्माण करायें। इस मामले पर आगे पत्राचार किया जाएगा।

Telephone Facilities at Etawa in Kotah Division

4718. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state the arrangements made for providing Telephone facilities at Sultanpur Tehsil of Etawa in the Kotah Division ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : The proposal to provide Telephone facility at Sultanpur connected to Kota has been examined and found to be unremunerative. Telephone facility can be provided at Sultanpur on rent and guarantee basis if some interested party is willing to indemnify the department against anticipated loss.

भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का काठमाण्डू का दौरा

4719. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल जुलाई, 1971 के तीसरे सप्ताह में किसी दिन एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिये काठमण्डू जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख). दोनों देशों के बीच एक नई व्यापार और पारवहन संधि सम्पन्न करने के लिये नेपाल के महामहिम की सरकार से

बातचीत पुनरारम्भ करने हेतु भारत से एक प्रतिनिधिमंडल के यथासम्भव शीघ्र काठमांडू जाने की सम्भावना है । प्रतिनिधिमंडल में उन विषयों से सम्बन्धित मंत्रालयों के प्रतिनिधि होंगे जिनकी इन चर्चाओं में उठने की सम्भावना है ।

दिल्ली प्रशासन में कर्मचारियों की पदोन्नति

4720. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ (कार्यकारी) सेवा ग्रेड—II के अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के कुछ स्थायी अधिकारियों को, उनके पदोन्नति के हक से वंचित रख कर उनके स्थान पर उसी सेवा के कुछ अस्थायी गैर-अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ (कार्यकारी) सेवा ग्रेड-I में पदोन्नत किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितने गैर-अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के अस्थायी अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहसिन) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

अहमदाबाद में जुपीटर मिल्स तथा बम्बई में उसके यूनिटों का बन्द होना

4721. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुछ वित्तीय कठिनाइयों के कारण 28 जून, 1971 को अहमदाबाद की जुपीटर मिल्स और बम्बई में इसके अन्य यूनिट बन्द हो गये थे;

(ख) क्या सरकार का विचार इस समस्या का अध्ययन करने के लिये एक समिति नियुक्त करने और इन यूनिटों को यथाशीघ्र चलाने का है जिससे वे 5000 श्रमिक कठिनाइयों से बच सकें जो इनके बन्द होने के कारण बेरोजगार हो गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्णय कब किया जायेगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). मिल के मामले की जांच करने के लिये, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत एक जांच समिति नियुक्त की गई है । समिति की रिपोर्ट मिलने पर आगे की कार्यवाही पर विचार किया जाएगा ।

मलयेशिया में "इंडिया-मलयेशिया टैक्सटाइल बरहद" नामक संयुक्त उपक्रम

4722. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेशिया में बटरवर्थ में "इंडिया-मलयेशिया टैक्सटाइल बरहद" नामक संयुक्त उपक्रम पहले ही स्थापित किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो भारत की आवश्यकता की पूर्ति के लिये इस उपक्रम का उत्पादन कितना होगा;

(ग) क्या जितना उत्पादन संयुक्त उद्यम में होगा, उतने ही उत्पादन के लिये इस देश में भी कोई कारखाना चल रहा है; और

(घ) क्या वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में भी भारत सरकार का कोई दायित्व है और यदि हां, तो कितना ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। वस्त्र बनाने के लिये औद्योगिक संयुक्त उपक्रम के रूप में मलयेशिया में बटरवर्थ में "इंडिया-मलयेशिया टैक्सटाइल बरहद" नामक एक कम्पनी नियमित की गयी है और परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।

(ख) और (ग). यह संयुक्त उपक्रम एकक मलेयेशिया की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये स्थापित किया गया है और यदि सम्भव हुआ तो पड़ोसी देशों की मांगें भी पूरी की जायेंगी। भारत के लिये माल का उत्पादन करने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

मद्रास में सर्वदलीय नेताओं की बैठक सम्बन्धी समाचार दर्शन

4723. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह समाचार दर्शन, जिसमें 15 जून को राज्य सचिवालय में हुई सर्वदलीय नेताओं की बैठक की कार्यवाही शामिल है, प्रसारित नहीं किया जा सका है, क्योंकि क्षेत्रीय फिल्म सेंसर, मद्रास आंखों देखे हाल का एक भाग हटाने पर जोर दे रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : जी, हां। आपत्तिजनक अंश को राज्य सरकार द्वारा वापिस ले लिया गया था तथा शेष न्यूजरील को फिल्म सेन्सर बोर्ड द्वारा 21 जून, 1971 को स्पष्ट 'यू' प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था।

आयात लाइसेंस जारी करने में विलम्ब समाप्त करने की योजना

4724. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात लाइसेंस देने में विलम्ब के कारणों का पता लगाने के लिये आयात लाइसेंस सम्बन्धी आवेदनपत्रों के कई मामलों की छानबीन करने के बाद विलम्ब के कारण दूर करने हेतु प्रक्रियाओं में संशोधन करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख). आयात लाइसेंस के आवेदनपत्रों से सम्बन्धित प्रकरण अध्ययन किये जा रहे हैं ताकि उन क्षेत्रों का पता लगाया जा सके जहां विलम्ब होता है। आयात लाइसेंस जारी करने में होने वाले विलम्ब को कम से कम करने के लिये इन अध्ययनों के आधार पर क्रियाविधियों को सम्यक रूप में संशोधित किया गया है। इन उपायों में ये शामिल हैं : तकनीकी विकास के महानिदेशक (डी० जी० टी० डी०) तथा आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक (सी० सी० आई० एंड ई०) में होने वाली आवेदनपत्रों की दोहरी जांच समाप्त

करना/आयातित माल की खपत के,जिसका लघु एककों द्वारा दावा किया गया है, मूल्य जांच की अपेक्षाकृत सुगम पद्धति, पूंजीगत माल के मामले में डी० जी० टी० डी० द्वारा निरापदता की अपेक्षाकृत लम्बी वैधता अवधि और आवेदकों के साथ पत्राचार का परिहार करने के लिये आवेदन पत्र सम्बन्धी प्रपत्रों में कतिपय संशोधन । इसी प्रकार आवेदकों के साथ पत्राचार किये बिना ही लाइसेंस प्राधिकारी आई० बी० सी० नम्बर प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ही विद्यमान एककों को, अन्तरिम राहत के तौर पर, एक वर्ष की अवधि के लिए आयात लाइसेंस देंगे ।

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के अनुसूचित जाति के वरिष्ठ अनुसन्धानों का भारतीय सांख्यिकीय सेवा के संवर्ग चार में शामिल न किया जाना

4725. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांख्यिकीय सेवा के संवर्ग चार के लिये तैयार की गई सूची के माध्यम से शामिल किये गये 17 उम्मीदवारों में से केवल एक उम्मीदवार अनुसूचित जाति का है, जबकि 11 जुलाई, 1968 के गृह मंत्रालय के ज्ञापन संख्या 1-12-67-एस्ट (सी) के अनुसार चार अनुसूचित जाति के उम्मीदवार लिये जाने का उपबन्ध है ;

(ख) संघ लोक सेवा आयोग ने 1970 में केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन की उक्त सेवा में अनुसूचित जाति के तीन वरिष्ठ अनुसन्धाताओं को शामिल करने योग्य घोषित किया था लेकिन उनमें से किसी को भी अब तक शामिल नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उक्त सेवा में उनके नाम शामिल किये जाने के मामले में कब तक अन्तिम निर्णय किया जायेगा ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) भारतीय सांख्यिकीय सेवा के संवर्ग चार की 17 रिक्तियों पर पदोन्नति देने के लिये तैयार की गई 17 की प्रवरण सूची में से अनुसूचित जाति का केवल एक उम्मीदवार था । गृह मंत्रालय के 11 जुलाई, 1968 के ज्ञापन में अनुसूचित जातियों के लिये इन रिक्तियों में चार आरक्षणों के लिए व्यवस्था नहीं है । इस ज्ञापन में यह व्यवस्था है कि विचार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी अनुसूचित जाति / अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों की चरित्र-पुस्तक का श्रेणीकरण सर्वप्रथम एक सीढ़ी आगे पुनः वर्गीकृत किया जायेगा । (सबको छोड़कर जो पदोन्नति के लिए अयोग्य समझे जाएं) और इसके बाद विचार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले अधिकारियों को परिशोधित श्रेणीकरण क्रम से पुनः व्यवस्थित किया जाएगा । इस प्रकार से पुनः वर्गीकरण के परिणामस्वरूप पदोन्नत किए जाने वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों की संख्या कुल रिक्तियों की 25 प्रतिशत तक सीमित की गई है । 25 प्रतिशत से अधिक रिक्तियों को पुनः वर्गीकरण का लाभ प्राप्त नहीं होगा । इस प्रकार ज्ञापन में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, किन्तु पुनः वर्गीकरण की छूट के आधार पर पदोन्नति की सीमा निर्धारित की गई है । भारतीय सांख्यिकीय सेवा के सम्बन्ध में 17 रिक्तियां थी तथा 85 अधिकारी विचार क्षेत्र में आते थे । इन 85 अधिकारियों में से केवल 3 अनुसूचित जातियों के थे और उनमें से 1 पदोन्नति के लिये अयोग्य पाया गया था । चरित्र-पुस्तक के श्रेणीकरण के पुनः वर्गीकरण के परिणामस्वरूप शेष 2 में से केवल 1 उम्मीदवार प्रथम 17 उम्मीदवारों के बीच में पुनः व्यवस्थित सूची में आया तथा इसलिए उसे प्रवरण सूची में शामिल कर लिया गया ।

(ख) और (ग) : जी नहीं, श्रीमान । सांख्यिकीय विभाग के प्राप्त एक संदर्भ के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी राय दी है कि 1962 में 5 वरिष्ठ अनुसंधाताओं की भर्ती (जिनमें से 2 अनुसूचित जाति के हैं) को 1962 में अपने पदों में नियमित रूप से नियुक्त किया गया समझा जाना चाहिए । क्या वे 1962 से नियमित समझे जाने चाहिए, यह प्रश्न अभी तक सांख्यिकीय विभाग के परामर्श से कार्मिक विभाग के विचाराधीन है और सांख्यिकीय विभाग से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग को सूचित की गई सीधी भर्ती के सम्बन्ध में क्या 1962 में विद्यमान रिक्तियों का सीधी भर्ती कोटा तथा पदोन्नति कोटा के बीच आवंटन किया गया था । अगर यह मालूम हो जाय कि 1962 में किसी तारीख से उनकी नियुक्ति नियमित नहीं हो सकती तब वे 17 रिक्तियों की प्रवरण सूची में शामिल करने के पात्र नहीं होंगे । अगर दूसरी ओर, वे 1962 में नियमित रूप से नियुक्त पाये जाएं तो वे अन्य मानदण्ड की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए और विचार क्षेत्र के अन्तर्गत आने पर अपनी योग्यता के आधार पर प्रवरण सूची में शामिल होने के लिये पात्र हो सकते हैं । जब वे अन्तिम रूप से विचार के लिये पात्र समझे जाएं, तभी उनकी योग्यता के मूल्यांकन पर विचार किया जा सकता है । इस मामले के अन्तिम निर्णय की अनुमानित तारीख निर्दिष्ट करना सम्भव नहीं है । यथासम्भव इस मामले में निर्णय लिया जाएगा ।

निर्यात व्यापार में पंजाब का योगदान

4726. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 में देश के कुल व्यापार में पंजाब का योगदान कितना है ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में पंजाब की कौन-कौन सी वस्तुएं भारत के निर्यात व्यापार की मुख्य वस्तुएं हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख). निर्यात के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते ।

वर्ल्ड एण्टी कम्युनिस्ट लीग, फ्री चाइना एसोसिएशन और प्राउटिस्ट ब्लाक की गतिविधियां

4727. **श्री गदाधर साहा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ल्ड एण्टी कम्युनिस्ट लीग, फ्री चाइना एसोसिएशन और प्राउटिस्ट ब्लाक जैसे संगठनों की गतिविधियों की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके वित्तीय साधनों और उनके विदेशी शक्तियों से उनके सम्पर्क के बारे में जांच की है ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहसिन) : (क) से (ग). ऐसी संस्थाओं की गतिविधियों के बारे में कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं । सरकार ने साधारण तथा वास्तविक व्यापारिक लेन-देन के अति-

रिक्त अन्य प्रकार से विदेशी संस्थाओं, एजेन्सियों अथवा व्यक्तियों से धन प्राप्ति पर उपयुक्त रोक लगाने के लिये प्रयोगात्मक प्रस्ताव तैयार किये हैं। ये प्रस्ताव विरोधी दलों के नेताओं को उनके विचार जानने के लिए भेज दिये गये हैं।

बर्दवान (पश्चिम बंगाल) में पुलिस लाइन में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का तैनात किया जाना

4728. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्दवान, पश्चिम बंगाल में दंगों पर नियंत्रण करने के लिये पुलिस लाइन में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तैनात की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो दंगों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). 28 मई, 1971 को पश्चिम बंगाल पुलिस के एक हैडकांस्टेबल और दो कांस्टेबलों की रेल के डिब्बे के अन्दर जब वे अनुरक्षण में कुछ बंदियों को बर्दवान से कटबाल जेल में ले जा रहे थे, हत्या कर दी गई थी। अगले दिन प्रातः पुलिस लाइन में एकत्र कुछ बाहरी तत्वों के साथ पुलिस वालों के एक उत्तेजित वर्ग द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसके दौरान पुलिस उप-अधीक्षक, अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को, जो घटनास्थल पर पहुंचे थे, पीटा गया। भीड़ उपद्रवी हो गई और उसने विस्फोटक पदार्थ व बम फेंके, नियंत्रण-कक्ष को लूटा और टेलीफून के तार तोड़ डाले। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिये राज्य सशस्त्र पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की टुकड़ियां तैनात की गईं। मामले दर्ज किये गये हैं और इस सम्बन्ध में कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस बल के मनोबल तथा अनुशासन को दृढ़ करने तथा इस प्रकार की घटनाओं के दुबारा होने को रोकने के लिये उपयुक्त प्रशासनिक तथा दूसरे उपाय किये गये हैं।

भारत विरोधी कार्यवाहियों में भाग लेने वाले व्यक्तियों को सजा देने हेतु विधान

4729. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत से पृथक होने का और भारत-विरोधी प्रचार करने वाले अथवा देशद्रोही व्यक्तियों को कठोरतम सजा देने हेतु विधि-निर्माण के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा विधान कब तक सदन में लाया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). भारत के क्षेत्र के किसी भाग के पृथक करने अथवा सत्तान्तरण के उद्देश्य वाली गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों और संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये अवैध गतिविधियां (निरोध) अधिनियम, 1967 में उपबन्ध पहले से ही विद्यमान हैं। भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय VI में राज्य के विरुद्ध अपराध के लिये तथा राजकीय रहस्य अधिनियम में जासूसी गतिविधियों से निपटने के लिये भी उपबन्ध विद्यमान हैं। विधि आयोग देशद्रोह पर स्वतः पूर्ण कानून बनाने के प्रश्न की जांच कर रहा है।

टेहाटा (पश्चिम बंगाल) में जासूसों की गिरफ्तारी

4730. **श्री शशि भूषण :**
श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन पाकिस्तानियों और एक भारतीय को, जब वे एक कुएं में जहर डालने की कोशिश कर रहे थे, गश्त लगा रही सेना ने कृष्ण नगर के निकट टेहाटा में 1 जून, 1971 को जासूसी के संदेह में गिरफ्तार किया था ;

(ख) क्या गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों से जहर के चार पैकिट भी बरामद हुए थे ;

(ग) उक्त घटना का तथा गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों से की गई पूछताछ से और किन तथ्यों का पता लगा है ; और

(ङ) इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है और गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ङ). 1 जून, 1971 को तीन पाकिस्तानियों और एक भारतीय को गिरफ्तार किया गया था और जूट के पौधों पर छिड़कने में प्रयोग की जाने वाले पदार्थ के छः हजार, जिन्हें विश्वास किया जाता है कि वे बिक्री के लिए लाए थे, उनसे पकड़े गये । पालाशी पाड़ाघाट बस अड्डे पर बस में चढ़ते समय व्यक्तियों को उनके जासूस होने का संदेह हुआ । सेना के कुछ कर्मचारियों ने, जो उस रास्ते से गुजर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार करवाया । इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि वे कुओं में मिलाने के लिए जहर ले जा रहे थे । जासूसी की भी कोई बात देखने में नहीं आई है । एक मामला दर्ज कर लिया गया है । सरकार की सभी सम्बन्धित ऐजेन्सियों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है ।

राजस्थान के भूतपूर्व शासकों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक भूमि की बिक्री

4731. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के भूतपूर्व शासक निर्धारित सीमा से अधिक भूमि बेच रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उनको इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है । उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान भूमि सुधार तथा भूस्वामियों की सम्पदा का अधिग्रहण अधिनियम, 1963 के कुछ उपबन्धों का अधिकार-वाह्य घोषित कर दिया गया है और इस निर्णय के विरुद्ध अपील की गई है ।

तुर्की तथा बर्मा को पेट्रो-रसायन तथा तेल शोधक कारखानों के उपकरणों की सप्लाई

4732. **श्री नुघल्ली शिवप्पा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुर्की और बर्मा को पेट्रो-रसायन तथा तेलशोधक उपकरण सप्लाई करने के बारे में बातचीत हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की सम्भावना है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख). भारतीय निर्माताओं और बर्मा तथा टर्की के सम्बद्ध प्राधिकारियों के बीच कतिपय प्राथमिक वार्ताएं हुई परन्तु अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है ।

आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अध्यादेश 1971, के अधीन गिरफ्तार किये गये व्यक्ति

4733. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम्** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अध्यादेश, 1971 के अन्तर्गत सारे देश में, राज्य-वार, कितने व्यक्ति गिरफ्तार और नजरबन्द किये गये हैं ;

(ख) क्या इस अध्यादेश को लागू करने के लिए किसी राज्य सरकार ने अपनी असमर्थता प्रकट की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसने इसके लिए क्या कारण बताए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार 30-6-71 तक आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अध्यादेश, 1971 के अन्तर्गत नजरबन्द व्यक्तियों की संख्या असम में आठ, महाराष्ट्र में एक और पश्चिम बंगाल में सात थी । शेष राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने कोई भी व्यक्ति अध्यादेश के अन्तर्गत नजरबन्द नहीं किया है । केन्द्र सरकार ने इस अध्यादेश के अन्तर्गत 37 व्यक्तियों को नजरबन्द किया है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Closure of Textile Mills in Madhya Pradesh

4734. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether some textile mills in Madhya Pradesh have been closed down ;

(b) if so, their number and names :

(c) the reasons for their closure ;

(d) whether some of them are being run by the State Government with Central aid ;

(e) whether the textile mills, being run by the Government, are earning profit or incurring loss ; and

(f) in case these mills are incurring losses, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) No cotton textile mill was lying closed at the end of June, 1971.

(b) and (c). Do not arise.

(d) The management of five cotton textile mills has been taken over by the Central Government, under section 18A of the Ind. (Development and Regulation) Act, 1951. These mills are working at present under Authorized Conrollers.

(e) and (f). By and large, these mills are incurring losses at present, since the machinery in all these mills is very old and there has been lack of funds for working capital and modernisation. The rise in the price of cotton has also adversely affected the working of these mills.

बम्बई में सरकारी इमारतों पर शिव सेना के झण्डों का फहराया जाना

4735. **श्री शंकर राव सामन्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के बड़े डाक-घर के कैंटीन के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगभग 6 महीने तक, 21 फरवरी, 1971 तक शिव सेना के अनेक झण्डे फहरा रहे थे ;

(ख) क्या उन झण्डों को महा डाकपाल ने बम्बई पुलिस के निदेश देने पर ही हटाया था ;

(ग) क्या बम्बई के महा डाक-पाल को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सरकारी इमारतों पर किसी दल के झण्डे नहीं फहराये जा सकते ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुना) : (क) शिव सेना के केवल दो झंडे लगाये गये थे। ये झंडे लगाये जाने के बारे में बम्बई के पोस्टमास्टर जनरल को फरवरी, 1971 के दूसरे सप्ताह में सूचना मिली थी। ऐसी कोई सूचना नहीं है कि ये झंडे छह महीने से फहरा रहे थे।

(ख) यह सही नहीं है। पोस्टमास्टर जनरल को बम्बई पुलिस से ऐसी कोई हिदायतें प्राप्त नहीं हुई थीं।

(ग) उन्हें यह मालूम था।

(घ) ये झंडे शीघ्रातिशीघ्र हटवा दिये गये थे।

आल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत द्वारा बंगला देश के बारे में व्यक्त किये गये विचार

4736. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडे :**
श्री समर गुह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जून, 1971 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में 'गवर्नमेंट टेक्स नोट आफ मजलिस व्यूस' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) सरकार का आल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशवरत के आयोजकों के, जिनकी गतिविधियां बंगला देश के बारे में सरकार द्वारा निर्धारित नीति के विरुद्ध नजर आती हैं, विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). बंगला देश के बारे में सदन सरकार के विचारों से अवगत है । बंगला देश के लोगों के संघर्ष के लिये जो अत्यधिक सहानुभूति तथा सहयोग की भावना उमड़ी है और जिससे धर्म, भाषा आदि के सभी मतभेद भुला दिये गये हैं, उसे ध्यान में रखते हुए कुछेक व्यक्तियों द्वारा व्यक्त कुछ असंगत विचारों को विशेष महत्व देने की आवश्यकता नहीं है ।

कुछ राज्यों में दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू न होने में बाधा

4737. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुछ राज्यों में दंड प्रक्रिया संहिता लागू न किये जाने के कारण उन राज्यों में न्याय में बाधा पड़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो आपराधिक प्रशासन के क्षेत्र में इस शिकायत को दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ; और

(ग) राज्यों में दंड प्रक्रिया संहिता लागू न किये जाने के कारण होने वाली कमी को पूरा करने के लिये क्या वैकल्पिक कानून बनाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). इस समय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 जम्मू व कश्मीर राज्य तथा कुछ कबीले क्षेत्रों के अतिरिक्त समस्त भारत में लागू है । उक्त राज्य में दण्ड प्रक्रिया, इस संहिता के समान कानून द्वारा विनियमित की जाती है, जबकि कबीले क्षेत्रों में इसे कुछ उस प्रकार के नियमों द्वारा विनियमित किया जाता है । दण्ड प्रक्रिया से सम्बन्धित कानून को दृढ़ करने तथा उसमें संशोधन करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक, 1970 नामक एक विधेयक 10 दिसम्बर, 1970 को राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था । यह विधेयक अब दोनों सदनों की संयुक्त समिति के विचाराधीन है, जो निःसन्देह संहिता को उन क्षेत्रों में, जहां यह इस समय लागू नहीं है, लागू करने की आवश्यकता, वांछनीयता अथवा सम्भावना पर विचार करेगी ।

जलस्रोतों का पता लगाने के लिए एकीकृत केन्द्रीय एजेन्सी

4738. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के जल-स्रोतों का पता लगाने के लिए एक एकीकृत केन्द्रीय एजेन्सी स्थापित करने की किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहनधारिया) : (क) जी नहीं । तथापि देश के जल स्रोतों की दीर्घावधि योजना के संबंध में सरकार को परामर्श देने के लिए योजना आयोग द्वारा एक

पैनल की स्थापना कर दी गई है जिसमें साथ ही साथ मूल्यांकन का पक्ष भी समाहित है। पैनल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। तभी एकीकृत केन्द्रीय अभिकरण के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Per Capita Income in Bihar

4739. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether per capita income of persons living in Bihar is the lowest among all other States in the country and the per capita income of persons living in North Bihar is even lower than the per capita income of those living in the rest of Bihar ;

(b) whether Government propose to formulate any scheme to bring the minimum per capita income of persons living in Bihar at par with those living in other parts of the country ; and

(c) if so, the outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) According to the comparable estimates of the State incomes furnished by the Central Statistical Organisation for the years 1962-63 to 1964-65 Bihar's per capita income is the lowest. Reliable information about per capita income in various parts of Bihar is not available.

(b) and (c). Attention is invited to the replies given to Unstarred Question No. 2268 on June 16, 1971, and Starred Question No. 975 on 7.7.1971.

त्रिपुरा में दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वित किया जाना

4740. **श्री दशरथ देव :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में कर्मचारियों के वेतनमानों के सम्बन्ध में दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को कहां तक पूरी तरह क्रियान्वित किया गया है ; और

(ख) क्या त्रिपुरा के श्रेणी तीन के कर्मचारियों के वेतनमानों के सम्बन्ध में दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) . भारत सरकार ने द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिश स्वीकार की थी कि संघ राज्य क्षेत्र त्रिपुरा के कर्मचारियों के वेतनमान जहां तक सम्भव हों पश्चिम बंगाल में समान पदों पर दिये जाने वाले वेतनमानों के समान होने चाहिएं। चूंकि त्रिपुरा के कर्मचारियों का वेतनमान पहले से ही पश्चिम बंगाल में समान पदों के वेतनमान के समान थे अतः किसी सामान्य संशोधन की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी कुछ मामले थे जहां ऐसी समरूपता नहीं थी। इन मामलों में 1-7-59 से संशोधन के आदेश दिये गये थे। त्रिपुरा सरकार लगभग 10 वर्ष बीतने के पश्चात् भारत सरकार के ध्यान में कुछ और श्रेणियां लायी है जिनका वेतनमान वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के समय पश्चिम बंगाल के वेतनमानों के समान नहीं था। त्रिपुरा सरकार ने, जिनसे इस विषय की विस्तृत रूप से जांच करने को कहा गया, अब अपने प्रस्ताव भेज दिये हैं। ये विचाराधीन हैं।

राज्य व्यापार निगम द्वारा नायलोन धागे के आयात तथा बुनकरों को उसके नियतन के बारे में शिकायतें

4741. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा नायलोन धागे का आयात किये जाने और बुनकरों को नियतन किये जाने के बारे में हाल ही में शिकायतें की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो शिकायतों का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम ने इस सम्बन्ध में कपड़ा आयुक्त और परामर्शदातृ तालिका की सिफारिशों को पूरी तरह पालन किया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) . जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

राज्य व्यापार निगम द्वारा बुनकरों को नायलन धागे की पूर्ति तथा वितरण के सम्बन्ध में हथकरघा तथा शक्तिचालित करघा क्षेत्रों से निम्नलिखित प्रकार की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं :—

(1) रेयन धागे के विशेष डेनियरों की अपर्याप्त पूर्ति ।

(2) स्वदेशी धागे की तुलना में राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित द्वितीय कोटि के धागे की ऊंची कीमतें ।

(3) भुगतान करने हेतु नियतभागियों को राज्य व्यापार निगम द्वारा दिया गया अपर्याप्त समय ।

(4) वितरक संघों को दिया जाने वाला अपर्याप्त कमीशन ।

समय समय पर नायलन धागे के आयात तथा वितरण के सभी पहलुओं पर विचार करने और नायलन धागे की उचित किस्मों का आयात तथा उसके न्यायोचित वितरण को सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने अपरवस्त्र आयुक्त, राज्य व्यापार निगम के प्रतिनिधियों, कत्तिनों व बुनकरों की एक परामर्शी समिति स्थापित की है। राज्य व्यापार निगम इस समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करता रहा है ।

मनीपुर पहाड़ियों के लिये जिला स्वायत्तता मांग समिति के प्रतिनिधियों द्वारा प्रधान मंत्री को प्रस्तुत किया गया ज्ञापन

4742. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट :**
श्री एम० एम० हाशिम :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर पहाड़ियों के लिये जिला स्वायत्तता मांग समिति का प्रतिनिधित्व करने

वाला दो-सदस्यी दल 11 जून, 1971 को प्रधान मंत्री से मिला था और पहाड़ी लोगों की ओर से उन्हें एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था ; और

(ख) यदि हां, उनकी मांगों की मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) ज्ञापन में मणिपुर की जन जातियों के हितों के संरक्षण के लिये पर्याप्त अधिकारों के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में जिला परिषदों की स्थापना, विधान सभा की पहाड़ी क्षेत्रीय समिति के गठन, आदि का सुझाव दिया गया । दल को सूचित कर दिया गया था कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से सम्बन्धित विभिन्न मामले सरकार के विचाराधीन हैं ।

सत्तारूढ़ दल के लिये निर्वाचन निधि

4743. **श्री राम कंवर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 फरवरी, 1971 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें स्वतंत्र पार्टी के महासचिव डा० आर० सी० कूपर ने भारत सरकार द्वारा कपड़ा उद्योग से सत्तारूढ़ दल के चुनाव आन्दोलन के लिये चोरी-चोरी धन-राशि एकत्र करने का आरोप लगाया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) आरोप निराधार है ।

Recovery of a Transmitter and Maoist Literature in Tikamgarh District (Madhya Pradesh)

4744. **Shri Phool Chand Verma :**
Shri Dhan Shah Pradhan :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a transmitter and some Maoist literature have been recovered in Agatur village of Tikamgarh District in Madhya Pradesh ; and

(b) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) and (b). According to the information available, on 5th June, 1971, an instrument with some kind of watch-like mechanism was found in a bundle air-dropped, presumably from a balloon, near village Ajnor in Tikamgarh District of Madhya Pradesh. No transmitter was recovered. Leaflets in Chinese language were recovered from the bundle, which, on examination, were found to be pro-KMT, anti-Mao as well as anti-Communist China. Two Eveready cells with US markings were also found. The articles were taken into possession by the police for investigation.

अफ्रीका में उत्पादित तथा निर्यातित काजू की गिरी

4745. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हाल ही में कुछ अफ्रीकी देशों में पूर्ण रूप से मशीनों द्वारा काजू की गिरी का परिष्कार किया जाने लगा है ; और

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी है कि वर्ष 1970-71 में अफ्रीका में काजू की गिरी का कितना उत्पादन हुआ और कितना निर्यात किया गया ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

कलकत्ता में गिरफ्तार किये गये भूतपूर्व संसद् सदस्य तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध लगाये गये आरोप

4746. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अन्तर्गत कलकत्ता में हाल ही में गिरफ्तार किये गये भूतपूर्व संसद् सदस्य, श्री बदरुद्दुजा तथा अन्य व्यक्तियों को, उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप बता दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे आरोप क्या हैं ?

(ग) क्या अपना बचाव करने सम्बन्धी पर्याप्त सुविधाएं उन्हें दी गई हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहसिन) : (क) और (ख) . श्री बदरुद्दुजा तथा अन्य व्यक्तियों को भारत की सुरक्षा के प्रतिकूल ढंग में कार्य करने से रोकने के लिये नजरबन्द किया गया है । नजरबन्दी के कारण उन्हें बता दिये गये हैं ।

(ग) और (घ) . अध्यादेश के सम्बन्धित उपबन्धों के अधीन मिल सकने वाली सुविधायें राज्य सरकार द्वारा नजरबन्द व्यक्तियों को दी जा रही हैं ।

Visit by a Team of Officers to West Bengal for consultations re: Situation in Bangla Desh

4748. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a team of officers had visited West Bengal for consultations with the State Government regarding the situation in Bangla Desh ;

(b) whether any consultations on Bangla Desh issue were held between the said team of officers and the State Government ; and

(c) if so, the main features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Mohsin) : (a) to (c). A team of officers of the Central Government had visited the border States of West Bengal, Assam, Meghalaya and Tripura to make an assessment, in consultation with the concerned State Governments, of the requirements of additional staff for registration, screening etc. of the evacuees from Bangla Desh. On the basis of the assessment made by the team, additional staff etc. has been sanctioned.

केरल सरकार द्वारा भेजे गये विधेयक और अध्यादेश केन्द्रीय सरकार के निर्णयाधीन

4749. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार द्वारा भेजे गये कोई ऐसे विधेयक और अध्यादेश हैं जिन पर केन्द्रीय सरकार ने अभी निर्णय नहीं लिया है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र द्वारा इन मामलों पर निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) निर्णयाधीन विधेयकों और अध्यादेशों के नाम क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). केरल सरकार से जो दो विधेयक तथा दो अध्यादेशों के प्रारूप प्राप्त हुये हैं तथा जो लम्बित पड़े हैं, उनकी स्थिति इस प्रकार है :—

(i) **केरल भूमिसुधार (संशोधन) विधेयक, 1971—अनुमति के लिये**

चूंकि विधेयक के कुछ उपबन्धों पर कानूनी तथा संविधानिक आपत्तियां उठ सकती हैं अत: राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगे गये हैं । ये 7 जुलाई को प्राप्त हो गये हैं और संबंधित मंत्रालयों के परामर्श में विधेयक पर विचार किया जा रहा है ।

(ii) **केरल मोटर परिवहन के कर्मकारों को उचित मजूरी का भुगतान विधेयक 1971—अनुमति के लिये**

राज्य सरकार को 24 जून, 1971 को ऐसी स्थिति का स्पष्टीकरण देने को कहा गया जिस पर कानूनी तथा संविधानिक आपत्तियां उठ सकती हैं । उनसे उत्तर अभी प्राप्त होना है ।

(iii) **केरल राहत उपक्रम (विशेष व्यवस्था) संशोधन अध्यादेश 1971—अनुमोदन के लिये**

कुछ सुझाव अध्यादेश के प्रारूप में संशोधन करने के लिये राज्य सरकार को भेजे गये हैं ।

(iv) **विदेशियों के स्वामित्व में बागान तथा अन्य भूमि (अधिग्रहण) अध्यादेश 1971—अनुमोदन के लिये**

अध्यादेश का प्रारूप 7 जुलाई, 1971 को प्राप्त हुआ था और सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श में उसकी जांच की जा रही है ।

आंतरिक सुरक्षा अधिनियम अध्यादेश के अन्तर्गत गिरफ्तारियां

4750. **श्री समर गुह** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम अध्यादेश के अन्तर्गत राज्यवार गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को पाकिस्तान के लिये जासूसी करने, पाकिस्तान की ओर से साम्प्रदायिकता बढ़ाने वाले एजेंट के रूप में काम करने और तोड़फोड़ की कार्यवाही करने के कारण गिरफ्तार किया गया है ; और

(ग) क्या उनके मामले पर सरकार द्वारा लगातार पुर्नविचार किया गया है और यदि हां, तो उनके मामलों पर पुर्नविचार करने के बाद कितने व्यक्तियों को रिहा किया गया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार 30-6-71 तक असम में आठ व्यक्तियों तथा महाराष्ट्र में एक व्यक्ति को सार्वजनिक व्यवस्था के प्रतिकूल ढंग में कार्य करने से रोकने के लिए आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अध्यादेश, 1971 के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया था। पश्चिम बंगाल में सात व्यक्तियों को भारत की सुरक्षा के प्रतिकूल ढंग में कार्य करने से रोकने के लिए नजरबन्द किया गया था। शेष राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने इस अध्यादेश के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को नजरबन्द नहीं किया है। केन्द्र सरकार ने भारत की सुरक्षा के प्रतिकूल ढंग में कार्य करने से रोकने के लिए 37 व्यक्तियों को अध्यादेश के अन्तर्गत नजरबन्द किया है। सभी मामलों पर कानून के सम्बद्ध उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। असम राज्य सरकार ने तीन बन्दियों को, उनके मामलों पर पुर्नविचार करने के बाद, एक महीने के लिए बचन प्रतीति पर छोड़ दिया है।

बंगला देश के शरणार्थियों को पश्चिम बंगाल से बाहर न जाने के लिये उकसाया जाना

4751. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बंगला देश के कुछ शरणार्थियों को पश्चिम बंगाल से बाहर अन्य राज्यों के शिविरों में न जाने के लिये उकसाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो शरणार्थियों को भड़काने वाले इन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार भड़काने वाले तत्वों के साथ सख्ती से पेश आने का है जिससे वे स्थिति को और जटिल न बना सकें जो पहले ही बहुत खराब है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहसिन) : (क) से (ग). सरकार ऐसी सम्भावनाओं के प्रति पूरी तरह जागरूक है। राज्य सरकारों को शिविरों में उपयुक्त सुरक्षा प्रबन्ध करने की भी सलाह दी गई है। ऐसी विशाल मानवीय समस्या से निपटने के लिये पाकिस्तानी आक्रमण से पीड़ित अभागे व्यक्तियों से सख्ती से पेश आने का कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता।

कच्चे पटसन उत्पादकों के लाभ के लिये सरकार द्वारा पटसन व्यापार का अपने नियंत्रण में लिया जाना

4752. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे पटसन के व्यापार में कुछ बड़े व्यापारियों का एकाधिकार है ;

(ख) क्या एकाधिकार होने के कारण पटसन उत्पादकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिलता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या गैर-सरकारी व्यापारियों से इस व्यापार को अपने नियंत्रण में लेने और इस प्रकार उत्पादकों को उचित मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करने की सरकार की कोई योजना है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख). पटसन के व्यापार में अनेक बड़े तथा छोटे व्यापारी और बिचौलिये हैं। विपणन ढांचे तथा तकनीक में कुछ अन्तर्निहित कमियां हैं, मुख्यतः जिनके कारण उत्पादकों को उनके उत्पादन के लिए उचित पारिश्रमिक प्राप्त नहीं होता।

(ग) और (घ). सरकार के पास अभी समस्त पटसन व्यापार को अपने नियंत्रण में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि उत्पादकों को उचित कीमतें मिलना सुनिश्चित करने के विषय में पटसन व्यापार में पटसन निगम द्वारा एक महत्वपूर्ण भाग अदा किये जाने की आशा है।

केरल में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के एक एकक का खोला जाना

4753. **श्री सी० जनार्धनन** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का एक एकक खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख). केरल सरकार ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की निम्नलिखित राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में से प्रत्येक की एक क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, केरल में स्थापित करने का सुझाव दिया है :

(1) यांत्रिक इंजीनियरी अनुसंधान और विकास संगठन (एम० ई० आर० ए० डी० ओ०)

(2) केन्द्रीय कांच और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता।

(3) केन्द्रीय इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, पिलानी।

प्रस्ताव विचाराधीन है। फिर भी, कोचीन में राष्ट्रीय महासागर संस्थान का एक भारतीय समुद्री जैविक केन्द्र पहले से ही कार्य कर रहा है।

प्राकृतिक संसाधनों का फिर से सर्वेक्षण

4754. **श्री सी० जनार्धनन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के सम्मुख देश के प्राकृतिक संसाधनों का फिर से सर्वेक्षण कराने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). इस दिशा में हमारे प्रयासों के नवीकरण की आवश्यकता है। इस प्रयोजन के लिए अत्यधिक सक्षम संगठनों एवं साधनों को एकत्र करने का प्रयास किया जा रहा है।

राज्यों की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में अन्तर

4755. **श्री देवेन्द्र सत्पथी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के अन्तर को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ख) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अर्ध विकसित राज्यों को दस प्रतिशत योजना सहायता देने के निर्णय के साथ-साथ क्या राज्यों में विकास के अन्तर को कम करने के लिए सरकार का कोई और कदम उठाने का विचार है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). 2 जून, 1971 को लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1102 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

केरल में क्षेत्रीय मेकेनिकल इंजीनियरिंग सेंटर अनुसंधान और विकास संगठन तथा समुद्री अनुसंधान केन्द्र की स्थापना

4756. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र से, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् को केरल में एक मैकेनिकल इन्जीनियरिंग अनुसंधान तथा विकास संगठन का क्षेत्रीय केन्द्र खोलने का अनुदेश देने की प्रार्थना की है;

(ख) क्या उसी सरकार ने केन्द्र से, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को केरल में एक समुद्री अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने का अनुदेश देने की प्रार्थना भी की है;

(ग) यदि हां, तो दोनों योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (घ). केरल सरकार ने सुझाव दिया है कि यांत्रिकी इंजीनियरी अनुसंधान एवं विकास संगठन (एच० ई० आर० ए० डी० ओ०) का केरल में क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने के लिये एट्टूमन्नूर का उत्पादन-व-विस्तार केन्द्र ले लिया जाए। सुझाव विचाराधीन है।

जब राष्ट्रीय महासागरीय संस्थान (एन० आई० ओ०) की योजना बनाई जा रही थी, तब इसको केरल में स्थापित करने के प्रश्न पर भी विचार-विमर्श किया गया था किन्तु अब यह संस्थान गोआ में स्थापित किया गया है और इसका एक केन्द्र-भारतीय समुद्री जैविक केन्द्र, कोचीन में है।

पिछड़ापन दूर करने के लिये राज्यों को आर्थिक सहायता

4757. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों का पिछड़ापन दूर करने के लिये पर्याप्त आर्थिक सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) चौथी योजना में उन्होंने कितनी सहायता की मांग की है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) कई राज्यों ने अपने चौथी योजना परिव्ययों में वृद्धि करने की दृष्टि से किसी न किसी रूप में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की मांग की है। परन्तु किसी भी राज्य ने केवल राज्य के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये सहायता की मांग नहीं की है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

मनीपुर विधान सभा का उपयुक्त स्थान पर स्थानान्तरण

4758. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार मनीपुर विधान सभा को एक नए और अधिक उपयुक्त स्थान पर ले जाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं तथा नई इमारत का निर्माण कार्य कब शुरू हो जायेगा।

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मनीपुर को प्रस्तावित राज्य का दर्जा दिये जाने की दृष्टि में रखते हुए वर्तमान स्थान उपयुक्त नहीं होगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मनीपुर सरकार ने बताया है कि वर्तमान मनीपुर विधान सभा भवन कुछ मामूली परिवर्तनों के पश्चात् मनीपुर के पूर्ण राज्य बनने के पश्चात् भी उस के लिये उपयुक्त होगा।

Nationalisation of Textile Industry

4759. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Pratap Singh Negi :

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a proposal to nationalise textile industry in the country ; and

(b) if so, the time by which such a step would be taken ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

डाकू ग्रस्त क्षेत्रों में सड़कें बनाने के लिये राज्यों को सहायता

4760. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकू विरोधी अभियान के हेतु सड़कें बनाने के लिये राज्यों को कोई आर्थिक सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो सहायता पाने वाले राज्यों के नाम क्या हैं तथा कितना रुपया स्वीकृत किया गया है; और

(ग) क्या राजस्थान को इस सम्बन्ध में कोई आर्थिक सहायता मिली है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहसिन) : (क) और (क). जी हां, श्रीमान् । ऐसी सहायता मध्य प्रदेश सरकार को आन्तरिक क्षेत्रों में पुलिस बल की सुविधाजनक गतिविधि के लिये छोटी तथा सम्पर्क सड़कों के निर्माण के लिये दी गई है । 1970-71 वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार को 25.10 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् । चूंकि मध्य प्रदेश में राजस्थान व उत्तर प्रदेश की तुलना में डाकू समस्या से प्रभावित क्षेत्र काफी बड़ा है और चूंकि उन आन्तरिक क्षेत्रों में कानून का हाथ सुविधा से पहुंचा सकने के लिये मध्य प्रदेश में कुछ क्षेत्रों को खोलना स्थिति के लिये अपेक्षित था । अतः उक्त सहायता दी गई है । किन्तु राजस्थान सरकार को वायरलैस उपकरण आदि की खरीद के लिए अनुदान जैसी दूसरी प्रकार की सहायता दी गई है । उसके लिए 1970-71 वर्ष में उनको 5.36 लाख रुपये दिये गये थे ।

काश्मीर में क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला का खोला जाना

4761. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर में क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला खोली गयी है;

(ख) यदि हां, तो प्रयोगशाला किस स्थान पर खोली गयी है;

(ग) प्रयोगशाला में कितने अनुसन्धान कर्मचारी हैं;

(घ) प्रयोगशाला में किस प्रकार का अनुसन्धान किया जायगा ; और

(ङ) निदेशक का नाम और उसकी शैक्षणिक अर्हताएं क्या हैं ?

योजना तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख). श्रीनगर में क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मू की एक शाखा खोली गयी है ।

(ग) प्रयोगशाला में 26 अनुसन्धान कर्मचारी हैं ।

(घ) शाखा प्रयोगशाला का उद्देश्य कच्चे माल की उपयोगिता और क्षेत्रीय औद्योगिक विकास में सहायता करना है।

(ङ) निदेशक का नाम डा० गणपति है और वे विज्ञान में डाक्टरेट (डी० एस० सी०) प्राप्त हैं।

हल्दी के मूल्य में गिरावट

4762. **श्री पी० गंगा रेड्डी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि हल्दी का मूल्य बहुत गिर गया है;

(ख) क्या मूल्य में यह गिरावट हल्दी के निर्यात पर रोक के परिणाम स्वरूप हुई है; और

(ग) क्या हल्दी का निर्यात किया गया था; यदि हां, तो कितनी मात्रा में ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) वर्ष 1970-71 के दौरान 10,621.2 टन हल्दी का निर्यात किया गया।

Grant of Import Licences for Importing arms from Abroad

4763. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the number of applications received from the genuine users for the grant of import licences for importing arms from abroad during 1969-70 and 1970-71 ;

(b) the number out of them for which import licences have so far been granted and the number of those which have been rejected ; and

(c) the specific criteria adopted for granting import licences and the particulars of the shortcomings on the basis of which certain applications were rejected ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) 294 and 848 applications for import of Fire Arms were received during 1969-70 and 1970-71 respectively.

(b) 132 licences were granted and 162 applications were rejected during 1969-70. 606 licences were granted and 442 applications were rejected during 1970-71.

(c) The request for import of Fire Arms of Non-prohibited bore are considered on production of donor's letter in origin and valid Possession Licence under the Arms Act. Gifts from friends are not allowed and certain number of applications have been rejected falls under this category. The reason for rejection of other applications is non-production of either donor's letters or Valid Arms Licences.

उद्योगपतियों द्वारा लगाई गई पूंजी के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग की रिपोर्ट

4764. **श्री नुगेहल्ली शिवप्पा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योगपतियों द्वारा लगाई गई पूंजी के न्यूनतम प्रतिशतता के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ख) इनके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) हाल ही में विगत में टैरिफ आयोग ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में प्रयोगात्मक आधार पर रबड़ के पेड़ उगाना

4765. **श्री रामचन्द्रन कडन्नापल्ली** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में महाराष्ट्र में प्रयोगात्मक आधार पर रबड़ के कुछ पेड़ उगाये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) बड़े पैमाने पर रबड़ के पेड़ लगाने की सम्भाव्यता का आकलन करने के दृष्टिकोण से सावंतवाड़ी वन प्रभाग में 1968 मौसम में प्रयोगात्मक आधार पर दो एकड़ भूमि में रबड़ के पेड़ लगाये गए थे और यह कार्य अभी चल रहा है। बम्बई के एक उद्योगपति ने भी 1969 मौसम में महाराष्ट्र राज्य के कोलाबा जिले में स्थित पेड़ों में लगभग 11 एकड़ भूमि में रबड़ के पेड़ लगा रखे हैं। इस क्षेत्र में रबड़ की खेती किफायती रूप में हो सकेगी या नहीं, यह कहना तब तक संभव नहीं है जब तक इस क्षेत्र में रबड़ की चुवाई शुरू नहीं हो जाती जो कि 1974-75 मौसम के दौरान शुरू होगी।

केरल में एक परमाणु ऊर्जा केन्द्र की स्थापना

4766. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में एक परमाणु ऊर्जा केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) क्या निर्णय ले लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) उत्तरी, पश्चिमी तथा दक्षिणी विद्युत क्षेत्र में नये परमाणु बिजलीघरों की स्थापना के लिये उपयुक्त स्थानों का चुनाव करने के उद्देश्य से एक समिति नियुक्त की गई है। इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तथा सरकार द्वारा उस पर विचार करने के बाद निश्चित रूप से यह निर्णय किया जायेगा कि नये बिजलीघर कहां लगाये जायें। केरल में अन्य किसी प्रकार का परमाणु ऊर्जा केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

काटन मिलों का बन्द किया जाना

4767. **श्री विश्वनाथ झुंझुंनवाला :**
श्री देविन्दर सिंह गरचा :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1971 से अब तक काटन मिलों के बन्द होने में किस हद तक वृद्धि हुई और कितने लोग बेरोजगार हुए; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) अप्रैल तथा मई, 1971 में बन्द मिलों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई। वस्त्र आयुक्त से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अवधि में 11 मिलें, जिनमें कर्मचारियों की कुल संख्या 11,164 थी, दोबारा खुलीं, जबकि 8 मिलें, जिनमें 11,184 कर्मचारी थे, बन्द हुई थीं।

(ख) बन्द मिलों के प्रत्येक मामले पर सम्बन्धित राज्य सरकार की सलाह से विचार किया जाता है।

नियंत्रित मूल्य पर रेटिड बस्क बेचने के कारण नारियल जटा समितियों को हुई हानि की प्रतिपूर्ति के लिए केरल को अनुदान

4768. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने नारियल जटा समितियों द्वारा अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार के 1968 के आदेश के अनुसार रैटिड बस्क नियंत्रित मूल्य पर बेचे जाने से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुदान की मांग की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) यह एक गैर-योजना व्यय है, अतः राज्य सरकार को अपने ही साधनों से इस न्याय की व्यवस्था करने की सलाह दी गई है।

अजुध्या मिल, दिल्ली का सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिया जाना

4769. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अजुध्या मिल, दिल्ली को अपने हाथ में ले लिया है और उसे चलाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके बन्द होने के समय से कर्मचारियों को न दिए गये वेतन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इसे किन आधारों पर चलाने का निर्णय किया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) अजुध्या टैक्सटाइल मिल्स, दिल्ली के अभिलेख अथवा भवन का कब्जा नहीं लिया गया है क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक लि० ने मिल को सील कर दिया है। ऐसी स्थिति में, मिल के बन्द होने के पश्चात् कर्मचारियों को देय वेतन की राशियों का हिसाब लगाना संभव नहीं है।

(ग) मिल का प्रबन्ध इस रूप में किया जा रहा था कि वह लोकहित में अति हानिकर था।

मनीपुर में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक किया जाना

4770. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का कार्य पूरा हो गया हैं; और

(ख) यदि हां, तो अलग होने के बाद न्यायपालिका के गठन में कौन से मुख्य-मुख्य परिवर्तन हुए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). मणिपुर सरकार ने सूचित किया है कि 1965 में उनके द्वारा जारी किये गये कार्यकारी आदेशों के अन्तर्गत इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, विशनपुर तथा थाउबल की घाटी के चार सब-डिवीजनों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से उस सीमा तक पृथक कर दिया गया है कि भारतीय दण्ड संहिता के अधीन मामलों का परीक्षण न्यायिक आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण में न्यायिक दण्डाधिकारियों को सौंप दिया गया है। किन्तु विभिन्न छोटे अधिनियमों के अन्तर्गत अन्य आपराधिक मामलों का परीक्षण कार्यकारी दण्डाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। क्षेत्र के शेष इलाकों में अभी तक न्यायपालिका के पृथकीकरण को लागू नहीं किया गया है।

दिल्ली नगर निगम द्वारा म्यूनिसिपल वार्डों का गठन

4771. **श्री अमरनाथ चावला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने वर्ष 1972 में जनता की सुविधा के लिये नगर प्रशासन का विकेन्द्रीकरण करने हेतु जोनें बनाये थे;

(ख) क्या वर्ष 1962 से सदर-पहाड़गंज जोन में 13 म्युनिसिपल वार्ड थे और उस क्षेत्र की जनता को कोई असुविधा नहीं थी;

(ग) क्या अब तक राजनीतिक कारणों से, प्रशासनिक और जनता की सुविधा की परवाह न करते हुए, चार अन्य वार्ड सदर-पहाड़गंज जोन में जोड़ दिये गये हैं जो करोल बाग अथवा सिविल लाइन्स जोनों के अधिक निकट हैं और जो गत नौ वर्षों से उन जोनों में रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) सदर-पहाड़गंज जोन में शामिल नगर निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 1967-68 तक 12 थी और उसके बाद 13 हो गई। सरकार को जोनों के गठन के बारे में पहले कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(ग) और (घ). अपने 15 जून, 1971 के संकल्प द्वारा नगर निगम द्वारा चार नगर निर्वाचन क्षेत्रों, अर्थात् खजूर रोड, माणकपुरा, सराय रूहेल्ला और राहत गंज का सदर पहाड़ गंज जोन के साथ एकीकरण कर दिया गया है। संकल्प में इस निर्णय का कोई कारण नहीं दिया गया है। नगर निर्वाचन क्षेत्र अर्थात् खजूर रोड, माणकपुरा, सराय रूहेल्ला 1962 से करोलबाग जोन के अन्तर्गत थे और राहतगंज सिविल लाइन जोन के अन्तर्गत था।

दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 40 (i) के अन्तर्गत निगम को उतनी विशेष तथा तदर्थ समितियों का गठन करने का अधिकार है जितनी वह किसी ऐसी शक्ति के प्रयोग अथवा किसी ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए सही समझे, जो निगम संकल्प द्वारा उनको प्रत्यायोजित करता है।

जूट निगम

4772. **श्री दशरथ देब** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में जूट निगम ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी अब तक की उपलब्धियां क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारतीय पटसन निगम का पंजीयन 2 अप्रैल, 1971 को कराया गया है। इसने अभी कार्य शुरू नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेशमी साड़ियों का निर्यात

4773. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई और अफ्रीकी देशों में भारतीय रेशमी साड़ियों की अत्यधिक मांग है और साड़ियों का निर्यात 1969-70 में रु० 82.61 लाख से बढ़कर 1970-71 में रु० 109.33 लाख हो गया है ;

(ख) साड़ियों के निर्यात में इस अत्यधिक वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(ग) निर्यात होने वाली साड़ियों में बनारसी रेशम की साड़ियों की प्रतिशतता क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) निर्यात में वृद्धि का कारण भारतीय साड़ियों के सुधरे हुए डिजाइन हैं जिनके लिये विदेशों में भारतीय निवासियों द्वारा बढ़ती हुई मांग है और अंशतः पाश्चात्य लोगों द्वारा पोशाक सामग्री के रूप में भारतीय साड़ियों के प्रयोग के लिये बढ़ती हुई अभिरुचि है।

(ग) 60 प्रतिशत।

उत्तर प्रदेश मंडल में डाकघरों का दर्जा संयुक्त कार्यालयों और सार्वजनिक टेलीफोन घरों के रूप में बढ़ाना

4774. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश मंडल में सैकड़ों डाकघरों का दर्जा संयुक्त कार्यालयों और सार्वजनिक टेलीफोन घरों के रूप में बढ़ाने की मंजूरी दी गई है परन्तु उनको क्रियान्वित करने के लिये अभी तक कुछ नहीं किया गया है ;

(ख) क्या अधिकांश एस० डी० ओ० (टी) लाइन और केवल में प्रशिक्षित नहीं है तथा इस कारण इस काम को करने में असमर्थ हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्य को शीघ्रता से करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुना) : (क) उत्तर प्रदेश सर्कल में 283 डाकघरों को संयुक्त डाक-तार घरों में बदलने और 128 डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के प्रस्तावों की मंजूरी दी जा चुकी है।

(ख) सर्कल में काम कर रहे 18 उपमंडल अधिकारी (तार) में से 9 अधिकारी लाइन और केबिल के अलावा दूसरी शाखों में प्रशिक्षित है। लेकिन इन कार्यों के बकाया रहने का यह कारण नहीं है। ये कार्य भण्डार सामग्री की कुछ आवश्यक मदों के उपलब्ध न होने के कारण बकाया पड़े हैं।

(ग) भण्डार सामग्री प्राप्त की जा रही है और सामग्री के प्राप्त होने पर ये कार्य उत्तरोत्तर प्रगति पर हैं।

बंगला देश से सम्बन्धित आकाशवाणी के कार्यक्रम

4775. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश में पैदा हुई स्थिति तथा निष्क्रान्त व्यक्तियों की समस्याओं के संबंध में पाकिस्तान के झूठ और तथाकथित उपलब्धियों का पर्दाफाश करने के लिए आकाशवाणी से कोई रूपक कार्यक्रम प्रसारित किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का 1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान 'रेडियो झूठिस्तान' के समान कोई कार्यक्रम चालू करने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) इस विषय पर पाकिस्तान रेडियो के झूठे प्रचार का समाचारों एवं कमेन्ट्री कार्यक्रमों तथा आकाशवाणी के अन्य कार्यक्रमों में नियमित रूप से बराबर खंडन किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, इस प्रकार के किसी फीचर कार्यक्रम को चालू करने का विचार नहीं है।

पश्चिम बंगाल में नक्सलवादियों द्वारा किये गये अपहरण और हत्याओं के मामले

4776. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में पिछले तीन महीनों में नक्सलवादियों ने कितने लोगों का अपहरण किया और कितनी हत्याएं की ;

(ख) उनमें से राजनीतिक हत्याएं कितनी थी ; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) .सूचना प्राप्त की जा रही है ।

(ग) नक्सलवादियों तथा अन्य उग्रवादी दलों की गतिविधियों को कुचलने के लिये राज्य सरकार द्वारा कानून के अन्तर्गत कड़ी कार्रवाई की जा रही है । भारत सरकार सभी उचित सहायता जिसमें अतिरिक्त सशस्त्र पुलिस कुमुक, वायरलैस तथा अन्य उपकरण तथा आसूचना का एकीकरण शामिल है, दी जा रही है ।

योजना आयोग के अन्तर्गत न आने वाले क्षेत्र

4777. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो योजना आयोग के अन्तर्गत नहीं आते ; और

(ख) यदि हां, तो पिछली योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में राज्य क्षेत्रों में नई परियोजनाएं शामिल करने के क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र की योजना में उपलब्ध संसाधनों की सीमा के अन्तर्गत पूरे देश के विकास की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है । अतः देश का कोई भी ऐसा क्षेत्र या प्रदेश नहीं है जिसे सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के परिवेश से बाहर छोड़ दिया गया हो । केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं विशेषरूप से उद्योग, खनिज, परिवहन और संचार सम्बन्धी परियोजनाओं के स्थान का निर्धारण मुख्य रूप से तकनीकी-आर्थिक आधार पर किया जाता है । इन परियोजनाओं से जनित लाभ देश के विभिन्न भागों को प्राप्त होते हैं, फिर वे भाग चाहे कहीं भी स्थिर क्यों न हों । योजना आयोग द्वारा निर्धारित राज्य योजनाओं के ढांचे के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई स्कीमों/परियोजनाओं और कार्यक्रमों में सम्बन्धित राज्यों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है, चाहे वे स्कीमें/परियोजनायें अथवा कार्यक्रम राज्य के प्रत्येक भाग में स्थित न भी हों । अतः कुछ क्षेत्रों में परियोजनाओं की बहुलता और अन्य क्षेत्रों में परियोजनाओं के अभाव का प्रश्न नहीं उठता ।

Constitution of Posts and Telegraphs Advisory Committees

4778. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the Regional Posts and Telegraphs Advisory Committees have been constituted for the various states ;

(b) if so, the names of members of each of those Committees, State-wise ;

(c) if the reply to part (a) above be in the negative the reasons for the delay in constituting these committees ; and

(d) the guidelines, laid down for constituting these Committees ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Yes.

(b) Information is being collected and would be laid on the table of Lok Sabha.

(c) Question does not arise.

(d) These Committees are composed of besides the official members, the following interests :

(1) Members of Parliament.

(2) Nominees of the Minister for Communications.

(3) Representatives of the State Legislature.

(4) Official representatives of the State Government.

(5) Non-official representatives of the State Government.

(6) Representatives of Trade and Commerce.

(7) Representatives of Rural Interest.

(8) Representatives of the Press.

विग का निर्यात

4779. **श्री सी० के० चन्द्रपन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अन्य देशों को विग का निर्यात कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इससे 1968-69, 1969-70 में कितनी आय हुई ;

(ग) क्या हमारे देश में सरकार द्वारा कोई विग कारखाना चलाया जाता है ;

(घ) क्या देश के विभिन्न भागों में और अधिक विग कारखाने स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 में निर्यात आय क्रमश: 3.27 लाख रु० तथा 12.06 लाख रु० थी ।

(ग) जी हां ।

(घ) फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

Sub Post Offices and branch Post Offices in Government Building in Garhwal

4780. **Shri Pratap Singh Negi**: Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the names of the Sub Post Offices and Branch Post Offices in Garhwal District in Uttar Pradesh housed in Government buildings at present ;

(b) whether most of the said Post Offices are housed in private rented buildings ; and

(c) the time by which Government would construct Government buildings for housing those Post Offices?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) The following Head and Sub-Post Offices of Garhwal District in Uttar Pradesh are housed in Government buildings at present :—

Pauri H. O.

Lansdowne S. O.

Kotdwara S. O.

Srinagar S. O.

Government buildings are not provided to house Branch Post Offices.

(b) Yes. Out of 42 departmental sub offices, only 3 departmental sub offices are housed in departmental buildings.

(c) Departmental buildings are constructed in a phased manner consistent with the availability of resources and the capacity for executing projects. It is proposed to construct departmental buildings for the post offices at the following places of Garhwal District during the 4th Plan period :—

Pattisen

Pokhra

Dogadda

Satpuli

Birokhal

Land for construction of departmental buildings is also under acquisition at the following places of Garhwal Districts :—

Baijroo, Narain Bazar and Jharikhal.

Publication of Delhi Telephone Directory in Hindi

4781. **Shri Pratap Singh Negi** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of times the Delhi Telephone Directory was published in English and Hindi since 1965 ;

(b) whether the Telephone Directory in Hindi has been published only once or twice so far ;

(c) whether Government propose to publish the Telephone Directory in Hindi also during the year 1971-72 and if so, by what time ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) :

(a)

Year	*English Edition*	*Hindi Edition*
1965	Twice (February, 65 issue & September, 65 issue)	—
1966	Twice (February, 66 issue & November, 66 issue)	—
1967	Once (August, 67 issue)	—
1968	Once (March, 68 issue)	—
1969	Once (June, 69 issue)	Once (Nov., 68 issue)
1970	Once (July, 70 issue)	Once (July, 70 issue)

(b) Twice—November 68 issue and July 70 issue.

(c) Yes, Sir. April 71 issue of Hindi Directory is under print and is likely to be ready by 31.7.71.

(d) Does not arise.

Setting up a Council for Development of Northern Region

4782. **Shri Pratap Singh Negi** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a Council for Northern Region (Dehradun, Uttarakashi, Pauri Garhwal, Tehri Garhwal, Chamoli, Pithoragarh, Almora and Nainital) on the pattern of the proposed Council for North Eastern Region keeping in view the requirements of defence and development of the region ; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) :(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

संयुक्त अरब गणराज्य को भेजा जाने वाला भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल

4783. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब गणराज्य ने भारत से एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल अपने देश भेजने का प्रस्ताव रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो व्यापार करार करने के लिये दोनों देशों के बीच आने वाली समस्याओं का ब्यौरा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) भारत-संयुक्त अरब गणराज्य व्यापार करार के अन्तर्गत, व्यापार प्रबन्धों पर प्रत्येक वर्ष हस्ताक्षर किये जाते हैं और सामान्य प्रथा यह है कि जब पुराना व्यापार प्रबन्ध समाप्त हो जाता है तब एक नया प्रबन्ध करने के लिये क्रमशः एक देश का प्रतिनिधिमंडल दूसरे देश में जाता है। चूंकि 1970-71 के लिये व्यापार प्रबन्ध 30 जून, 1971 को समाप्त हो गया है, अतः अब भारतीय प्रतिनिधिमंडल की संयुक्त अरब गणराज्य जाने की बारी है।

नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन

4784. **श्री निहार लास्कर :**
श्री पी० गंगा देव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन करने की योजना को छोड़ दिया है ;

(ख) क्या सरकार ने शिक्षा और कृषि सम्बन्धी सेवाओं का गठन करने के अपने पूर्व निर्णय पर कार्रवाई न करने का निर्णय किया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इसका कारण कुछ राज्यों द्वारा इन सेवाओं के सम्बन्ध में अपने विचार को बदलना है ; और

(घ) क्या सरकार ने भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा के गठन के अपने पूर्व निर्णय को भी त्याग दिया है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 में वन सेवाओं, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य और इंजीनियरी के क्षेत्रों में नई अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण की व्यवस्था की गई है। भारतीय वन सेवा का गठन 1 जुलाई, 1966 से किया गया। हालांकि, 1 फरवरी, 1969 से भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा भी औपचारिक रूप से गठित की गई, विभिन्न राज्यों में इस सेवा के संवर्गों में भर्ती अभी तक नहीं की गई है। भारतीय इंजीनियरी सेवा के गठन का प्रश्न अभी तक विचाराधीन है।

(ख) और (ग) . सरकार ने इस समय अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अधीन भारतीय शिक्षा सेवा और कृषि सम्बन्धी सेवा के गठन करने की व्यवस्था पर अनेक राज्यों के विरोध को ध्यान में रखते हुए कोई संशोधन की कार्रवाई न करने का निर्णय किया है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्। चूंकि, कुछ राज्य सरकारों ने जिन्होंने पहले भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा में सम्मिलित होने का निर्णय किया था बाद में अलग होने या सेवा में शामिल होने के बारे में कुछ कठिनाइयां जाहिर की हैं। सरकार इस पर विचार कर रही है कि क्या भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा में भर्ती की जानी चाहिये। अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय देशों को भारत का निर्यात

4785. **श्री निहार लास्कर :**
श्री पी० गंगा देव :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा किये गये विश्लेषण के अनुसार चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में 'यूरोपीय आर्थिक समुदाय' देशों को किये जाने वाले निर्यात में 16 प्रतिशत वद्धि सम्भव होगी ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1970-71 में भारत ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय देशों को कुल कितना निर्यात किया ; और

(ग) क्या भारत द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय देशों को वर्ष 1969-70 में किये गये निर्यात की तुलना में वर्ष 1970-71 में किया गया निर्यात अधिक था, और यदि हां, तो कितना ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) व्यापार विकास प्राधिकरण ने चौथी योजना अवधि के दौरान भारत से यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को किये जाने वाले कुल निर्यातों में वृद्धि का कोई अनुमान नहीं लगाया है ।

(ख) 1970-71 के पूरे वर्ष के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है । अप्रैल-दिसम्बर, 1970 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को भारत से हुए निर्यातों का मूल्य 73.59 करोड़ रु० है ।

(ग) 1970-71 के पूरे वर्ष के आंकड़ों के अभाव में, 1969-70 और 1970-71 के बीच हुए निर्यातों में तुलना करना अभी सम्भव नहीं है ।

गुप्तचर विभाग के भूतपूर्व निदेशक द्वारा 'काश्मीर' शीर्षक से लिखी गई पुस्तक में दी गई टिप्पणियों पर आपत्ति

4786. **श्री निहार लास्कर :**
श्री पी० गंगादेव :
श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत सरकार के गुप्तचर विभाग के भूतपूर्व निदेशक श्री बी० एन० मलिक द्वारा "काश्मीर" शीर्षक से लिखित पुस्तक में शेख अब्दुल्ला की अकथित कहानी की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त पुस्तक में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क)जी हां, श्रीमान् ।

(ख) पुस्तक की जांच की जा रही है ।

डाक तथा तार कर्मचारियों को पर्वतीय भत्ते का भुगतान

4787. **श्री एम० के० कृष्णन :**
श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेरिंगलकुथु क्षेत्र, इंरिंजलक्कूडा शाखा, त्रिचूर जिला और कय्याम, केरल के डाक तथा तार कर्मचारियों को पर्वतीय भत्ता, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलना चाहिए, नहीं दिया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुना) : (क) और (ख) . त्रिचुर और कोटायंस स्थानों पर जो समुद्र-तल से 1,000 मीटर या इससे अधिक की ऊंचाई पर स्थित हैं, नियमों के अनुसार पहाड़ी प्रतिकर भत्ता दिया जाता है। पेरिंगलकुथु समुद्र-तल से केवल लगभग 417 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह स्थान भत्ता दिया जाने के लिये हकदार नहीं है ।

मार्च, 1971 की हड़ताल में भाग लेने के कारण पालाघाट डिवीजन के डाक-तार विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध आपराधिक मामले

4788. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालाघाट डिवीजन के उन डाक-तार कर्मचारियों के विरुद्ध दायर किये गये आपराधिक मामले, जिन्होंने मार्च, 1971 की हड़ताल में भाग लिया था अधिकारियों द्वारा इस बारे में दिये गये आश्वासन के बाद भी अब तक वापिस नहीं लिये गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार उनको शीघ्र वापिस लेने के बारे में विचार कर रही है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुना) : (क) जी नहीं । डाक-तार प्राधिकारियों की ओर से ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) चूंकि इनके विरुद्ध संज्ञेय अपराध के मामले हैं, इन्हें अदालत से वापस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

योजना आयोग के आन्तरिक ढांचे का पुनर्गठन

4789. **श्री पी० गंगा देव :**
श्री डी० के० पंडा :
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के ढांचे का पुनर्गठन करने के लिये नियुक्त समिति ने यह सिफारिश की है कि आयोग समूचे तौर पर एक व्यावसायी निकाय होना चाहिये जिसमें विशेष कुशलता और व्यवसाय वाले व्यक्ति रखे जाने चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या सिफारिशें की हैं और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) . जी हां, ऐसा विचार उन कई विशेषज्ञों का था, जिनसे अनौपचारिक रूप से परामर्श किया गया । योजना आयोग के कार्य पर प्रशासन सुधार आयोग की अभिशंसा को ध्यान में रखते हुए यह विचार विचाराधीन है ।

Issue of Import Licences

4790. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) The number of applications for import licences, State-wise and Union Territory-wise, and the value of import licences issued to Small Scale Industries during 1969-70 ;

(b) the number of States and Union Territories out of them from where the number of applications or the value of import licences is less than those in the industrially backward State of Madhya Pradesh and where separate licensing offices are functioning ;

(c) whether the Government of Madhya Pradesh have approached his Ministry for opening an office of the Deputy Chief Controller of Imports and Exports in the State ; and

(d) if so, the decision taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) and (b). A statement showing the distribution of number and value of import licences issued to small scale industries in different states and Union Territories during 1969-70 and the location of the licensing offices concerned, is attached. **[Placed in Library. See No. LT 660/71]** Information in regard to the number of applications for import licences, state-wise and Union Territory-wise, is not maintained.

(c) Yes, Sir.

(d) The matter is under consideration.

Tours performed by Union Ministers

4791. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of tours performed by the Union Ministers to various parts of the country during December, 1970 to February, 1971, State-wise ;

(b) the journeys performed by air and rail, separately ; and

(c) the approximate expenditure incurred by Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Mohsin) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Telephone Calls Free of Cost from Jhalrapatan to Jhalawar

4792. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether no charges were required to be paid for making telephone calls from Jhalrapatan to Jhalawar prior to 1st June, 1971 ;

(b) whether 50 paise are now charged for each call as well as for a call made from P. P. (personal phone) ;

(c) whether there is a distance of 8 miles between Jhalawar and Jhalrapatan ; and

(d) if so, the reasons for levying charges now ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) ; (a) Yes.

(b) Yes.

(c) and (d). The present rules prescribe trunk charges between any two exchange systems based on the distance between them. The assessment of trunk call charge between Jhalawar and Jhalrapatan has been made at 50 paise and implemented as from 1st June, 1971.

कासरगोड और होसदुर्ग ताल्लुकों में डाक तथा तार सुविधाएं

4793. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कासरगोड और होसदुर्ग ताल्लुकों में डाक तथा तार सुविधाओं का प्रबन्ध करने के बारे में विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुना) : (क) और (ख). **डाक सुविधाएं**—सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

तार सुविधाएं—कासरगोड और होसदुर्ग ताल्लुकों के पूर्वी भागों में तार सुविधाओं की व्यवस्था करने के कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं हैं ।

त्रिवेन्द्रम में टेलेक्स सुविधाएं

4794. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम तथा कालीकट में टेलेक्स सुविधायें आरम्भ कर दी गई हैं जैसा कि दिसम्बर, 1970 में डाक व तार सलाहकार परिषद् द्वारा निर्णय किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुना) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). **त्रिवेन्द्रम** : त्रिवेन्द्रम में टेलेक्स उपस्कर लगाने का काम पूरा हो गया है और उसका परीक्षण चल रहा है । आशा है कि यह टेलेक्स आगामी तीन-चार सप्ताह में चालू हो जाएगा ।

कालीकट : कालीकट में टेलेक्स के लिए मैसर्स इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, बंगलौर उपस्कर की सप्लाई कर रहे हैं । आशा है कि यह टेलेक्स मार्च 1972 तक चालू हो जाएगा ।

इम्फाल टाउन में टेलीफोन कनेक्शन

4795. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इम्फाल नगर में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या बढ़ाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब तथा कितनी संख्या में कनेक्शन बढ़ाये जा रहे हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या अधिक कनेक्शनों के लिये कोई मांग बकाया नहीं रही है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुना : (क) जी हां ।

(ख) एक्सचेंज का 840 लाइनों से 1200 लाइनों में विस्तार का कार्य पहले ही चल रहा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मनीपुर में गैर-मनीपुरी कर्मचारियों को मनीपुरी भाषा सिखाना

4796. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में नियुक्त गैर मनीपुरी अधिकारियों को मनीपुरी भाषा सिखाने की योजना में सरकार द्वारा अब तक क्या प्रगति की गई है ;

(ख) इस सम्बन्ध में चलाये गये संक्षिप्त पाठ्यक्रम को पास कर लेने वाले राजपत्रित अधिकारियों की संख्या कितनी है तथा इस योजना को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना को स्थायी बनाने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). मनीपुर सरकार ने बताया है कि अप्रैल, 1970 को उन्होंने उन गैर-मनीपुरी अधिकारियों के लिये कार्यालय के समय के बाद जो यह भाषा सीखना चाहते थे, मनीपुर भाषा की शिक्षा देने के लिये तीन माह के एक पाठ्यक्रम का आयोजन किया था । कक्षा में अधिकारियों की औसतन उपस्थिति आठ और पन्द्रह के बीच थी । उनमें से आठ ने जिनमें 6 राजपत्रित अधिकारी भी शामिल है, यह परीक्षा पास की है । मनीपुर सरकार का इस योजना को स्थायी बनाने का कोई विचार नहीं है ।

दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा युवक मंडलों का चलाया जाना

4797. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा दिल्ली में चलाये जा रहे 'युवक मंडलों' की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहसिन) : (क) सरकार को जानकारी है कि युवक मंडल नाम की एक पंजीकृत संस्था ने नई दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में शाखायें स्थापित की हैं ।

(ख) पहले से ही ऐसे अनुदेश विद्यमान हैं कि सरकारी कर्मचारियों को न केवल राजनैतिक तटस्थता बरतनी चाहिए बल्कि उनके व्यवहार से भी ऐसा प्रकट होना चाहिए, और न ही उन्हें किसी ऐसे संगठन की गतिविधियों में भाग लेना या उससे सम्बद्ध होना चाहिए जिसके विषय में लेशमात्र भी यह सोचन का कारण हो कि उस संगठन का कोई राजनैतिक पहलू है ।

गंभीर आर्थिक संकट के कारण चौथी योजना के शेष समय में वरीयताओं को समाप्त करना

4798. **श्री गदाधर साहा :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंभीर आर्थिक संकट के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना की शष अवधि की वरीयताओं को समाप्त किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). चौथी पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन किया जा रहा है । इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान योजना प्राथमिकताओं की समीक्षाओं पर निःसन्देह विचार किया जायेगा ।

Arrest of Pak Spy Possessing a Wireless set near Bulandshahar (Uttar Pradesh)

4799. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a Pakistani spy has been arrested with a wireless set near Bulandshahar in Uttar Pradesh in the third week of June, 1971 ;

(b) the other articles seized from him ;

(c) the date since when the said person has been staying in India ; and

(d) the action taken by Government against the said person ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Mohsin) : (a) to (d). Facts are being ascertained from the State Government and will be laid on the Table of the House.

Absorption of Extra Departmental Mail Couriers in the P. and T. Department

4800. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government propose to absorb those Extra Departmental Mail Couriers, who have been continuously working in village Post Offices and pilot Post Offices for more than ten years ; and

(b) if so, the policy of Government in this regard ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Extra Departmental Agents who satisfy certain conditions of service and age limit are already eligible for absorption in the Department.

(b) For appointment as Postmen and Class IV they get preference over outsiders. Those who have put in three years continuous service as EDAs and are below 40 years of age, are eligible for appointment as Class IV subject to passing the prescribed test and those who are middle pass can appear in the examination for recruitment of Postmen against 50% quota of outsiders. It is only when sufficient number of Extra Departmental Agents are not available or are not able to pass the prescribed test/examination, that recruitment of outsiders is resorted to. Extra Departmental Agents who have passed the matriculation or equivalent examination and who have put in continuous service of one year as Extra Departmental Agent and are below 40 years of age, can also compete with outsiders for appointment as clerks.

निर्यात प्रोत्साहन तथा आयात लाइसेंसों के वास्तविक उपयोग के बारे में समय-समय पर जांच

4801. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्यातकर्ताओं और निर्माताओं को क्रमश: दिये गये निर्यात प्रोत्साहनों और जारी किये गये आयात लायसेंसों के वास्तविक उपयोग की समय-समय पर जांच करती रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त जांच से लायसेंसधारियों द्वारा आमतौर से किये जाने वाले किसी कदाचार का पता लगा है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख). जब कभी निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत अथवा वास्तविक प्रयोक्ताओं को जारी किए गए लाइसेंसों के अभिकथित दुरुपयोग की रिपोर्टें प्राप्त होती हैं, तब सरकार अन्वेषक अभिकरणों, जैसे कि प्रायोजक प्राधिकारियों और केन्द्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से पूछताछ करती है। लाइसेंसों की शर्तों का आम अधिक्रमण निम्नोक्त से संबंधित होता है :—

(1) लाइसेंसों का अन्य पार्टियों को अंतरण ; और

(2) इन लाइसेंसों से आयातित की गई सामग्री का अनधिकृत व्यक्तियों को बेचा जाना।

विगत में, सरकार के ध्यान में बहुत से मामले आये हैं जिनसे उन शर्तों के, जिनके अंतर्गत लाइसेंस जारी किए गए थे, अधिक्रमण का संकेत मिला है। जब कभी ऐसे अधिक्रमण ध्यान में आते हैं और सिद्ध हो जाते हैं तब सरकार या तो विभागीय तौर पर अथवा न्यायालय के माध्यम से उपयुक्त कार्यवाही करती है।

उड़ीसा में परमाणु-खनिजों की खोज

4802. **श्री देवेन्द्र सत्पथी** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उड़ीसा के विभिन्न भागों में परमाणु-खनिजों की खोज का कार्य आरम्भ कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : उड़ीसा में सर्वेक्षण का काम 1955-56 में शुरू किया गया था। बाद में राज्य के विभिन्न भागों का सर्वेक्षण किया गया तथा अब भी किया जा रहा है। सर्वेक्षण के परिणामों का विवरण विभाग की वार्षिक रिपोर्टों में प्रकाशित हुआ है।

Opening of Sub-Post and Telegraph Office in Purnea District (Bihar)

4803. **SHRI G. P. YADAV** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government propose to open a Sub-Post and Telegraph Office in Pothia village, in Falka Circle of Purnea District in Bihar ;

(b) whether a pucca building has already been constructed for housing the said Office ; and

(c) if so, the time by which Government would open the same ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Orders have been issued to convert Pothia Extra Departmental Branch Office into a Departmental Sub-Office on 10.2.1971.

As regards Telegraph facilities, Pothia is already a telegraph office working on Phonocom circuit with Ajodhyaganj Bazar since 25.8.1966.

(b) Yes, the building is complete except a small portion which is likely to be completed by next month.

(c) This Post Office is likely to be converted into Departmental Sub Office in August, 1971 when the new building, under construction now, is ready for occupation.

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में प्लूटोनियम का उत्पादन

4804. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में प्लूटोनियम का उत्पादन किया जा रहा है ; और

(ख) क्या यह मात्रा आज से 5 वर्ष पश्चात् स्थापित किए जाने वाले थोरिया अथवा आरेयित यूरेनियम का उपयोग करने वाले हमारे प्रस्तावित द्रुत प्रजनक ऊर्जा केन्द्रों के ईंधन के लिये पर्याप्त होगी ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) उत्पादित प्लूटोनियम की मात्रा, पैदा हुई बिजली की मात्रा तथा ईंधन तत्वों के डिजाइन पर निर्भर करती है ।

(ख) काण्डू किस्म के निर्माणाधीन बिजलीघरों तथा वर्तमान दशाब्द में स्थापित किये जाने वाले बिजलीघरों में पैदा हुआ प्लूटोनियम उन फास्ट ब्रीडर रिऐक्टरों के लिए पर्याप्त होगा जिनकी स्थापना का सुझाव 1970-80 के दशाब्द के लिये "परमाण ऊर्जा तथा अंतरिक्ष अनुसन्धान" सम्बन्धी प्रस्तावित योजना में दिया गया है ।

नैनी (इलाहाबाद) स्थित आई० टी० आई० कारखाने पर पूंजीगत व्यय

4805. **श्री बी० एन० पी० सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद में नैनी में स्थापित किये गये आई० टी० आई० लिमिटेड के नये कारखाने पर अनुमानतः कुल कितना पूंजीगत व्यय हुआ है ;

(ख) भूमि, आवास, कारखाने के भवन, मशीनों की स्थापना तथा कार्यकरण मदों पर अनुमानतः व्यय कितना हुआ है ;

(ग) उपरोक्त मदों पर अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ; और

(घ) अब तक कितनी पूंजी उपलब्ध की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (घ). लम्बी दूरी के पारेषण उपस्कर के निर्माण के लिये नैनी में बन रहे इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के नये कारखाने के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना प्रदान करने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) लम्बी दूरी के पारेषण उपस्कर के निर्माण के लिये नैनी में इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड की नई फैक्ट्री पर कुल अनुमानित पूंजीगत व्यय 258.60 लाख रुपये है ।

(ख) प्रश्न में उल्लिखित मदों के अधीन व्यय का विखण्डन निम्न प्रकार है :

	(लाख रुपये)
(i) भूमि विकास	5.33
(ii) आवासीय भवन (भवन निर्माण)	5.75
(iii) कारखाने के भवन ...	56.02
(iv) संयंत्र और मशीनें अधिष्ठापन सहित	101.25
(v) परिचालन (कार्यकरण) पूंजी	194.58 (1971-72 के लिये)

(ग) उपर्युक्त मदों पर 31-3-1971 तक व्यय की गई राशियाँ निम्न प्रकार हैं :

	(लाख रुपये)
(i) भूमि विकास	–
(ii) आवासीय भवन ...	7.84
(iii) कारखाने के भवन ...	17.04
(iv) संयंत्र और मशीनें ...	0.10

(घ) अब तक प्राप्त हुई कुल पूंजीगत राशि 1 करोड़ 5 लाख रुपये है जिसमें से 55 लाख रुपये अंश-पूंजी के रूप में प्राप्त हुए तथा शेष 50 लाख रुपये भारत सरकार द्वारा दिये गये ऋण के रूप में प्राप्त हुये हैं ।

आल इंडिया रेडियो से अंग्रेजी में पढ़े जाने वाले समाचार का कर्ण-कटु होना

4806. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया रेडियो को वाचकों और अंग्रेजी में समाचार पढ़ने वालों के दोषयुक्त उच्चारण और समाचार पढ़ने के कर्ण-कटु और अप्रिय ढंग के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें श्रवण परीक्षा के पश्चात नहीं चुना गया है ; और

(ग) क्या उक्त व्यक्तियों को आकाशवाणी से समाचार प्रसारित करने से पूर्व आवश्यक प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) अंग्रेजी में समाचार पढ़े जाने के बारे में श्रोताओं से आलोचनात्मक तथा प्रशंसात्मक टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं।

(ख) सभी समाचार वाचकों का चयन श्रवण परीक्षा तथा इण्टरव्यू के पश्चात किया जाता है।

(ग) समाचार वाचकों का प्रशिक्षण एक लगातार प्रक्रिया है ; आकाशवाणी से प्रसारण करने की अनुमति देने से पूर्व उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है तथा सेवा काल के दौरान भी उन्हें प्रशिक्षण तथा मार्ग दर्शन मिलता रहता है।

P & T Offices of Madhya Pradesh in Rented Buildings

4807. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of Posts and Telegraphs Offices in Madhya Pradesh, which are housed in rented buildings with location thereof ; and

(b) the amount paid as rent of these buildings ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) 1096. The information is being collected and will be furnished shortly.

(b) Rs. 1,07,003.00 per month.

Meetings of Telephone Advisory Committees in Madhya Pradesh

4808. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the Telephone Advisory Committees in Madhya Pradesh held their meetings only once in three months ;

(b) the reasons for holding meetings after such long intervals and the names of places where Telephone Advisory Committees did not hold their meetings after stipulated period; and

(c) whether Government have taken any action against such a violation of Government's instructions ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Meetings of the Telephone Advisory Committees are normally to be held atleast once every three months.

(b) The Committees at Bhopal, Indore and Jabalpur have held 3 meetings each during the period May, 1970 upto date. The Committees at Raipur & Gwalior met twice during the same period. The difficulty in adhering to the prescribed periodicity has been on account of certain administrative reasons and pressure of work as a result of mid-term elections.

(c) Suitable instructions have been issued to hold meetings of these Committees at regular intervals.

Commemorative Postal Stamp for Late Pandit Makhan Lal Chaturvedi

4809. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2739 on the 13th April, 1970 regarding commemorative stamp on Pandit Makhan Lal Chaturvedi and state :

(a) whether a decision has since been taken on the proposal to issue a commemorative stamp in honour of Late Pandit Makhan Lal Chaturvedi ; and

(b) if so, the main points thereof?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) and (b). The proposal was put up before the Philatelic Advisory Committee attached to the P & T Department but the Committee did not recommend the acceptance of the proposal.

आकाशवाणी के नैमित्तिक कलाकारों का ज्ञापन

4810. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आकाशवाणी के नैमित्तिक कलाकारों की ओर से हाल ही में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). जानकारी संलग्न विवरण में दी हुई है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 661/71.]**

बड़े नगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली

4811. **श्रीमती शीला कौल** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला मैजिस्ट्रेट प्रणाली की अपेक्षा पुलिस कमिश्नर प्रणाली का विस्तार बड़े नगरों में करने का विचार है ; और

(ख) भारत के किन-किन नगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली पहले से ही चल रही है ?

गृह मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान । किन्तु, दिल्ली पुलिस के सम्बन्ध में खोसला आयोग ने दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को शुरू करने की सिफारिश की थी । उस सिफारिश की जांच की जा रही है ।

(ख) निम्नलिखित नगरों में पुलिस कमिश्नर है :

बम्बई, पूना, नागपुर, अहमदाबाद, कलकत्ता, मद्रास और हैदराबाद । बंगलौर, अर्नाकुलम तथा त्रिवेन्द्रम में भी पुलिस कमिश्नर हैं किन्तु वे अन्य नगरों में कमिश्नरों द्वारा प्रयोग की जाने वाली विशेष कानूनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करते ।

नई दिल्ली में टेलीविजन टावर के निर्माण की लागत

4812. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में बन रहे टेलीविजन टावर और एन्टीना पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ; और

(ख) भवन के ऊपर उक्त टावर लगाने से क्या अतिरिक्त लाभ प्राप्त होंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) आकाशवाणी भवन के अहाते में हाल ही में लगाए गए टेलीविजन टावर की लागत 7 लाख 30 हजार रुपये है; जबकि नई दिल्ली नगर पालिका भवन के ऊपर लगाए जाने वाले टावर की अनुमानित लागत 45 लाख रुपए है।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका भवन के ऊपर लगाए जाने वाला टावर एन्टेना को लगभग 200 मीटर ऊंचाई प्रदान करेगा। इस एन्टेना पर जो लागत आयेगी वह जमीन पर 200 मीटर स्टील मास्ट लगाने में आने वाली लागत की अपेक्षा कम होगी। इतनी ऊंचाई का मास्ट लगने से टेलीविजन केन्द्र का सेवा क्षेत्र दिल्ली के इर्द गिर्द बढ़ कर लगभग 100 किलोमीटर हो जाएगा।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय योजना

4813. **श्री के० बालतन्डायुतम्** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना में निर्धारित सामाजिक उद्देश्यों की प्रभावपूर्ण क्रियान्विति के लिये विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्ध समूची प्रतिभा का पूरा लाभ उठाने के उद्देश्य से सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) . विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में (अल्पावधि तथा दीर्घावधि) योजना तैयार करने के लिए कदम उठा लिए गए हैं। इसे योजना प्रलेख में प्रतिपादित सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों से सम्बद्ध एवं संघटित किया जायेगा। योजना तैयार हो जाने पर इसकी मुख्य बातों की जानकारी दे दी जायेगी।

लघु उद्योग एककों की सहायता के लिये विशेष विभागों की स्थापना

4814. **श्री के० बालतण्डायुतम्** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्तुओं के निर्यात में लघु उद्योग एककों की सहायता करने के लिये इंजीनियरिंग संवर्द्धन परिषद् में कोई विशेष विभाग स्थापित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में इन छोटे-छोटे एककों को किस प्रकार की सहायता देने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) . (क) और (ख). इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् ने एक विशेष कक्ष की स्थापना की है जो देश भर में इंजीनियरी उद्योगों से

संबंधित लघु स्तर के एककों से संपर्क स्थापित करेगा और ऐसे एककों का पता लगायेगा —

(1) जो पहले से ही निर्यात कर रहे हैं अथवा जिनमें निर्यात क्षमता है और

(2) जो बड़े एककों को पहले से ही संघटकों और अनुषंगी सामान की पूर्ति कर रहे हैं अथवा पूर्ति करने में सक्षम हैं।

व्यापार संबंधी सांख्यिकीय आंकड़े तथा अन्य जानकारी प्रदान करने के अतिरिक्त इस परिषद् का विचार विशेष रूप से लघु स्तर के निर्यातकर्ता एककों की समस्याओं का पता लगाने और उनका समाधान करने में एककों की सहायता करने का भी है। इन एककों को प्रचार, नौवहन, शुल्क वापसी, व्यापार प्रतिनिधिमण्डल, विदेशों में प्रदर्शनियों तथा व्यापार मेलों में भाग लेना, बाजार सर्वेक्षण आदि मामलों के संबंध में भी सामान्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

विदेशों में रहने वाले भारतीय वैज्ञानिकों से भारत वापस आने की अपील

4815. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री डी० के० पण्डा :
श्री देविन्द्र सिंह गरजा :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में रहने वाले भारतीय वैज्ञानिकों को भारत वापस आने की सरकार द्वारा की गयी अपील असफल रही है ;

(ख) क्या उन वैज्ञानिकों द्वारा इस सम्बन्ध में नगण्य उत्साह दिखाये जाने के कारणों का अनुमान लगाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो वे कारण क्या हैं ?

योजना तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) भारतीय वैज्ञानिकों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं जैसे : वैज्ञानिक पूल योजना, वैज्ञानिक संस्थानों और औद्योगिक संगठनों में अधिसंख्यक पदों का निर्माण और नियमित रिक्तस्थानों की पूर्ति के लिए विदेशों में साक्षात्कार का आयोजन करना। 1 जून, 1971 को वैज्ञानिक पूल योजना की स्थिति दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है।

वर्ष 1969 में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने विदेशों में उच्च पदों पर कार्य कर रहे विशिष्ट योग्यता प्राप्त भारतीय वैज्ञानिकों की भारत वापसी के सम्बन्ध में एक अन्वेषणात्मक सर्वेक्षण आयोजित किया था। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य यह ज्ञात करना था कि वे किन सुविधाओं के प्राप्त होने पर भारत वापस आना पसंद करेंगे। सर्वेक्षण के अन्तर्गत 800 व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित किया गया था किन्तु उनमें से केवल 121 व्यक्तियों ने प्रति उत्तर दिया।

(ख) और (ग). इतने कम उत्तर प्राप्त होने का मुख्य कारण ऐसा लगता है कि वरिष्ट व्यक्ति, उन्हें उनके विषय विशेष से सम्बन्धित क्षेत्र में वरिष्ठ पद पर नियमित नियुक्ति मिले बिना भारत वापस आना नहीं चाहते हैं।

विवरण

दिनांक 1 जून, 1971 को पूल की स्थिति

पूल में लिए गए उम्मीदवारों के सम्बन्ध में चयन और नियुक्ति स्थान की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार से है :—

कुल चयन संख्या—7783

क्रम संख्या	भारत में	विदेशों में	योग
1. पूल के अन्तर्गत कार्य करने वाले	379	—	379
2. पूल अधिकारी जो कार्य पर आने के बाद चले गये ।	2792	157	2949
3. पूल अधिकारी जो पदच्युत होने पर चले गये ।	150	2	152
4. भारत में रोजगार प्राप्त हुआ—पूल में प्रवेश नहीं किया ।	941	58	999
5. नियुक्ति स्थानों को अंतिम रूप प्रदान किया, अभी प्रवेश नहीं किया या कार्य पर आने की सूचना प्राप्त नहीं हुयी ।	287	332	619
6. हाल में दी गयी नियुक्तियां, स्वीकृति की प्रतीक्षा है ।	65	59	124
7. उत्तर प्राप्त नहीं हुए या इस समय इच्छुक नहीं हैं ।	514	2033	2547
	5128	2641	7769

मई, 1971 के दौरान, 28 पूल अधिकारियों ने प्रवेश की और 17 अधिकारियों ने छोड़ने की सूचना दी, 25 व्यक्ति चुने गये ।

स्वर्गवासी हो जाने के कारण 14 पूल अधिकारियों के नाम उपर्युक्त विवरण में शामिल नहीं किए गए ।

टेलीफोन के बिलों का अनियमित होना

4816. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जून, 1971 के 'इन्डियन एक्सप्रेस' के इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि शिकायत करने पर भी डाक तथा तार विभाग अपराधी को पकड़ने में असफल रहा जबकि टेलीफोन के मालिक के उपयोग किये बिना टेलीफोन मीटर में अत्यधिक काल रिकार्ड हुई;

(ख) क्या इस मामले में टेलीफोन काटने के बाद भी तिमाही का बिल इस टेलीफोन के पुराने मालिक के पास भेजा गया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले की ब्यौरेवार जांच की गई है तथा क्या अपराधी को पकड़ने में असफल रहने की जिम्मेदारी निश्चित की गई ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुना) : (क) 21-6-71 के इंडियन एक्सप्रेस में 'बिल रैकेट' (बिलों में धोखाधड़ी) शीर्षक के अंतर्गत छपी प्रेस रिपोर्ट सरकार के ध्यान में आई है।

(ख) जी हां। स्थानीय काल प्रभार, टेलीफोन फिर से लगाने का किराया और क्षति प्रभार के बिल भेजे गए थे।

(ग) मीटर पर ज्यादा कालें आने की इस शिकायत की विस्तृत जांच की गई है परन्तु कोई त्रुटि सिद्ध करना सम्भव नहीं हुआ। फिर भी, जो भी छूट स्वीकार्य है, वह उपभोक्ता को दी जा रही है।

उत्तर एटलांटिक निर्बाध व्यापार संघ द्वारा भारतीय सामान के लिये एक विशाल बाजार का खोला जाना

4817. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर एटलांटिक निर्बाध व्यापार संघ कुछ भारतीय वस्तुओं के लिये संभवत: एक विशाल बाजार खोलेगा ;

(ख) क्या व्यापार विकास अधिकरण ने उन वस्तुओं की मात्रा का अनुमान लगा लिया है जिनका निर्यात किये जाने की संभावना है तथा उन वस्तुओं के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या व्यापार विकास अधिकरण ने भारत से नियमित सप्लाई के लिये विदेशों में स्थित व्यापार फर्मों से निश्चित करार कर लिये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इन करारों सम्बन्धी विवरण क्या हैं तथा इसके कितने वार्षिक निर्यात का अनुमान है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) उत्तर एटलांटिक मुक्त व्यापार संघ अस्तित्व में नहीं आया है।

(ख) से (घ) . प्रश्न नहीं उठते।

भारत तथा गणतंत्र कोरिया और भारत तथा उत्तर कोरिया के बीच व्यापार

4818. **श्री पीलू मोदी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69, 1969-70 तथा 1970-71 के दौरान भारत तथा गणतंत्र कोरिया और भारत तथा उत्तर कोरिया के मध्य कितना-कितना व्यापार हुआ ;

(ख) भारत तथा उत्तर कोरिया के बीच हस्ताक्षरित व्यापार संलेख अथवा व्यापार करार सम्बन्धी वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) उक्त संलेख करार को किस सीमा तक क्रियान्वित किया गया है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) भारत तथा उत्तर कोरिया के बीच, 9 दिसम्बर, 1968 को हस्ताक्षर किये गये, व्यापार तथा भुगतान करार की वैधता 31 दिसम्बर, 1972 तक बढ़ा दी गई है ।

(ग) 1970 के अंत तक कोरिया के लोकतंत्रीय गणराज्य के साथ लगभग 2.5 करोड़ रुपये मूल्य (दोनों तरफ से) की संविदाएं की गई थीं और उनकी क्रियान्विति 1971 के अंत तक हो जाने की आशा है ।

विवरण

(आंकड़ लाख रुपये में)

	भारत से निर्यात	भारत में आयात
I. कोरिया गणराज्य		
1968-69	1046	49
1969-70	584	61
1970-71 (अक्तूबर, 1970 तक)	129	26
II. कोरिया का जनवादी लोकतंत्रीय गणराज्य		
1968-69	19	
1969-70	2	
1970-71 (अक्तूबर, 1970 तक)	46	

Recommendations made by Enquiry Commission on Communal Riots

4819. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government had appointed an Enquiry Commission to go into the causes of communal riots which took place during the last three years ;

(b) if so, the main recommendations made by the above Commission ; and

(c) the action taken by Government to implement them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri R. N. Mirdha) : (a) to (c). The Central Government have not appointed a Commission to inquire into any of the communal disturbances during the last three years. However, the State Governments concerned have appointed Commissions to inquire into the following disturbances during this period :

(1) Indore (June, 1969)

(2) Gujarat (September, 1969)

(3) Chaibasa (April, 1970)

(4) Maharashtra (May, 1970)

(5) Aligarh (March, 1971)

(6) Burhanpur (March, 1971)

Reports in regard to the first two have been submitted by the Commissions and the remaining inquiries are in progress. The report regarding the Indore disturbances has not been published by the State Government so far. However, action in the light of the findings and the recommendations in the report is being taken. The report regarding the Gujarat disturbances has been published by the State Government. The State Government have called for the explanations of the officers whose conduct has been adversely commented upon by the Commission. Further action will be taken after considering these explanations. The various recommendations made by the Commission are also being examined with a view to taking appropriate action.

Repayment of Loans by Film Industry

4820. **Shri S. D. Singh :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government have included any concrete programme in respect of the film industry in the Fourth Five Year Plan and made financial allocations there for in the said Plan ; and

(b) the number of institutions and persons in the film industry who have repaid the financial loans to Government as also the number of those who have not repaid the loans advanced to them during the last three years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) This Ministry has no scheme in its Fourth Plan in regard to the private sector of the film industry.

(b) The Government have set up Film Finance Corporation for advancing loans to film producers for production of films. The number of persons, who have repaid not repaid loans to the Corporation ; is as under :—

Year	*Number of persons who have repnid loans*
1968-69	29 (includes 4 who were advanced loans in this year and one for equipment).
1969-70	25 (includes 2 who were advanced loans in this year and one in respect of loan for equipment).
1970-71	28 (No loan has been recovered from the producers who have been advanced loans in this year).
	No. of persons who have not repaid loan to the Film Finance Corporation
1968-69	26
1969-70	27
1970-71	30

नान्देड़ स्थित उस्मानशाही टेक्सटाइल मिल्स को नियंत्रण में लेना

4821. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की है कि नान्देड़ स्थित उस्मानशाही टेक्सटाइल मिल्स को केन्द्र अपने नियंत्रण में लेकर उसे चलाये;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या मूदड़ा बंधुओं के कुप्रबंध के कारण उक्त मिल महीनों से बन्द पड़ी है; और

(घ) उन 4,000 कर्मचारियों और उनके परिवारों को राहत देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है जो भूख के शिकार हो रहे हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). कतिपय लेनदारों द्वारा कानूनी कार्यवाही शुरू किये जाने तथा एक अस्थायी समाज की नियुक्ति के परिणामस्वरूप नान्देड़ स्थित उस्मानशाही मिल्स लि०, 7 अप्रैल, 1971 से बन्द पड़ी है। मिल के मामले की जांच करने के लिए, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत एक जांच समिति नियुक्त की गई है। समिति की रिपोर्ट मिलने पर आगे की कार्यवाही पर विचार किया जाएगा।

(घ) राज्य सरकार द्वारा दिये गये अनुदेशों के फलस्वरूप, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने कर्मचारियों को उनके भविष्य निधि लेखाओं में से अग्रिम राशियां दी हैं।

भारतीय वन सेवा का गठन

4822. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वन सेवा के गठन में कई वर्षों का विलम्ब हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस निर्णय को अब अन्तिम रूप दे दिया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान। सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारतीय वन सेवा का 1 जुलाई, 1966 को गठन किया गया था। भारतीय वन सेवा के प्रारम्भिक गठन में नियुक्तियां विचार के लिए पात्र राज्य वन सेवा अधिकारियों के बीच में से 1 अक्तूबर, 1966 से की गई। भारतीय वन सेवा के विभिन्न राज्य संवर्गों में प्रारम्भिक नियुक्तियों तथा भर्ती का कार्य मार्च, 1968 तक पूरा कर लिया गया। भारतीय वन सेवा के सन्धारण स्तर पर भर्ती अर्थात् सीधी भर्ती और पदोन्नति के आधार पर 1 अप्रैल, 1968 से शुरू की गई थी। इसलिये, इस सेवा के गठन के सम्बन्ध में इस स्तर पर विलम्ब होने का प्रश्न नहीं उठता। सम्भवतः आदरणीय सदस्य के ध्यान में यह विचार है कि भारतीय वन सेवा की उन पूर्व प्रारम्भिक नियुक्तियों के परिणाम, स्वरूप जिन्हें कुछ उच्च न्यायालयों के आदेशों द्वारा रद्द कर दिया गया था किन्तु जिन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाए रखा गया था, पात्र राज्य वन सेवा के अधिकारियों में से किये जा रहे नये प्रवरणों से है। न्यायालयों के इन निर्णयों के कारण सभी संवर्गों में 1-10-1966 से प्रारम्भिक भर्ती नये सिरे से की गई। भारत सरकार ने भारतीय वन सेवा के विभिन्न संवर्गों में नये प्रवरण का कार्य हाथ में लिया है। प्रवरण बोर्डों ने अपनी बैठकें बुलाई हैं तथा 9 राज्य संवर्गों अर्थात् जम्मू एवं कश्मीर, असम, बिहार, मैसूर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान तथा केरल के सम्बन्ध में नियुक्ति के लिये उपयुक्त अधिकारियों की सूचियां तैयार कर ली हैं। इनमें से संघ लोक

सेवा आयोग की सहमति से जम्मू एवं कश्मीर, असम, बिहार, मैसूर, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के मामले में सेवा के सम्बन्ध में नियुक्तियां पहले ही की जा चुकी हैं। अन्य तीन के मामले में संघ लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त की जा रही है। पंजाब, संघ राज्य क्षेत्रों तथा अन्य राज्य संवर्गों के सम्बन्ध में सेवा में नये प्रवरण करने के कार्यक्रम को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार, मंत्रिमंडल सचिवालय, कार्मिक विभाग की वार्षिक रिपोर्ट(1970-71) में "अखिल भारतीय सेवाओं" से सम्बन्धित अध्याय 1 के पैराग्राफ 1.2, 1.3, 1.4 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है।

नई दिल्ली में चेकोस्लोवाकिया के दूतावास के तहखाने में लगी आग के बारे में जांच

4823. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 जून, 1971 को नई दिल्ली स्थित चाणक्यपुरी में चेकोस्लोवाकिया के दूतावास के तहखाने में लगी आग के बारे में कोई जांच की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). इस घटना की जांच-पड़ताल का काम चाणक्यपुरी पुलिस थाने द्वारा किया गया। केन्द्रीय अपराध अनुसंधान प्रयोगशाला, नई दिल्ली की विशेषज्ञ राय अभी प्राप्त होनी है।

आडियार में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के क्षेत्रीय अनुसंधान कैम्पस का कार्य

4824. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास के निकट अडियार में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कैम्पस ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

योजना तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां।

(ख) कैम्पस में 6 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र होंगे। इनमें से निम्न-लिखित 4 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के अनुसंधान केन्द्रों ने कैम्पस में कार्य आरम्भ कर दिया है।

(1) केन्द्रीय यांत्रिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर

(2) संरचना इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र, रुड़की

(3) केन्द्रीय विद्युत-रसायन अनुसंधान संस्थान, करायकुड़ी

(4) केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चण्डीगढ़।

दो अन्य केन्द्र—

(1) राष्ट्रीय धातुकर्मी प्रयोगशाला, जमशेदपुर और

(2) केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरी अनुसंधान, नागपुर जो इस समय कैम्पस के बाहर स्थित हैं, वे, आशा है कि, उनके भवन तैयार होते ही कैम्पस में आ जायेंगे ।

फिरोजपुर और दिल्ली के बीच उपभोक्ता ट्रंक टेलीफोन सेवा की व्यवस्था करना

4825. **श्री महेन्द्रसिंह गिल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फिरोजपुर (पंजाब) को दिल्ली के साथ सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था द्वारा मिलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुना) : (क) जी नहीं, फिलहाल नहीं ।

(ख) वर्तमान परियात के आधार पर इस मार्ग पर उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग की व्यवस्था करने का औचित्य नहीं है । देश भर में विभिन्न मार्गों पर उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग की व्यवस्था करने की आर्थिक और तकनीकी सम्भाव्यता का लगातार पुनरीक्षण किया जाता है और इसका औचित्य होने पर इस योजना को हाथ में लिया जाएगा ।

Complaints Re. Violation of Code of Conduct by Hindi Daily of Gwalior

4826. **Shri Bharat Singh Chauhan** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the Registrar of Newspapers has received a number of complaints of violation of the code of conduct by a Hindi Daily 'Jawahar Ke Lal' published from Gwalior ; and

(b) if so, the steps being taken by Government against it ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Quota of Newsprint Granted to Hindi Daily "Jawahar Ke Lal"

4827. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the quota of newsprint granted to a Hindi daily "Jawahar Ke Lal" published from Gwalior, during the years 1968-69, 1969-70 and 1970-71 ; and

(b) the number of its copies printed daily ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) No application for allotment of newsprint was received from the publisher during the years 1968-79, 1969-70 and 1970-71 and no allocation has therefore been made to this paper so far.

(b) In his Annual Return furnished for the year 1967, the publisher claimed a circulation of 1,500 copies per publishing day. The publisher did not send the Annual Returns for the calendar

years 1968, 1969 and 1970 as required under Section 19—D of the Press and Registration of Books Act 1867 read with Rule 6 of the Registration of Newspapers (Central) Rules, 1966. However, the circulation of the paper assessed in December, 1970 by the Circulation Team of the Registrar of Newspapers for India came to 600 copies per publishing day for the year 1969. This was intimated by the R. N. I. to the publisher on 19th February, 1971. No further communication has been received from the publisher.

काजू के छिलके से निकलने वाले तरल पदार्थ (लिक्विड) के निर्यात मूल्यों में कमी

4828. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970-71 में काजू के छिलके से निकलने वाले तरल पदार्थ के निर्यात मूल्यों में काफी कमी हुई है; और

(ख) वर्ष 1968-69, 1969-70 और 1970-71 में निर्यात किये गये काजू के छिलके के तरल पदार्थ से प्रति टन कितना औसत मूल्य कमाया गया ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) 1244 रुपये प्रति मे० टन ।

टाईप टैस्ट पास न करने पर निम्न श्रेणी लिपिकों की वेतन वृद्धियों तथा पदोन्नतियों का रोका जाना

4829. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किये गये बहुत से निम्न श्रेणी लिपिक अभी तक अस्थायी हैं तथा टाईप टेस्ट पास न करने पर अनेक वर्षों से उनकी वार्षिक वेतन वृद्धियां तथा पदोन्नतियां रोक रखी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे लिपिकों की संख्या कितनी है जो 5 वर्ष से अधिक समय से निरंतर सरकारी सेवा में हैं तथा टाईप करने का कार्य कर रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार उन लिपिकों के मामले में पदोन्नति तथा वार्षिक वेतन वृद्धि सम्बन्धी इन शर्तों को समाप्त करने का विचार कर रही है जो 5 वर्ष से अधिक समय तक सेवा कर चुके हैं ताकि उनकी वित्तीय दशा में कुछ सुधार हो ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

Discontentment among Employees of S. T. C. Delhi

4830. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether the employees of the State Trading Corporation, Delhi had launched a "Work-to-Rule" drive ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action taken by Government to remove the discontentment prevailing among them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) Yes, Sir. However, this agitation was called off on the 10th June, 1971.

(b) and (c). This is primarily a matter between the STC's employees and its management. Government understand that the main reason was the demand made by the Federation of the STC Employees' Unions for the payment of interim relief as announced by the Central Government for its employees on the recommendation of the Pay Commission. The STC management were not prepared to accept this demand, in view of an agreement between the management and the Federation, in which it was specifically provided that in view of the variable D. A. being paid to the employees as per the agreement, interim relief announced by the Government of India for its employees was not payable to the employees covered by the agreement. However, with a view to arriving at an amicable settlement, the STC referred the matter to the Chief Labour Commissioner, New Delhi, and after tripartite discussions it was agreed that outstanding matters would be discussed between the management and the Federation with a view to resolve them amicably.

शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में उच्चतर टेलीफोन टैरिफ

4831. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा महानगरीय क्षेत्रों में टेलीफोन टैरिफ बहुत कम है;

(ख) क्या कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली आदि से दूर-दूर के क्षेत्रों को टेलीफोन स्थानीय काल से किया जाता है परन्तु मुफस्सिल क्षेत्रों में 10-12 मील की दूरी के लिये टेलीफोन ट्रंक काल द्वारा करना पड़ता है;

(ग) क्या तेइस किलोमीटर की दूरी पर स्थित कूच बिहार-दिनहाटा और कूचबिहार-तूफानगंज के बीच की टेलीफोन कालों के मामले में टेलीफोन काल का शुल्क ट्रंक काल के रूप में लिया जाता है; और

(घ) क्या सरकार ने इन कम दूरी के टेलीफोन केन्द्रों को मिलाने का निर्णय किया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुना) : (क) और (ख). चार महानगरों बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में वार्षिक किराया 360 रुपये है अर्थात् दूसरी प्रमाणित दर एक्सचेजों से 60 रुपये ज्यादा है। अलबत्ता बड़ी प्रणालियों का सेवा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, खासतौर पर क्योंकि ये प्रणालियां बहुत बड़े नगरों को सेवा करती है जिनमें घनी आबादी होती है और ऊंचे दर्जे का औद्योगिक / वाणिज्यिक विकास होता है। आर्थिक दृष्टि से यह सुविधाजनक नहीं होगा कि इतने बड़े इलाके को, इसके समान ही एक स्थानीय एक्सचेंज प्रणाली में शामिल किया जाए, जहां टेलीफोनों की मांग बहुत कम और बिखरी हुई होती है।

(ग) जी हां।

(घ) 12.5 किलोमीटर से कम की दूरी पर काम करने वाले एक्सचेंजों के बीच की कालों को स्थानीय कालें मानने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

कूच-बिहार में डाक तथा तार विभाग के लिए संयुक्त भवन

4832. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कूच बिहार में डाक तथा तार विभाग के लिए एक संयुक्त भवन बनाने का निर्णय पहले ही ले लिया गया है ताकि उसमें यथासम्भव विभाग की सभी शाखाओं को स्थान मिल सके ;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होगा ;

(ग) क्या विभाग ने कोई उपयुक्त प्लाट खरीदा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुना) : (क) जी नहीं । लेकिन यह निर्णय किया गया है कि वह इमारत राज्य सरकार से खरीद ली जाए जिसमें इस समय कूच-बिहार प्रधान डाकघर काम कर रहा है । इसके लिए मंजूरी पहले से जारी की जा चुकी है । प्रधान डाकघर की इमारत का कब्जा लेने के बाद, इसके अहाते में टेलीफोन एक्सचेंज के लिए एक अलग इमारत तैयार करने के बारे में जांच की जा रही है ।

(ख) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जैसा कि उपर्युक्त (क) में उल्लिखित है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय समारोहों में ध्वजारोहण के समय सलामी लेना

4833. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 जनवरी, स्वाधीनता दिवस आदि जैसे राष्ट्रीय उत्सवों में ध्वजारोहण के समय जिला अधिकारी तथा सब डिवीजनल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र तथा मुख्य-कार्यालयों में सरकार की ओर से सलामी लेते हैं ;

(ख) जबकि केन्द्र तथा राज्यों की राजधानियों में मंत्रीगण ऐसे अवसरों पर सलामी लेते हैं क्या इन राष्ट्रीय अवसरों पर अधिकारियों तथा नौकरशाही के स्थान पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सलामी ले सकते हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहसिन) : (क) से (ग). जब सशस्त्र सेनाओं अथवा पुलिस के कर्मचारी रस्मी परेड में भाग लेते हैं तो वे सलामी द्वारा राज्याध्यक्ष को अपनी अबाधनिष्ठा व्यक्त करते हैं । इन अवसरों पर उपस्थित राज्याध्यक्षों अथवा उनके वरिष्ठतम असैनिक प्रतिनिधियों द्वारा सलामी लेना न केवल इस देश में प्रथागत है बल्कि अन्य प्रजातांत्रिक देशों में भी है । अतः गणतन्त्र दिवस अथवा स्वतन्त्रता दिवस जैसे अवसरों पर यदि रस्मी परेडें होती हैं जिसमें सशस्त्र अथवा पुलिस के कर्मचारी भाग लेते हैं तो इस अवसर पर राज्याध्यक्ष अथवा मन्त्री की अनुपस्थिति में सामान्य प्रशासन का उपस्थित वरिष्ठतम अधिकारी राज्याध्यक्ष की ओर से सलामी ले सकता है ।

कूच बिहार टेलीफोन एक्सचेंज के कार्यकरण के बारे में शिकायतें

4834. **श्री बी० के० बासचौधरी** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय को कूच बिहार टाउन के 100 से अधिक टेलीफोन प्रयोक्ताओं द्वारा कूच बिहार टेलीफोन एक्सचेंज में ट्रंक कालों सहित टेलीफोन कालों के अनियमित तथा अनुचित बिलों, ट्रंक काल सेवा में खराबी, स्थानीय तथा ट्रंक लाइन्स की मेकेनिकल इन्स्टालेशन में बार-बार त्रुटि उत्पन्न होने तथा दुर्व्यवहार के बारे में गम्भीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या कूच बिहार टेलीफोन एक्सचेंज की स्थिति में सुधार लाने के लिए उचित कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या सरकार कूच-बिहार टाउन में एक लेखा-कार्यालय खोलने पर विचार कर रही है ताकि बिलों सम्बन्धी कार्य अच्छे ढंग से हो सकें तथा टेलीफोन उपभोक्ता संतुष्ट हो सकें ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुना) : (क) और (ख). ज्यादा बिल के बारे में उपभोक्ताओं से कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से बहुतों को राहत दे दी गई है। उत्तरी बंगाल में टेलीफोन आय लेखा यूनिटों को अलग-अलग कर दिया गया है, परिणामस्वरूप बिल नियमित भेजे जाते हैं। कूच बिहार एक आटो एक्सचेंज है, अतः वहां टेलीफोन आपरेटरों द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने के अवसर बहुत कम हैं। माइक्रोवेव की अतिरिक्त सरणियों के संस्थापन से ट्रंक सेवाओं में संतोषजनक सुधार हुआ है।

(ग) कूच-बिहार एक सब-डिवीजन है। अतः इस स्थान के लिए एक अलग लेखा कार्यालय खोलने का औचित्य नहीं है।

गोवा, दमन और दीव के मुख्य मन्त्री के विरुद्ध आरोप

4835. **श्री इराज्युद संकैरा** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय का ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें गोवा, दमन और दीव के मुख्य मन्त्री श्री डी० बी० बंदोडकर द्वारा व्यक्तिगत लाभ हेतु अपने पद के दुरुपयोग के बारे में जांच करने की मांग की गई है ; और

(ख) इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). राष्ट्रपति तथा प्रधान मन्त्री को अगस्त, 1970 में गोवा के कुछ प्रमुख नागरिकों से गोवा, दमन और दीव के मुख्य मन्त्री के विरुद्ध कुछ आरोपों को समाविष्ट करने वाला एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था। ज्ञापन पर मुख्य मन्त्री के मत मांगे गये जो प्राप्त हो चुके हैं। इन पर जांच की जा रही है।

Housing of Bihar Sub-Post Offices in Rented Buildings

4836. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of Sub-Post Offices in Bihar, which are housed in rented buildings ;

(b) the amount Government have to pay in the form of rent per month for the Sub-Post Offices ;

(c) whether this position obtains in all the Districts or only in some Districts of Bihar ;

(d) if the said position obtains in some Districts only, the details thereof ; and

(e) whether Government propose to construct their own buildings during the Fourth Five Year Plan for all the Sub-Post Offices housed in rented buildings ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) 913.

(b) Rs. 57,005.72 paise.

(c) Yes. In all districts.

(d) Does not arise.

(e) No. It is proposed to construct departmental buildings for only 65 Sub-Post Offices which are functioning in rented buildings at present.

Jurisdiction over Area Near Okhla (Delhi)

4837. **Chaudhry Dalip Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the area where Jamuna river flows Near Okhla (Delhi) is in the Delhi Union Territory or in the State of Uttar Pradesh ;

(b) whether the Delhi Administration is empowered to waive octroi in that area ; and

(c) if so, whether the Delhi Administration has waived any octroi in that area ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) According to the Delhi Administration the deep stream of river Jamuna is the boundary between Uttar Pradesh and Union Territory of Delhi.

(b) Yes, Sir.

(c) No, Sir.

Emigration of Trained Indian Engineers and Scientists to other Countries

4838. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Science and Technology** be pleased to state :

(a) the number of trained Engineers and Scientists who have migrated to the U. S. A., Britain and other countries during the last two years for seeking employment as they could not get employment in our country ; and

(b) the reasons for not providing them with employment in India ?

The Minister of Planning and Minister of Department of Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (a) No precise information is available. According to a Report published in the Technical Manpower Bulletin of C. S. I. R. in February, 1971 about 6,000 Indian Scientists and 15,000 Indian Engineers and Technologists are estimated to be abroad. It may not be that all of them are abroad for employment. Many go for studies, training or acquiring wider experience.

(b) Employment opportunities or lack of them are dependant on several factors. The fact is that Government are conscious of the problem and are taking steps to tackle it. In regard to scientists and engineers a proposal for creation of supernumerary posts for appointment of outstanding Scientists, so that they may not have to go abroad for lack of employment opportunities in the

country, is under consideration. Some of the measures already taken to improve employment opportunities for Scientists and Engineers in India are given below :

(1) Scientists are given merit promotion and advance increments under Merit Promotion Scheme.

(2) Merit of scientists from Senior Scientific Assistant onwards to the level of Scientist 'C' (Rs. 700-1250) is assessed once in five years for promotion to the next higher post.

(3) Fellowships are provided in the National Laboratories/Institutes and outside research institutions and Universities to encourage scientific talent in the country.

(4) Grant-in-aid to Scientists to carry out research.

पश्चिम बंगाल में राज्य कर्मचारी, बीमा के अस्पतालों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस सैन्य कर्मचारियों का ठहराया जाना

4839. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में राज्य कर्मचारी बीमा के नवनिर्मित कुछ अस्पतालों का प्रयोग केन्द्र द्वारा भेजी गई केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के निवास स्थान के रूप में किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) सरकार ने पुलिस अथवा सैनिकों के निवास स्थान के रूप में इन अस्पतालों के प्रयोग को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहसिन) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार जिला हुगली में गोरहाटी में स्थित राज्य कर्मचारी बीमा के अस्पताल के प्रांगण के भीतर हाल ही में निर्मित भवन, जो अस्पताल के रूप में प्रयोग में नहीं लाये जा रहे हैं, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारियों को रहने के लिए उन्हें अस्थायी रूप से दे दिये गये हैं । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अस्पताल भवनों में नहीं रह रहा है बल्कि सिर्फ अस्पताल के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए रिहायशी क्वार्टरों में रह रहा है । अस्पताल आरम्भ न होने से उक्त फ्लैट खाली थे और चूंकि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के लिए कोई दूसरा उपयुक्त आवास उपलब्ध नहीं था अतः उन्हें लोक हित में खाली क्वार्टरों में रहने की अनुमति दी गई ।

(ख) और (ग). जैसे ही ये समस्त भवन अहाते में अस्पताल का काम शुरू करने के लिए तैयार हो जायेंगे, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को दूसरे स्थान पर भेज दिया जायेगा । खाली क्वार्टरों में रहने से किसी को कोई असुविधा नहीं हुई है । इस बात को देखते हुए चल रहे अस्पतालों को पुलिस अथवा सेना द्वारा रिहायशी आवास के रूप में प्रयोग करने का प्रश्न नहीं उठता ।

कलपक्कम अणुशक्ति परियोजना के लिये भारी गाड़ी की खरीद

4840. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अणु ऊर्जा विभाग के कुछ अधिकारी अमरीका गये थे और यदि हां, तो उनके नाम और पदनाम क्या है और उनके वहां जाने का क्या प्रयोजन था तथा वे कितनी बार गये थे ;

(ख) क्या उन्होंने कलपक्कम अणु शक्ति परियोजना के लिये एक 56 पहियों वाली भारी गाड़ी खरीदी थी और यदि हां, तो उक्त गाड़ी कब खरीदी गई थी और किस तारीख को इसे प्रयुक्त किया गया ; और

(ग) गाड़ी की लागत क्या है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) परमाणु ऊर्जा विभाग के विद्युत परियोजना इंजीनियरी प्रभाग के अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर (सिविल) श्री सी० आर० राममूर्ति तथा मुख्य इंजीनियर (सिविल) श्री बी० आर० वेंगुरलेकर ने समुद्र के अन्दर सुरंगों के निर्माण से सम्बन्धित तकनीकी सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से सन् 1970 में डेनमार्क, ब्रिटेन, फ्रांस तथा कनाडा के अलावा अमरीका की यात्रा की थी ।

(ख) और (ग). इस दल को उस भारी गाड़ी की खरीद का काम नहीं सौंपा गया था जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है । उस गाड़ी की खरीद का आर्डर मई, 1969 में भारत से ही दिया गया था । मद्रास पहुंचती हुई गाड़ी का बीमा भाड़ा सहित मूल्य लगभग 14.00 लाख रुपये था । इसे विनिर्देश के अनुसार बनाने के लिए इसके सप्लायरों द्वारा इसमें कुछ सुधार किए जा रहे हैं तथा इस कारण यह गाड़ी अभी तक काम में नहीं लाई जा सकी है ।

कलपक्कम अणु शक्ति परियोजना

4841. **श्री सी० चित्तबाबू** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिएक्टर संख्या 1 के लिये डायाफ्राम दीवार की खुदाई कलपक्कम अणु शक्ति योजना के ठेकेदार के साथ हुये करार के अनुसार नहीं की गई थी ;

(ख) क्या मुख्य इंजीनियर (सिविल) ने सख्त चट्टान के स्थान पर नरम चट्टान तक खुदाई-कार्य को स्वीकार करने पर बल दिया था ; और

(ग) उस ठेकेदार का नाम क्या है, जिसे रिएक्टर संख्या 1 के लिये डायाफ्राम दीवार की खुदाई करने का ठेका दिया गया था ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना के रिएक्टर नम्बर एक के लिये डायाफ्राम दीवार की खुदाई का काम ठेकेदार द्वारा उसके साथ हुए करार की शर्तों के अनुसार किया गया था ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) मद्रास परमाणु बिजलीघर के रिएक्टर नम्बर एक के डायाफ्राम दीवार की खुदाई का काम करने वाले ठेकेदारों के नाम मैसर्ज रेडियो फांउडेशन एण्ड इंजीनियरिंग लिमिटेड तथा हजरत एण्ड कम्पनी है ।

कलपक्कम अणु शक्ति परियोजना में काम करने वाले अधिकारियों को दी गई सुविधायें

4842. **श्री सी० चित्ति बाबू** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलपक्कम में अणु शक्ति परियोजना के अधिकारियों को वर्ष 1967 में दी गई सुविधाओं की तुलना में अब क्या सुविधायें उपलब्ध हैं ;

(ख) क्या उन्हें इन सुविधाओं की अप्राप्यता के कारण उनके वेतन के 20 प्रतिशत भाग के समान राशि दी जा रही है ; और

(ग) क्या उन्हें सारी सुविधायें दी जाने के पश्चात् अब भी वह राशि दी जाती है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सन् 1967 में मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना के निर्माण-स्थल पर अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए उपलब्ध सुविधायें थीं—कुछ कर्मचारियों के लिए रिहायशी मकान, कालोनी से परियोजना के निर्माण स्थल तक परिवहन व्यवस्था, साधुरंगपट्टिनम में तामिल के माध्यम से शिक्षा देने के लिए एक माध्यमिक पाठशाला तथा कर्मचारियों का एक कोआपरेटिव स्टोर। उसके बाद दी गई अतिरिक्त सुविधायें हैं—तामिल माध्यम वाली माध्यमिक पाठशाला को बढ़ा कर हाई स्कूल बनाना तथा दसवीं कक्षा तक पढ़ाई के लिए एक सेंट्रल स्कूल खोलना, सीमित सुविधाओं से युक्त एक अस्पताल की स्थापना करना तथा एक बिक्री केन्द्र खोलना। तथापि, अब तक दी गई सुविधायें एक सामान्य कस्बे या नगर में उपलब्ध सुविधाओं की तुलना में अपर्याप्त हैं ?

(ख) मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को परियोजना भत्ता दिया जा रहा है जिसकी दर वही है जो बड़ी निर्माण परियोजनाओं के कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा स्वीकार की गई है तथा भत्ता सम्बन्धी नियमों के अनुरूप है।

(ग) मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को परियोजना भत्ता 31-12-1971 तक देने के लिए संस्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना भत्ते को जारी रखने की आवश्यकता पर समय-समय पर पुनर्विचार किया जाता रहता है।

भारतीय सांख्यिकी संस्थान के कर्मचारियों को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन में खपाना

4843. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांख्यिकी संस्थान के उन कर्मचारियों को, जो अब तक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का कार्य करते रहे हैं, सांख्यिकी विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन में खपाने के लिये शर्तें 12 दिसम्बर, 1970 को तय कर ली गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो सांख्यिकी विभाग, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, श्रमिक संगठन और भारतीय सांख्यिकी संस्थान परिषद् के बीच किये गये दृढ़ निर्णयों को लागू करने में निरन्तर विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के कार्य और भारतीय सांख्यिकी संस्थान के अतिरिक्त कर्मचारियों को अपने नियन्त्रण में लेने का काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). भारतीय सांख्यिकी संस्थान श्रमिक संगठन के प्रतिनिधियों के साथ अन्तिम बैठक 26 फरवरी 1971 को हुई थी। इस बैठक में जिन विषयों पर विचार विमर्श किया गया उनमें से कुछ मदों का जिनको समाधान संबंधित मन्त्रालयों/विभागों के परामर्श से बाद में होना था। इन कर्मचारियों को सरकारी सेवा में खपाने के लिए जो शर्तें हैं वे निश्चित की जा चुकी हैं और

भा० सां० संस्थान कर्मचारी संगठन तथा भारतीय सांख्यिकी संस्थान परिषद के विचारार्थ (टीका-टिप्पणी के लिए) भेज दी गई हैं।

(ग) अब यह आशा की जाती है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान के इन कर्मचारियों को सरकारी सेवा में संभवत: शीघ्र ही खपाया जा सकेगा।

केन्द्रीय सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1965 के अधीन निपटाये गये मामलों का पुनरीक्षण

4844. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट :** क्या **प्रधान मन्त्री** केन्द्रीय (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे भिन्न-भिन्न परिस्थितियां क्या हैं जिनमें कार्यालय के किसी प्रधान द्वारा पहले से ही दिए गये आदेश का विभाग के प्रधान द्वारा अपने ही प्रस्ताव पर पुनरीक्षण किया जा सकता है ;

(ख) क्या उक्त नियम में क्लर्कों द्वारा की गई मामूली त्रुटियों, चूकों और कार्यों जिनके परिणामस्वरूप राज्य को कोई हानि नहीं होती है, चेतावनी दिये जाने के साधारण मामलों का पुनरीक्षण करने की व्यवस्था है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त नियम का आशय विशेष बातें प्रस्तुत करने वाले मामलों को पुन: आरम्भ करना है अथवा यह सामान्य प्रथा है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 29 के अन्तर्गत, प्रत्यक्ष रूप से केन्द्रीय सरकार के अधीन आने वाले विभाग का प्रधान, उस सरकारी कर्मचारी के मामले में जो उस विभागीय प्रधान के नियन्त्रण में आने वाले विभाग या कार्यालय में सेवा कर रहा है, किसी भी समय, अपने ही प्रस्ताव पर किसी जांच के अभिलेख मांग सकता है और उन आदेशों के अलावा जिनमें अपील करना ठीक नहीं समझा गया है या जिनमें अपील करने की अनुमति नहीं दी गई है और वे आदेश जिनमें संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है, उनके परामर्श से पास किये गये हों, उपर्युक्त नियमों के अधीन किये गये ऐसे आदेशों का पुनरीक्षण कर सकता है जिनमें अपील करने की अनुमति दी गई है। यह प्रश्न आया कि विभाग के प्रधान द्वारा पुनरीक्षण की इस शक्ति का प्रयोग अपने ही प्रस्ताव पर किया जाना है, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर विभाग के प्रधान को स्वयं करना होता है।

(ख) और (ग). दोषारोपण की सजा पर, जो कि केन्द्रीय सिविल (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 11 (i) के अधीन मामूली सी सजा है, उक्त नियमों के अन्तर्गत पुनरीक्षण हो सकता है। यद्यपि उक्त नियमों के अन्तर्गत चेतावनी देना कोई सजा नहीं है। अत: उन नियमों के अधीन इसके पुनरीक्षण करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अनुशासनात्मक कार्यवाही के अतिरिक्त जारी की गई चेतावनी भी सम्बन्धित अधिकारी की गोपनीय रिपोर्ट में दर्ज की जा सकती है और इस प्रकार का अलेख प्रतिकूल आलेख समझा जाता है तथा सम्बन्धित अधिकारी को इसकी सूचना दी जाती है और वह इस सूचना के प्राप्त होने से छ: सप्ताह की अवधि के दौरान

इसके विरुद्ध अभ्यावेदन दे सकता है। सक्षम अधिकारी, अभ्यावेदन के ऊपर विचार करने के पश्चात्, यदि यह सन्तुष्टि हो जाती है कि इस आलेख को काटने के लिए पर्याप्त औचित्य है, इसे काट सकता है।

आंग्ल भारतीयों के लिए पदों का आरक्षण

4845. **श्री के० नारायण राव :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार की रेलवे, सीमा-शुल्क और डाक तथा तार सेवाओं में संविधान के अनुच्छेद 336 के अन्तर्गत आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए पदों के आरक्षण सम्बन्धी विशेष उपबन्ध को हटाये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) संघ सरकार की रेलवे, सीमा शुल्क और डाक तथा तार सेवाओं में अनुच्छेद 336 के अन्तर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार संविधान आरम्भ होने से 10 वर्ष तक की सीमित अवधि के लिए आंग्ल-भारतीयों के लिए आरक्षणों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्धों की व्यवस्था लागू की गई थी और 26 जनवरी, 1960 से इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Journals/Periodicals Published by Various Ministries

4846. **Dr. Govind Das Richharya :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the names of the English and Hindi Journals, Periodicals etc. being published by the various Ministries/Departments of the Government of India and the dates since when these are being published ; and

(b) the number of managerial, editing and advertisement staff of these periodicals ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the house shortly.

महाराष्ट्र-मैसूर सीमा विवाद

4847. **श्री शंकरराव सावन्त :** क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा विवाद को हल करने के लिये किये गये प्रयासों के अनुसरण में महाराष्ट्र और मैसूर की सरकारों को दिये गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जैसा कि 1970-71 के गृह-मंत्रालय के कार्य संचालन संबंधी प्रतिवेदन के पृष्ठ 22 के पैरा 3-8 में दिया गया है ;

(ख) प्रस्ताव कब दिये गये थे और उन पर दोनों राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या इस जटिल समस्या का कोई तदर्थ अथवा न्यायिक हल सरकार के ध्यान में है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). इस विवाद को हल करने के लिए किये गये प्रयत्नों के बारे में 2 मार्च, 1970 को सदन में दिये गये वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ग) कोई निश्चित हल नहीं निकल सका है किन्तु ऐसा हल, जो दोनों को स्वीकार्य हो, ढूंढने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

समस्त भारत में टेलीविजन पारेषण केन्द्र

4848. **श्री के० प्रधानी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत के सभी स्थानों में टेलीविजन की व्यवस्था करने के लिए टेलीविजन पारेषण केन्द्र खोलने का है ;

(ख) क्या उड़ीसा में कोई केन्द्र खोला जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें कब तक आरम्भ करने की आशा की जाती है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) चौथी पंच-वर्षीय योजना के दौरान दिल्ली टेलीविजन केन्द्र का विस्तार करने के अतिरिक्त, श्रीनगर, बम्बई/पूना, मद्रास, कलकत्ता तथा लखनऊ/कानपुर में टेलीविजन केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। देश के अन्य भागों में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने की योजनायें विचाराधीन हैं, किन्तु अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) जब देश के सभी भागों में टेलीविजन केन्द्रों का विस्तार किया जाएगा तो उड़ीसा राज्य में भी अवश्यमेव टेलीविजन केन्द्र स्थापित किया जाएगा।

(ग) इस अवस्था में यह बताना सम्भव नहीं है।

जैपुर आकाशवाणी केन्द्र

4849. **श्री के० प्रधानी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में जैपुर आकाशवाणी पर प्रातः तथा दोपहर के कार्यक्रम आरम्भ करने का है ;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रेषण क्षमता बढ़ाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) उम्मीद है प्रातः तथा दोपहर के कार्यक्रम चालू वर्ष के दौरान आरम्भ हो जाएंगे तथा ट्रांसमिटर की शक्ति 1972-738 तक बढ़ा दी जाएगी।

Printing of Manuals and forms in various Ministries in Diglot Edition

4850. **Shri Sudhakar Pandey** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the

number of manuals and forms in various Ministries which have been got printed in diglot form and the number of the remaining ones as also the arrangements made for completion of this work ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affaire (Shri Mohsin) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

कच्चे माल और पूंजीगत वस्तुओं के आयात सम्बन्धी आवेदन-पत्रों के निपटाने के लिये समय सीमा

4851. **श्री इराज्मुद सेकैरा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल तथा पूंजीगत वस्तुओं के आयात सम्बन्धी आवेदन-पत्रों के निपटाने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो समय तथा आयात किये जाने वाले माल के मूल्य के सम्बन्ध में निर्धारित की गई सीमाएं क्या हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) . कच्चे माल तथा पूंजीगत वस्तुओं के आयात सम्बन्धी आवेदन-पत्रों को निपटाने के लिये कालावधि क्रमश: 30 तथा 60 दिन निर्धारित की गई है । ये कालावधियां आवेदित लाइसेंसों के मूल्य पर निर्भर नहीं हैं और ये हर तरह से पूर्ण प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों से सम्बद्ध हैं । अगर, प्राय: एक ही समय में काफी भारी संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो उनके निपटाने के लिये अपेक्षाकृत अधिक समय लग सकता है ।

डाक-तार वर्कशापों के महा प्रबन्धक और अन्य प्रबन्धकों को बढ़ी हुई वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायोजन

4852. **श्री इराज्मुद सेकैरा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों की प्राप्ति के बाद से डाक-तार वर्कशाप कलकत्ता के महा प्रबन्धक तथा कलकत्ता, जबलपुर और बम्बई स्थित कारखानों के मैनेजरों को अधिक वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियां दी गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कौन सी शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुना) : (क) और (ख) . प्रशासन सुधार आयोग ने इस बारे में विशेष रूप से कोई सिफारिश नहीं की है, लेकिन उन्होंने ऐसी टिप्पणी दी है कि महा प्रबन्धक और प्रबन्ध की शक्तियों में वृद्धि की जानी चाहिए । ये सिफारिशें विचाराधीन हैं । जहां तक बड़ी मदों सम्बन्धी शक्तियों का प्रश्न है, प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद शक्तियों का नये सिरे से प्रत्यायोजन नहीं किया गया है ।

तकनीकी अधिकारियों के संवर्ग

4853. **श्री एस० बी० पाटिल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक मंत्रालयों में तकनीकी अधिकारियों के काफी छोटे संवर्ग हैं ;

(ख) क्या इससे संवर्गों को एकीकृत करने सम्बन्धी सरकार के उद्देश्य में विवाद उत्पन्न नहीं होंगे ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति का सामना करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

समुद्र पारीय संचार सेवा

4854. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में समुद्रपारीय संचार सेवा में उपग्रह संचार प्रणाली के सन्निवेश से एक नये युग का अविर्भाव हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो किस तिथि से ऐसा हुआ है ; और

(ग) कितने केन्द्रों की व्यवस्था की गई ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुना) : (क) जी हां ।

(ख) 26 फरवरी, 1971 ।

(ग) विदेश संचार भवन, बम्बई में एक ।

राष्ट्रमण्डलीय प्रेस यूनियनों का सम्मेलन

4855. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने हाल ही में यहां आयोजित राष्ट्रमंडलीय प्रेस यूनियनों के वार्षिक सम्मेलन में कोई प्रतिनिधि मण्डल भेजा था ;

(ख) यदि हां, तो वहां किन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ ;

(ग) इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधियों ने अपने क्या विचार रख ;

(घ) भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत विचारों पर सम्मेलन में क्या प्रतिक्रिया हुई ; और

(ङ) उस सम्मेलन में क्या सिफारिशें की गई थीं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) राष्ट्रमण्डल प्रेस यूनियन का वार्षिक सम्मेलन 24 और 25 जून, 1961 को लन्दन में हुआ था, भारत में नहीं। राष्ट्रमण्डल प्रेस यूनियन जो एक गैर सरकारी संगठन है, मैं सभी राष्ट्रमण्डल देशों के सदस्य है। वार्षिक सम्मेलन में राष्ट्रमण्डल देशों की सरकारों को न तो आमंत्रित किया जाता है और न ही वे प्रतिनिधि मण्डल भेजती हैं। भारतीय विभाग के अध्यक्ष श्री तुषार कान्ति घोष ने, "आनन्द बाजार पत्रिका" के सम्पादक श्री अशोक सरकार, "जुगान्तर" के सम्पादक श्री सुकुमल घोष, "दक्कन हैरल्ड" के श्री गुरुस्वामी तथा भारतीय समाचार पत्रों के लन्दन स्थित कुछ प्रतिनिधियों के साथ सम्मेलन में भाग लिया था ।

(ख) और (ग) . विभिन्न राष्ट्रमण्डल देशों के समाचार-पत्रों की समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया था । श्री तुषार कान्ति घोष ने बंगला देश की समस्या की ओर भी सम्मेलन का ध्यान आकर्षित किया था ।

(घ) सम्मेलन द्वारा भारतीय दृष्टिकोण की सराहना की गई थी ।

(ङ) सम्मेलन द्वारा की गई किन्हीं विशिष्ट सिफारिशों के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है ।

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में सिगरेट के विज्ञापन पर प्रतिबन्ध

4856. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र से प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं में सिगरेट के विज्ञापन पर प्रतिबन्ध लगाने का सरकार का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : जी, नहीं । फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । तथापि, धूम्रपान से स्वास्थ्य को हानि होने के कारण, धूम्रपान को निरुत्साहित करने के लिये, स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय का एक बहुमुखी प्रचार अभियान चलाने का प्रस्ताव है ।

लिपजिग मेले में भारतीय इंजीनियरिंग उत्पाद

4857. **श्री एस० राधाकृष्णन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "इकोनामिक टाइम्स" (बम्बई) दिनांक 26 जून, 1971 में प्रकाशित जर्मन जनवादी गणराज्य के व्यापार आयुक्त के इस टिप्पणी की ओर दिलाया गया है कि लिपजिग मेले में प्रदर्शित किये गये भारतीय इंजीनियरिंग उत्पादों में से कुछेक "जले हुए उत्पादों" जैसे प्रतीत होते थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) . जी हां । पूछताछ करने पर पता लगा है कि जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य के व्यापार आयुक्त ने ऐसे आशय को कोई वक्तव्य नहीं दिया जैसा कि समाचार में इंगित है । उन्होंने तो प्रदर्शनी में आधनिक जटिल मशीनों के प्रदर्शन पर ही जोर दिया था ताकि औद्योगिक माल की उत्पाद ख्याति उत्पन्न की जा सके । विभिन्न प्रदर्शनियों के लिये प्रदर्शनीय वस्तुएं चयनात्मक आधार पर चुनी जाती हैं और ऐसा करते समय उस बाजार विशेष में मांग का, और भारी मशीनों आदि के परिवहन की व्यवहार्यता का भी सम्यक ध्यान रखा जाता है । हाल ही में हुए लिपजिग मेले में जो व्यापार तय हुआ । जिसके बारे में बातचीत हुई उसका मूल्य 681.9 लाख रुपये है और उसमें इंजीनियरिंग उत्पाद, जैसे कि एल्यूमिनियम कन्डक्टर, तार के रस्से, ताले, फंदा बुनाई की मशीनें, बैटरियां, ग्रेनाइट सर्फेस प्लेटें, पाइप आदि शामिल हैं ।

दिल्ली पुलिस द्वारा महात्मा बुद्ध की बहुत पुरानी मूर्ति का पकड़ा जाना

4858. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने महात्मा बुद्ध की 1700 वर्ष पुरानी मूर्ति पकड़ी है जिसके बारे में विश्वास किया जाता है कि वह बिहार के एक मन्दिर से चुराई गयी थी ;

(ख) क्या दो अन्य पुरानी वस्तुएं भी धन के देवता कुबेर की एक मूर्ति तथा महात्मा बुद्ध का जन्म दर्शाता हुआ एक चित्र, पकड़ी गयी है ;

(ग) क्या पुलिस ने इस बारे में कोई गिरफ्तारी की है ; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ). दिल्ली पुलिस के अनुसार महात्मा बुद्ध, कुबेर तथा महात्मा बुद्ध को जन्म देते हुये महामाया की तीन मूर्तियां 25-6-1971 को पुरानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति से बरामद की गई। बताया जाता है कि कुबेर और महामाया की मूर्तियां नालन्दा स्कूल आफ आर्ट की हैं। महात्मा बुद्ध की मूर्ति के बारे में कोई निश्चित विशेषज्ञ राय उपलब्ध नहीं है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 411 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया है और उसकी जांच की जा रही है। इस मामले में दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अभी तक मालूम नहीं है कि ये मूर्तियां कहां से चुराई गई हैं।

जैपुर डाक प्रभाग, उड़ीसा का गठन

4859. **श्री चिन्तामणी पाणिग्रही** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सर्किल में जैपुर (कोरापुट जिला) डाक प्रभाग के गठन हेतु "महापोस्ट मास्टर" उड़ीसा सर्किल से 11 मई, 1971 के पश्चात् कोई नया प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या उस पर कोई निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुना) : (क) जी हां। पोस्टमास्टर जनरल, उड़ीसा सर्किल से 11 मई, 1971 को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ख) जी नहीं।

(ग) सर्किल अध्यक्षों को जून, 1971 में नए डाक डिवीजन के निर्माण के लिये नये मानक सूचित किये गये हैं। पोस्टमास्टर जनरल, उड़ीसा सर्किल को इन नए मानकों को दृष्टि में रख कर इस प्रस्ताव की जांच करने के लिए निवेदन किया गया है।

प्राथमिकताओं सम्बन्धी सामान्य पद्धति योजना के अन्तर्गत निर्यात बढ़ाने के लिए सभी प्रतिबन्धों का हटाया जाना

4860. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निर्यात संगठनों के संघ ने सभी प्रतिबन्ध हटाने के लिये सरकार से अनुरोध किया है कि भारतीय निर्यातकर्ता यूरोपीय साझा बाजार में सदस्यों द्वारा विकाशशील देशों

को उनके निर्मित तथा अर्धनिर्मित वस्तुओं के लिए प्राथमिकताओं सम्बन्धी सामान्य पद्धति योजना के अन्तर्गत जो लाभ दे रहे हैं, उसका वे पूरा लाभ उठा सकें ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख). यूरोपीय आर्थिक समुदाय को निर्यातों के संवर्धन के सम्बन्ध में भारतीय निर्यात संगठनों का संघ उन उत्पादनों का अध्ययन कर रहा है जो अधिमानों की सामान्य पद्धति के अन्तर्गत यूरोपीय आर्थिक समुदाय के प्रस्ताव से लाभ उठाने में बाधा बने हुए हैं। जब विशिष्ट सिफारिशें प्राप्त हो जायेंगी तब उन पर सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

करोलबाग टेलीफोन केन्द्र

4861. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करोलबाग टेलीफोन केन्द्र की क्षमता बढ़ाये जाने के बावजूद प्रतीक्षा सूची में हजारों व्यक्तियों के नाम दर्ज बने रहे ;

(ख) यदि हां, तो अतिरिक्त क्षमता की व्यवस्था कब हुई, किस प्रकार इसका उपयोग किया गया, उसके उपयोग में लाने में अत्यधिक देरी के कारण क्या हैं; इससे कितने राजस्व की हानि हुई तथा इसके लिए कौन उत्तरदायी था ; और

(ग) टेलीफोन विभाग की उपरोक्त प्रकार की असावधानी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुना) : (क) जी हां।

	अपना टेलीफोन योजना	अपना टेलीफोन योजना के अलावा
1-6-1971 को करोलबाग एक्सचेंज की प्रतीक्षा सूची	754	11,407

(ख) 1968 से 1971 के दौरान करोलबाग के दो एक्सचेंजों में निम्नलिखित अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध हुई है :

	'58' एक्सचेंज	'56' एक्सचेंज
(1) 24-2-1968 को वृद्धि	2500	—
(2) 1-9-1968 को वृद्धि	2500	—
(3) 1-1-1969 को वृद्धि	1313	—
(4) 31-3-1971 को वृद्धि	—	1200
	6313	1200

यह क्षमता नए टेलीफोन कनेक्शन देने के लिये काम में लाई गई है। परिणामस्वरूप 1-6-1971 को '58' और '56' दोनों एक्सचेंजों में कनेक्शनों की संख्या 14987 हो गई जबकि 1-2-1968 को कनेक्शनों की संख्या 7525 थी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय सांख्यिकीय संस्था में नियमित आधार पर वरिष्ठ अनुसन्धाताओं की नियुक्तियां

4862. **श्री चन्द्रपाल शैलानी :** क्या **प्रधान मंत्री** 16 दिसम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4966 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1970 में संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से यह निर्णय किया गया था कि केन्द्रीय सांख्यिकीय संस्था में 1962 में आयोग के द्वारा की गई 5 वरिष्ठ अनुसन्धाताओं की आरम्भिक नियुक्तियों को नियमित आधार पर की गई नियुक्तियां माना जाये, जिसके परिणामस्वरूप वे पदधारी भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड चार में पदोन्नति हेतु चयन सूची में सम्मिलित किये जाने के पात्र हैं ।

(ख) क्या उपरोक्त सूची में उनके नामों को सम्मिलित किये जाने के बारे में कार्मिक विभाग ने इस आधार पर अभी भी विचार नहीं किया है कि उनसे वरिष्ठ एक अन्वेषक उक्त सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए पात्र नहीं हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). अभी तक यही निर्णय नहीं किया गया है कि केन्द्रीय सांख्यिकीय संस्था में 1962 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गई 5 वरिष्ठ अनुसन्धाताओं की नियुक्तियों को 1962 से नियमित रूप से की गई माना जाना चाहिए । सांख्यिकीय विभाग द्वारा दिये गये हवाले पर, संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी सलाह दी है कि इन नियुक्तियों को 1962 से नियमित रूप में समझा जाना चाहिये । इस मामले में इस प्रश्न पर अभी भी सांख्यिकीय विभाग और कार्मिक विभाग के बीच लिखा पढ़ी हो रही है कि, आया सीधी भर्ती वाली रिक्तियों और पदोन्नति द्वारा भरने वाली रिक्तियों के बीच बटवारा 1962 में संघ लोक सेवा आयोग को भेजी गई सभी रिक्तियों पर किया गया है । पदोन्नति की चयन सूची में शामिल करने के लिये विचार करने हेतु उनकी योग्यता 1962 में उनकी नियुक्ति की नियमितता की पूर्ति एवं अन्य निर्धारित शर्तों की पूर्ति और उनके विचार हेतु क्षेत्र के भीतर आने पर निर्भर करती है । व्यक्तियों को चयन सूची में शामिल करने या छोड़ने का प्रश्न केवल उस समय उठेगा जबकि पहले यह देख लिया जाये कि वे विचार करने के लिये योग्य हैं । उनकी योग्यता निश्चित करने से पहले, 31-12-1966 को उन्हें चार वर्ष की नियमित सेवा अवश्य पूरी कर लेनी चाहिए । यह मामला अभी तक विचाराधीन है ।

श्रव्य-दृश्य प्रचार विभाग द्वारा दिये गये विज्ञापन

4863. **श्री एस० राधाकृष्णन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च से जून 1971 के दौरान श्रव्य-दृश्य प्रचार विभाग द्वारा दैनिक पत्रों तथा पत्रिकाओं को कितनी बार प्रचार के लिये विज्ञापन दिए गए थे ;

(ख) प्रचार किस विषय के बारे में किया गया ; और

(ग) विभाग द्वारा कुल कितना व्यय किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) मार्च से जून 1971 तक की अवधि के दौरान विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा 3076 विज्ञापन (सजावटी तथा वर्गीकृत) जारी किये गये थे ।

(ख) विज्ञापन, टेंडर सम्बन्धी सूचनाओं, पुस्तकों की बिक्री, कर्मचारियों की भर्ती, नीलामी सम्बन्धी सूचनाओं, अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भाग लेने, "उज्ज्वल भविष्य" के लिये प्रचार योजना, राष्ट्रीय बचत अभियान, परिवार नियोजन, चुनाव आयोग के निर्देश तथा युनाइटेड ट्रस्ट आफ इंडिया के बारे में थे ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

आनन्द मार्ग की गतिविधियां तथा इसकी वित्तीय सहायता के साधन

4864. **श्री गंगा रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आनन्द मार्ग की गतिविधियां क्या हैं तथा इसको किन साधनों से धन प्राप्त होता है ; और

(ख) क्या इसको अमरीका से भारी धनराशि प्राप्त होती है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहसिन) : (क) सरकार आनन्द मार्ग की गतिविधियों को राजनैतिक ढंग की समझती है ; किन्तु इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों को एक रिट याचिका में चुनौती दी गई है जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है । राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार आनन्द मार्ग की आय के ज्ञात साधन ये हैं : सदस्यों से स्वेच्छिक चन्दा, सदस्यों व हमदर्दों से दान, केन्द्रीय कार्यालय से अनुदान और मनोरंजन कार्यक्रमों तथा फिल्म शो द्वारा एकत्र धन ।

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई साक्ष्य नहीं है ।

Head Post Office at Bundi (Rajasthan)

4865. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether sanction has been accorded for the setting up of a Head Post Office at Bundi in Rajasthan ;

(b) if so, the amount sanctioned for the purpose ; and

(c) the time by which the building for the said Post Office is likely to be completed ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Yes; It is already functioning with effect from 2-11-70.

(b) No amount is separately sanctioned for the purpose of formation of a Head Post Office. The expenditure is met out of the funds placed at the disposal of the Head of the Circle.

(c) There is no proposal for putting up a new building for the Head Post Office at Bundi. However, the building in which the same is housed at present is being purchased from the State Government. The State Government has been moved for the purpose.

Posts and Telegraphs Office at Bara (Rajasthan)

4866. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a Posts and Telegraphs Office at Bara, Rajasthan ;

(b) if so, the action taken in the matter ; and

(c) by what time the said Office will start functioning ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) It is presumed that the Member is referring to Baran in Kota District of Rajasthan. There is already a departmental sub-post office with telegraph facility at Baran.

(b) and (c) . Do not arise in view of (a) above.

Translation work in Various Ministries

4867. **Shri Sudhakar Pandey** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of manuals and forms of various Ministries and their Subordinate Offices which have not yet been translated into Hindi whose translations have not so far been vetted and finalised ; and

(b) the arrangements made by the Minisrties for the completion of the remaining work ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Mohsin) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Non-introduction of Hindi medium ni UPSC Examinations

4868. **Shri Sudhakar Pandey** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the reasons for non-introduction of Hindi as medium in all the Examinations conducted by the Union Public Service Commission ;

(b) the reasons for ignoring the provisions of the Official Languages Act by issuing forms and statements of instructions in English only pertaining to the various appointments and examinations ;

(c) the criteria adopted in the appointments of Research Officers in Hindi and other regional languages in the Office of the Commission ; and

(d) the steps being taken to remove the irregularities committed in making these appointments in the Office of the Commission ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ramniwas Mirdha) : (a) In the Resolution adopted by both Houses of Parliament in December, 1967, on the question of Official Language of the Union, it has been provided *inter alia* as follows :

"That all the languages included in the Eighth Schedule to the Constitution and English shall be permitted as alternative media for the All India and Higher Central Services Examinations after ascertaining the views of the Union Public Service Commission on the future scheme of the examinations, the procedural aspects and the timing."

Accordingly, a beginning in the use of Regional languages was made in 1969 when candidates appearing at the Combined Competitive Examinations for recruitment to the IAS etc. were given option to write their answers in two of the compulsory subjects. Essay and General Knowledge—in any of the languages mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution, besides English. The question of extending such option to more subjects is under consideration of the UPSC in the light of the experience gained so far.

Further, Hindi has been permitted as alternative medium besides English, in writing the Essay and the General Knowledge papers at the Assistants' Grade Examination conducted by the UPSC since 1964. Besides this, with effect from the Stenographers' Examination, 1971, candidates appearing therein have been permitted the option to write answers to the General Knowledge paper and to take shorthand tests either in Hindi or English.

(b) So far as the Office of the UPSC is concerned, all the requirements in this behalf are being complied with as far as practicable. In other words, both Hindi and English are being used for the documents etc. referred to in Section 3 of the Official languages (Amendment) Act, 1967, namely general orders, notifications, administrative reports, contracts and agreements and forms of tender etc. Of the 209 forms in use in the Commission's Secretariat, 208 have already been translated into Hindi, and the question of ignoring the provisions of the Official Languages Act does not arise. The position in this regard, in so far as it relates to various appointments and Examinations held by the UPSC, is being ascertained and the information will be placed on the Table of the Sabha as soon as available.

(c) Selections for these appointments were made in accordance with the provisions of the recruitment rules by Interview Board duly constituted by the Commission, which included, among others, expert advisers in accordance with the established procedure.

(d) Does not arise.

श्रीलंका को भारत के निर्यात के बारे में श्रीलंका सरकार से बातचीत

4869. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्याज के अतिरिक्त अन्य मदों के निर्यात के बारे में श्रीलंका सरकार से कोई वार्ता हुई थी ; और

(ख) क्या जिन मामलों पर समझौता नहीं हो सका, उनके बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) हाल में भारत से श्रीलंका को निर्यातों के संबंध में श्रीलंका के साथ सरकारी स्तर पर कोई बातचीत नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पार्वती टेक्सटाइल मिल्स, क्विलोन (केरल) का बन्द होना

4870. **श्री एम० के० कृष्णन :**
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पार्वती टेक्सटाइल मिल्स, क्विलोन, केरल के बन्द होने की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उक्त मिल के बन्द हो जाने के कारण कुल कितने श्रमिक बेकार हो गये;

(घ) क्या राष्ट्रीय सूती कपड़ा निगम के माध्यम से उक्त मिल को अपने नियंत्रण में लेने की किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख), (घ) और (ङ). मिल के मामले की जांच करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत एक जांच समिति नियुक्त की गई है। समिति की रिपोर्ट मिलने पर आगे की कार्यवाही पर विचार किया जायगा।

(ग) लगभग 1200.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

कलकत्ता की अलीपुर स्पेशल जेल में पांच राजनीतिक कैदियों के मारे जाने का कथित समाचार

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : श्रीमान्, मैं गृह मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं तथा प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

"कलकत्ता की अलीपुर स्पेशल जेल में 11 जुलाई, 1971 को, जेल में तोड़ फोड़ के कथित प्रयास के दौरान पांच राजनीतिक कैदियों के मारे जाने का कथित समाचार।"

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : 11 जुलाई, 1971 को प्रातः लगभग 10 बजे जबकि अलीपुर स्पेशल जेल कलकत्ता से खाद्य सामग्री के ठेकेदार की एक हाथ से खैंचने वाली गाड़ी बाहर आ रही थी तो गाड़ी खैंचने वाले ने अन्दर के दरवाजे से टक्कर मारी। लगभग 40 परीक्षणाधीन बन्दी जेल के दरवाजे पर दौड़ कर आये और ड्यूटी पर तैनात वार्डर पर दराती से हमला किया जिसको उन्होंने एक बन्दी से, जो जेल के भीतर घास काट रहा था, छीना था। परीक्षणाधीन बन्दियों में से कुछ ने बाहर के दरवाजे की चाबियां ढूंढने के लिए जेलर के दफ्तर में घुसने का प्रयत्न भी किया। एक हैड वार्डर पर, जिसने उन्हें रोकने का प्रयास किया था, भीड़ ने आक्रमण किया और वह गम्भीररूप से घायल है। यद्यपि उपद्रवी चाबियां प्राप्त नहीं कर सके, फिर भी बिजली वाले के प्रयोग में आने वाले एक जीने को, जो दोनों दरवाजों के बीच रखा था, उठाने में सफल हुए और ड्यूटी पर तैनात हैड वार्डर को एक लोहे के सलाख से पीटने के पश्चात् चार बन्दी, चार दीवारी को पार करने तथा जेल से निकल भागने में सफल हुए। किन्तु वार्डरों द्वारा उन्हें तत्काल ही पुनः गिरफ्तार कर लिया गया।

तुरन्त जेल में खतरे की घंटी बजाई गई और जब जेल अधिकारियों तथा रक्षकों ने उपद्रवी परीक्षणाधीन बन्दियों के एक साथ निकल भागने के प्रयत्न रोकने की कोशिश की तो उन्होंने लोहे की सलाखों, दरातियों इत्यादि से रक्षकों पर आक्रमण किया। रक्षकों को आत्म-रक्षा में गोली चलानी पड़ी जिसके परिणामस्वरूप तीन बन्दी घटनास्थल पर मर गये। अन्य पांच बन्दियों में से, जो गोली-बारी में घायल हुए थे और जिन्हें पुलिस अस्पताल में भेज दिया गया था, तीन की अस्पताल में मृत्यु हो गई। शेष दो की हालत में सुधार हो रहा है।

इस घटना में एक हैड वार्डर तथा चार वार्डर घायल हुए और वे सभी अस्पताल में हैं। हैड-वार्डर तथा एक वार्डर को गम्भीर चोट लगी है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : जेल के तोड़-फोड़ की यह प्रथम घटना नहीं है, अपितु शायद यह पांचवी घटना है। कुछ महीने पहले दम दम जेल में इससे कहीं बड़े पैमाने पर ऐसी ही घटना हुई थी। प्रशासनिक असफलता का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है ? मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है, वह एक मनगढ़न्त कहानी प्रतीत होती है, क्योंकि यह कैसे संभव है कि चाकुओं तथा लोहे के डंडों से लैस हो कर 40 कैदी एकत्र हों तथा सन्तरी का जो कि दरवाजा खोलता है, उस ओर ध्यान न जाये तथा यह कैसे संभव है कि वहां उन्हें सीढ़ी भी तैयार मिले, जिस पर चढ़ कर वे दीवार फांद जायें ? जेल कर्मचारियों की मिली भगत के बिना ऐसा होना असंभव है। मैं जानना चाहता हूं कि दम दम जेल के मामले में जो जांच कराई गई थी, उसका क्या हुआ ? गोलियां चलाये जाने के कारण नवयुवकों के जीवन का अन्त हो रहा तथा सरकार गोलियां चलाने को उचित ठहराने का प्रयास कर रही है। जेल प्रशासन की इस आपराधिक कार्यवाही का अन्त कब होगा ?

वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए मैं यह कह सकता हूं कि यह केवल जेल प्रशासन को बड़ा करने का ही प्रश्न नहीं है, बहुत से ऐसे युवक हैं जो हमारी राजनीति तथा अर्थ व्यवस्था से निराश हो कर सीधे संघर्ष में रत हो गये हैं। चाहे उन्हें पथ भ्रष्ट तथा नक्सलवादी ही क्यों न कहा जाये। मैं मानता हूं कि वे पथ भ्रष्ट हो सकते हैं परन्तु वे अपने प्राणों को नौछावर करने को तैयार हैं। क्या सरकार द्वारा इस प्रकार गोलियां चला कर उनके जीवन को समाप्त करने का रास्ता अपनाना सही है ? मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वह मनगढ़न्त कहानी प्रतीत होती है। मैं चाहता हूं कि वह संतोषजनक उत्तर दें। इस उत्तर से न तो मैं ही संतुष्ट हूं और न ही संसद् संतुष्ट है। क्या इन व्यक्तियों का जीवन समाप्त करने की बजाय इन से राजनीतिक स्तर पर बातचीत नहीं हो सकती। यह बड़ी आपत्तिजनक बात है कि प्रधान मंत्री इस गम्भीर प्रश्न पर चर्चा के समय जानबूझ कर उठ कर चली गई हैं। यह सभा का अपमान है। यदि प्रधान मंत्री तथा उनका दल पश्चिम बंगाल की समस्याओं से इसी प्रकार खिलवाड़ करता रहा, तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : माननीय सदस्य ने मेरे वक्तव्य को मनगढ़न्त कहानी बताया है। उन्होंने कहा है कि मैं कोई संतोषजनक उत्तर दूं। मैं ने तो विस्तृत विवरण दिया है। मैं नहीं जानता कि उन्हें और किस प्रकार संतुष्ट किया जा सकता है।

जहां तक आरोप का सम्बन्ध है कि इस मामले में जेल कर्मचारियों कि मिली भगत थी ताकि उन्हें उनकी हत्या करने का अवसर मिल सके, तथ्यों से यह सिद्ध हो जाता है कि यह सही नहीं है, क्योंकि क्या वार्डर यह चाहते थे कि वे उनके साथ सांठगांठ करें जिससे स्वयं उनको ही पीटा जाये और वे अस्पताल में पड़े रहें। मैं ने जो कुछ कहा है, वह तथ्यों पर आधारित है। मुझे एक जीवन के समाप्त किये जाने का भी दुख होता है परन्तु मैं यह आशा करता था कि प्रो० मुकर्जी वार्डरों के प्रति भी सहानुभूति व्यक्त करेंगे, क्योंकि वे कर्तव्य पालन के दौरान जख्मी हुए थे।

श्री एस० एम० बनर्जी : मिदना पुर में कुछ कैदियों से कहा गया था कि उनकी जमानत मंजूर हो गई है, परन्तु जब वे बाहर आये तो उन्हें गोली मार दी गई थी।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : परन्तु हमें उन अपराधों पर भी विचार करना है, जिनके लिये वे गिरफ्तार किये गये थे । उन में से अधिकांश भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन अर्थात हत्या करने के लिये गिरफ्तार किये गये थे । मैं इस कार्यवाही को क्षमा नहीं करता, परन्तु मैं तो यह बताना चाहता हूं कि उन्हें किन अपराधों के लिये गिरफ्तार किया गया था ।

फिर उन्होंने रिपोर्ट के बारे में पूछा था । मैं नहीं जानता उन का आशय किस रिपोर्ट से है । परन्तु प्रेजीडेन्सी डिविजन के आयुक्त को प्रेजीडेन्सी जेल तथा बरहामपुर सेन्ट्रल जेल की घटनाओं की जांच करने के लिये नियुक्त किया गया था । उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है तथा उस पर विचार किया जा रहा है ।

जहां तक उन तत्वों अथवा अन्य किन्हीं तत्वों के साथ राजनीतिक बातचीत करने का सम्बन्ध है, हम हमेशा बातचीत करने को तैयार हैं, बशर्ते कि उन से कोई लाभदायक परिणाम निकल सकें ।

Shri N. K. Sharma : Mr. Speaker, it appears that law and order has almost become the thing of the past in West Bengal. Murders, loot and arson have become the order of the day. Security of life is no longer there and whether one be a student or teacher, member of any commission or employee of any office and who so ever one may be, the life is not secure there. The steps so far taken by the Central Government or the State Government have fallen too short to check the increasing lawlessness in that State. The situation is deteriorating day by day and the Government have completely failed to tackle the situation.

From the recent incidents of breaking the Jails and other violent activities it is evident that some well organised Political Parties have an active hand in all these happenings. I want to know from the hon. Minister the names of those political parties which have an active hand in all these incidents and the effective steps are being taken to improve the situation. It appears that some anti-social elements have entered in the administration and Jail service during the Home Ministership of Shri Jyoti Basu. I want to know whether any steps are being taken to liquidate those elements.

Shri K. C. Pant: I fully share the concern expressed by the hon. Member. Every one in the country knows that there are certain political elements in the country which believe in the politics of violence. A detailed discussion has already taken place in the House about the political parties which believe in the politics of violence and it is not necessary for me to give their names, because every one in the country knows about them.

So far as the steps being taken in regard to the present situation in West Bengal, our first concern is to establish law and order there. The hon. Member is fully aware about the steps being taken to bring the situation under control. In addition to it every effort is being made to accelerate the economic development so that the youngmen disgusted by economic reasons are brought on the right path.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : यह एक गम्भीर चिन्ता का मामला है, क्योंकि यह इस प्रकार की केवल एक ही घटना नहीं है । जैसा कि प्रोफेसर मुकर्जी ने कहा है ऐसी ही घटनायें कुछ समय पहले बरहामपुर जेल, मिदनापुर जेल, दमदम सेन्ट्रल जेल तथा प्रेसीडेन्सी जेल में हुई हैं और अब यह घटना अलीपुर स्पेशल जेल में हुई है ।

समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार इस घटना में छः कैदी मारे गये हैं, जिनकी आयु 16 वर्ष से 22 वर्ष तक थी । मैं यह केवल इस लिये बता रहा हूं कि समाज विरोधी तत्व जेल

तोड़कर जीवन का खतरा मोल नहीं ले सकते । समाज विरोधी तत्व सामान्यतया कायर होते हैं तथा जेल में बन्द किये जाने के बाद वे जेल तोड़ने का प्रयास नहीं करते । वे ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें पथ भ्रष्ट कहा जा सके अथवा जिनसे आप राजनैतिक तौर पर सहमत न हों, परन्तु उन्हें समाज-विरोधी नहीं कहा जा सकता । वे राजनैतिक कैदी थे तथा मैं तो यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि जिस प्रकार सरकार तथा जेल प्रशासन को उन्हें रोकने का अधिकार प्राप्त है, उन्हें भी इसी प्रकार जेल तोड़कर भागने का अधिकार हासिल है । यदि वे लोग हिंसा पर उतारू होते हैं, तो वार्डर कहीं उन से अधिक हिंसा करते हैं । फिर मंत्री महोदय यह कह देते हैं कि उन्हें आत्म रक्षा में गोली चलानी पड़ी इत्यादि-इत्यादि । परन्तु कई मामलों में, विशेषतया दमदम सेन्ट्रल जेल के मामले में यह हुआ है कि जो नवयुवक मारे गये हैं, वे गोलियां लगने से नहीं मरे हैं, अपितु उन्हें लाठियों से बुरी तरह पीटा गया है, जिस के कारण उन की मृत्यु हुई ।

हर व्यक्ति के दिमाग में स्वभावतः कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं । जेल में इन कैदियों को घातक हथियार कौन देता है ? इस प्रश्न का आज तक कोई उत्तर नहीं दिया गया है । कई अन्य मौकों पर सरकार बार-बार यह कहती रही है कि पश्चिम बंगाल पुलिस में विभिन्न राजनीतिक तत्व घुस गये हैं तथा उन की एक अथवा दूसरे दल से सहानुभूति होती है । अतः उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है । यदि यह सही है, तो क्या इस बात की कल्पना की जा सकती है कि जेल कर्मचारी इस प्रभाव से अछूते होंगे ? वे भी अछूते नहीं रह सकते । फिर भी कोई जांच नहीं कराई गई है । इस बारे में जांच की जानी चाहिये, क्योंकि कुछ व्यक्तियों द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि जेल के वार्डर नक्सलपंथियों के समर्थक हैं जब कि कुछ व्यक्तियों द्वारा ये आरोप लगाये गये हैं कि जेल कर्मचारी नक्सलवादी-विरोधी हैं । ये गम्भीर आरोप हैं, इन की जांच कराई जानी चाहिये ।

फिर मैं यह जानना चाहता हूं कि उस गत चार सदस्यीय समिति का क्या हुआ, जिसे डिवीजनल आयुक्तों की रिपोर्टों का अध्ययन करने के लिये नियुक्त किया गया था ।

जेलों के अन्दर जो कुछ हो रहा है, उस के बारे में न्यायिक जांच कराने के बारे में उनके क्या विचार हैं ? क्या इस के लिये अभी समय नहीं आया है ? हर घटना को अलग थलग समझा जाता है तथा हर घटना के लिये कोई न कोई बहाना बना दिया जाता है । मैं समझता हूं कि यह मामला काफी गम्भीर हो गया है तथा इस समूचे मामले के बारे में न्यायिक चांज कराई जानी चाहिये । अब केन्द्र पश्चिम बंगाल के प्रशासन के लिये सीधे तौर पर जिम्मेदार है तथा मंत्री महोदय को संतोषजनक उत्तर देना चाहिए । उन्हें स्पष्ट बताना चाहिए कि वह इस बारे में क्या कर रहे हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : माननीय सदस्य ने कहा कि राजनीतिक कैदियों को जेल तोड़ कर बाहर निकलने का अधिकार है । अतः मैं यह नहीं समझ पाया कि क्या वह यह चाहते हैं कि सरकार को राजनैतिक कैदियों को जेल तोड़ कर बाहर निकलने को प्रोत्साहित करना चाहिये । मुझे एक जिम्मेदार संसद सदस्य के मुहं से यह बातें सुन कर, जिन से ऐसी घटनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा, आश्चर्य हुआ है ।

मै माननीय सदस्य की इस चिन्ता में शरीक हूं कि नवयुवकों के जीवन का इस प्रकार अन्त नहीं किया जाना चाहिये । परन्तु हमें यह भी देखना है कि उन्हें किन अपराधों के कारण गिरफ्तार किया गया है ।

मैं यह तो नहीं कह सकता कि दमदम जेल के मामले में क्या कुछ हुआ है परन्तु मैं अपने माननीय मित्र को आश्वासन दिलाता हूं कि यदि वार्डरों अथवा पुलिस द्वारा कोई ज्यादती की गई है, तो उन्हें सजा दी जायेगी।

मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि कुछ राजनीतिक तत्व जेल के अन्दर इस प्रकार की बात को भड़का रहे हैं। मैं किसी से भी इस सम्बन्ध में सूचना का स्वागत करूंगा ताकि मैं गम्भीरतापूर्वक इस मामले पर विचार कर सकूं।

जहां तक चार सदस्यीय समिति का सम्बन्ध है, अन्य जांच के बारे में मेरे पास जो जानकारी थी, वह मैंने प्रो० मुकर्जी के प्रश्न के उत्तर में सभा को दे दी है। चार सदस्यीय समिति के प्रतिवेदन के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं इस बारे में अवश्य पूछताछ करूंगा तथा यह पता लगाऊंगा कि क्या प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। इन प्रतिवेदनों की जांच करने के बाद ही हम निर्णय कर सकेंगे कि क्या कार्यवाही की जाये।

श्री समर गुह (कन्टाई) : यदि सरकार अथवा उस पक्ष के माननीय सदस्य यह समझते हैं कि विचाराधीन कैदियों अथवा गलियों में छिपे हुए संदिग्ध नक्सलवादियों को मारने से नक्सलवाद को समाप्त किया जा सकता है,तो यह उन की भारी भूल है। नक्सलवाद का स्रोत भिन्न है। यह एक आर्थिक तथा सामाजिक समस्या है तथा इस का स्रोत पचिश्म बंगाल की दयनीय स्थिति है। यदि नक्सलवाद का मुकाबला करना है, तो इस से राजनीतिक स्तर पर निपटना होगा। इस के लिये पश्चिम बंगाल में दयनीय आर्थिक स्थिति में तुरन्त सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

अलीपुर जेल को तोड़ने की घटना अचानक नहीं हुई है। ऐसी घटनायें आसनसोल, सिलिगुड़ी, बरहामपुर, प्रेजीडेन्सी जेल, मिदनापुर जेल तथा दमदम जेल में पहले भी हो चुकी हैं। पुलिस की हिरासत से बहुत से विचाराधीन कैदी बच निकले थे, मैं आप को आंकड़े दे रहा हूं। पुलिस की हिरासत से लगभग 90 विचाराधीन कैदी बच निकले हैं तथा लगभग 57 कैदी बच निकले और जेल वार्डरों द्वारा अन्धाधुन्ध गोली चलाये जाने के कारण 35 से 40 विचाराधीन कैदी मारे गये हैं। मंत्री महोदय ने स्वयं कहा है कि उन को हत्या करने के अपराध पर गिरफ्तार किया गया था। उन मामलों में से सरकार ने दर्जनों मामलों की जांच करने तथा दोषी पाये गये व्यक्तियों को सजा देने का प्रयास नहीं किया, पश्चिम बंगाल में विधि तथा व्यवस्था की इतनी दयनीय स्थिति है।

मिदनापुर जेल में अनेक व्यक्तियों को बड़ी निर्दयता से पीटा गया तथा मारा गया था। नक्सलवादियों के शरीरों पर उबलता हुआ पानी डाला गया था। इस से उत्तेजना पैदा हुई तथा स्थिति अधिक उग्र हो गई। इन सब बातों की जांच कराई जानी चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या नक्सलवादियों के पास जेल में भी हथियार होते हैं। क्या वह एक भी उदारण बता सकते हैं, जब कि किसी नक्सलवादी के पास जेल में भी हथियार पाये गये हों। मैं जानना चाहता हूं कि नक्सलवादियों के निहत्थे होने पर भी पुलिस वार्डर उनकी हत्या करने के लिये गोलियां क्यों चलाते हैं ?

अन्ततः वे विचाराधीन कैदी थे। उन का अपराध न्यायालय में सिद्ध नहीं किया गया था। अतः उन्हें पूरा अधिकार था कि उन्हें कैदी न समझा जाये। वे पुराने अपराधी नहीं थे। वे राजनैतिक

कैदी थे। उनके साथ इस प्रकार से व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये था। उनमें से कुछ व्यक्ति बहुत कुशाग्रबुद्धि छात्र थे। उनमें से कुछ प्रथम श्रेणी में उतीर्ण बी० एस० सी०, बी० ए०, एम० ए० तथा एम० एस० सी० थे। अत: उनके साथ पुराने अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये था। माननीय मंत्री को इस बारे में स्पष्ट उत्तर देना चाहिये तथा समूचे जेल प्रशासन की जांच करने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति गठित करनी चाहिये। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि उन्होंने लाठियों तथा टीयर-गैस का प्रयोग किए बगैर गोली क्यों चलाई। क्या जेल में मरने वालों के परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा और जेल प्रशासन में सुधार किया जाएगा।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मेरे मित्र ने हमें नक्सलवाद की समस्या को जड़ से उखाड़ने के लिये कुछ सामाजिक तथा आर्थिक कदम उठाने का सुझाव दिया है। मैं इससे सहमत हूं और हमने इस संबंध में भूमि सुधार संबंधी एक महत्वपूर्ण कानून भी बनाया था। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम कलकत्ता के विकास तथा वहां कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने का प्रत्येक प्रयास करेंगे। जहां तक गोली चलाये जाने का संबंध है, माननीय सदस्य तथ्यों को देखकर स्वयं इस बात की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सिपाहियों और वार्डरों के विरुद्ध कार्यवाही तभी की जा सकती है जब वे दोषी सिद्ध हो जाएं।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में की गई कार्यवाही को उचित ठहराने का प्रयत्न किया है। केवल यही एक घटना नहीं अपुति इस प्रकार की अनेक अन्य घटनाएं भी हैं। वास्तव में विचाराधीन बंदियों की बड़े पैमाने पर हत्याएं राष्ट्रपति शासन काल में शुरू हुई थीं। अब तो यह एक नियम सा बन गया है। पश्चिम बंगाल में कैदियों को पीट-पीट कर अथवा गोली मार कर मार दिया जाता है। वास्तव में ऐसा विरोधी शक्तियों को समाप्त करने के लिए किया जा रहा है और इसके लिये कोई न कोई कहानी गढ़ दी जाती है। इस प्रकार कहानियां बता कर और झूठे वक्तव्य दे कर आप अपनी हत्या नीति को उचित ठहराने का प्रयास कर रहे हैं।

सरकार तथा गृह मंत्रालय को अनेक ऐसे तथ्य बताए गए हैं जिनमें यह सिद्ध किया गया है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस दल अपने राजनीतिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए नक्सलवादियों के एक वर्ग तथा कुछ समाज विरोधी तत्वों को बढ़ावा देती है ताकि उनका उपयोग हमारे दल के विरुद्ध किया जा सके और हमारे प्रमुख नेताओं का अन्त कर दिया जाए। सरकार जानती है कि साधारण व्यक्ति पर लादे गए भारी बोझ के कारण आर्थिक जनता का विरोध बढ़ेगा और इसलिये पश्चिम बंगाल में लोकतांत्रिक आंदोलन को दबाने के लिये आज पुलिस, केन्द्रीय आरक्षित पुलिस, सीमा सुरक्षा पुलिस तथा औद्योगिक सुरक्षा पुलिस तैनात की जा रही है।

सरकार हत्या द्वारा विरोधी शक्तियों को समाप्त कर रही है। यह बहुत खतरनाक रवैया है और मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार अपनी यह हत्या की नीति छोड़ेगी या नहीं। पश्चिम बंगाल में बिगड़ी हुई कानून तथा व्यवस्था के लिये सरकार जिम्मेदार है और दिए गए वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि सरकार स्थिति में परिवर्तन नहीं करना चाहती। इसलिये मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या वे वर्तमान स्थिति में कुछ सुधार करने के लिये तैयार हैं। यदि ऐसा न किया गया तो इस प्रकार की और भी कई घटनाएं होंगी।

हमने जेल के अन्दर रह कर भी अनुभव प्राप्त किया है और हम जानते हैं कि जेल प्रशासन द्वारा बंदियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। उनमें मानवता है ही नहीं। यदि स्थिति में सुधार

करना है तो मामले की पूरी जांच करनी होगी और नए तरीके अपनाने होंगे ताकि इस प्रकार की घटना दोबारा न हो ।

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी (कलकत्ता-दक्षिण) : कर रक्षी समिति को साम्यवादी कम्युनिस्ट दल का आश्रय प्राप्त है । इस सम्बन्ध में यदि कोई पूछताछ हो, उसकी जांच की जानी चाहिए ।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मेरे माननीय मित्र ने अन्त में जो हत्या नीति का उल्लेख किया है, उस पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ । यह आश्चर्य जनक वक्तव्य तो उनके दल के रवैये के साथ मेल खाता है । क्या मैं उन्हें बता सकता हूं कि नक्सलवादी लोग उन्हीं के दल की संतान हैं जिसे वे अपने पास न रख सके । मैं मानता हूं कि आज पश्चिम बंगाल में हिंसा और भय व्याप्त है और वहां खून-खराबा हो रहा है जिसकी हम सब को बहुत चिन्ता है । परन्तु इसकी जिम्मेदारी ऐसे लोगों पर है जो हिंसा के प्रचारक हैं ।

मैं अपने मित्र से अनुरोध करूंगा कि वे हमें ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने में सहायता दें ताकि वहां सीमा सुरक्षा दल अथवा सेना को भेजने की आवश्यकता ही न पड़े । परन्तु जब तक वहां अराजकता व्याप्त है, सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वहां कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रत्येक आवश्यक कार्यवाही करे ।

Shri B. S. Bhaura : (Bhatinda) : I request that an Enquiry Commission on the pattern of Dass Commission may be appointed to look into the charges of corruption levelled against the Akali and Jansangh Ministers of Badal Ministry in Pubjab.

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : A huge sum of money has been recovered from house of a relative of the Chief Minister of Maharashtra. There should be a discussion in this matter also.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय टेलीग्राफ (पांचवां संशोधन) नियम

संचार मंत्री (श्री एच० एन० बहुगुना) : मैं भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय टेलीग्राफ (पांचवां संशोधन) नियम,1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 29 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 799 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 653/71]**

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) तीसरा संशोधन नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 26 जून, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 980 में प्रकाशित हुए थे ।

(2) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) तीसरा संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 26 जून, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 981 में प्रकाशित हुए थे।

(3) भारतीय प्रशासनिक सेवा (आपात कमीशन-प्राप्त तथा अल्प सेवा कमीशन-प्राप्त अधिकारी) (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 26 जून, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 982 में प्रकाशित हुए थे।

(4) भारतीय पुलिस सेवा (आपात कमीशन-प्राप्त तथा अल्प सेवा कमीशन-प्राप्त अधिकारी) (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 26 जून, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 983 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिये संख्या एल० टी०-654/71]

अन्तर्राज्य निगम अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं अन्तर्राज्य निगम अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उपधारा (5) के अन्तर्गत अधिसूचना एस० ओ० 3197 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 5 जून, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 28 मार्च, 1969 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1304 के हिन्दी संस्करण का शुद्धि पत्र दिया गया है, सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-655/71]**

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वार्षिक प्रतिवेदन और तत्सम्बन्धी विवरण

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1967-68 और 1968-69 के वार्षिक प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-656/71]**

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदनों की सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी अंग्रेजी तथा संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०-657/71]**

अकार्बनिक रसायन का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम और कहवा बोर्ड के लेखे

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) निर्यात (किस्म नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अकार्बनिक रसायन का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम

1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 जून, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2454-ख में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-658/71]**

(2) कहवा बोर्ड के वर्ष 1969-70 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 659/71]**

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS
चौथा प्रतिवेदन

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE
प्रथम प्रतिवेदन

श्री सी० सी० देसाई (साबरकंठा) : मैं विदेश मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग तथा पुनर्वास विभाग के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 1970 तथा विनियोग लेखे (सिविल) 1968-69 के बारे में लोक लेखा समिति का पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

दिनांक 30 जून, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 814 के उत्तर में शुद्धि
CORRECTION OF ANSWERS TO S.Q. NO. 814 DATED 30.6.71.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : नेता जी जांच आयोग की सहायता के लिए विधिवक्ता की नियुक्ति के सम्बन्ध में तारीख 30-6-1971 को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० 814 के पूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि जिस एक अन्य विधिवक्ता का चयन किया गया था, उसे नियुक्त नहीं किया जा सका क्योंकि आयोग ने यह बताया था कि वह विधिवक्ता उसी मामले में एक अन्य जांच के सम्बन्ध में वकालत कर चुके हैं जो श्रीशाह नवाज खां की अध्यक्षता में की गई थी। वास्तविक स्थिति यह है कि उस विधिवक्ता ने वर्तमान जांच आयोग के समक्ष श्री शाह नवाज खां के विधिवक्ता के रूप में वकालत की थी, जो इस आयोग में गवाह थे, परन्तु जो सरकार द्वारा नियुक्त पहले की एक जांच समिति के अध्यक्ष थे।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : महोदय, आपने अमरीकी टेलीवीजन कर्मचारियों द्वारा सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किए जाने के सम्बन्ध में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है किन्तु हमने स्थगन प्रस्ताव इसलिए पेश किया था क्योंकि हम इस विषय पर चर्चा करना चाहते थे। इस सम्बन्ध में सारी जिम्मेदारी सरकार पर है।

अनुदानों की मांगें (सामान्य)—जारी
DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL)—CONTD.

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग—जारी

अध्यक्ष महोदय : श्री सिद्धार्थ शंकर राय अपना भाषण जारी रखेंगे ।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री तथा संस्कृति विभाग मंत्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राय) : मैं विभिन्न सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा । मुझे इस बात का दुख है विभिन्न विरोधी दलों के नेताओं ने हमारे विचारार्थ अपने विचार नहीं रखे हैं ।

समाज कल्याण विभाग के सम्बन्ध में कई बातें कही गई हैं । पहली मांग यह है कि चालू वर्ष में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटित की गई 5 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ा कर 10 करोड़ रुपए कर दिया जाए । इस सम्बन्ध में शायद मांग संख्या 104 के अन्तर्गत 1971-72 के लिये बजट अनुमान में रखे गए 5.83/8 करोड़ रुपये के उपबन्ध का उल्लेख किया गया है । वास्तव में इन जातियों के लिए किये गये अधिकांश उपबन्ध वित्त मंत्रालय की मांग संख्या 21 तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई सहायता अनुदान के अन्तर्गत आते हैं और इस प्रकार इन जातियों के कल्याण के लिये रखी गई राशि कुल मिला कर 16 करोड़ रुपये होती है । इससे मेरा अभिप्राय यह नहीं कि यह राशि पर्याप्त है ।

एक अन्य बात यह उठाई गई है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूजित जन-जातियों के लिये योजना में की गई व्यवस्था अपर्याप्त है । यह ठीक है क्योंकि समस्याएं बहुत अधिक हैं, किन्तु मैं यह बताना चाहूंगा कि चौथी योजना में 142 करोड़ रुपये की कर व्यवस्था की गई है जबकि गैर योजना बजट के 35 करोड़ रुपये अलग हैं । इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्य सरकारें अपने गैर-योजना बजटों से पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पहले ही लगभग 30 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खर्च कर रही हैं । इसके अतिरिक्त सरकार को इस ओर भी ध्यान देना है कि आवंटित की गई राशि का एक-एक पैसा समुचित रूप से खर्च किया जाए ।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के सम्बन्ध में कहा गया है कि इनकी दर बढ़ा दी जानी चाहिये क्योंकि ये दरें बहुत पहले निश्चित की गई थीं । मैं यह बताना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित किसी छात्र को लगभग वही छात्रवृत्ति मिलती है जो कि अन्य समुदायों के किसी छात्र को मिलती है । वास्तविकता यह है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के छात्रों को यह छात्रवृत्तियां कुछ अधिक ही मिलती हैं ।

श्री सिद्धार्थ शंकर राय : अनुसूचित जातियों के बारे में मैं कहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को यह मिलना है । इस के बारे में मैं विस्तार से कहूंगा ।

श्री के० एस० चावड़ा : यह सही नहीं है ।

श्री सिद्धार्थ शंकर राय : अनुसूचित आदिम जातियों के सम्बन्ध में प्रत्येक व्यक्ति को मिलती है तथा अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में केवल उनको मिलती है जिनके पिता अथवा अभिभावक की आय 500 रुपये से कम है । माननीय सदस्य मुझे बताएं कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं, जिनके अभिभावकों की आय 500 रुपये से कम है ।

एक माननीय सदस्य : बहुत कम ।

श्री सिद्धार्थ शंकर राय : वास्तव में अनुसूचित जाति का प्रत्येक विद्यार्थी मैट्रिक के बाद की इस छात्रवृत्ति का हकदार है । जहां तक सामान्य विद्यार्थियों का प्रश्न है, कुछ और भी शर्तें हैं । इस सम्बन्ध में जो आंकड़े दिये गये हैं उनसे आपको जान पड़ेगा कि कुछ प्रगति हुई है और हमने इस दिशा में निश्चित कदम उठाए हैं । 1950-51 में छात्रवृत्ति पाने वाले अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों की संख्या केवल 1,316 और अनुसुचित आदिम जातियों की संख्या 348 थी । 1970-71 में छात्रवृति पाने वाले अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों की संख्या 1,57,000 तथा अनुसूचित आदिमजातियों के विद्यार्थियों की संख्या 29,200 है । अनुसूचित जातियों के मामले में 120 गुना तथा अनुसूचित आदिम जातियों के मामले में 85 गुना वृद्धि हुई । यह संख्या और अधिक होनी चाहिए । बात करने की यह है कि यह सुनिश्चित किया जाये कि इन छात्रवृत्तियों से वे अधिकाधिक लाभ उठाएं ।

अब हमने यह निर्णय किया है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उन विद्यार्थियों को जो 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करते हैं अथवा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हैं, अनुरक्षण भत्ते की सामान्य दर का $1\frac{1}{2}$ गुना अधिक भत्ता दिया जायेगा । दिल्ली मे हाल में हुए समाज कल्याण मंत्रियों के सम्मेलन में राज्य मंत्रियों ने यह सुझाव दिया कि 90 प्रतिशत को घटा कर 55 प्रतिशत कर दिया जाये । इस पर विचार किया जा रहा है । अभी 60 प्रतिशत की ही शर्त है । जहां तक साक्षरता के आंकड़ों का सम्बन्ध है, मेरे पास 1931 और 1961 के आंकड़े हैं । 1931 में साक्षरता कुल जनसंख्या की 9.5 प्रतिशत तथा 1961 में 28.29 प्रतिशत थी । अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में साक्षरता 1931 में 1.9 प्रतिशत और 1961 में 10.27 प्रतिशत, अर्थात् 10 गुना अधिक थी । यह अधिक नहीं है ।

श्री के० एस० चावड़ा : 1961 की जनगणना के अनुसार सामान्य जनसंख्या की साक्षरता 24 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों की 10.27 प्रतिशत थी । इसका अर्थ यह है दोनों के बीच बड़ा अन्तर है ।

श्री सिद्धार्थ शंकर राय : अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में 10 गुना वृद्धि हुई जबकि सामान्य जनसंख्या के मामले में केवल 3 गुना वृद्धि हुई । इसी तरह से अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में वह 1931 में 0.7 प्रतिशत थी जबकि 1961 में 8.54 प्रतिशत थी जो लगभग 8 गुना अधिक है । आशा है 1971 के आंकड़ों से भी इस मामले की प्रगति मालूम होगी ।

इसके अतिरिक्त पब्लिक स्कलों में 25 प्रतिशत प्रवेश निशुल्क होगा । सरकार की यह नीति है कि शिक्षा से वर्गों का सभी भेद भाव समाप्त किया जाये । इस दिशा में पहला कदम यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि प्रत्येक योग्य बच्चे को पब्लिक स्कूलों में प्रवेश पाने का हक हो । अभी इनमें 25 प्रतिशत निशुल्क प्रवेश है किन्तु अगले कुछ वर्षों में सभी प्रवेश निशुल्क होंगे । इस 25 प्रतिशत निशुल्क प्रवेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए अनुपात में प्रतिशत आरक्षित किया गया है ।

जहां तक छात्रावास और आश्रम विद्यालयों का सम्बन्ध है, 31 मार्च, 1969 तक अनुसूचित जन जातियों के लिये 1100 छात्रावास, अनुसूचित जातियों के लिये 3030 और 733 आश्रम विद्यालय हैं । डा० भंडारे ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के संगठनों की समस्या के विभिन्न पहलुओं का व्यापक सर्वेक्षण की जो महत्वपूर्ण बात कही है, हम विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित

जातियों और अनुसूचित जन जातियों को मिली छात्रावास तथा छात्रवृत्ति के आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं। इन आंकड़ों से मालूम होता है कि विभिन्न स्तरों पर अपव्यय और स्थिरता है। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की शिक्षा के सम्बन्ध में प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक की बारह चुने हुये राज्यों में, जिनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल शामिल हैं, अवस्थानुसार गहन अध्ययन करने के लिए कहा गया है। अब यह अध्ययन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के अध्यापकों के सम्बन्ध में भी किया जायेगा। यह अध्ययन अगले 12 या 18 महीने में पूरा हो जायेगा। इन अध्ययनों के आधार पर वर्तमान पद्धति में सुधार करने के लिये उपयुक्त नीतियां बनायी जायेंगी। फिलहाल हम एक व्यावहारिक कठिनाई को दूर करने की महत्वपूर्ण शुरुआत कर रहे हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थी दो विशिष्ट तरीके की कठिनाइयां हैं। एक तो उन्हें विद्यालयों में आसानी से प्रवेश नहीं मिलता है दूसरे इन विद्यार्थियों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन अथवा उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस प्रकार का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। हम इन विद्यार्थियों के लिये प्रवेश दिलाने का प्रयत्न करेंगे और अगले वर्ष से पब्लिक स्कूलों में 25 प्रतिशत का जो उल्लेख किया गया है उसमें इनके लिए आरक्षण किया जायेगा। 18 अगस्त को पब्लिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की बैठक होगी और इसमें इसकी रूप रेखा रखी जायेगी। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को खासतौर से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को जिन संस्थानों में पढ़ते हैं, व्यक्तिगत मार्गदर्शन दिया जाये।

यह सुझाव दिया गया है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की शक्तियों में वृद्धि की जाये। अनुच्छेद 338,-उप खंड (2) के अन्तर्गत उसे यह शक्ति प्राप्त है कि वह संविधान के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये रक्षोपाय से सम्बन्धित सभी मामलों की जांच करे और इन रक्षोपायों के कार्यचालन के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे।

आयुक्त की अग्रता क्रम के सम्बन्ध में पद ऊंचा करने का जो सुझाव दिया गया है, उसके बारे में मेरा विचार है कि अग्रता क्रम किसी व्यक्ति की योग्यता की कोई कसौटी नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उनके कार्य में हम सब सहायता करेंगे।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिये 5 क्षेत्रीय निदेशकों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण सम्बन्धी कर्मचारियों की बजाय सहायक आयुक्त नियुक्त करने, दूसरे सुझाव के सम्बन्ध में यह मामला नये आयुक्त पर निर्भर करता है। यदि वे समझते हैं कि यह अधिक लाभदायक होगा तो वे अपनी आवश्यकताओं को निर्धारित करेंगे।

नये बौद्धों के बारे में कहा गया है कि वे सामाजिक, आर्थिक तथा शिक्षा की दृष्टि से उतने ही पिछड़े हुये हैं जितनी कि अनुसूचित जातियां हैं और उन्हें भी वही सुविधाएं दी जायें जो अनुसूचित जातियों को दी जाती हैं। इस सम्बन्ध में मैंने सुझाव दिया है कि मंत्रिमंडल इस प्रश्न पर विचार करे।

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (संशोधन) विधेयक, 1967 पुरः स्थापित किये जाने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

सातवां प्रश्न अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के बारे में है। इस प्रश्न पर समाज कल्याण मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा हुई थी और मैंने अनुभव किया कि यह अधिनियम वास्तव में प्रभावी है।

इस सम्बन्ध में इस सत्र या अगले सत्र में एक विधेयक पुरःस्थापित किया जायेगा। इसमें संशोधन के जरिये अधिनियम के अन्तर्गत दंड बढ़ाया जायेगा तथा कुछ अपराध प्रशम्य नहीं होंगे तथा उन वक्तव्यों और लेखों को जो धर्म अथवा अन्य आधार पर अस्पृश्यता की प्रथा का प्रचार करते हैं इस अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में लाये जायेंगे।

आठवां प्रश्न जमींदारों तथा महाजनों द्वारा शोषण किये जाने के बारे में है। श्री दशरथ देव ने सरकार से कहा है कि अनुसूचित जन जातियों से गैर अनुसूचित जनजातियों को भूमि के स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध लगाया जाये। किन्तु भूमि तथा भू-राजस्व राज्य का विषय है और मैंने इस बारे में प्रत्येक राज्य के मंत्री से सम्मेलन में चर्चा की है। कुछ राज्यों में प्रतिबन्ध है। यह सुझाव दिया गया है कि इन कानूनों को उचित रूप से क्रियान्वित किया जाये और जहां कोई कानून नहीं हैं वहां, नये कानून बनाये जायं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के विरुद्ध हिंसा के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के बारे में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया है कि जिला स्तर पर डिपुटी कमिश्नर तथा पुलिस अधीक्षक और निर्वाचित प्रतिनिधियों की समितियां बनायी जायें। कुछ राज्यों में ऐसी समितियां हैं अथवा बनायी गयी हैं; अन्य राज्य इस पर ध्यान दे रहे हैं। राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से यह भी निवेदन किया गया है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर आक्रमण के मामलों की उच्च पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच की जाये और जो अधिकारी इन मामलों पर कार्यवाही करने में अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

महाजनों द्वारा शोषण किये जाने के सम्बन्ध में कुछ राज्यों में कानून बनाये जा रहे हैं। अधिकांश राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की भूमि का हस्तांतरण करने पर कानूनी प्रतिबन्ध भी लगाया गया है।

श्री साधू राम द्वारा दिये गये इस सुझाव के सम्बन्ध में कि एक वित्त निगम की स्थापना की जाये, हमने राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को लिखा कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों द्वारा चलाये जाने वाले लघु कुटीर उद्योगों के लिये वित्त की व्यवस्था करने के लिए वित्त निगम बनाये जायें। पंजाब, हरियाणा, आसाम और राजस्थान में ऋण देने की योजनाएं हैं।

अन्तिम महत्वपूर्ण प्रश्न सेवाओं में आरक्षण के सम्बन्ध में है। कई माननी सदस्यों ने सुझाव दिया है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये पदोन्नति पदों में आरक्षण किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय है और इस निर्णय का पालन किया जाना चाहिए।

इस समय वर्ग 2, 3 और 4 में और उन वर्गों अथवा सेवाओं में जिनमें प्रत्यक्ष भर्ती 50 प्रतिशत से अधिक नहीं है, अनुसूचित जातियों के लिये 15 प्रतिशत और अनुसूचित जन जातियों के लिये $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत पद आरक्षित किये गये हैं तथा वर्ग 3 तथा वर्ग 4 में ऐसे वर्गों अथवा सेवाओं में जिनमें प्रत्यक्ष भर्ती 50 प्रतिशत से अधिक नहीं है, चयन द्वारा अनुसूचित जातियों के लिये 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत पद आरक्षित किये गये हैं। चयन वाले

पदों के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायलय का निर्णय है और इसका पालन किया जाना चाहिये। वास्तव में राज्यों के मंत्रियों की गत बैठक में यह कहा गया था कि इस सम्बन्ध में कोटा पूरा नहीं किया गया और यह अच्छी बात नहीं है। केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत शिक्षा मंत्रालय के अधीन भी एक दो संस्थानों में कोटा पूरा नहीं किया गया है। केन्द्रीय सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों में यह सुनिश्चित करने के लिये कि कोटा पूरा किया जाये, एक उच्चशक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की गई है। इस समिति ने लोक सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का अधिकाधिक प्रतिनिधित्व करने के लिये कई उपाय किये हैं। यह समिति प्रधान मंत्री के सभापतित्व में बनाई गई है और यह समिति समय समय पर जारी किए गए आरक्षण सम्बन्धी आदेशों के कार्य चालन की सभीक्षा करती है। इस समिति में शिक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री, कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री तथा विभिन्न महत्वपूर्ण अधिकारी सदस्य हैं। सरकार इस दिशा में पूरा प्रयत्न कर रही है।

अब मैं शिक्षा के प्रश्न पर आता हूं।

श्री बी० पी० मौर्य : Is there any reservation after 1968 judgement of Supreme Court क्योंकि अनुच्छेद 335 में कहा गया है "कार्यपटुता बनाये रखने की संगति के अनुसार"। कार्य पटुता के नाम पर अनुसूचित जातियों को कुछ नहीं मिलेगा।

श्री सिद्धार्थ शंकर राय : उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विचार किया जा रहा है और विश्वास दिलाता हूं कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पालन किया जायेगा।

Shri T. Sohan Lal : Land lords forcibly occupy land which was given to the people of Scheduled Castes by the State Governments. When they think of filing a Suit, there is the question of money before them. Therefore, what action is being taken by Government ?

श्री सिद्धार्थ शंकर राय : मैंने इसका उत्तर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के शोषण पर अपने भाषण में दे दिया था।

शिक्षा के सम्बन्ध में जो 12 मुख्य प्रश्न किये गये हैं, वे हैं : शिक्षा पद्धति का पुनर्निर्माण शिक्षा के लिये धनराशि का नियतन, प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता, माध्यमिक शिक्षा, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा पंजाब विश्वविद्यालय तथा गुरू नानक विश्वविद्यालय के बीच विवाद, उर्दू का दर्जा तथा विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का उत्पादन अध्यापकों के विशेषरूप से दिल्ली के सम्बन्ध में वेतन मान तथा सेवा की शर्तें, विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में छात्रवृत्तियां, तकनीकी शिक्षा, कला वस्तुओं की चोरियों को रोकना तथा ऐतिहासिक स्मारकों का रख रखाव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के बारे में कुछ गम्भीर आरोप। इसके अतिरिक्त डा० कैलाश ने राष्ट्रीय खेल परिषद तथा शिक्षा में खेलों के स्थान के बारे में पूछा है।

इस विषय पर बहुत से सदस्यों ने चर्चा की। प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा की समस्याओं पर चर्चा की गई और हमारी शिक्षा पद्धति की जापान और रूस जैसे देशों की शिक्षा पद्धति से तुलना की गयी। यह कहा गया है कि हमारे देश में शिक्षा पद्धति हमारी महान सांस्कृतिक विरासत पर पर्याप्त रूप से बल नहीं देती और यह राष्ट्रीय एकता, धर्म निरपेक्षता, लोकतंत्र तथा समाजवाद जैसी आवश्यक गुणों को नहीं बनाती है। विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता आदि पर ध्यान आकर्षित किया गया। हमारी शिक्षा पद्धति का जो विश्लेषण किया गया है, उससे मैं सहमत हूं।

चुनावों में दिये गये वचनों के बारे में हमें स्मरण कराया गया है। मेरा प्रथम काम यही रहा है कि निर्वाचन में दिये गये वचन के अनुसार शिक्षा पद्धति का पुनर्निर्माण किया जाये।

मैंने अनुभव किया है कि शिक्षा के पुनर्निर्माण के विस्तृत विशिष्ट कार्यक्रम तैयार करने में छः महीने लगाये जायें। और अगले वर्ष से उनको क्रियान्वित किया जाये। मैं कुछ कार्यक्रम इसी वर्ष आरम्भ करना चाहता हूं। इस वर्ष क्रियान्वित करने के लिये पांच कार्यक्रम चुने हैं। इनमें पहला है प्राथमिक शिक्षा। इसके दो पहलू हैं। एक तो इसे निशुल्क बनाना और दूसरा इसे अनिवार्य करना। हम प्राथमिक शिक्षा को निशुल्क बनाने तथा इसका कम विकसित राज्यों में विस्तार करने का प्रयत्न करेंगे। दूसरा कार्यक्रम पब्लिक स्कूलों में छात्रवृत्तियां देने का है जिसके बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं। तीसरा भारत में शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में एक खेल के मैदान की व्यवस्था करना है। चौथा कार्यक्रम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये शिक्षा के बारे में गहराई से अध्ययन करना है। इसके बारे में मैं पहले कह चुका हूं। अन्तिम कार्यक्रम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की शिक्षा की किस्म में सुधार करना तथा उन्हें संस्थानों में प्रवेश दिलाना है। लम्बे अरसे के कार्यक्रमों को आरम्भ करने की भी हमने तैयारियां की हैं जो कि अगले वर्ष से आरम्भ किये जायेंगे।

हम कुछ कार्यक्रमों को तैयार कर रहे हैं। इनमें पहला कार्यक्रम संविधान के अनुच्छेद 45 में दिये गये निदेशक तत्वों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के विस्तार और सुधार के लिये प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग योजना बनाना। दूसरा माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक तथा अधिक व्यावहारिक बनाना। तीसरा, उच्च शिक्षा के स्तर को उठाना। चौथा शिक्षा का गुणात्मक सुधार करना और पांचवां कार्यक्रम शैक्षणिक प्रशासन में सुधार करना है। आशा है कि अगले वर्ष तक इस सम्बन्ध में हम कुछ प्रगति कर सकेंगे।

शिक्षा के लिये धन राशि के नियतन के बारे में हमें वित्त की काफी कठिनाई है और अधिक धन राशि का नियतन करने के लिए प्रयत्न किये जाने चाहिये।

चौथी योजना में शिक्षा के लिये 823 करोड़ रुपये का नियतन किया गया है जबकि तीसरी योजना में 586 करोड़ रुपया किया गया था। इसके अतिरिक्त योजना से भिन्न व्यय भी काफी है। देश में प्रति वर्ष शिक्षा पर योजना तथा योजना से भिन्न व्यय 950 करोड़ रुपया होता है। इससे अधिक व्यय केवल रक्षा पर होता है। किन्तु यह भी महत्वपूर्ण है कि हम भविष्य में उपलब्ध साधनों का भली प्रकार उपयोग करें और उनसे अधिकतम लाभ प्राप्त करें।

तीसरी बात प्राथमिक शिक्षा के बारे में है। इस समय दो राज्यों अर्थात् जम्मू और काश्मीर एवं नागालैंड में सभी प्रकार की शिक्षा निशुल्क है। तमिलनाडु में पी० यू० सी० कक्षाओं सहित सभी शिक्षा निशुल्क है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और मैसूर में माध्यमिक स्तर तक सभी शिक्षा निशुल्क है। महाराष्ट्र में प्राथमिक शिक्षा निशुल्क हैं। जिन बच्चों के माता पिता की वार्षिक आय 1200 रुपये से कम है, उनके लिये सभी स्तरों पर शिक्षा निशुल्क है। राजस्थान में लड़कियों के लिये सभी शिक्षा तथा लड़कों के लिए प्राथमिक शिक्षा निशुल्क है। पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश और उड़ीसा में प्राथमिक शिक्षा निशुल्क है। उत्तर प्रदेश में लड़कियों के लिए आठवीं कक्षा तक तथा लड़कों के लिये छठी कक्षा तक शिक्षा निशुल्क है। पश्चिम बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के लिए आठवीं कक्षा तक तथा लड़कों के लिये ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में पांचवीं तक शिक्षा निशुल्क है किन्तु

कलकत्ता तथा कुछ अन्य शहरी क्षेत्रों में अभी निशुल्क नहीं है। आसाम में लड़कियों के लिए आठवीं कक्षा तक तथा लड़कों के लिये पांचवीं कक्षा तक शिक्षा निशुल्क है। सभी संघ राज्य क्षेत्रों में भी प्राथमिक शिक्षा निशुल्क है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को पूर्व उल्लिखित योग्यताओं के अनुसार शिक्षा निशुल्क दी जाती है।

इसके अतिरिक्त सभी शिक्षा संस्थाएं सामान्यतया कुछ प्रतिशत निशुल्क छात्र वृत्तियां देती हैं। निशुल्क शिक्षा के सम्बन्ध में हमारी आज यह स्थिति है।

दूसरा प्रश्न 14 वर्ष तक की आयु के सभी लड़कों और लड़कियों के लिए प्राथमिक शिक्षा व्यापक अथवा अनिवार्य करने का है, जैसाकि अनुच्छेद 45 में बताया गया है। हमें 11 वर्ष का विलम्ब हो गया है और शीघ्र ही यह विलम्ब 12 वर्ष का हो जाएगा। यह एक बहुत बड़ी समस्या है और हमें इसे दृढ़ निश्चय के साथ निपटाना होगा। 1951 में 6 से 11 वर्ष की उम्र के 182 लाख बच्चों को यह सुविधा मिलती थी किन्तु 1971 में लगभग 605 लाख अथवा 80 प्रतिशत बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 11-14 वर्ष की उम्र के बच्चों के सम्बन्ध में प्रगति इतनी संतोषजनक नहीं है।

प्राथमिक शिक्षा को निशुल्क करने के प्रश्न का समाधान केवल बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में है। इस बारे में कुछ वित्तीय कठिनाइयां हैं फिर भी सरकार जितना भी अधिक से अधिक हो सकेगा, करेगी।

इस वर्ष के बजट में हमने शिक्षित व्यक्तियों के रोजगार के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसके अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के प्रसार को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। सभी राज्यों में तथा विशेषरूप से कम विकसित राज्यों में अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति की स्वीकृति के लिए कार्यक्रम बनाया गया है।

प्राथमिक शिक्षा का विकास भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है। केरल अथवा तमिलनाडू और राजस्थान अथवा बिहार जैसे राज्यों में इस सम्बन्ध में कोई समानता नहीं है। उदाहरण के लिये, केरल अथवा तामिलनाडू राज्य तो 1980 तक इस सम्बन्ध में संवैधानिक निर्देश को पूरी कर सकेंगी। इसके लिये इन राज्यों की सरकारें बधाई की पात्र हैं। बिहार अथवा राजस्थान ऐसा नहीं कर सकेंगी अतः हर राज्य की प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी योजना अलग-अलग होनी चाहिये। हम इसी दिशा में योजना बना रहे हैं तथा एक उच्च-स्तरीय दल को यह काम सौंपा गया है।

हम प्रौढ़ अशिक्षा और विशेष कर 14 से 25 वर्ष तक की छोटी आयु के वर्ग की अशिक्षा दूर करने के लिये एक योजना भी बनाना पसन्द करेंगे। प्राथमिक शिक्षा और अशिक्षा को दूर करने के लिये कार्यक्रमों में हम युवकों और युवक स्नातकों को जो अभी-अभी शिक्षा प्राप्त करके विश्व विद्यालयों से निकले हैं, व्यापक रूप में रचनात्मक कार्यों में लगाने की आशा करते हैं। हम राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों में इन स्नातकों को शामिल करना चाहते हैं। ऐसी आशा है कि प्रत्येक युवक स्नातक एक या दो वर्ष राष्ट्रीय सेवा के इन कार्यक्रमों में शामिल हो सकेगा। हम नये स्नातकों को प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता के प्रसार करने के अभिप्राय से अपने जीवन के दो वर्ष देने के लिये कहेंगे। उनको वेतन दिया जायेगा और उन्हें सरकारी नौकरी में भर्ती करते समय उनकी इस सेवा का ध्यान भी रखा जायेगा। ऐसी सेवा में एक छात्र अथवा स्नातक द्वारा व्यतीत की गई अवधि को

आयु सम्बन्धी प्रतिबंधों से छूट देने के लिये गिना जायेगा। हमें इन योजनाओं के लिये राज्य सरकार से बातचीत करनी पड़ेगी। और उनकी इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये प्रार्थना भी करनी पड़ेगी।

शिक्षा को बहुत ही व्यावहारिक बनाने और माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बताये जाने के सम्बन्ध में हमारी शिक्षा प्रणाली में दोष यह रहा है कि यह किताबी ज्ञान पर अधिक केन्द्रित है। हमारे छात्र विभिन्न विषयों के बारे में पढ़ते लिखते हैं किन्तु उन्हें अपने हाथों से कोई कार्य करना नहीं सिखाया जाता। श्रम की गरिमा की भावना जगाने का कोई प्रयास नहीं किया जाता। अतः वह और कोई काम न कर केवल सरकारी नौकरियां चाहते हैं। अतः हमारी शिक्षा प्रणाली में सबसे अधिक सुधार इस सम्बन्ध में करने की आवश्यकता है। ताकि वह श्रम की गरिमा को समझें और उन्हें उनको अपने हाथों से काम करने के अवसर दिये जायें और विशेषकर माध्यमिक कक्षाओं के लिये व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिये उन पर विशेष बल दिया जाये। अतः हमारा प्रस्ताव ऐसे कार्यक्रमों को लागू करने का है, जिनके अन्तर्गत प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में कार्य अनुभव सम्बन्धी कार्यक्रम भी लागू किया जा सके। चूंकि इसमें काफी सामग्री और प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होगी, इस लिये सभी स्कूलों में एक साथ ऐसा करना सम्भव नहीं होगा। यद्यपि हम इस कार्यक्रम को कुछ चुने हुये जिलों में आरम्भ करना चाहेंगे। इन कार्यक्रमों को कुछ चुने हुये जिलों में प्रारम्भ करने के प्रयास से हमें देश के सभी स्कूलों में इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिये काफी अनुभव प्राप्त हो जायेगा। कुछ ही वर्षों में कार्यक्रमों को पूरा करना सम्भव हो जाना चाहिये।

माध्यमिक शिक्षा स्तर पर हामारी शिक्षा प्रायः सैद्धान्तिक ही है। माध्यमिक स्कूलों में दाखिल किये गये 100 बच्चों में से 90 बच्चे सैद्धान्तिक शिक्षा प्राप्त करते हैं और केवल 10 ही व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करते हैं इस अनुपात में भारी अन्तर करना होगा। तथा 50 प्रतिशत से भी अधिक बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिये। कृषि, इंजीनियरी, वाणिज्य, औषध तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरम्भ करना बेहतर होगा। इसलिये हमारा दो स्तरों पर व्यावसायिक शिक्षा के एक बड़े कार्यक्रम को विकसित करने का प्रस्ताव है। कुछ में प्राथमिक स्तर के अन्त में और कुछ दूसरे मैट्रिक की समाप्ति पर क्षात्रों को दाखिला मिलेगा। जब यह कार्यक्रम विकसित और सफल हो जायेगा, तो माध्यमिक स्कूल के अधिकांश क्षात्र विश्व विद्यालयों में प्रवेश नहीं लेंगे अपितु वे विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश करेंगे या स्वनियोजित कामों में लग जायेंगे। इस तरह से शिक्षित बेरोजगारी की समस्या का कुछ सीमा तक समाधान हो जायेगा।

सरकार सभी विश्व विद्यालयों को, उनके कैम्पस के भी भीतर अवांक्षित राजनीतिक गतिविधियों का सामना करने के लिये अपना पूर्ण समर्थन देगी। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के मामले में कठिनाई यह है कि विभिन्न अधिकारियों को इमारत खाली करने के लिये उपकुलपति के निरन्तर प्रयासों के बावजूद वे इस इमारत पर अधिकार किये हुए हैं और 25 जुलाई 1970 को पारित कार्यकारी परिषद के प्रस्ताव के अनुसार 1941 में राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ को प्रदान की गई अनुमति को रद्द करने के बावजूद भी राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के अधिकारियों ने इस इमारत को खाली नहीं किया है।

जहां तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में विधेयक पेश करने में कुछ विलम्ब हुआ तो ऐसा इस मामले में सर्वथा मतैक्य प्राप्त करने के हमारे प्रयासों

के कारण ही हुआ । विधेयक अभी तक राज्य सभा के विचाराधीन है । इसी दौरान गजेन्द्र गडकर समिति ने विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और इस प्रतिवेदन पर विश्व विद्यालय अनुदान द्वारा विचार कर लिया गया है । इस समिति की सिपारिशों पर मन्त्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है और इस प्रतिवेदन को देखते हुये दीर्घ कालीन विधायी प्रस्ताव तैयार किये जायेंगे और यथाशीघ्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विधेयक पेश किया जायेगा ।

सरकार उर्दू को उचित दर्जा देने और विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के उत्पादन के सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठा रही है । जहां तक शिक्षा मन्त्रालय का सम्बन्ध है, इसने उर्दू की पुस्तकों के उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रम बना लिया है । इसके लिये 1 करोड़ रुपया पृथक रख दिया गया है । इस कार्यक्रम को सीधा केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाया जा रहा है । तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड के निरीक्षण में पुस्तकें प्रकशित की जायेंगी । मूल पुस्तकों तथा अनुवाद के लिये 600 शीर्षक चुने गये हैं । प्रकाशित होने के लिये 30 पाण्डुलिपियां भेजी जा रही हैं ।

जहां तक विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के उत्पादन का सम्बन्ध है, उसके लिये बनाये गये कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में कठिनाईयों को देखते हुए, राज्यों में राज्य सरकारों और पुस्तक उत्पादन संगठनों द्वारा शीर्षकों का चुनाव अनुवादकों, संशोधकों, विदेशी प्रकाशकों से अनुवाद करने के अधिकार प्राप्त करने और मुद्रित और प्रकाशित करने के लिये वास्तविक कार्य में पहले लगे समय को जो महत्व दिया गया है वह अधिक नहीं है और अब यह काम इस कार्यक्रम के सफल कार्यान्वित के लिये ठीक रूप से हो रहा है और उच्च स्तर पर लगातार और बार-बार इस पर होता रहता है ।

जहां तक दिल्ली स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमानों का सम्बन्ध है, शिक्षा मन्त्रालय ने अपने प्रस्ताव पेश कर दिये हैं और वित्त मन्त्रालय उन पर विचार कर रहा है । स्वभावत; इन प्रस्तावों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना है और इनका जो देश भर में प्रभाव पड़ेगा, उसको भी ध्यान में रखना होगा ।

सरकार दिल्ली शिक्षा विधेयक को इस सत्र में प्रस्तुत करने का प्रयास करेगी । शिक्षा के विभिन्न पक्षों के साथ साथ यह दिल्ली अध्यापकों की सेवा सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था भी इस विधेयक से सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया जायेगा । अध्यापकों की सेवाओं आदि सम्बन्धी झगड़ों को निपटाने के लिये एक न्यायाधिकरण की भी व्यवस्था होगी जिसका अध्यक्ष न्यायिक अधिकारी होगा ।

विश्वविद्यालय के अध्यापकों के सम्बन्ध में सरकार ने इनके वेतनों को, जिनमें हम राज्यों को 80 प्रतिशत अनुदान देते हैं, बढ़ाने की एक योजना बनाई है । इस योजना पर कार्य किया जा रहा है ।

सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को छात्रवृत्तियां देने की एक नई योजना बनाई है । इसे ग्राम्य प्रतिभा छात्रवृति योजना कहा जाता है । इस वर्ष से ही आरम्भ होने वाली इस योजना के अन्तर्गत हम 10,000 छात्रवृत्तियां प्रदान करेंगे । प्रत्येक समुदाय विकास खंड में सबसे योग्य छात्र को छात्रवृत्ति देने की योजना तो पहिले ही चल रही है । समस्त राज्यों ने इस योजना की सराहना की है और कुछ राज्य अपनी ही निधियों से इसी प्रकार की और छात्रवृत्तियां देने की योजना बना रहे हैं । इसके अतिरिक्त हम इस समय 8,500 राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां दे रहें हैं और अब सरकार इन छात्रवृत्तियों को बढ़ाकर 10,000 करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ।

हमने एक अन्य योजना बनाई है जो कि इसी वर्ष से आरम्भ हो जायेगी । इस योजना के अन्तर्गत योग्यता के आधार पर 50 विदेशी छात्रवृत्तियां दी जायेंगी । निसंदेह हम ऋण छात्रवृत्तियां देते हैं । इस प्रकार की छात्रवृत्तियां प्राप्त करने वालों की संख्या अब लगभग 20,000 पहुंच गई है ।

हमने तकनीकी संस्थाओं और उद्योग के बीच सहकारी आधार पर सैंडविच पाठ्य-क्रमों का आयोजन करना आरम्भ कर दिया है । सैंडविच प्रणाली के अन्तर्गत विद्यार्थी किसी निश्चित अवधि के दौरान एक वर्ष संस्थान में तथा दूसरा वर्ष उद्योग में बिताता है और इस प्रकार सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनों प्रकार का ज्ञान अर्जित करता है । पहले यह पाठ्यक्रम चुने गये 32 संस्थाओं में आरम्भ किया गया था और अब इसको अन्य संस्थाओं में आरम्भ करने का विचार है ।

इंजीनियरों की बेरोजगारी समस्या भी बड़ी गम्भीर समस्या है किन्तु हाल ही में इस समस्या की गम्भीरता में कुछ कमी होने के आसार नजर आने लगे हैं । इंजीनियरी स्नातकों और डिप्लोमा-धारियों को शिक्षुता का प्रशिक्षण देने के लिये तथा प्रति वर्ष 11,000 से अधिक प्रशिक्षण स्थानों की व्यवस्था करने के लिये हमने एक कार्यक्रम तैयार किया है । वास्तु शिल्प के लिये एक राष्ट्रीय ट्रस्ट की स्थापना के सुझाव पर अवश्य ही विचार किया जायेगा ।

इस सत्र में एक पुरावशेष विधेयक पेश किया जायेगा । सरकार एतिहासिक स्मारकों में संरक्षण तथा हमारी कला वस्तुओं की होने वाली चोरियों को रोकने के लिये यथासम्भव प्रयत्न करेगी ।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद पर होने वाले व्यय की आलोचना की गई है । किन्तु इस द्वारा किये गये कार्य के महत्व को देखते हुए यह अधिक नहीं समझा जाना चाहिए । क्योंकि यह परिषद महत्वपूर्ण कार्य कर रही है । स्कूलों की शिक्षा में सुधार तथा आवश्यक नेतृत्व की व्यवस्था करने के लिये एक विस्तृत राष्ट्रीय संगठन है । यह नितान्त आवश्यक है कि यह संगठन सुचारु रूप से तथा क्षमतापूर्वक कार्य करे ।

यह कहा गया है कि स्टाफ में अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों के व्यक्ति पर्याप्त संख्या में नहीं हैं । एक मांग यह भी की गई है एक व्यक्ति जांच समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाना चाहिये ।

सरकार प्रतिवेदन का अध्ययन कर रही है और ज्योंही यह अध्ययन कार्य पूर्ण हो गया, सरकार इस प्रतिवेदन को सभा पटल पर रख देगी । अनुसूचित जाति तथा जन जाति के लोगों की नियुक्ति के सम्बन्ध में सरकार ने यह बात ध्यान में रख ली है और यह सुनिश्चित करने के लिये कि इन लोगों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, सरकार हर सम्भव प्रयत्न करेगी ।

गुरु नानक विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय के वर्तमान झगड़े को जो कि गुरु नानक विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये, इन अनुदेशों से आरम्भ हुआ कि पंजाब विश्वविद्यालय के उन छात्रों को जिन्होंने अमृतसर और पटियाला मेडीकल कालेजों से पूर्व मेडीकल परीक्षा उत्तीर्ण की है, दाखिला नहीं दिया जायेगा, फिलहाल के लिये हल कर लिया गया है ।

भारत में खेलों पर जिन बातों का कुप्रभाव पड़ा है उनमें से एक बात यह है कि विभिन्न खेल निकाय तथा खेल संगठनों में कई लोग प्रवेश कर लेते हैं जो केवल राजनीति में अन्तर्ग्रस्त होते हैं । सरकार ने एक नीतिपूर्ण निर्णय यह लिया है कि राष्ट्रीय खेल परिषद के सदस्यों में से 50 प्रतिशत

सदस्य ऐसे होने चाहिएं जो विश्वविद्यालय के भूतपूर्व खिलाड़ी रहे हों। या वे जिन्होंने एक या दो बार राष्ट्रीय खेलों में अपने राज्य की ओर से खेला हो अथवा जिन्होंने भारत की ओर से खेला हो। 50 प्रतिशत सदस्यों का चयन ऐसे व्यक्तियों में से अवश्य होना चाहिये। हमारे पास खेल प्रशासक है और उनसे चयन के सम्बन्ध में समुचित सावधानी बरतनी है। किन्तु उन लोगों को जो राजनीति में ग्रस्त हैं, नम्रतापूर्वक कह दिया जाना चाहिये कि अब उनकी सेवा निवृति का समय आ गया है।

युवकों में निराशा उत्पन्न होने का एक यह कारण भी है कि हमने उनके अतिरिक्त शिक्षा हितों की ओर ध्यान नहीं दिया है और अब हमें यह काम करना ही पड़ेगा। हम शहरी क्षेत्रों में यथासम्भव उन अधिकाधिक स्कूलों को, जिनके पास खेल के मैदान हैं, खेल सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने के लिये इसी वर्ष से 50 लाख रुपये निर्धारित कर रहे हैं। हम समस्त राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में ठीक ढंग से इस धन का उपयोग करने के लिये सहयोग देने हेतु अनुरोध करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 6 से 8 तथा 12 से 49 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Cut Motions No. 6 to 8 and 12 to 49 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय की निम्नलिखित मांगे मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई :

The following demands in respect of the Ministry of Education and Social Welfare were put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
6	शिक्षा विभाग	1,00,57,000
7	शिक्षा	73,12,86,000
8	शिक्षा विभाग का अन्य राजस्व व्यय	2,49,59,000
9	समाज कल्याण विभाग	16,11,000
10	समाज कल्याण विभाग का अन्य राजस्व व्यय	4,91,29,000
113	शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	1,44,55,000

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संस्कृति विभाग की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं।

The following demands in respect of the Department of culture were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
98	संस्कृति विभाग	21,42,000
99	पुरातत्व विभाग	1,41,24,000
100	संस्कृति विभाग का अन्य राजस्व व्यय	3,36,44,000

औद्योगिक विकास मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब औद्योगिक विकास मंत्रालय की मांग संख्या 53 से 56 तथा 128 पर चर्चा करेगी। जो माननीय सदस्यों कटौती प्रस्ताव** प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे 15 मिनट के अन्दर अन्दर पर्चियां भेज दें। वे सभी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत समझे जायेंगे।

औद्योगिक विकास मन्त्रालय की वर्ष 1971-72 की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
53	औद्योगिक विकास मंत्रालय	77,43,000
54	उद्योग	5,12,43,000
55	नमक	60,24,000
56	औद्योगिक विकास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	15,74,46,000
128	औद्योगिक विकास मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	6,57,27,000

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : सर्व प्रथम मैं यह बताना चाहता हूं कि सत्तारूढ़ कांग्रेस का यह दावा कि वह एकाधिकार तथा आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण को समाप्त कर रही है, धोखा मात्र है। सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति में परिवर्तन कर दिया है और लगभग 75 व्यापार गृहों को इस सम्बन्ध में सरकारी सह मिली हुई है। 30 जून के स्टेट्समैन (दिल्ली अंक) के अनुसार वर्ष 1970 के दौरान उन व्यापार गृहों को, जिन्होंने 5 अरब रुपये से अधिक रुपया लगा रखा है, केवल चार लाइसेंस दिये गये। इसकी तुलना में 1971 में जनवरी से अप्रैल 1971 तक 21 लाइसेंस दिये गये और 15 आशय-पत्र तथा 46 व्यापार जारी-रखो लाइसेंस जारी किये गये।

औद्योगिक विकास मंत्रालय में श्री स्वामिनाथन ने 25 जुलाई को बताया कि बड़े औद्योगिक गृहों और विदेशी कम्पनियों पर उत्पादन के विस्तार सम्बन्धी कोई रोक नहीं लगा रखी है। इसके अलावा 12 मई, 1971 के स्टेट्समैन के अनुसार मंत्रालय ने उस वर्जित सूची को समाप्त कर दिया है जिसके अन्तर्गत लाइसेंसों के लिए दिये गये अनुरोध-पत्र लाइसेंसिंग समिति को सौपे बिना ही अस्वीकृत कर दिये जाते थे। इससे यह स्पष्ट है कि सत्तारूढ़दल ने चुनावों से पहले जनता को जो भी आश्वासन दिये हों अब सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिये पूंजीवादी रास्ता अपना लिया है। कृषि उत्पादन में वृद्धि के बावजूद जो औद्योगिक बाजार के लिए एक वरदान है, उद्योग स्थिर रूप में है और समूची अर्थव्यवस्था की भी गति से आगे बढ़ रही है।

वर्ष 1970-71 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार अर्थव्यवस्था में आशा के अनुसार प्रगति नहीं हुई है। उद्योगों में स्थिरता और संकट हमारी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता बन गई है। मंत्रालय के प्रतिवदन से यह स्पष्ट है कि अधिकांश उद्योगों में उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से कम हुआ है।

**कटौती प्रस्ताव संख्या 1 से 7, 18 से 29, 32 से 42, और 45 से 54 प्रस्तुत समझे गये।

**Cut Motions 1 to 7, 18 to 29, 32 to 42 and 45 to 54 were treated as moved.

यद्यपि रसायनों, औषधियों, प्लास्टिक आदि के उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई है,फिर भी मिश्र-धातु जैसे मध्यवर्ती उद्योगों में वृद्धि की गति धीमी रही है। इंजीनियरी उद्योगों में और भी कम उत्पादन हुआ है। इस गिरावट के अनेक कारण हैं। पर इसका मुख्य कारण भूमि सुधार में विलम्ब है, जिसके फलस्वरूप अधिकांश लोगों की क्रय शक्ति, जिसका औद्योगिक विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है, बहुत ही कम रही। दूसरा कारण यह है कि आज भी हमारे उद्योग विदेशी सहायता, ऋण प्रविधि और सहयोग पर निर्भर हैं। छोटे-बड़े सभी उद्योगों से यह शिकायत मिली है कि कच्चे माल के अभाव के कारण उन्हें इस संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण अनेक उद्योग बन्द करने पड़े हैं।

सरकार ने रेलवे के योजनागत व्यय में कमी की है जिसके कारण देश में रेल के डिब्बे बनाने वाली कम्पनियों को, विशेष रूप से बंगाल स्थित कम्पनियों को क्रयादेश नहीं मिल रहे हैं। इसके फलस्वरूप इन्हें मजदूरों को जबरी छुट्टी देनी पड़ी है और कारखानों को बन्द करना पड़ रहा है।यदि सरकार ने इनकी ओर समुचित ध्यान नहीं दिया तो न केवल इस राज्य को अपितु, समस्त देश को भारी हानि उठानी पड़ेगी।

31 मार्च 1969 को ऐसी कम्पनियों की संख्या, जिनमें आधी से अधिक विदेशी पूंजी लगी है, 223 थी तथा उनकी कुल आस्तियां 1,129.4 करोड़ रुपये की थी। इसके अलावा विदेशी कम्पनियों की 561 शाखाएं हैं जिन्होंने धातु, रसायन, कपड़ा आदि अनेक उद्योग स्थापित किये हुए हैं। ये सभी कम्पनियां बहुत अधिक लाभ कमा रही हैं। इस लाभ को शेयरों के रूप में देश से बाहर भेजा जा रहा है। इसे रोकने के लिये सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। इसके विपरीत सरकार विदेशी एकाधिकारिक पूंजी को नये अवसर प्रदान करना चाहती है।

हमारे देशी एकाधिकारी भी अत्यधिक लाभ कमा रहे हैं। उत्पादन में वृद्धि की गति धीमी होने के बावजूद, इनके मुनाफे में कोई कमी नहीं आ रही है। इनका मुनाफा बढ़ता ही जा रहा है। 1971 में 51 कम्पनियों ने 27.8 प्रतिशत शुद्ध लाभ कमाया है।

सरकार बेरोजगारी दूर करने की बातें करती है, परन्तु वास्तव में वह रोजगार के अवसर समाप्त कर रही है। सरकार ने पटसन उद्योग में स्वचालित यंत्र लगाने के लिए पटसन निर्माताओं को 20 करोड़ रुपये के ऋण दिये हैं। इससे बेकारी में वृद्धि होगी।

उद्योगों के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे प्रमुख समस्या यह है कि कच्चे माल की सप्लाई और वित्तीय सहायता के नियतन में उनके साथ भेदभाव बरता जा रहा है। केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल के उद्योगों के साथ न्याय नहीं कर रही है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए और 75 व्यापार गृहों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए।

कटौती प्रस्ताव

औद्योगिक विकास मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
53	1—7	श्री डी० के० पंडा	1 उड़ीसा में लघु उद्योगों का विकास करने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
		श्री डी० के० पण्डा	2 भारत में उन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता, जिन पर अंग्रेजों का एकाधिकार है।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
		,,	3 लघु उद्योगों की स्थापना होने के मामले में उड़ीसा की उपेक्षा किये जाने से क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने में असफलता।	,,
		,,	4 सरकार द्वारा बड़े-बड़े उद्योगपतियों को लाइसेंस देकर खुश करने की नीति।	,,
		,,	5 विभिन्न उद्योगों में पूरी क्षमता से काम लेने में असफलता।	,,
		,,	6 सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों के सम्बन्ध में स्पष्ट एवं सुनिश्चित औद्योगिक नीति निर्धारित करने में असफलता।	,,
		,,	7 विभिन्न उद्योगों का राष्ट्रीय-करण करने के लिये क्रमिक कार्यक्रम बनाने में असफलता।	,,
53	18—29	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डे	18 हैवी इलैक्ट्रीकल्स, भोपाल और भारत इलैक्ट्रीकल्स, हरिद्वार में कुप्रबन्ध को रोकने में असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
		,,	19 मदसौर जिले के नीमच नगर में सीमेंट उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार की घोषणा के बावजूद और सीमेंट के उत्पादन के लिए भारी मात्रा में कच्चा माल	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
		डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डे	उपलब्ध होने के बावजूद कच्चे माल का उपयोग करने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें
		,,	20 ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक ऋण देने सम्बन्धी नीति में परिवर्तन करने के बाद ग्रामीण उद्योगों को आसान शर्तों पर ऋण देने में असफलता ।	,,
		,,	21 मांग के अनुसार ट्रेक्टर, स्कूटर, तीन पहियों के स्कूटर, और मोपेड़ तैयार करने में असफलता ।	,,
		,,	22 मध्य प्रदेश के रतलाम, मदसौर और झबुआ जिलों में औद्योगिक विकास के लिए खनिज संसाधनों का उपयोग करने में विलम्ब ।	,,
		,,	23 मध्य प्रदेश के मदसौर जिले में सीमेंट का कारखाना स्थापित करने में अत्यधिक विलम्ब ।	,,
		,,	24 मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में कच्चा माल उपलब्ध होने पर भी वहां कागज का कारखाना स्थापित करने में विलम्ब ।	,,
		,,	25 मध्य प्रदेश के अनेक भागों में उपलब्ध कच्चा लोहा, जस्ता और अन्य उपयोगी खनिज पदार्थों का वहां औद्योगिक विकास के लिए उपयोग करने में असफलता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम		कटौती का आधार	कटौती की राशि
		डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डे	26	अखबारी कागज के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें
		,,	27	भारी मध्यम और लघु उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश के मध्य भारत क्षेत्र की नितांत उपेक्षा ।	,,
		,,	28	चीनी, दुग्धशाला और सीमेंट जैसे विभिन्न उद्योगों में प्रयोग की जाने वाली मशीनों के निर्माण के संबंध में देश को आत्म-निर्भर बनाने में असफलता ।	,,
		,,	29	मध्य प्रदेश में मध्य भारत क्षेत्र में सहकारी आधार पर लघु उद्योगों का विकास करने में असफलता ।	,,
53	32-42	श्री रामावतार शास्त्री	32	उत्तर बिहार का औद्योगी-करण करने की आवश्-यकता ।	,,
		,,	33	हिन्दुस्तान वेहिकल्स कम्पनी लिमिटेड, फुलवारी शरीफ (पटना, बिहार) को पुनः चालू करने की आवश्यकता ।	,,
		,,	34	बिहार को औद्योगिक मान-चित्र पर लाने के लिये बिहार सरकार को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता ।	,,
		,,	35	देश का औद्योगीकरण करने में असफलता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम		कटौती का आधार	कटौती की राशि
		श्री रामावतार शास्त्री	36	विदेशी कम्पनियों द्वारा चलाये जा रहे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें
		,,	37	पिछड़े राज्यों को औद्योगिक मानचित्र पर लाने की आवश्यकता।	,,
		,,	38	राज्यों में लघु उद्योगों के विकास पर बल देने की आवश्यकता।	,,
		,,	39	देश में एकाधिकारवादी पूंजीवाद को मजबूत करने वाली वर्तमान औद्योगिक नीति को बदलने में असफलता।	,,
		,,	40	देश में सम्यक औद्योगिक विकास करने की नीति का अभाव।	,,
		,,	41	गैर-सरकारी क्षेत्र में बुनियादी उद्योग स्थापित करने के लिये एकाधिकार-वादियों को लाइसेंस न देने की नीति निर्धारित करने की आवश्यकता।	,,
		,,	42	बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता।	,,
54	45-54	,,	45	देश के औद्योगीकरण के लिये समाजवादी देशों से सहायता प्राप्त करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
		,,	46	घरेलू उद्योग धन्धों के विकास की गति को तेज करने में असफलता।	

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम		कटौती का आधार	कटौती की राशि
		श्री रामावतार शास्त्री	47	बिहार में स्कूटर बनाने का एक कारखाना स्थापित करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपया घटा दिये जायें
		,,	48	मेहसी, जिला चम्पारन, बिहार में बटन बनाने का एक कारखाना खोलने की आवश्यकता ।	,,
		,,	49	उत्तर बिहार में कागज का कारखाना खोलने की आवश्यकता ।	,,
		,,	50	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हो रहे घाटे को रोकने में असफलता ।	,,
		,,	51	गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लाभ की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता ।	,,
		,,	52	औद्योगिक डिजाइन के क्षेत्र में देश को आत्म-निर्भर बनाने में असफलता ।	,,
		,,	53	बिहार में एक मोटर-गाड़ी-कारखाना स्थापित करने की आवश्यकता ।	,,
		,,	54	विदेशी पूंजी को जब्त करने में असफलता ।	,,

श्री पट्टाभिराम राव (राजमुंदड़ी) : 55 करोड़ जनसंख्या वाले देश में सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होना स्वाभाविक है । हम पश्चिमी विचार धारा के आदी हो गये हैं जो हमारे देश के लिये उपयुक्त नहीं हैं । जब तक उत्पादन में वृद्धि का सामान्य जनता को कोई लाभ नहीं होता तब तक उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप धन वृद्धि से सामान्य जनता को कोई लाभ नहीं होगा । देश को मुख्य समस्याओं पर स्वतंत्र ढंग से विचार किया जाना चाहिए तथा स्वतंत्र ढंग से ही हल किया जाना चाहिए । कारण यह है कि गैर वैज्ञानिक ढंग से उन नीतियों को अपनाने से, जो कि ब्रिटेन, अमरिका

अथवा रूस जैसे उन्नत देशों के लिये उपयुक्त हैं, उनका हल नहीं हो सकेगा। जब तक अर्जित धन के वितरण में न्यूनतम समानता नहीं लाई जायेगी, तब तक हमारे देश के समक्ष, जिसकी जनसंख्या इतनी अधिक है, कठिनाइयां पेश आनी आवश्यक हैं। यह कहना पर्याप्त नहीं है कि भारी कर लगा कर फालतू धन को धनी वर्ग से छीना जा सकता है। ऐसी प्रक्रिया की सीमायें होती हैं। कर अपवंचन के अनेक तरीके हैं। इसका केवल एक ही हल है कि धन के अर्जन में ही अधिकांश व्यक्तियों के लाभ को ध्यान में रखा जाये।

हमारे गरीब देश में जिसकी जनसंख्या इतनी अधिक है, धन अर्जन को जब तक कल्याण के साथ नहीं जोड़ा जायेगा तब तक इससे न तो जनता को लाभ होगा और न सरकार को चैन मिलेगी। इससे तो तनाव ही बढ़ेगा। मैं आधुनिकीकरण का विरोधी नहीं हूं। परन्तु साथ-साथ मैं यह अनुरोध करूंगा कि उन उद्योगों को, जिनमें भारी संख्या में लोगों को रोजगार मिला हुआ है, विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

उत्पादन के नये तरीकों के अनुरूप जिन उद्योगों में कार्यकुशलता को बनाये रखते हुए भारी संख्या में रोजगार मिलने की सम्भाव्यता विद्यमान है, उन्हें विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

इस समय हमारे देश में धन की वृद्धि नितांत आवश्यक है। इसीलिये उत्पादन में वृद्धि करना जरूरी है। अधिक उत्पादन से अधिक धन पैदा होगा। परन्तु धन का कुछ ही हाथों में केन्द्रित होना बहुत बुरा है। इसी तरह उद्योगों का देश के कुछ ही भागों में केन्द्रित होना भी अच्छा नहीं है। उन्हें देश के सब भागों में और विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किया जाना चाहिये।

अब समय आ गया है कि हमें इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये कि हमारे देश में कौन से क्षेत्र वास्तव में पिछड़े हुए हैं और उन में से जिस क्षेत्र में भी कच्चा माल तथा अन्य सम्भावनाएं मौजूद हों, वहां अविलम्ब उद्योग स्थापित किये जाने चाहिये, चाहे उन्हें सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जाये अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में।

तेलंगाना में कोठागुदम में एक कच्चा लोहा संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव था। इसके लिये सर्वेक्षण भी किया जा चुका है। परन्तु मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है। सरकार को तुरन्त निर्णय लेना चाहिये तथा वहां उक्त संयंत्र स्थापित करना चाहिये।

रायलसीमा में जो कि बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, एक स्पंज लौह संयंत्र लगाया जाना चाहिये। इस मामले में देर नहीं होनी चाहिये। कुछ सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में इतना लाभ नहीं हो रहा है जितना कि गैर सरकारी कम्पनियां कमा रही हैं। अब समय आ गया है जब कि सरकार को इस विषय की जांच करनी चाहिये। सरकार को एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करनी चाहिये जो प्रत्येक सरकारी उपक्रम के मामले में यह पता लगाये कि उसमें तथा गैर सरकारी उपक्रम में लाभ में अन्तर होने के क्या कारण हैं।

यह भी अनुभव किया जा रहा है कि सरकारी क्षेत्र में कुछ औद्योगिक कारखानें उतना लाभ नहीं कमा रहे हैं जितना गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानें। सरकार को इस विषय पर विचार करना चाहिए। संसदीय समिति के अतिरिक्त विशेषज्ञों की भी एक समिति बनाई जानी चाहिये जो उन बातों का पता लगाये जिनके कारण सरकारी क्षेत्र के कारखानों में लाभ नहीं हो रहा।

मैं इस बात से सहमत हूं कि सरकारी क्षेत्र में अधिक से अधिक कारखानें लगाये जायें किन्तु सरकारी क्षेत्र में जो त्रुटियां हैं, उन्हें भी दूर किया जाना चाहिये।

श्री इराज्मु द सेकैरा (मारमागोआ) : देश के विकास के लिये योजनाएं बनाने का कार्यक्रम आरम्भ करते समय यह निश्चय किया गया था कि अधिक से अधिक औद्योगीकरण किया जाये और इस कार्य को सरकार ही करे। धन की व्यवस्था करने के लिये खूब कर लगाये गये और इस तरह से एकत्र किये गये धन को सरकारी वित्तीय संस्थानों के माध्यम से कुछ उद्योगपतियों को दे दिया गया। किन्तु सरकार द्वारा बनाये गये इन्हीं उद्योगपतियों के कारण आज सरकार की दशा विचित्र हो गई है।

देश के लिये औद्योगिक उन्नति आवश्यक है, यह सत्य है, परन्तु सरकार यह जानती है कि आज बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों के पास ही औद्योगिक पृष्ठ भूमि, तकनीकी जानकारी है। यदि इन घरानों पर कोई प्रतिबन्ध लगाया जाता है तो प्रगति धीमी होगी और यदि उन्हें बढ़ावा दिया जाता है तो आर्थिक विषमता में वृद्धि होती है। आज मूल प्रश्न यही है।

एक सुझाव यह है कि संयुक्त क्षेत्र तैयार किया जाये परन्तु संयुक्त क्षेत्र की प्रबन्ध व्यवस्था में सरकार के पास अधिक अधिकार होने चाहिये। वैसे प्रबन्ध व्यवस्था में सरकार इतनी कुशल नहीं है।

मैं एक वैकल्पिक सुझाव देना चाहता हूं। नये तरह के कुछ शेयर जारी किये जांय जिनके साथ मताधिकार न हो। इससे ऋण देने वाले संस्थान इस शेयर के रूप में धन लगाते रहेंगे और जब तक वे ऐसा करते रहेंगे तब तक मालिकाना अधिकार के रूप में उन्हें आर्थिक लाभ प्राप्त होता रहेगा। इस प्रकार एक आवर्ती निधि की स्थापना हो सकेगी। कारखानों में अधिक पूंजी लगाने के स्थान पर अधिक श्रमिकों की नियुक्ति की जानी चाहिये।

देश में विदेशी पूंजी लगाये जाने के बारे में काफी कुछ कहा गया है। हमारे देश में इस बात की अनुमति है कि यहां विदेशी पूंजी लगायी जा सकती है किन्तु लगाई गई विदेशी पूंजी द्वारा अर्जित कितना धन लाभ के रूप में विदेशों को भेजा जा सकता है इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। सरकार को इस विषय पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये और देश में कितनी विदेशी पूंजी लगाई जा सकती है और कितने प्रतिशत धन लाभ के रूप में बाहर भेजा जा सकता है इसके सम्बन्ध में कोई सीमा निश्चित की जानी चाहिये।

एक अन्य प्रश्न है आरक्षित निधि का पूंजीकरण। यदि कोई निर्माता कम्पनी आय का 65 से 75 प्रतिशत आयकर के रूप में देती है और शेष लाभ के धन को पुनः कम्पनी में लगाया जाता है तो आरक्षित निधि में वृद्धि होती रहती है। देशी कम्पनियों के सम्बन्ध में तो यह अच्छी बात है किन्तु विदेशी कम्पनियां इस से हमें बहुत हानि पहुंचा सकती हैं। मेरा विचार है कि ऐसे विदेशी निवेशकों पर कर लगाया जाना चाहिये। विदेशियों को, यदि वे भारत में कार्य करना चाहते हैं, आय-कर से छूट दी जाती है। इसीलिये कई विदेशी कम वेतन पर कार्य करना स्वीकार कर लेते हैं और उतनी ही योग्यता प्राप्त भारतीय वह नौकरी नहीं प्राप्त कर पाता क्योंकि आय-कर के कारण वह अधिक वेतन मांगता है। आय-कर में यह छूट नहीं दी जानी चाहिये।

सरकारी क्षेत्र में सरकार व्यावसायिक योग्यता बढ़ाने के लिए क्या कर रही है ? सेवानिवृत्त बड़े-बड़े सरकारी अधिकारी अथवा राजनीतिज्ञ कब तक निदेशक बनते रहेंगे।

हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है। यहां बड़े-बड़े कारखाने लगाये जाने चाहियें। परन्तु प्रश्न यह है कि इनका मालिक कौन हो सरकार अथवा कोई अन्य व्यक्ति। सरकार को इस सम्बन्ध में अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिये कि वह किन-किन क्षेत्रों में स्वयं कारखाने लगायेगी और कौन से

क्षेत्र मुक्त रहेंगे। सरकार को यह मुक्त क्षेत्र में निजी कारखानेदारों के लिए ही नहीं छोड़ देना चाहिये, सरकारी क्षेत्र को भी उसमें कारखाने लगाने का अधिकार होना चाहिये।

श्री व्यालार रवि (चिरयिंकील) : देश के आर्थिक विकास के लिये औद्योगिक विकास मंत्रालय को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। परन्तु देश में आर्थिक स्थिरता को बड़े-बड़े एकाधिकारियों से खतरा है। मेरे विचार से औद्योगिक विकास मंत्रालय एकाधिकार के विस्तार को रोक नहीं पा रहा है। एकाधिकार की प्रवृत्ति यहां तक बढ़ गई है कि दो मंत्रालयों में भी संघर्ष होने लगता है। केन्द्रीय सचिवालय में भी एकाधिकार की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है।

क्षेत्रीय असन्तुलन भी समाप्त किया जाना चाहिये। उदाहरण के लिये मेरे राज्य केरल की ओर ध्यान नहीं दिया गया है, वहां बेरोजगारी की भयंकर समस्या है। नौकरशाही रोजगार के सभी अवसरों की आपस में ही बांट लेती है साधारण मनुष्य को कुछ नहीं मिलता। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की जाये अथवा एक पृथक आयोग स्थापित किया जाये। यह बात ध्यान में रखनी होगी कि सभी वर्गों के व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान किये जायें। प्रत्येक राज्य में मूल उद्योग स्थापित किये जायें ताकि लोगों को रोजगार मिल सके।

छोटे उद्योगों को पंचायत/पंचायतों को माध्यम से विकसित किया जाना चाहिये। इस कार्य के लिये कुछ व्यक्तियों की नियत करना लाभप्रद नहीं होगा। बैंकों के माध्यम से अथवा सरकारी ऋण और अनुदान द्वारा इन पंचायतों को सहायता दी जा सकती है।

मैं, अपने राज्य केरल की ओर पुनः मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जिन-जिन व्यक्तियों ने उद्योग स्थापित करने के लिये लाइसेंस मांगें हैं उन्हें लाइसेंस दिये जाने चाहियें ताकि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जा सके और एकाधिकार की प्रवृत्ति को दबाया जा सके। देश में स्वार्थी विदेशी तत्वों को भी समाप्त किया जाना चाहिये।

Shri Ishaq Sambhali (Amroha) : Lot of Industrial Development has taken place in the country during the last 23 years of Independence but the common man is completely unaffected and has no share in it. Crores of rupees have been spent but their benefit was derived only by 75 big Industrial Houses. The ruling party has several times declared in its manifesto that it would persue socialistic policies, nationalise the industry and Public Sector will be encouraged. But today the Capitalists have control over most of the industries. They have even desired to enter the Defence industry. All these Capitalists have earned huge profits.

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए।
Shri K. N. Tiwari in the Chair]

It is said that Government is keen to encourage small scale industries which can earn a lot of foreign exchange but the Capitalists have monopolised even these industries. Ordinary Commodities of daily use are being manufactured by Birlas, Tatas and Modi's.

We talk much about Socialism but I am taken aback when even Members of Congress Party oppose the Public Sector.

It is said again and again that undertakings in public sector are running in losses. The reason is this that the persons, who run these undertakings, have no faith in public sector and do not

know the importance of the public sector. The Government should see to it and only those persons should be allowed to run these undertakings who have faith the public sector and who know the importance of this sector.

The condition of small scale industry is also not satisfactory. The industries earning a good amount of foreign exchange are also not given any encouragement. The licences for raw material which are required for these industries are given to the monopolists who have no connection with this industry.

I would also like to mention one more thing in this regard. There is no coordination between various Ministries. Centre should prepare a plan whereby the small entrepreneurs can be benefited and more and more industries can come up and the unemployment problem can be solved to some extent. According to the existing plan unemployment can not be removed.

*श्री नागेश्वर राव (मचिलीपट्टणम) : सभापति महोदय, देश की समृद्धि के लिये उद्योग और कृषि मूलभूत आधार हैं। इन दोनों में कच्चे माल की सप्लाई के लिये कृषि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। गत दो तीन वर्षों से मेरे राज्यों में कृषि को बाढ़, तूफान और अन्य कारणों से भारी क्षति पहुंची है। समूचे देश में आन्ध्र प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जिसमें तम्बाकू का उत्पादन अधिक होता है। गुंटूर में लगभग 90 प्रतिशत तम्बाकू का उत्पादन होता है। नागार्जुन सागर परियोजना से भी तम्बाकू का उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिली है। तम्बाकू से वर्ष में करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। किन्तु तम्बाकू उद्योग से तम्बाकू उत्पादकों को कोई लाभ नहीं मिला है। यह लाभ सिगरेट निर्माताओं को मिलता है। सरकार को उस क्षेत्र में एक सिगरेट उद्योग स्थापित करना चाहिये जहां कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो। हमें आन्ध्र प्रदेश में, विशेषरूप से गुंटूर जिले में, जहां कच्चा माल काफी मात्रा में पैदा होता है, सरकारी अथवा सहकारी क्षेत्र में एक सिगरेट कारखाना स्थापित करना चाहिये। तम्बाकू उत्पादक और व्यापारी इसके लिये आवश्यक सहायता देने के लिए तैयार होंगे। उत्पादन की लागत कम होगी, क्योंकि कच्ची सामग्री को कारखाने में लाने, ले जाने और बाजार में तैयार माल के यातायात में लगने वाले ऊपरी खर्च कम हो जायेंगे। परिणाम स्वरूप यह उत्पाद उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर उपलब्ध होगा।

कृष्णा जिले में चल्लापल्ली चीनी मिल हैं। गत तीन वर्षों से गन्ना उत्पादकों से खरीदे गये गन्ने का 150 लाख रुपये से अधिक मूल्य मिल को गन्ना उत्पादकों को दिया जाना है। मिल मालिक गन्ना उत्पादकों को धोखा दे रहे हैं। सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया है। केन्द्रीय सरकार कहती है कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी बताती है। अतः इस ओर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिये।

मछलीपटनम की आन्ध्र साइंटिफिक कम्पनी के बारे में कुछ संसद सदस्य मंत्री महोदय से मिले हैं और उन्होंने उनसे कहा है कि कम्पनी के महत्वपूर्ण कार्य को देखते हुए सरकार को यह कम्पनी अपने हाथ में ले लेनी चाहिये। प्रधान मंत्री ने विशाखापटनम में इस्पात संयंत्र की नींव रखी थी। दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

*तेलुगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarized translated version based on English translation of the speech delivered in Telugu.

हमारे देश के सरकारी उपक्रमों की असफलता का कारण निष्ठावान कर्मचारियों की कमी है। यदि हमें सरकारी उपक्रमों को सफल बनाना है तो उनमें उसी क्षेत्र के लोगों की भर्ती की जानी चाहिये जिससे उनमें निष्ठा और गर्व की भावना पैदा होगी। हमें राष्ट्र के हित में कर्मचारियों में निष्ठा की भावना पैदा करनी चाहिये।

मैं आन्ध्र प्रदेश में कोथागुडम कच्चे लोहे संयंत्र का उल्लेख करता हूं। कच्चा माल इसके समीप ही उपलब्ध है। परियोजना का प्रतिवेदन भी सरकार को भेज दिया गया है, किन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कुछ नहीं किया गया है।

***श्री आर० पी० उलगनम्बी (वेल्लौर)** : सभापति महोदय, यह बड़े दुःख की बात है कि मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 1970 में उत्पादन में वृद्धि की दर गत वर्ष की तुलना में कुछ कम हुई है। इस कमी का क्या कारण है तथा इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है।

हमने वचन दिया था कि हम देशी उद्यमकर्त्ताओं को प्रोत्साहन देंगे परन्तु इसके प्रतिवेदन में बताया गया है कि वर्ष 1970 में भारतीय उद्यमकर्त्ताओं से औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के लिये 3033 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे परन्तु केवल 338 लाइसेंस जारी किये गये। इसका अर्थ यह है कि 10 प्रतिशत से भी कम आवेदन पत्रों के लिये लाइसेंस जारी किये गये हैं।

हम सभी इस बात को जानते हैं कि अब तक केवल बड़ उद्योगों में विदेशी सहयोग की अनुमति दी जाती रही है। परन्तु अब प्रथा को छोड़ा जा रहा है और सरकार छोटे पैमाने के उद्योगों के क्षेत्र में भी विदेशी सहयोग के प्रश्न पर विचार कर रही है। विदेशी सहयोग-कर्त्ता छोटे पैमाने के औद्योगिक क्षेत्र में आ जायेंगे। इससे हमारे देश में छोटे पैमाने के उद्योग समाप्त हो जायेंगे।

हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में पूंजीगत निवेश लगभग 50 करोड़ रुपये है। किन्तु इस उपक्रम में अभी तक 54 करोड़ रुपये का घाटा हो चुका है। वार्षिक प्रतिवेदन में इस घाटे के मूल कारणों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें केवल इतना ही उल्लेख किया गया है कि ऐसे उपक्रमों की अवधि बहुत लम्बी होती है।

यह बड़े दुःख की बात है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम नौकरशाहों के नियंत्रणाधीन हैं। यदि हम चाहते हैं कि सरकारी क्षेत्र के हमारे इन उपक्रमों में लाभ हो तो यह आवश्यक है कि इनका प्रबन्ध तकनीकी अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को सौंपा जाये।

वार्षिक प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया गया है कि मंत्रालय में एक अनुसूचित-जाति और अनुसूचित जनजाति अनुभाग है। मंत्री महोदय हमें बतायें कि इस अनुभाग के कृत्य क्या हैं तथा इसने क्या क्या सफलतायें प्राप्त की हैं। यह बात सभी जानते हैं कि औद्योगिक कार्यों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का भाग नगण्य है। मैं कहता हूं कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को ब्याज रहित ऋण दिया जाये जिससे वे छोटे उद्योग स्थापित कर सकें।

---

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarized translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

भारतीय मानक संस्था को देश की आवश्यकताओं के लिये समुचित मानक तैयार करने होते हैं। किन्तु हम देखते हैं कि यह संस्था ब्रिटिश मानक संस्था तथा अमरीका मानक संस्था द्वारा तैयार किये गये मानकों में परिवर्तन किये बिना इन्हें इसी रूप में अपना लेती है। इस तरह भारतीय मानक देश में विद्यमान स्थिति के अनुकूल नहीं होते। इस संस्था को मुण-प्रकार पर नियत्रण सुनिश्चित करने के लिये चिन्ह प्रमाणीकरण योजना को कार्यान्वित करने का कार्य भी सौंपा गया है। मंत्री महोदय ने स्वयं हाल ही में बुलाये गये सम्मेलन में इस बात को स्वीकार किया है कि इस योजना के कार्यान्वियन में कदाचार व्याप्त है। मैं सुझाव देता हूं कि इस मामले की जांच करने के लिये एक समिति का गठन किया जाना चाहिये जो उपयोगी सुझाव भी देगी।

चमड़ा उद्योग से विदेशी मुद्रा अधिक प्राप्त होती है। यह उद्योग संकटग्रस्त है। मंत्री महोदय को अचानक हुई मन्दी के कारणों की जांच करनी चाहिये तथा वेलौर में एक चमड़ा विकास निगम के गठन की वांछनीयता पर विचार करना चाहिये। यह उद्योग तमिलनाडु के उत्तरी अरकाट जिले का एक प्रमुख उद्योग है जो अन्यथा औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा क्षेत्र है। यदि इस निगम को स्थापना वेलौर में की जाये, तो इससे इस क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार लोगों को रोजगार के नये अवसर प्राप्त होंगे।

वार्षिक प्रतिवेदन में मंत्रालय के इस निर्णय का उल्लेख किया गया है, जिसमें मार्गदर्शी ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति योजना का ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम के साथ समन्वय करने की बात कही गई है। मैं समझता हूं कि इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, गुजरात और आन्ध्र प्रदेश को मिलेगा। मैं सुझाव देता हूं कि इस योजना में तमिलनाडु को भी शामिल किया जाना चाहिये।

अब मैं बहुचर्चित छोटी कार परियोजना के बारे में उल्लेख करूंगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र भेजा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि छोटी कार परियोजना तमिलनाडु में स्थापित की जाये, क्योंकि इसके लिये अनुकूल स्थिति वहां विद्यमान है।

इथील अलकोहल (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1971 को 30 जनवरी, 1971 को लागू किया गया है। इस आदेश का दो औद्योगिक संस्थानों ई० आई० डी० पैरी डिस्टलरी और तिरूची डिस्टलरी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर पुनः विचार करें।

तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम ने राज्य में एक नेप्था क्रेकर यूनिट की स्थापना के लिये एक आवेदनपत्र दिया है। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह व्यक्तिगत रूप से इस ओर ध्यान दें और यूनिट को स्थापित करने की अनुमति दें।

शिवकाशी, तमिलनाडु के छोटे-छोटे दियासलाई निर्माता गंधक की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई के लिये बार-बार अनुरोध कर रहे हैं। उनकी मांग उचित है और मंत्री महोदय को उनके इस अनुरोध पर विचार करना चाहिये।

कागज की कमी के कारण कोयम्बतूर में गवर्नमेण्ट आफ इंडिया प्रेस में स्वीकृत दूसरी पारी के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। और इस तरह उस क्षेत्र के लोगों के लिये रोजगार के अवसर

कम हो गये हैं। भारत सरकार का एक प्रेस केरल में भी है। अत: मैं सुझाव देता हूं कि कागज का एक कारखाना तमिलनाडु या केरल में खोला जाना चाहिये, ताकि इन दो सरकारी प्रेसों को कागज की आवश्यकतायें पूरी की जा सकें और वे निर्धारित क्षमता के अनुसार कार्य कर सकें।

तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक राजमन्नार समिति बनाई थी। इस समिति ने सुझाव दिया है कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 का निरसन किया जाना चाहिये और देश में व्यापक रूप से तथा तीव्र गति से औद्योगीकरण के लिये लाइसेंस जारी करने के अधिकार राज्य को दिये जाने चाहिये। मंत्री महोदय को इस समिति की सिफारिशों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये और इस दिशा में कार्यवाही करने के लिये पहल करनी चाहिये।

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि चोर बाजारी तथा जमाखोरी बढ़ी है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस अधिनियम को लागू करने के लिये समुचित कारगर कदम उठाये जायें, ताकि देश के सामान्य लोगों को कोई परेशानी न हो। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री जगन्नाथ राव (छतर पुर) : सभापति महोदय, गत 20 वर्षों के दौरान देश में एक व्यापक औद्योगिक आधार तैयार किया गया है जिसमें आधुनिक पूंजीगत-माल और उपभोक्ता माल भी शामिल है। व्यापक परामर्श दाता और डिजाइन सुविधायें भी बढ़ी हैं। उत्पादन राष्ट्रीय आय के अनुसार ही बढ़ा है।

1968–69 में औद्योगिक उत्पादन 7·4 प्रतिशत बढ़ा था और 1969–70 में उत्पादन 5·8 प्रतिशत गिरा है। सरकारी क्षेत्र के कार्य की भी आलोचना की गई है। यह आलोचना पूर्णतया उचित नहीं है किन्तु आंशिक रूप से उचित है, क्योंकि सरकारी क्षेत्र ने इस्पात, मशीन-निर्माण और अन्य महत्वपूर्ण आधारभूत उद्योगों में काफी धनराशि लगाई है।

पिछले दिनों स्वंय मंत्री महोदय ने स्वीकार किया था कि देश में विद्युत शक्ति की इतनी अधिक मांग के न होते हुए भी, उसकी क्षमता में समय-समय पर वृद्धि की जा रही है। इसी प्रकार से रांची के भारी इंजीनियरिंग कारखाने की क्षमता में अत्यन्त वृद्धि की जा रही है, यद्यपि निकट भविष्य में भी उस सम्बन्ध में मांग नहीं है।

परन्तु फिर भी इस बात में सन्देह नहीं है कि सरकारी क्षेत्र का विकास किया जाना है, यह विकास किया भी जा रहा है और अच्छा कार्य हो रहा है। मेरा सुझाव यह है कि एक औद्योगिक पुल का निर्माण किया जाना चाहिये। इस समय देश में प्रबन्ध व्यवस्था में कुशल युवक काफी उपलब्ध हैं। हमें उन लोगों की सेवाओं का लाभ उठाना चाहिये तभी सरकारी क्षेत्र का भविष्य उज्जवल हो सकता है।

हजारी समिति और दत्त समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के फलस्वरूप फरवरी, 1970 में औद्योगिक नीति को पुनरीक्षित किया गया है। उद्योगों को तीन भागों में बांटा गया है—लघु उद्योग, मध्य आकार के उद्योग और भारी उद्योग। लघु उद्योगों के लिए 7·5 लाख रुपये तक का

निवेश किया जाता है, सहायक उद्योगों में 10 लाख रुपये और मध्य आकार के उद्योगों में 5 करोड़ रुपये तक का निवेश किया जा सकता है जब कि भारी उद्योगों के लिए 5 करोड़ और उससे अधिक की राशि लगाई जायेगी ।

भारी उद्योगों को बड़े-बड़े उद्योगपतियों के लिए रखा गया है । यह ठीक भी है किन्तु सरकार की नीति ठीक नहीं है, अभी तक लाइसेंस के लिए 3033 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे किन्तु केवल 300 या उससे कुछ अधिक आवेदकों को लाइसेंस दिये और 400 से कुछ अधिक आशय पत्र जारी किये गये लेकिन इनमें कितनी धन-राशि लगाई गई, इसका कुछ पता नहीं ।

1967—70 में उत्पादन की दर में कमी हुई है और यह घटकर 5·8 प्रतिशत रह गई है । इस प्रकार से गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता । बड़े पैमाने पर अधिक धन का निवेश करके रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध किये जाने चाहिये ।

संयुक्त क्षेत्र बनाये जाने की हजारी समिति की सिफारिश अच्छी है किन्तु दो वर्ष हो जाने के बाद भी सरकार कोई मार्ग-दर्शन सिद्धान्त नियत नहीं कर पायी है । लाइसेंस देने की प्रक्रिया में भी दोष है, बहुत विलम्ब किया जाता है । लाइसेंस देने में शीघ्रता की जानी चाहिये । दूसरे जब यह बात स्पष्ट की जा चुकी है कि भारी उद्योग बड़े-बड़े उद्योग पतियों के लिए आरक्षित हैं तो इस सम्बन्ध में लाइसेंस जारी करने के लिए मामलों को एकाधिकार आयोग को सौंपने की क्या आवश्यकता है ।

हमारे देश में एकाधिकार सम्बन्धी विधि बनाने में काफी विलम्ब हुआ है । यह विधि अत्यन्त आवश्यक है किन्तु हमने निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथाओं की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया है । हम केवल कारखाने के आकार पर ही ध्यान देते हैं । अधिक अच्छा यह होगा कि कारखाने के आकार को आधार न बनाकर अवांछनीय व्यापार प्रथाओं के आधार पर मामले को एकाधिकार और निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाना चहिये । लाइसेंस जारी करने में होने वाले विलम्ब से दूर करने के लिए एक विकेन्द्रीकृत अभिकरण बनाया जाये । औद्योगिक विकास मंत्रालय को भी इसकी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है ।

मुझे खुशी है कि 1962 में चीनी आक्रमण के बाद आयात प्रतिस्थापन की जो नीति बनाई गई थी, उस सम्बन्ध में काफी प्रगति हुई है ।

परन्तु बहुत से उद्योगों को जरूरत से अधिक संरक्षण मिला है जिससे उत्पादक लागत की ओर अधिक ध्यान नहीं देते । आयात करने से चीज सस्ती मिल सकती है और देश में बनी वही वस्तु महंगी मिलती है । इसका कारण यही हैं कि उत्पादक उत्पादन के व्यय को कम करने का प्रयत्न ही नहीं करते । चीजें देश में बननी चाहियें किन्तु इसके साथ-साथ लागत कम करने की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये ।

इसके अतिरिक्त औद्योगिक अनुसंधान का भी बहुत महत्व है । हम लकीर के फकीर नहीं बने रह सकते । सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में इस कार्य के लिये एक बड़ी धन-राशि व्यय की जानी चाहिये ।

बड़े-बड़े उद्योगपतियों को अपने कर्मचारियों की भलाई का कार्य भी करना चाहिये। उनके रहने के लिये मकान बनाये जायें। उद्योगपतियों का यह सामाजिक दायित्व है।

अलौह धातुओं के विषय में काफी प्रगति हुई है। मुझे प्रसन्नता है कि एल्यूमीनियम उद्योग ने बहुत प्रगति की है। किन्तु उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम को लाइसेंस दिये हुए एक वर्ष से अधिक हो गया है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इस सम्बन्ध में छः महीने की सीमा निश्चित की जानी चाहिये। यदि इसके बाद भी कुछ नहीं किया जाता तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाना चाहिये।

श्री एस० के० सरकार (जयनगर) : महोदय, मैं अपना भाषण बंगला में दूंगा। औद्योगिक विकास मंत्रालय का मैं समर्थन करता हूं किन्तु कुछ बातें अवश्य कहना चाहता हूं।

जहां तक मुझे जानकारी है कि सरकारी औद्योगिक नीति और औद्योगिक विकास मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य देश में नये कारखानें स्थापित करना है। आज देश का औद्योगिक विकास ही मूल प्रश्न है और इस समस्या को हल करने से गरीबी को दूर किया जा सकता है। त्वरित गति से औद्योगीकरण करके ही हम देश में बेरोजगारी और सामाजिक असुरक्षा आदि बुराइयों को दूर कर सकते हैं।

परन्तु सरकार की वर्तमान नीति तो देश के औद्योगीकरण में बाधक बन रही है। उद्योगों में मंदी हैं और पुरानी बातों, नीतियों का दोहराया जाना ही इसका कारण है। हमें वास्तविक उपभोक्ताओं को ध्यान में रखना और औद्योगिक वस्तुओं का 70 प्रतिशत वास्तविक उपभोक्ता कृषक वर्ग है। किसी देश के लोगों की आर्थिक दशा कैसी है, हम इसका अनुमान प्रतिव्यक्ति आय से लगाते हैं किन्तु रिजर्व बैंक ने भारत की गरीबी का पता लगाने के लिये एक आश्चर्यजनक तरीका अपनाया है। उसने प्रति व्यक्ति द्वारा उपभोग की जाने वाली खाद्य सामग्री से लोगों की गरीबी का पता लगाया है। उससे पता चलता है कि हम कितने निर्धन हैं।

हमारे देश में 1 करोड़ 70 लाख व्यक्ति ऐसे हैं जो 256 से 300 कैलोरी के बीच का भोजन करते हैं। 1967-68 में उनकी संख्या 1 करोड़ 70 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 90 लाख हो गयी। अतः नये उद्योग स्थापित करते समय हमें वास्तविक उपभोक्ताओं के हितों का भी ध्यान रखना है। यदि उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान न रखा जाये तो कोई भी उद्योग सफल नहीं हो सकता।

भूमि-सुधार उद्योगों का आधार है। हम कुछ लोगों के हाथों में सम्पति का संकेन्द्रण भी नहीं चाहते हैं किन्तु अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचाकर हम भूमि सुधार नहीं चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप उद्योगों के बारे में कह रहे थे तो भूमि सुधार पर कैसे चले गये ?

श्री एस० के० सरकार : महोदय, उपभोक्ता सार्वजनिक लोग हैं और अधिकांशतः गांवों में रहते हैं। गांव के लोग इतने निर्धन हैं कि वे औद्योगिक उत्पादों का उपभोग नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि मैं भूमि-सुधारों के बारे में कह रहा हूं।

मुझे पश्चिम बंगाल की आज की हालत के बारे में मालूम है। वहां पश्चिम बंगाल के औद्योगिक उत्पाद का उपभोक्ता नहीं है। वहां आमूल भूमि-सुधार किये गये हैं। वहां प्रति परिवार भूमि की अधिकतम सीमा 17 एकड़ निश्चित की गयी है।

अध्यक्ष महोदय : इस मंत्रालय से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका सम्बन्ध कृषि मंत्रालय से है।

श्री एस० के० सरकार : उपभोक्ताओं को मजबूत बनाने के लिए हमें नये उद्योग स्थापित करने हैं। इस प्रयोजन के लिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि एक सर्वेक्षण किया जाये।

उसके बाद हमें यह मालूम करना चाहिए कि साधनों पर आधारित कौन से उद्योग स्थापित किये जा सकते है। सरकार को देश में उद्योग के अधिक विकास साधनों और कच्चे माल की उपलब्धता के बारे में प्रतिवेदन देना चाहिए।

आज प्रश्न यह है कि नये उद्योगों को कौन प्रारम्भ करेगा ? हम यह नहीं चाहते हैं कि सारे उद्योग सरकार के नियंत्रण में हों। नये उद्योगों को स्थापित करने के बारे में गैर-सरकारी उद्यमकर्ताओं की आवश्यकता है। वास्तव में गैर-सरकारी उद्यमकर्ताओं पर एकाधिकार आयोग द्वारा कुछ रोक लगायी गयी हैं। मुझे आशा है कि सरकार ही अकेले गैर-सरकारी एकाधिकारियों का स्थान लेने की भूमिका नहीं निभायेगी। जन साधारण से भी गैर-सरकारी एकाधिकारियों को आगे आना चाहिए।

आज प्रश्न यह है कि क्यों नये उद्योग स्थापित नहीं किये जा रहे हैं और उद्योगों के विकास के लिए नयी पूंजी का निवेश क्यों नहीं किया जा रहा है। मुख्य बात यह है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार उद्योग स्थापित नहीं कर सकते हैं। अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे सार्वजनिक जनता में यह उत्साह पैदा करें कि वे नये उद्योग स्थापित करने के लिए आगे आयें।

सबसे मुख्य बात यह है कि सरकार की वर्तमान नीतियां ही देश में उद्योगों के विकास के लिए बाधक हैं। अतः इनकी फिर से जांच करने की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल में उद्योगों में सुस्ती का मुख्य कारण वहां कच्चे माल की कमी है। इसमें इस्पात मंत्रालय दोषी है।

आज नौकरशाह हमसे भी अधिक अपने आपको समाजवादी समझते हैं। यह खेद की बात है। अतः पश्चिम बंगाल में एक भिन्न स्थिति है। जहां औद्योगिक उत्पादन को बन्द करने में वे साधक हुए हैं, वहां इस्पात नियंत्रण के नाम पर नौकरशाह उन उद्योगपतियों को इस्पात नहीं सप्लाई कर रहे हैं जिनको इसकी आवश्यकता है। हमने समाचार पत्रों में भी पढ़ा है कि कई गैर उद्योगपतियों को इन नौकरशाहों से कच्चा माल मिला है जो इसे खुलेआम काले बाजार में बेच रहे हैं। ऐसी स्थिति में कई उद्योगों को बन्द करने की स्थिति आई। कलकत्ता, जिसे बकिंगघम कहते थे, अब समाप्त होने पर आ गया है। इसका मुख्य कारण है सरकार की समाजवाद की नीति। इस नीति से नौकरशाही का बोल-बाल हो गया है।

हम भी क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन को दूर करने के समर्थन में हैं किन्तु इसे दूर करने के लिये गैर-सरकारी पक्ष को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह गैर-सरकारी उद्यमकर्ताओं को नये उद्योग स्थापित करने के लिए आगे लाने की कोशिश करे।

पश्चिम बंगाल में एक सीमेंट कारखाना की बात सुनते आ रहे हैं किन्तु अभी तक कोई भी कारखाना नहीं स्थापित किया गया है और न स्थापित किये जाने की आशा है। अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि यह सुनिश्चित करें कि वहां सीमेंट का एक कारखाना स्थापित हो

जाये क्योंकि वहां इसके लिये कच्चा माल और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैं यह भी निवेदन करता हूं कि सुन्दर बन के बारे में कुछ करें। यह बंगाल के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से है ।

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल (मुरादाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले नये मंत्री तथा उनके उप-मंत्रियों को बधायी देता हूं जिन्होंने पहले बनाये गये ओद्यौगिक संकल्पों को नई व्यावहारिक रूप-रेखा तथा वैज्ञानिक समाधान दिया है। सरकार की जनता को दिये गये वचनों को पूरा करने तथा बेरोजगारी और बढ़ती हुई कीमतों की समस्या का समाधान करने को जो प्राथमिकता दी जा रही है, वह सराहनीय है ।

औद्योगिक मंत्री ने औद्योगिक विकास में आने वाले सभी बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न किया है । किन्तु गत वर्ष के 4.6 प्रतिशत और 10 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले औद्योगिक उत्पादन पिछले 23 वर्षों के दौरान सबसे कम उत्पादन रहा है । रिजर्व बैंक के अनुसार यह वृद्धि इस तथ्य के बावजूद हुई है कि 1969-70 में लघु उद्योग क्षेत्र में पहिले के वर्ष की 8.2 प्रतिशत की वृद्धि के अपेक्षा 11.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत करते समय कहा कि यह औद्योगिक स्थिरता अनेक बातों के कारण हुई और उन्होंने जो प्रस्ताव रखे हैं, मुझे विश्वास नहीं है कि उनसे चालू वर्ष में विकास की दर में वृद्धि हो सकेगी ।

बजट प्रस्तावों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में लाभ पर छूट 8 प्रतिशत से कम कर 5 प्रतिशत करना, विकास रियायत 1 जून, 1974 से समाप्त तथा 15 प्रतिशत से अधिक लाभ पर अतिकर को 25 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने से न केवल सबसे अधिक कुशल कम्पनियों को दण्डित किया जायेगा किन्तु सारी निगमित गतिविधियां निरुत्साहित हो जायेंगी ।

दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय नेता यह समझते हैं कि लाभ पर एकाधिकारिता के विरुद्ध कार्यवाही की जाये । किन्तु केवल नकारात्मक नीतियों के चलाने से ही सफलता नहीं मिल सकती है । आमूल परिवर्तन आवश्यक है किन्तु यह समय के अनुकूल होना चाहिये और तभी हम देश से गरीबी को दूर कर सकेंगे ।

संविधान में संशोधन की बात कही जा रही है । बात यह है कि यदि लोकतंत्र समाप्त होता है तो संविधान भी जायेगा और देश में गरीबी और बेरोजगारी आयेगी ।

इस मंत्रालय विशेष में हमें कुछ असंगति दिखाई देती है । चीनी उद्योग खाद्य और कृषि मंत्रालय के अधीन है और वस्त्र तथा जूट उद्योग विदेश व्यापार का हिस्सा है । यह समझ में नहीं आता है कि औद्योगिक विकास मंत्रालय के अंतर्गत क्या है जबकि मुख्य उद्योग अन्य मन्त्रालय के अन्तर्गत हैं । भारत सरकार के आर्थिक मंत्रालय में कुछमूल असंगति है ।

विकास के मार्ग में आने वाली सभी अड़चनों को दूर किया जाना चाहिए । यह सर्वविदित है कि नियंत्रण विकासशील अर्थ व्यवस्था में अतिआवश्यक है । यह भी तर्क दिया जाता है कि नियंत्रण से औद्योगिक विकास में सुगमता नहीं होती है वरन ऐसे विकास को सुनिश्चित करता है जो अधिकतम सामाजिक लाभ उत्पन्न करता है । नियंत्रण न्यूनतम होने चाहिए और इस प्रकार बनाये जाने चाहिए जिनसे समाज को अधिकतम लाभ हो ।

औद्योगिक लाइसेंस देने की प्रक्रिया दोषरहित की जानी चाहिए। लम्बित मामले एक वर्ष में ही निपटाये जाने चाहिये, न कि इस समय की तरह तीन या पांच वर्ष लगने चाहिये। परिचालन एजेन्सियां कम से कम की जानी चाहिये जिससे वे अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकें।

औद्योगिक लाइसेंस देना सरकार के हाथ में राजनीतिक संरक्षता बांटने का एक हथियार है। सत्ताधारी दल ने मध्यवर्ती चुनावों से 6 करोड़ रुपये की रकम जुटायी है। अतः मेरे दल ने हमेशा यह मांग की हैं कि औद्योगिक लाइसेंसों का नीलाम किया जाना चाहिये। राजनीतिक भ्रष्टाचार समाप्त करने तथा लोकतंत्र के प्रभावी ढंग से काम करने के लिये यह आवश्यक है कि औद्योगिक लाइसेंसों का नीलाम किया जाये। कुछ ऐसे मामले हैं कि 10 अथवा 12 वर्ष पहिले स्वीकृत औद्योगिक लाइसेंस अभी नहीं दिये गए हैं। इस सारे प्रश्न की मंत्री महोदय जांच करें। कोई भी स्वीकृत लाइसेंस एक वर्ष के अन्तर्गत दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप का समय हो गया है, कृपया भाषण समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल : यह दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग आजकल उत्पादक कार्यों में लगे हैं उनके साथ आज अपराधियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। यही इस समय सामाजिक न्याय है।

जैसा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू कहते थे, प्रत्येक औद्योगिक उद्यम एक राष्ट्रीय मंदिर है। सामाजिक न्याय के नाम पर विकास का हनन किया जा रहा है। अधिक विकास से ही सामाजिक न्याय सम्भव हो सकता है। गरीबी, बेरोजगारी और बढ़ती हुई कीमतों के प्रश्न का समाधान गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र में अधिकतम निवेश में ही है।

यदि सरकार की वास्तव में बेरोजगारी का उन्मूलन करने में रुचि है तो वह चौथी योजना को फिर से सही रूप दे और ऐसी योजना बनाये कि राष्ट्रीय आय प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बढ़े जिसका अर्थ यह होगा कि राष्ट्रीय विकास प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत बढ़ेगा। ऐसा करने के लिये हमें देश में मुख्य उद्योगों की निर्धारित क्षमता को बढ़ाना होगा। इसके लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग का वातावरण जरूरी है।

श्री सी० सी० देसाई (साबरकान्ता) : आर्थिक मंत्रालयों में विषयों के ठीक ठीक विभाजन के बारे में कई सदस्यों ने कहा है। मेरे विचार से औद्योगिक विकास को एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथाओं के प्रशासन से अलग करना ठीक नहीं है। पहले यह विषय औद्योगिक विकास मंत्रालय के पास था, अब इसके लिये एक अलग विभाग बन गया है। किन्तु इससे औद्योगिक विकास में सहायता नहीं मिलती है। कम्पनी कानून को औद्योगिक विकास से अलग करने से कठिनाइयां उपस्थित हुई हैं। कम्पनी विधि विभाग का एकाधिकार अधिनियम से कोई सम्बन्ध नहीं है।

इसी प्रकार सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, ऊनी उद्योग का विदेश व्यापार मंत्रालय के अंतर्गत रहने का कोई औचित्य नहीं है। कहा जाता है कि यह निर्यात के दृष्टिकोण से है किन्तु प्रत्येक उद्योग में निर्यात निहित है। मेरे विचार से विदेश व्यापार मंत्रालय और विभिन्न विभागों के बीच विषयों का फिर से नियतन किया जाना चाहिए। विदेश व्यापार मंत्रालय केवल विदेशी करारों आदि से सम्बद्ध हो। बागानों को, जिनका औद्योगिक विकास मंत्रालय से कोई सम्बन्ध नहीं है, कृषि मंत्रालय से सम्बद्ध होना चाहिए क्योंकि बागानों का मुख्य दृष्टिकोण उत्पादन बढ़ाने से है।

रसायन और फार्मेस्यूटिकल्स के बारे में भी केवल पेट्रो-रसायन ही पेट्रोलियम मंत्रालय में होने चाहिए और रसायन अथवा फार्मेस्यूटिकल्स औद्योगिक विकास में होने चाहिए ।

ट्रेक्टरों के सम्बन्ध में समस्त देश में लाइसेंस जारी किये गये हैं । कुछ तो अभी कागजों में ही हैं और कुछ के अन्तर्गत अधिकाधिक पुर्जों के निर्माण का कार्यक्रम है लेकिन यह अजीब बात है कि पूरे के पूरे ट्रेक्टर विदेशों से आयात किये जा रहे हैं ।

कृषि हल के सम्बन्ध में भी यही हुआ है । कृषि मंत्रालय में भ्रष्टाचार के कारण कृषि हल के हिस्सों का बड़ी मात्रा में आयात किया गया जिसके फलस्वरूप देश के उद्योग पूरा उत्पादन नहीं कर सके । ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में भी यही बात होगी । बड़ौदा का हिन्दुस्तान ट्रेक्टर कारखाना बन्द पड़ा है और ट्रैक्टर आयात किये जा रहे हैं । अतः उचित यह है कि इस कारखाने को फिर से चलाने के बारे में मालूम किया जाये ताकि ट्रेक्टर देश में ही उपलब्ध हो सकें ।

अधिकारियों के मन में यह भावना होनी चाहिये कि कैसे कार्य शीघ्र किया जाए । जिस उद्योग को बचाना है उसे बचाया जाना चाहिए । आर्थिक सलाहकार अथवा आयात और निर्यात के महानियंत्रक आदि अधिकारियों को अधिक उत्पादन के हित में छोटी छोटी आपत्तियां उठाने की प्रवृत्ति समाप्त करनी चाहिए । यही समय की मांग है तथा अर्थ व्यवस्था के हित में है । साथ ही मुझे यह भी आशा है कि राज्य मंत्री उन निर्दोष भारत मूलक लोगों की आवश्यकताओं पर भी, जिन्हें अफ्रीका से खास तौर से केनियां, उगान्डा और तन्जानिया से निकाला जा रहा है, कुछ ध्यान दिया जायेगा । वे लोग अपने साधनों से यहां आते हैं और कोई कारखाना स्थापित करना चाहते हैं जिसका एक मात्र कारण यह है कि उन्हें अफ्रीका से निकाला गया है । परन्तु मंत्रालय द्वारा सभी प्रकार की आपत्तियां उठाई गईं । और उन्हें हताश होकर यहां से जाना पड़ा ।

कई ऐसे उद्योग हैं जिन्होंने विस्तार के लिये आवेदन पत्र दिए हैं । किन्तु उन पर स्वीकृति देने में विलम्ब किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप सम्बन्धित वस्तुओं का आयात किया जा रहा है । औटो इलेक्ट्रिकल्स, स्टारटिंग मोटर्स, स्टारटिंग डाइनमोज, आटोमोबाइल्स, ह्वील्स आदि जैसी वस्तुओं की केवल दो कम्पनियां हैं । किन्तु उनके विस्तार के लिये आवेदन पत्र मंत्रालय में स्वीकृति के लिए पड़े हुए हैं । मंत्री महोदय इस बात की जांच करें ।

आज कल जो आंकड़े उपलब्ध होते हैं, वे पुराने होते हैं । बिना आंकड़ों के आयोजन सम्भव नहीं है । संगणकों को इस जमाने में ऐसी कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि ताजे आंकड़े उपलब्ध न हो सकें । मुझे आशा है मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में उचित प्राधिकारियों के साथ कार्यवाही करेंगे ।

यदि मंत्री महोदय यह पता लगाएं कि औद्योगिक लाइसेंसों के लिये दिये गये अभ्यावेदनों तथा आशय-पत्र जारी करने और वास्तविक उत्पादन प्रारम्भ होने के बीच कितना समय लगता है तो उनको आश्चर्य होगा । आशय पत्र आने में तो देर नहीं लगता, परन्तु आशय पत्र भेजने से औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने में बहुत विलम्ब होता है । मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए ।

मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत गुजरात में शीघ्र किसी उद्योग की स्थापना करवाएंगे ।

Shri Rajdeo Singh (Jaunpur) : I am thankful to the Chairman for giving me an opportunity to speak on the Demands for Grants of the Ministry of Industrial Development.

The Ministry of Industrial Development have not been following proper policies as a result of which the pace of development has been very slow.

There are different types of industries, but as has been experienced by us, the small scale industry can play a great part in the development of a country. Therefore it should be given the encouragement.

There should be proper planning in the industries. The areas which have no industry at present, should be provided with industries. Like Germany and Japan we should create industrial and technological background in our country for industrial development. Due to defective planning the prices of the cars are mounting day by day. Only four manufacturing units have been allowed to retain monopoly in this field which should be done away with.

[श्री आर० डी० भंडारे पीठासीन हुये
Shri R. D. Bhandare in the Chair]

The Ministry have not paid any attention to backward areas. 15-16 districts of East Uttar Pradesh are the poorest and most backward districts and despite recommendations made by Patel Study Team for the setting up of industries there, no attention has been paid so far.

Government are worried about the large scale rural migration to the urban areas. The rural population migrate to urban areas only in search of employment. In case Government are anxious to solve this problem. They should set up industries in the backward regions.

श्री नवल किशोर सिंह (मुजफ्फरपुर) : यद्यपि मैं औद्योगिक विकास मंत्रालय सम्बन्धी मांगों का समर्थन करता हूं फिर भी देश में बार बार औद्योगिक अशान्ति फैलना एक चिन्ताजनक मामला है। हम सबको यह शपथ लेनी चाहिए कि कम से कम आगामी पांच वर्षों के लिये देश में शान्ति सुनिश्चित की जायगी। इस सम्बन्ध में सरकार को महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिये। कई बार मामूली कारणों से हड़तालें हो जाती हैं। उदाहरण के लिये मजदूरी पंचाटों को समय पर क्रियान्वित न किए जाने के कारण हड़तालें हो जाती हैं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि इन पंचाटों को समय पर क्रियान्वित न किया जा सके। इस मामले पर ध्यान दिया जाना चाहिये और औद्योगिक शान्ति सुनिश्चित करने के लिये सम्बन्धित मन्त्रालयों द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिए।

मेरे कई मित्रों ने हमारे देश के औद्योगिक विकास के लिये छोटे उद्योगों का उल्लेख किया है। प्रायोजित दौरों के एक कार्यक्रम के अनुसार एक दल उद्योगों के विकेन्द्रीकरण से सम्बन्धित समस्याओं के हल तथा लघु उद्योगों के विस्तार के सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिये इंगलैंड भेजा गया था। निःसन्देह इस दल की सिफारिशों उदाहरणार्थ भवन अनुदान, ऋण, निवेश अनुदान तथा अन्य बातों पर सरकार द्वारा समुचित ध्यान दिया जाएगा। श्रम लागत के लिये राजसहायता देने जैसे मामलों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में इंजीनियरी स्नातक तथा पालिटैकनिकों से प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति विद्यमान हैं। उनकी सेवाओं का लाभ उठाने के लिये हमारे निर्माता अधिक रुचि नहीं रखते हैं। उनकी आपत्ति यह है उनकी सेवाओं से कोई विशेष लाभ नहीं होगा, क्योंकि शिक्षण में, विशेषतया व्यवहारिक शिक्षण में बहुत सी कमी रह जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए लघ उद्योगों के बारे में यह आवश्यक है कि श्रम सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जाए।

दूसरी बात यह है कि प्रारम्भिक वर्षों में, जब लागत अधिक और लाभ कम होता है, नई परियोजनाओं को कार्य प्रारम्भ होने से 3 वर्ष तक किए गए कुल खर्च पर 10 प्रतिशत की वार्षिक दर से विशेष संचालनात्मक अनुदान दिया जाना चाहिए। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

भारत सरकार सरकारी क्षेत्र में एक ग्रैफाइट इलक्ट्रोड़ परियोजना स्थापित करने के मामले पर बहुत देर से विचार कर रही है। मेरे विचार में इस कारखाने को उत्तरी बिहार में लगाए जाने पर विचार किया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि इस कारखाने को उत्तरी बिहार के समस्तीपुर में स्थापित किए जाने की सम्भावनाओं का पता लगाया जाएगा।

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Sidheshwar Prasad) : It is clear that whenever the honourable Members discuss small scale industries, they have always in their minds the economic progress and industrial development of the country.

Small scale industries have an important place in the industrial development of the country. It is not surprising to note that last year when industrial production rose by 4.6 % production in the small scale sector increased by 11.2%. The small scale sector contributed 35% of the total industrial production and provided employment to 41% of the people.

The efforts made by us for the development of small industries so far have proved to be important from many points of views. Small Scale Industry Exhibition held recently at Delhi gave us an idea about the progress made by the Country in the field of small scale Industry. There is a suggestion that such an exhibition should be there on permanent basis. The Government are considering this matter.

Some of the Members have complained that while sanctioning big industrial units, care is not taken to ensure that such units are not allowed to be set up in the sectors earmarked for small scale units. The Government keep this thing in mind as far as possible. There is Small Scale Industries Development Commissioner in the Licencing Committee to safeguard the interests of Small Scale industries. But sometimes under compelling circumstances a major unit might have to be sanctioned which might encroach upon the domain of Small Scale Sector.

It has been stated that the Government is making a departure from the existing policy of allowing foreign collaboration by considering foreign participation even in the Small Scale Sector. It has to be kept in mind that modernisation of Small Scale units is as important as that of major units. Though much technical advance has been made in the Small Scale Sector, sometimes foreign collaboration has to be allowed in the interest of modernisation.

There Ishaq Sambhali has complained that the raw material given to certain manufacturers of utensils in Moradabad is not used for that purpose but is being misutilized. Some cases have been brought to the notice of the Government. U. P. State Government have been requested to look into this matter and they are taking necessary action in this regard.

There is a scope for considerable improvement in the policy of supply of raw materials to Small Scale industrial units. We had appointed a Committee to study this problem.

The study team which had gone to United Kingdom had recommended that while formulating industrial policy, the role to be played by small scale and ancillary industries should not be forgotten. Government always keeps this thing in mind.

It has been stated in a cut-motion that due attention has not been paid to the development of small scale industries in Orissa. It will be admitted that despite efforts made by the Government during the last 20 years, desired progress could not be made in the industrial development of back-

ward States. But it is a fact that considerable headway has been made in the industrial development of Orissa. The Government was paying special attention to the development of backward States like Bihar and Eastern U. P.

It has been stated in one of the cut-motions that Government has failed to check use of mill yarn for production of khadi. The Khadi and Gram Udyog Commission has issued instructions that twist yarn should be used for production of Khadi. The Textile Commissioner has issued instructions that S-twist yarn should be used in mills. In view of these institutions there should not be any scope for use of mill yarn in the production of Khadi. The Certification Department of Khadi and Gram Udyog Commission also kept a watch in this regard.

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwari in the Chair]

If an specific intance is brought to my notice, necessary enquiries would certainly be made.

The Government is fully aware of the important role that small scale and ancillary industries and Khadi and Village industries have to play in the industrial development of the country. This fact is always kept in mind while formulating policies for industrial development.

---

*भारत, रूस और अमरीका के बीच फिल्मों का पारस्परिक आदान-प्रदान

*RECIPROCAL EXCHANGE OF FILMS BETWEEN INDIA, USSR AND USA

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : यह सर्व विदित है कि फिल्मों के वाणिज्यिक प्रदर्शन के लिये भारत सरकार और अमरीका की चलचित्र निर्यात संस्था के बीच दीर्घकालीन समझौता रहा है। यह समझौता 30 जून, 1971 को समाप्त हो गया है। हम यह जानना चाहेंगे कि क्या सरकार का विचार इस समझौते का नवीकरण करने का है या उसे समाप्त करने का है। चूंकि हमने देखा है कि पुराने समझौते के अन्तर्गत इस देश में वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये फिल्मों का प्रदर्शन करने में अमेरिकी फिल्मों को वास्तविक रूप से एकाधिकार दिया गया है।

हमारी वर्तमान नीति का परिणाम यह रहा है कि इस देश की जनता के पास, जो विदेशी फिल्में देखना चाहती है, कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता और वे वास्तव में अमेरीकी फिल्मों के अतिरिक्त और कुछ नहीं देख सकते। यह वास्तव में विचारों में परिवर्तन लाने का एक तरीका है और इस देश में सिनेमा देखने वालों के दिमाग में अमेरिकी संस्कृति को भरना है। इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिये कि इस देश में अच्छी अमरीकी फिल्में नहीं दिखायी जा रही हैं। चूंकि अमरीकन चलचित्र निर्यात संघ ने यहां के बाजार पर आधिपत्य जमाया हुआ है, इसलिये यह संघ घिसी-पिटी और सस्ती तथा पुरानी अमरीकी फिल्मों का प्रदर्शन करता है। हमारे देश में नवयुवकों के दिमाग में आज जो अस्वथ्य, समाज विरोधी और हिंसात्मक प्रवृत्तियां घर कर गई हैं, उन पर यदि हम विचार करें तो हम पायेंगे कि इसमें अमरीकी फिल्मों का भारी योगदान है।

---

*आधे घंटे की चर्चा।

*Half an Hour Discussion.

भारतीय फिल्मों के निम्न स्तर के रहने का कारण यह ही है कि फिल्म निर्माता केवल बाक्स-आफिस पर ही ध्यान देते हैं। वे अमरीकी फिल्मों के साथ होड़ लगाना चाहते हैं और अमरीकी फिल्मों की नकल पर सस्ती किस्म की फिल्म बनाते हैं। यद्यपि कुछ अच्छी भारतीय फिल्में भी बनायी गई हैं किन्तु उनकी संख्या बहुत कम है।

सभी जानते हैं फ्रांस, इटली, स्वीडन और कनाडा तथा कुछ अन्य देश बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं। हमारे देश में लोगों को ऐसी फिल्में देखने से वंचित रखा जाता है और उनको अमरीकी फिल्में देखने पर वाध्य किया जाता है।

पुराने समझौते में प्रतिवर्ष लगभग 200 अमरीकी फिल्मों के निर्यात की अनुमति दी गई थी और हमारे पास इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। वे जैसी भी फिल्में चाहते हैं, हमारे पास भेज देते हैं। इन फिल्मों के लिये जो धन दिया जाता हैं, वह ब्लाक निधि में रख दिया जाता है और उन्हें इस निधि में से प्रतिवर्ष 25 लाख रुपये निकालने की अनुमति दे दी जाती है।

समझौते के अधीन, एक स्पष्ट धारा है जिसमें कहा गया है कि अमरीका की चलचित्र निर्यात संस्था पारस्परिक आधार पर भारतीय फिल्मों का अपने देश में निर्यात करने में सहायता देगी। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया और व्यापारिक प्रदर्शन के लिये एक भी भारतीय फिल्म अमरीका को निर्यात नहीं की गई।

पिछले दिनों मन्त्री महोदय ने कहा था कि बहुत सी भारतीय फिल्में अमरीका को निर्यात की गई हैं परन्तु वह भली भांति जानते हैं कि उस देश में इन फिल्मों का निर्यात गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा किया गया है। और वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों द्वारा यह फिल्में अपने देखने के लिये खरीदी गई हैं। किसी भी फिल्म को व्यापारिक रूप से प्रदर्शन के लिये नहीं खरीदा गया। कुछ दिन पूर्व एक प्रश्न के उत्तर में मन्त्री महोदय ने बताया था कि हमारे देश में ऐसे 96 सिनेमाघर है जहां विदेशी फिल्में दिखाई जाती हैं। किन्तु इनमें अधिकांश सिनेमाघरों पर बड़ी-बड़ी अमरीकी फिल्म कम्पनियों का नियंत्रण है।

उन्होंने हमारे साथ पारस्परिक आदान-प्रदान नहीं किया। इसका कारण बहुत सीधा है। अमरीकी फिल्म वितरकों को यह अनुभव हो गया है कि मध्य पूर्व देशों में भारतीय फिल्में उनके साथ होड़ ले सकती हैं। वे नहीं चाहते कि हमारी फिल्में बाहर भेजी जायें और वे हर प्रकार से प्रयत्न करते हैं, हमारी फिल्मों का निर्यात न होने पाये।

भारतीय चलचित्र निगम, जिसे राज्य व्यापार निगम की सहायता के लिये स्थापित किया गया था, कुछ कार्य कर रहा है। पता लगा है कि उन्होंने अलजीरिया के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं। भारतीय फिल्म संघ के उपप्रधान ने कहा है फ्रांस, इटली, सोवियत रूस, युगोस्लाविया, पोलैण्ड और फिनलैंड जैसे देश अपनी थोड़ी सी फिल्मों को भारत में भेज कर भारतीय फिल्मों का आयात करने में रुचि रखते हैं। भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के निदेशक मण्डल ने पश्चिम बंगाल से कोई भी प्रतिनिधि नहीं लिया गया है। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। यहां तक कि सत्यजीत राय और मृणाल सेन जैसे प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं को भी बोर्ड में नहीं रखा गया है।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि फिल्म के आयात और निर्यात की वर्तमान नीति में आमूल परिवर्तन किया जाना चाहिये। इस करार को समाप्त किया जाना चाहिये। 30 जून को इसकी अवधि समाप्त हो चुकी है और इसका नवीकरण नहीं किया जाना चाहिये। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि बड़े-बड़े सिनेमाघरों में फिल्में दिखाने के लिये समय का उचित रूप से बंटवारा किया जाना चाहिये। यह कोई नहीं चाहता कि अमरीकी फिल्मों पर प्रतिबन्ध लगाया जाये। परन्तु अमरीकी फिल्में और अन्य देशों की फिल्में दिखाये जाने के लिये समय का उचित बटवारा किया जाना चाहिये।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी (जालौर) : मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या उनके पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना है कि अंग्रेजी में जितनी भारतीय फिल्में 'डब' की गई हैं ताकि यह फिल्में अमरीका को निर्यात की जा सकें और क्या इस सम्बन्ध में भारतीय चलचित्र निर्यात निगम ने कोई कार्यवाही की है ?

मैं जानना चाहूंगा कि इस निगम के निदेशक मण्डल की किस नीति के आधार पर नियुक्ति की जायेगी। मेरे विचार में फिल्म उद्योग के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को इस बोर्ड में नियुक्त किया जाना चाहिये। मेरे विचार में भारतीय फिल्मों का स्तर अमरीकी फिल्मों के प्रभाव से गिरा नहीं है। हमने अनोखी रात, सारा आकाश, आनन्द जैसी अति सुन्दर फिल्मों का निर्माण किया है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि अमरीकी फिल्मों के आयात सम्बन्धी क्या नीति निर्धारित की जायेगी। क्या सरकार अमरीकी फिल्म निर्माताओं को भारत में अधिक फिल्मों के निर्माण के लिये कहेंगे ताकि उनके पैसे का उपयोग भारत में किया जा सके।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : I want to know whether U. S. films are not only against our ideals of socialism but also instigate base feelings and emotions and if so, whether Government would impose ban on the import of films from U. S. A. and not enter into agreement with them in this regard ?

(2) May I know whether Government have prepared any plan in regard to import-export of films from socialist countries other than Soviet Russia ; if so, the details thereof ?

(3) Is it a fact that the Indian films are very popular in the Soviet Union : if so, the names of some of the important films exported to that country with the names of the films exported to U. S. A. also ?

How much foreign exchange has been earned from the export of Indian films to Soviet Russia and U.S. A. during the last three years ?

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : Will Government also make efforts to chalk out plans for import-export of films from the new developing countries ? Whether Government have taken any action to ensure that obscene and sub-standard films are not imported from U. S. A. and to promote the Indian film industry so that our culture and civilisation may get new orientation ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : भारतीय चल चित्र निर्यात निगम के निदेशक मण्डल का पुनर्गठन किया जा रहा है। शायद इसमें श्री सत्यजित राय भी उसके सदस्य होंगे। अमरीकी चलचित्र संघ के साथ हमारे करार की अवधि 30 जून को समाप्त हो चुकी है। हम इस करार का नवीकरण नहीं करना चाहते, जब तक उसकी शर्तें हमारे अनुकल न हों।

फिल्मों के निर्यात तथा आयात को सारणीबद्ध करने का भी एक प्रस्ताव है। जहां तक आयात का सम्बन्ध है, 90 प्रतिशत आयात गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा तथा केवल 10 प्रतिशत राजकीय व्यापार निगम/भारतीय चलचित्र निर्यात निगम द्वारा किया जाता है।

हम फिल्मों के आयात को भी अपने हाथ में लेना चाहते हैं। शायद राजकीय व्यापार निगम इस कार्य को अपने हाथ में ले सकेगा। विदेशी फिल्मों का आयात केवल राजकीय व्यापार निगम के माध्यम से किया जायगा। यही हमारी नीति है। उन फिल्मों को छोड़कर जो किन्ही विशिष्ट द्विपक्षीय करारों के अन्तर्गत आती हैं, शेष सब फिल्मों का आयात राजकीय व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है। सरकार ने भारतीय चलचित्र निर्यात निगम नामक एक एजेन्सी स्थापित की है जो कि राजकीय व्यापार निगम की एक सहायक निकाय है और जिसका उद्देश्य भारतीय फिल्मों के निर्यात को प्रोत्साहन देना है।

हमने फिल्मों का निर्यात भी भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के माध्यम से करने का प्रयास किया था परन्तु इस पर कानूनी आपत्ति की गई थी। यह मामला बम्बई उच्च न्यायालय में गया था तथा इसे रद्द कर दिया गया था। यदि आयात का कार्य भारतीय चलचित्र निर्यात निगम की बजाय राजकीय व्यापार निगम द्वारा किया जाये तो इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

ब्रिटेन से फिल्मों के आयात के सम्बन्ध में करार की अवधि 1967 में समाप्त हो गई थी। इसका नवीकरण अभी पिछले वर्ष ही किया गया है। साथ ही ब्रिटेन भारतीय फिल्मों का अब तक प्रमुख आयातकर्ता रहा है।

जहां तक अमरीका को फिल्म निर्यात करने का सम्बन्ध है, करार 30 जून 1971 को समाप्त हो गया था। पिछले करार के 1967 में नवीकरण के समय यह आशा की गई थी कि अमरीकी चलचित्र निर्यात संघ अमरीका में भारतीय फिल्मों को लोकप्रिय बनाने में तथा वहां निर्यात बाजार विकसित करने में सहायता देने के लिये अपनी उचित भूमिका निभायेगा। दुर्भाग्य से यह आशा पूरी नहीं हुई। अमरीकी चलचित्र निर्यात संघ ने एक सुझाव दिया कि वे भारत में फिल्मों के चयन के लिये, जो उनके विचार से अमरीका में दर्शकों को अच्छी लगेंगी, कुछ विशेषज्ञों को भेजेगा। यद्यपि हमने इस सुझाव का स्वागत किया, किन्तु इस प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही नहीं की गई है।

इस करार के अन्तर्गत भारत में अवरुद्ध निधियों में से स्वीकृत कार्यों के लिये, अर्थात भारत में फिल्मों के निर्माण आदि के लिये, 3.81 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। 1.25 करोड़ रुपये भारत में अमरीकी फिल्मों के निर्माण पर खर्च हुए हैं।

आशा है कि वर्तमान 5.17 करोड़ रुपये की अवरुद्ध राशि का उपयोग निर्माण पूरा हो जाने पर किया जायेगा।

इस करार के असंतोषजनक क्रियान्वयन को देखते हुए, सरकार अमरीका के चलचित्र निर्यात संघ के साथ उक्त करार का नवीकरण नहीं करना चाहती है। इस करार का तब तक नवीकरण नहीं किया जायेगा, जब तक उक्त संघ भारतीय चलचित्रों का आयात बढ़ाने के लिये कोई ठोस प्रयास नहीं करता। राज्य व्यापार निगम के जरिये आयात का स्वरूप निश्चित करते हुए, उपलब्ध विदेशी मुद्रा संसाधनों के अन्तर्गत आयात स्रोतों के विविधीकरण के उद्देश्य से यह प्रयास किया जायेगा कि भारतीय

चलचित्रों के निर्यात के लिये उन देशों को प्राथमिकता दी जाये जो पुराने तथा नये क्षेत्रों में हमारे निर्यात का और विस्तार करने के उद्देश्य से भारतीय फिल्मों का आयात करेंगे ।

दूसरा, द्विपक्षीय करार रूस के सोवेक्सपोर्त और भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के बीच है । राज्य व्यापार निगम भी फिल्मों का आयात करता है किन्तु फिल्मों का वितरण और प्रदर्शन भारत में बम्बई स्थित मेसर्स सोवेक्सपोर्त नामक एजेंसी द्वारा किया जाता है । इस करार के उन्नति 25 रूपक फिल्में और इतने ही वृत्त-चित्र और कार्टून-चित्र आयात करने होते हैं । इन फिल्मों से अर्जित आय सोवियत संघ फिल्मों पर हुए खर्च को काट कर, रुपया-खाते में आय कर देते हैं, आदान-प्रदान स्वरूप सोवेक्सपोर्त फिल्म को कम से कम आठ लाख रुपये के वार्षिक मूल्य की भारतीय फिल्में खरीदनी पड़ती हैं । द्विपक्षीय करार के अधीन, इन सौदों से अमरीकी फिल्मों के सम्बन्ध में 25 लाख रुपये की और ब्रिटिश फिल्मों के सम्बन्ध में एक लाख रुपये की वार्षिक विदेशी मुद्रा बाहर भेजी जाती है । इस निश्चित सीमा से जो अधिक आय होती है, उसे भारत में ही रखा जाता है ।

वर्ष 1967-68 और 1968-69 के दौरान विशेषकर मध्यपूर्व, दक्षिणपूर्व एशिया के देशों को, भारतीय फिल्मों के निर्यात में कमी हुई है । यह प्रसन्नता की बात है कि विदेशों को भारतीय फिल्मों के निर्यात में कुछ प्रगति हुई है । वर्ष 1969-70 के दौरान 4.34 करोड़ रुपये के मूल्य की फिल्मों का निर्यात किया गया और 1970-71 के दौरान 5 करोड़ रुपये से भी अधिक का निर्यात हुआ है ।

और चालू वित्तीय वर्ष के अन्त में $6\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये का निर्यात होने की आशा है ।

अधिक विदेशी मंडियों का पता लगाने की संभावनाओं के प्रति फिल्म उद्योग के जागरूक होने से निर्यात को प्रोत्साहन मिला है । भारतीय फिल्मों के विषय, शूटिंग करने के स्थान और उनका संगीत विदेशी दर्शकों में बहुत लोकप्रिय हो रहा है ।

भविष्य में हम अफ्रीका, यूरोप, अमरीका और लेटिन अमरीका में नई मंडियां तलाश करने के प्रयास करेंगे । इस बात का पूरा प्रयास किया जायेगा कि अन्तराष्ट्रीय टेलीवीजन पर अधिक भारतीय फिल्में दिखायी जायें । इससे नई मंडियों में भी हम अपना प्रभाव जमा सकेंगे ।

जो समझौता हुआ है, उसके अन्तर्गत व्यवस्था है कि अवरुद्ध नीधियों के प्रयोग से भारत के सिनेमाओं का नवीकरण किया जाय और नये सिनेमाओं की स्थापना की जाय । ऐसे किसी भी मामले पर उसके गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जायेगा ।

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 15 जुलाई 1971/24 आषाढ़, 1893 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Thursday July, 15 1971/Asadha 24, 1893 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow—7-11-71—490